राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : ९] दसवीं विधान सभा के नवें सत्र का दूसरा दिवस [संख्या : 2

मंगलवार,

9 सितम्बर, 1997

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री शांतिलाल चपलोत, अध्यक्ष, पदासीन)

अनुरोध

प्रश्नकाल का स्थगन कर जे.सी. बोस छात्रावास में बलात्कार की घटना पर चर्चा

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : आप इधर भी नमस्कार कर लीजिए।

श्री अध्यक्ष : आपको तो मैं सबसे पहले करता हूं। (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यूनिवर्सिटी में जिस युवती के साथ बलात्कार हुआ है, आज का प्रश्नकाल स्थगित करके उस पर सीधी आप चर्चा कराएं तो बहुत अच्छा रहेगा। सारा जयपुर, सारा राजस्थान, सारे राजस्थान के लोग इस बात से आज आशंकित है कि हमारे लड़के और लड़कियां यूनिवर्सिटी और कालेज में पढ़ने जाएंगे तो उनकी जान, उनका मान और उनकी अस्मिता कैसे सुरक्षित रहेगी। यह सबसे बड़ा अहम् मुद्दा है इसलिए, अध्यक्ष महोदय, इस पर चर्चा पहले कराई जाए। प्रश्नकाल आज नहीं, कल हो जाएगा। प्रश्नकाल होते रहेंगे पर जो अहम् मुद्दा है, आप इसको पहले लीजिए ....(व्यवधान) और सबसे पहले लीजिए। (व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद (तारानगर) : अध्यक्ष महोदय, जिनके बच्चे आज यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं... (व्यवधान)

श्री कुबेर खान (रामगढ़) : लॉ एण्ड आर्डर की बात, व्यवस्था की बात जो इसमें रखी है लेकिन यह जो अहम् मुद्दा है उससे अहम् मुद्दा और कोई नहीं हो सकता। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : बलात्कार की चर्चा के साथ में, कानून एवं व्यवस्था को रखा है, उससे इस बात का महत्व कम हो जाएगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये बिराजिये।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, कानून एवं व्यवस्था के साथ इतने महत्वपूर्ण प्रश्न को जोड़ने से उसका महत्व कम हो जाएगा।

श्री कुबेर खान : इसलिए इसके महत्व को देखते हुए उसकी अलग से चर्चा कराई जाय। (व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर (मांडल) : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्नकाल है, प्रश्नकाल लिया जाय। (व्यवधान) कानून व्यवस्था में लेना चाहिए।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : कानून व्यवस्था के साथ इस महत्वपूर्ण मुद्दे को जोड़कर इसके महत्व को कम किया जा रहा है। (व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, प्रश्नकाल लिया जाए।(व्यवधान)

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की शर्मनाक घटना राजस्थान में हुई है, इस पर अलग से चर्चा नहीं कराके, कानून एवं व्यवस्था के साथ में जोड़ते हुए इस प्रश्न को जिस प्रकार से गौण किया जा रहा है...(व्यवधान) विषय की गम्भीरता को देखते हुए आप इस पर अलग से चर्चा कराइये।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये, बिराजिये।

श्री कुबेर खान : इसलिए आप अलग से चर्चा कराएं। (व्यवधान) आज क्वेश्चन आवर नहीं होगा।

श्री परसादीलाल मीणा : प्रश्नकाल तो होते रहते हैं। (व्यवधान)

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर) : सारी दुनिया के अन्दर राजस्थान की प्रतिष्ठा गिरी है। (व्यवधान)

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : राजस्थान के माथे पर इस प्रकार का कलंक का टीका आज लगा है... (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर : सारी दुनिया में, बी.बी.सी. लन्दन और वर्ल्ड में सारे जो टी. वी. चैनल हैं....(व्यवधान)

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : इस पर अलग से चर्चा कराएं सदन में (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये, बिराजिये। (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर : उसमें इसकी घोर निन्दा की है। आपसे मेरी प्रार्थना है कि आपको पहले इस बात को लेना चाहिए। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : कानून व्यवस्था के साथ में नहीं होना चाहिए, इसकी अलग से चर्चा होनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : इसकी गम्भीरता को समाप्त किया जा रहा है। आपको विचार करना चाहिए। (व्यवधान)

प्रश्न आवर चलता रहेगा, आज नहीं तो कल हो जाएगा। इतना गम्भीर प्रश्न है जिसको इस प्रकार से डाइल्यूट किया जाना उपयुक्त नहीं होगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये, बिराजिये।

श्री राधेश्याम गंगानगर : सारी दुनिया के अन्दर, वर्ल्ड के अन्दर इस घटना के बारे में जो कुछ भी सोचा गया है, आपको मालूम है ··· (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय परसादी लाल जी, बिराजिये। बिराजिये, बिराजिये।

श्री राधेश्याम गंगानगर : इसलिए, अध्यक्ष महोदय, आप कृपा करके प्रश्नकाल को स्थगित करके ··· (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, आप संवेदनशील हैं, आप इसकी गम्भीरता को महसूस करें। (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा मायाराम (सांगानेर) : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी ने वादा किया था कि कल हम इस पर डिस्कशन करेंगे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये, बिराजिये। एक मिनट बिराजिये।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : अध्यक्ष महोदय, पूरी राजस्थान की जनता आपकी ओर मुखातिब है। (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी (सिंचाई मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मेरा आसन से अनुरोध है कि इस विषय की गम्भीरता को देखिये, यह जो यूनिवर्सिटी में कांड हुआ है, यह सिर्फ कोई एक घटना ऐसी नहीं है जिसके ऊपर हम ज्यादा इस बात को लेंगे, लॉ एण्ड आर्डर की डिबेट के ऊपर सारा विषय आ जाए। इस विषय को आप देखिये। मैं इस हाउस के इतिहास को बताता हूं। मैंने जब यहां पर मंजू के बलात्कार का मामला उठाया था, हमारे बीकानेर में सेना के सात जवानों ने एक महिला के साथ सामूहिक बलात्कार किया, उस विषय के ऊपर इस हाउस में पूरे दिन चर्चा हुई और उसका असर हुआ। आज 14 साल में किसी फौज के सिपाही की हिम्मत नहीं हुई कि दुबारा बीकानेर में ऐसी घटना हो जाए। विषय यह नहीं है कि अगर कोई पकड़ा जाता है तो गिरफ्तार हो जाए, हथकड़ी लग जाए। उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सवाल यह है कि आज इस समाज में क्या हो रहा है और क्या हम महसूस कर रहे हैं उसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। मेरी यह तकलीफ है इसलिए मेरा अनुरोध है कि कृपया सब विषयों को छोड़कर आप पहले इसको लें। कोई किसी के खिलाफ नहीं है, कोई जाति का सवाल नहीं है, कोई किसी एक वर्ग का सवाल नहीं है। हम जो महसूस कर रहे हैं, जिस तरह ···(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, यह बहुत ही अहम् मुद्दा है। (व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : पहले भी प्रश्नकाल स्थगित हुए हैं और इस हाउस की परम्परा रही है कि जब भी इस तरह की घटना होती है तो प्रश्नकाल स्थगित करके तुरन्त इस पर चर्चा हुई है। आज इस प्रश्नकाल को स्थगित करिये और तुरन्त इस पर चर्चा करिये। (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर : पहले भी कई बार ऐसा हुआ है। हमारा आपसे

(श्री राधेश्याम गंगानगर) कहीं ... अनुरोध है कि...(व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय...

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, प्रश्नकाल स्थगित करके तुरन्त इस पर चर्चा करा दीजिए। (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर : हमारा आपसे अनुरोध है, माननीय अध्यक्ष महोदय, (व्यवधान) प्रश्नकाल स्थगित करके इस पर चर्चा कराएं। (व्यवधान)

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, सरकार की तरफ से भी इस बात की मांग हो चुकी है कि आपको इस चर्चा को कराना चाहिए। सरकार की तरफ से भी इस बात की मांग हो चुकी है। सरकार के मंत्री स्वयं इस बात को कह रहे हैं इसलिए आपको पहले इस पर बहस करानी चाहिए। (व्यवधान)

श्री किशन गोपाल कोगटा (मसूदा) : प्रश्नकाल के बाद ही इस पर चर्चा कराई जाए। (व्यवधान)

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत :.... कि सबसे पहले इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। आपको इसकी गम्भीरता को महसूस करना चाहिए। आप जैसे संवेदनशील व्यक्ति को इस पर निर्णय करते हुए, राजस्थान की जनता की भावनाओं को कानून व्यवस्था के साथ लपेटते हुए इसको समाप्त नहीं करते हुए पहले इस पर चर्चा करने का निर्णय करना चाहिए। राजस्थान सरकार के मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की भी मंशा यह है (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर : सारा का सारा हाउस आपसे निवेदन कर रहा है।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : इसी पर चर्चा नहीं हो, आपको पहले इस पर चर्चा करानी चाहिए। (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर : सब चाहते हैं कि प्रश्नकाल को स्थगित करके इस पर चर्चा करानी चाहिए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विराजिये, विराजिये। बात करूंगा। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : अध्यक्ष महोदय, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है। (व्यवधान) महिलाओं की इज्जत आबरू के साथ खेला जा रहा है। यह महिलाओं के सम्बन्ध में मामला है। (व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी : यह इस सदन की परम्परा रही है, पहले भी कई बार प्रश्नकाल स्थगित हुआ है।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : अध्यक्ष महोदय, यह एक अहम मुद्दा है।

श्री विष्णु मोदी : माननीय भाटीजी ने कहा है... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : सरेआम महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है। (व्यवधान)

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, अब न्याय का तराजू आपके हाथ

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत)

में है। आप क्या चाहते हैं, यह फैसला ··· (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर : यह राजस्थान की परम्परा रही है कि... (व्यवधान)

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : आप संवेदनशील हैं। इसका फैसला आप पहले कीजिए। (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर : पूरे विश्व के अन्दर हमारी जो तस्वीर गयी है, उस पर पूरी तरह मनन करना चाहिए यहां बैठकर और हाउस में दोनों तरफ के लोग यह चाहते हैं। ऐसा पहले कई बार हुआ है, प्रश्नकाल स्थगित होकर बहुत संगीन मुद्दों पर चर्चा पहले हुई है। (व्यवधान)

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, न्याय का पलड़ा आपके हाथ में है, अब आपको फैसला करना है। (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर : मेरा आपसे नम्र निवेदन है, प्रार्थना है कि आप हमारे सदस्यों की भावनाओं को देखकर.... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : अध्यक्ष महोदय, पहले बलात्कार कांड के ऊपर चर्चा कराइये। (व्यवधान)

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : बहुत महत्वपूर्ण, गम्भीर प्रश्न है, सबसे पहले उस पर चर्चा कराइये। उस तरफ से भी मांग आई है और मंत्री मण्डल के सदस्य की तरफ से भी, सरकार की तरफ से कह दिया तो आपको हिचक नहीं होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये, बिराजिये। (व्यवधान)

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : दोनों तरफ की मांग के आधार पर, मानवता के आधार पर, गम्भीरता के आधार पर आपको विचार करके निर्णय करके सबसे पहले आपको इस विषय पर चर्चा करानी चाहिए।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत (भीम) : अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ दो बिन्दुओं के ऊपर विशेष रूप से आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, एक तो कृपया आप इस चीज को डिफाइन कीजिए कि अविलम्बनीय लोक महत्व का विषय क्या चीज है? या इस चीज को, अविलम्बनीय लोक महत्व के इश्यू को आपकी जो रूल्स आफ प्रोसिजर की किताब बनी हुई है उसमें से निकाल कर दूर कर दीजिए। इस सदन में जब कभी भी अविलम्बनीय लोक महत्व के बिन्दु उठाये गये हैं, आप द्वारा कभी भी उसको स्वीकार नहीं किया गया है और दूसरी चीज, एक बात उठाना चाहूंगा कि माननीय सिंचाई मंत्रीजी देवीसिंह जी भाटी ने भी इस बात का समर्थन किया है। यह सरकार और यह सब कुछ जोइंटरेस्पांसिबिलिटी से चलता है। अब सिंचाई मंत्रीजी की जोइंट रेस्पांसिबिलिटी है और सरकार की भी

(6)

(श्री लक्ष्मणसिंह रावत)

ज्वाइंट रेस्पांसिबिलिटी है और अगर इस बात को उठाने के लिए यहां पर खड़े हुए हैं और कह रहे हैं कि इस पर पहले चर्चा की जाए तो क्यों नहीं सरकार इस पर चर्चा पहले करती है ? तो, अध्यक्ष महोदय....

श्री देवीसिंह भाटी : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मेरा मसला नहीं है, पूरे हाउस का मसला है। यह मेरी मंशा नहीं है, पूरे हाउस की मंशा है, पूरे समाज की मंशा है।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : यह पूरे हाउस की इच्छा है। (व्यवधान) इस पर चर्चा पहले कर ली जाए। हम आपके ऊपर विश्वास प्रकट करते हैं तो आप भी कृपया विश्वास पर आंच नहीं आने दीजिये।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय यह पूरे हाउस की, सदन की राय है। आप इस पर अविलम्ब विचार प्रारम्भ कीजिए। (व्यवधान)

श्री कुबेर लाल : अध्यक्ष महोदय, यहां पर चार सवालों पर चर्चा हो जाएगी उसका कोई महत्व नहीं रहेगा लेकिन आज इस बलात्कार कांड की चर्चा यहां पर नहीं की जाएगी तो पूरा राजस्थान माननीय सदस्यों को गलत नजर से देखेगा कि यहां विधान सभा में बैठकर, जबकि पूरा जयपुर बन्द था, माननीय सदस्यों ने चर्चा तक नहीं की। इसलिए चर्चा होनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर : राजस्थान में नहीं, पूरे विश्व में इस बात की चर्चा है (व्यवधान)

श्री कुबेर लाल : पूरे राजस्थान की जनता की मांग है। (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर : पूरे विश्व में यह शर्मनाक घटना है। मेरे ख्याल से कोई ऐसा टी. वी चैनल नहीं रहा, चाहे वह बी. बी. सी. लंदन हो, चाहे वह स्टार टी वी. हो और कोई टी. वी. चैनल हो, हरेक स्टेशन से सारे विश्व के अन्दर इस बात की बहुत भारी निंदा हुई है। इसमें खुलकर चर्चा होनी चाहिए ताकि भविष्य में ये बातें दोहराई नहीं जाएं। (व्यवधान) यही आपसे प्रार्थना है।

श्री रामस्वरूप मीणा : अध्यक्ष महोदय, मेरा विनम्र निवेदन है, यह जो राजस्थान में शर्मनाक घटना घटी है, 7-7 व्यक्तियों के द्वारा एक बहन के साथ बलात्कार किया गया है, यह बलात्कार उस बहन के साथ नहीं किया गया है, यह जो बलात्कार किया गया है, पूरे राजस्थान की जनता के साथ किया गया है इसलिए आप इस बात को महत्व दें। आज इस सदन के अन्दर इस बात को नहीं माना और प्रश्नकाल हमारा चला, हमारा सबसे बड़ा प्रश्न है आज कि बलात्कार की यह जो घटना घटी है इसके बारे में चर्चा की जाए, अगर आज इस पर चर्चा नहीं की तो

(श्री रामस्वरूप मीणा)

हमारा इस सदन में बैठने का कोई अधिकार नहीं है । जनता को हम कोई जवाब नहीं दे सकते । आज सर्वसम्मति से यह सदन चाहता है कि चर्चा की जाए, इसी कांड के ऊपर की जाए वरना सदन को स्थगित कर दिया जाए ।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, यह विषय सिर्फ इसलिए आया है कि विधान सभा का सत्र चल रहा है । अगर विधान सभा का सत्र नहीं चलता तो बाहर जैसी भी चर्चा होती, जैसा भी लोग अपना रूप दिखाते लेकिन जब कल मैंने टी. वी. में देखा कि एक महिला प्रोफेसर कह रही हैं कि हम यहां पर एक जिन्दा लाश की तरह घूम रहे हैं, उनकी भावनाओं को समझिये आप । एक विषय आ गया, सदन चल रहा है तो हम दूसरे विषय को चाहे महत्व अलग-अलग होंगे, अलग-अलग विषय के लेकिन यह जो बर्निंग टोपिक है, यह आग सिर्फ पूरे जयपुर में नहीं लग रही है, दूर-दूर तक इसका प्रभाव पूरे प्रदेश में पड़ेगा । कोई सरकार का सवाल नहीं है । यह पूरे समाज में इस प्रकार की जो गतिविधियां हो रही हैं, गलत रूप जो सामने आ रहा है, आज सारे इस बात को महसूस कर रहे हैं, अगर इसके ऊपर चर्चा हो जाएगी तो कोई सरकार के खिलाफ की बात नहीं है, किसी और के खिलाफ की बात नहीं है, पूरा सदन महसूस कर रहा है, सदन की भावनाओं को देखते हुए इस पर चर्चा करवा ली जाए । (व्यवधान)

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : अध्यक्ष महोदय, मुझे सिर्फ एक निवेदन करना है । वास्तव में घटना शर्मनाक हुई इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता । यह गम्भीर मामला है और सरकार को इस मामले में बहुत गम्भीरता से काम करना चाहिए । लेकिन मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सदन की भी अपनी परम्पराएं हैं, अपने नियम हैं, सब कुछ हैं । मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि प्रश्नकाल एक विशेष मुद्दा होता है सदन में और प्रश्नकाल स्थगित बहुत रेयर मामलों में होता है । (व्यवधान) मैं बोल रहा हूं । आप किसी को बोलने नहीं देंगे ? मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह इतना गम्भीर मामला है कि लॉ एण्ड आर्डर के साथ में नहीं रखना चाहिए, इससे अलग इसके लिए समय निर्धारित किया जाकर इस पर चर्चा हो ।

अनेक माननीय सदस्य : आज नहीं, अभी । (व्यवधान)

श्री शिवनाथ सिंह : लेकिन प्रश्नकाल समाप्त होने के बाद में तुरन्त इसको लिया जाए । आधे घंटे बाद कोई फर्क नहीं पड़ता है । कमला जी, हम अभी से आधे घंटे बाद इसको ले लें, गम्भीरता से विचार करें । यह प्रश्नकाल का समय यों ही वाद-विवाद में निकल जाएगा । प्रश्नकाल को स्थगित बहुत सोच-समझ कर करना चाहिए । मैं सदन के माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि प्रश्नकाल होने दिया जाए और उसके तुरन्त बाद इस विषय को अलग से ले लिया जाए । (व्यवधान)

(8)

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : प्रश्नकाल स्थगित होगा और इस पर चर्चा होगी। (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक महिला अधिकारी ने यूनिवर्सिटी में यह बात कही है, राजस्थान सरकार के ऊपर प्रश्नचिन्ह लगाया है। यह जो बात कही है उधर से वह बिलकुल सही है। एक महिला अधिकारी ने राजस्थान सरकार पर प्रश्नचिन्ह लगाया है कि इसमें अधिकारी, गवर्नमेंट के मंत्री शामिल हैं, यह बात उसने किस तरह कही है, यहां स्पष्ट रूप में वह चीज आनी चाहिए। महिला अधिकारी ने टी.वी. में जो कहा, आपने भी सुना है, सब ने सुना है, उसने इलजाम लगाया है कि इसमें गवर्नमेंट के मंत्री शामिल हैं इसलिए पुलिस कुछ नहीं कर रही है। यह बात स्पष्ट होनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो कहा है....

श्री कालूलाल गूजर : अध्यक्ष महोदय, मामला बलात्कार का बहुत गम्भीर है और सारा सदन इससे चिंतित है तो सदन में इस पर निश्चित रूप से चर्चा की जाए लेकिन आधा घंटा क्वेश्चन का और बचा है, आधे घंटे बाद इस पर चर्चा हो जाए और....(व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : सवाल यह नहीं है, सवाल यह है कि ऐसा मामला हुआ है जिससे... (व्यवधान)

श्री कालूलाल गूजर : केवल इसी विषय पर...(व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : उसके ऊपर विचार करना चाहिए।

श्री कालूलाल गूजर : ....पहले चर्चा हो जाए, लॉ एण्ड आर्डर के दूसरे पाइंट अगर समय बचे तो बाद में ले लिये जाएं, नहीं तो नहीं लिये जाएं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप विराजिये। यह वाकई में बड़ा गम्भीर इश्यू है, इसे सारा सदन स्वीकार करता है, इससे बड़ा कोई गम्भीर विषय हो नहीं सकता, पर प्रश्नकाल के बाद इसको ले लें तो क्या फर्क पड़ता है? (व्यवधान)

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : अध्यक्ष महोदय, इसमें आप मैसेज कर रहे हैं राजस्थान की जनता को...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : एक मिनट सुनिये। जिन माननीय सदस्यों ने....(व्यवधान)

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह है कि आप राजस्थान की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? राजस्थान की जनता क्या मैसेज लेगी आपसे? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : जिन माननीय सदस्यों ने प्रश्न किये हैं...

श्री कालूलाल गूजर : अध्यक्ष महोदय, प्रश्नकाल में कई जानकारियां माननीय

(श्री कालूलाल गूजर)

सदस्यों को इन प्रश्नों के माध्यम से मिलती हैं, आधा घण्टे में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आधा घण्टे बाद चर्चा कर ली जाए।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, इससे बड़ा प्रश्न आज के दिन राजस्थान में कोई नहीं है। (व्यवधान)

श्री कालूलाल गूजर : लोक सभा में यह तय हुआ है कि प्रश्नकाल को स्थगित नहीं किया जाए, जहां तक सम्भव हो, प्रश्नकाल लिया जाना चाहिए।....(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, जरूरी है कि प्रश्नकाल चले।....(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : प्रश्नकाल भी बहुत ही महत्वपूर्ण है:....(व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर : प्रश्नकाल चलते रहेंगे। अब आप स्वयं इसे संगीन मामला मानते हैं, इससे बड़ा प्रश्न कोई हो नहीं सकता....(व्यवधान) जब आप स्वयं कह रहे हैं कि इससे संगीन मामला कोई हो नहीं सकता, फिर परेशानी क्या है ?

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : राजस्थान की जनता के पास में यह संदेश जाना चाहिए कि हम इस महत्वपूर्ण प्रश्न को चुनौती के रूप में ले रहे हैं..(व्यवधान) It's a question of massage (व्यवधान)....

श्री राधेश्याम गंगानगर : अध्यक्ष महोदय, आपने स्वयं यह फरमाया है....

श्री कालूलाल गूजर : प्रश्नकाल के बाद चर्चा जरूर कराई जाए, हम सब चाहते हैं....(व्यवधान)

श्री भंवरसिंह डांगावास : अध्यक्ष महोदय, आप कुछ भी निर्णय लें परन्तु गंगानगर से आए हुए सदस्य ने जो मंत्रि-मण्डल के सदस्य को इसमें लिप्त होने की बात कही है वह बिलकुल गलत है और उसको कार्यवाही से निरस्त किया जाए। (व्यवधान)

श्री कालूलाल गूजर : आधा घंटे बाद इस पर चर्चा कराई जाए। प्रतिपक्ष के नेता भी आ जायेंगे जब तक। माननीय प्रतिपक्ष के नेता भी उपस्थित नहीं हैं, जब तक वह भी आ जाएंगे इसलिए आधा घंटे के बाद लिया जाए, तब तक प्रश्न ले लिये जाएं। (व्यवधान)

श्रीमती बीना काक : माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि, सदन के किसी सदस्य की बेटी के साथ कोई....(व्यवधान)

श्रीमती कमला : यह इतना शर्मनाक हादसा होने के बावजूद भी विधान सभा में इसकी चर्चा नहीं हुई, आपने कल का बंद देखा है, सरकार के दबाव में भी बंद होते हैं....(व्यवधान)

श्रीमती बीना काक : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत सीरियस मामला है, इसे आप तुरन्त... (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर : मैं यह निवेदन कर रहा था कि जब आप स्वयं इस

(10)

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

इसयू को ऐसा मानते हैं फिर इसमें दिक्कत क्या है ? आपने अपने ही वक्तव्य में यह कहा है कि इससे संगीन मामला कोई हो नहीं सकता, तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, प्रार्थना है कि आप तुरन्त इसको पोस्टपोन करके उस चर्चा को शुरू करवाइये, सदन आपका आभारी रहेगा । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : एक मिनट विराजिये, आप । (व्यवधान)

श्रीमती बीना काक : यह बहुत सीरियस मामला है, अध्यक्ष महोदय, इसलिए तुरन्त शुरू करवाएं ।

श्री अध्यक्ष : आप कुछ कह रही हैं ? आप कुछ कहना चाहते हैं ? क्या कह रहे हैं आप ?

श्रीमती बीना काक : सारी बहन-बेटियों की आबरू खतरे में है । (व्यवधान)

श्री भंवरसिंह डांगावास : अध्यक्ष महोदय, इस विवाद के अन्दर गंगानगर के माननीय सदस्य ने यह आरोप लगाया कि मंत्रिमण्डल के सदस्य इसमें लिप्त हैं, यह बिलकुल असत्य आरोप है । कृपया इसको कार्यवाही से निरस्त करें । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजने का कष्ट करें । (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर : यह मैं नहीं कह रहा, टी.वी. में यह बात आई है और एक कर्मचारी, जो हमारी यूनिवर्सिटी की महिला है, के मुंह से यह बात सारी दुनिया ने सुनी है । केवल मात्र राजस्थान में ही नहीं, सारे वर्ल्ड में, बीबीसी लंदन, स्टार टी.वी., टी.वी.आई., सारे चैनलों पर यह बात कही गयी है । मैं यह नहीं कह रहा....

श्री भंवरसिंह डांगावास : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को आरोप लगाने से पहले प्रमाण देना चाहिए । मंत्री का नाम लेना, यह गलत है, या अन्य किसी का व्यक्तिगत नाम लेना गलत है । महज राजनीतिक प्रचार के लिए यह आरोप लगा रहे हैं, यह ठीक नहीं है । इसको आप कार्यवाही से निकलवाइये । (व्यवधान)

श्रीमती बीना काक : माननीय अध्यक्ष महोदय, रक्षक ही भक्षक बन गये हैं... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विराजें आप, विराजें । बात तो सुनें । (व्यवधान) आप विराजें ।

श्रीमती बीना काक : पुलिस के अधिकारी लिप्त हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, रक्षक भक्षक बन गये हैं ।

एक माननीय सदस्य : कल मदेरणाजी ने ही सुझाव दिया था एडवाइजरी कमेटी में तय होने के बाद....(व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : डीवाई.एस.पी., राजस्थान पुलिस ने बलात्कार किया.... (व्यवधान)

श्रीमती बीना काक : रक्षक भक्षक बन रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : एक मिनट, माननीय मंत्रीजी कोई बात कह रहे हैं। एक सैकण्ड।

श्रीमती बीना काक : रक्षक भक्षक बन रहे हैं। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : बलात्कारी सरकार का....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया बिराजें। दो मिनट बात तो सुनें।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : अध्यक्ष महोदय, सरकार क्या इन्टरवीन कर रही? आप की तरफ से डायरेक्शन दीजिए उसको....

श्री अध्यक्ष : दो मिनट बात तो सुनें। बात तो सुनें, सबकी बात सुनें।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : अध्यक्ष महोदय, आप क्या संदेश दे रहे हैं राजस्थान की जनता को, हमारी सैंसेटिविटी मर गई है; हमारी संवेदनशीलता खतम हो गई है? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सबकी बात सुनने के लिए ही सदन है। यह सदन सबकी बात सुनने के लिए है। माननीय मंत्रीजी, आप क्या कह रहे हैं?

श्री रामस्वरूप मीणा : बलात्कारी सरकार का....

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : सारी जनता विधान सभा पर अंगुलियां उठा रही हैं, इस संस्था के औचित्य पर अंगुली उठा रही है। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : एक मिनट बात तो सुनें उनकी। एक मिनट बात सुनें उनकी। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : 'बलात्कारी सरकार का ...

श्रीमती बीना काक : अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूं....

श्रीमती कमला : चर्चा करवाइये। बात क्या करना चाह रहे हैं? अगर चर्चा नहीं करवाते हैं; जाकर वहां चौपड़ पर खड़े होइये, आपकी क्या हालत बनती है वहां पर। यहां जयपुर की सड़कों पर निकलना मुश्किल हो रहा है सबका, थूक रहे हैं लोग आपके ऊपर। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया फरमाएं। आप क्या फरमा रहे हैं?

श्रीमती बीना काक : हर मामले में मंत्रियों के बेटे लिप्त हैं, पुलिस अधिकारी, लिप्त हैं, शर्म आनी चाहिए इस सरकार को .. (व्यवधान) राजस्थान पुलिस के अधिकारी, मंत्रियों के बेटे लिप्त हैं और आप सब चुपचाप बैठे हुए हैं। आप बैठ जाइये, बैठ जाइये। महिलाओं के मामले

(श्रीमती बीना काक)

में सब को खड़े होकर, उठ कर बात करनी चाहिए और आप हमें रोक रहे हैं बोलने से ।

श्री देवीसिंह भाटी : आप यह निजी व्यक्तियों के ऊपर नहीं लगाएं तो ज्यादा अच्छा है । कौन मंत्री....

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अध्यक्ष महोदय, किसी भी विषय की गंभीरता.... (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : एक मिनट । मेरा निवेदन है....(व्यवधान)

श्रीमती बीना काक : सब को देवीसिंह जी भाटी जैसा बनना चाहिए कि सीरियसली कहें... (व्यवधान)

श्री चुन्नीलाल गरासिया : अध्यक्ष महोदय, विषय की गम्भीरता को देखते हुए व्यक्तिगत आरोप न लगाकर सारा सदन इस इश्यू को... (व्यवधान)

श्रीमती बीना काक : रक्षक, भक्षक बन गये हैं....

श्री चुन्नीलाल गरासिया : व्यक्तिगत आरोप लगाये जा रहे हैं... (व्यवधान) यानि अपने आप में कम से कम विषय को गम्भीरता से लेते हुए हम देखें, इस विषय को डाइल्यूट न करें । (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : किसी भी विषय की गम्भीरता को....

श्रीमती बीना काक : आप तो बोल ही नहीं रहे गम्भीरता से, क्या लेंगे मामले को ? आप चुप बैठे हैं, क्या गम्भीरता से लेंगे मामले को ? बैठ जाइये आप ।

श्री अध्यक्ष : बिराजें, बिराजें ।

श्री चुन्नीलाल गरासिया : नहीं, आप बैठ जाइये । (व्यवधान) व्यक्तिगत आरोप तो नहीं लगाएं आप ।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप, बिराजें । (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, आरोप लगाने के पहले इनको, माननीय सदस्य को, जिन पर आरोप लगा रहे हैं उनको नोटिस दिया जाना चाहिए । (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आज राजस्थान के पूर्व न्यायाधिपति बेरी साहब, इसरानीजी....(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : ऐसे कैसे आरोप लगा देंगे बिना सूचना के और बिना आपके ....(व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : माननीय मुख्य मंत्रीजी, मैं दावे से कहता हूं कि अगर....

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : सुन लिया, सुन लिया। अब बैठो तो सही।

श्री अध्यक्ष : बिराजें, बिराजें।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : उन सात या आठ मुलजिमों को कल पुलिस गिरफ्तार कर लेती और अगर उनका आप जौहरी बाजार में जुलूस निकाल लेते तो शायद इतनी भीड़ उमड़ती, इतनी भीड़ उमड़ती कि लोगों को तिल रखने की जगह तक नहीं मिलती। उसकी गम्भीरता को सरकार ने नहीं समझा....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बैठिये, बैठिये अब।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये, बिराजिये।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आपने किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। उस डीवाई. एस. पी. के खिलाफ, जिसके खिलाफ उस लड़की ने चिल्ला-चिल्ला कर यह कहा, आपने कुछ नहीं किया। यह सब क्या साबित करता है ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप बैठ जाओ न, सुन लिया।

श्री अध्यक्ष : बिराजें। धारीवाल साहब, बिराजिये, बिराजिये। (व्यवधान) मुख्य मंत्रीजी को सुन लें एक मिनट। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : मुख्य मंत्रीजी, आपकी संवेदनशीलता खतम हो गयी है।

श्रीमति बीना काक : अध्यक्ष महोदय, नेता महोदय ने इसी सदन में चर्चा करने का वायदा किया था....

श्री अध्यक्ष : सदन के नेता को तो सुनेंगे न ? माननीय सदन के नेता को सुन लें आप। कृपया बिराजें आप।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसमें कोई संदेह नहीं है .. (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : अध्यक्ष महोदय, रक्षक भक्षक बन चुके हैं, राज्य रसातल में कर दिया.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजें, बिराजें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि मामला गम्भीर है.... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा हूं, रक्षक भक्षक तक बन जाए, राज्य रसातल तक चला जाए....

श्री अध्यक्ष : बिराजें, बिराजें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मामला गम्भीर है, इसमें कोई संदेह नहीं है, इसकी गम्भीरता को कोई कम नहीं आंकता है ...

श्री विष्णु मोदी : आपने कल ही आंक दी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसीलिए आज पहले ही दिन विधान सभा में लॉ एण्ड

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

ग्रार्डर के बारे में चर्चा रखी थी। अगर आप लोग यह चाहते हैं कि क्वेश्चन ग्रावर को स्थगित किया जाए और इस प्रश्न के ऊपर ही चर्चा की जाए तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ग्राप जैसा उचित समझें, करें।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई (फलौदी) : ऐसा है कि राजस्थानी में कहावत है, साठी बुद्धि नाटी। मैं 60 से ऊपर का हो गया हूं इसलिए शायद मैं बुद्धिमानी की बात नहीं कह रहा हूं क्योंकि सदन का माहौल कुछ और तरीके का है। एक लड़की के साथ अन्याय हुआ और वह अखबारों में छप गया। अब उसकी पूरी जिंदगी की किताब आप खोल करके पूरे हिन्दुस्तान के अन्दर उसकी प्रतिष्ठा बढ़ा रहे हैं, यह है आखिर सवाल इतना ही है कि अगर बलात्कार हुआ है तो उसमें उनके खिलाफ कार्यवाही करो, उसकी सजा दो। इसके अलावा सुझाव क्या है यहां, मुझे यह बता दो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अब ये सुझाव देंगे।

श्री देवीसिंह भाटी : इसमें फर्क नहीं। यह प्रक्रिया बनी हुई है कार्यवाही होगी, सरकार कार्यवाही करेगी ···· (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय बैठें।

श्री देवीसिंह भाटी :···· (व्यवधान)···· पर यह समाज में जो विकृति आ रही है जिस पर हम सबको चिन्ता है, हम किस दिशा की ओर बढ़ रहे हैं ऐसे आंध्र प्रदेश के अन्दर हम लोग कहां जा रहे हैं इसके लिए चर्चा होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : माननीय विराजिये।

श्रीमती कमला भील : चुप बैठ जाएं, मुंह बन्द करके बैठ जाएं ? चर्चा भी नहीं करें ? बंद कर लें मुंह ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : प्रश्न यह नहीं है। आपको जानकारी होगी कि लोक सभा में सब पार्टियों के लोक सभा सदस्य, नेता शामिल थे, यह निर्णय लिया था कि क्वेश्चन ग्रावर पोस्टपोन नहीं किया जाए। सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पास हुआ था और मैंने इसीलिए कल कहा था इस सत्र के आरम्भ करने से पहले कि यदि लोक सभा में जो कुछ चर्चा हुई है उस आधार पर हम भी चर्चा कर लें तो ज्यादा उचित होगा। उसके लिए आपका कहना था कि अक्टूबर में जब सारी विधान सभाओं का सम्मेलन हो और इसी आधार पर चर्चा करने की बात आए तो ठीक है। मैं अपनी तरफ से नहीं कहता परन्तु जब विपक्ष यह मांग कर रहा है और यह कह रहा है कि प्रश्नकाल को स्थगित किया जाए तो मुझे इस पर चर्चा करने में कोई आपत्ति नहीं होगी। आज जब करनी ही है, लॉ एण्ड आर्डर की सिचुएशन पर रखी है उस समय भी यह चर्चा हो सकती थी। एकसाथ सब लोग इस पर चर्चा करना चाहें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री रामनारायण चौधरी (नावां) : सत्ता पक्ष भी कह रहा है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, सत्ता पक्ष कह रहा है तो सत्ता पक्ष की भी फीलिंग वही है जो आपकी और मेरी है। सत्ता पक्ष तो····(व्यवधान) ··· एक मिनट सुनिये।

श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : क्या इस सदन में पूर्व में ऐसी परम्परा नहीं रही है कि प्रश्नकाल को स्थगित किया गया ? क्या इस सदन में प्रश्नकाल को स्थगित नहीं किया गया और जब आप यहां बैठे थे ···· (व्यवधान) ····

श्री अध्यक्ष : मोदी साहब, कृपया बिराजिये आप।

श्री विष्णु मोदी : जब बीकानेर में घटना घटी तो प्रश्नकाल स्थगित होकर दिन भर चर्चा हुई और उसका एक मैसेज गया। आज सवाल इस बात का नहीं है कि क्या हुआ और क्या चर्चा होनी है। आज सवाल इस बात का है कि राजस्थान में निरन्तर इस प्रकार की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं उसके लिए क्या होगा और कल तो हमारा सिर शर्म से झुक गया जब यहां से निकले, विधान सभा से, तो लोगों ने पूछा, क्या आप लोगों में इतनी शर्म भी नहीं है कि जयपुर ऐतिहासिक बंद है और आप लोग चर्चा तक नहीं कर सके।

श्री अध्यक्ष : बिराजें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं ऐसा समझता हूं, मोदी साहब, शर्म की बात करने से पहले हर आदमी को अपने कलेजे में देखना चाहिए, यह मैं बता देऊं आपको।

श्री विष्णु मोदी : कलेजे में झांक कर कह रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सुनिये, झांक कर देखिये। इस विधान सभा में देवीसिंह जी ने कहा था, यह देवीसिंहजी तख्ती लगा करके यहां आए, थे, यही कांग्रेस पार्टी है जिन्होंने इनको सदन से बाहर निकालने का प्रस्ताव रखा था। तो ऐसी बात नहीं है। और यह उसके बाद में चर्चा हुई। यह माननीय खेतसिंह जी का प्रस्ताव था। मैं इनको ···(व्यवधान) ···

श्री विष्णु मोदी : तख्ती में भाषा वह नहीं लिखी थी···(व्यवधान)···आप इस विषय को डाइल्यूट नहीं करें। आज सवाल इस बात का है कि राजस्थान के इतिहास में ऐसा बंद आज तक नहीं हुआ।

श्रीमती बीना काक :····(व्यवधान)···· इतना सीरियस मामला है, आप इस मामले को क्यों डाइल्यूट कर रहे हैं ? हम आपसे ऐसी उम्मीद नहीं रखते। इसे तो आप गम्भीरता से लें कम से कम।

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : माननीय नेता महोदय, थोड़ी-सी आप भूल कर गये। आप उस वक्त की इस बात को भूल गये कि उन्होंने मुझे जूता दिखाया था। इसलिए उनको बाहर निकाला गया।

श्री देवीसिंह भाटी :···(व्यवधान)···· बलात्कार हुआ, उस दिन उसके लिए तख्ती लगाकर आया था···(व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर : मैं भी उस समय मौजूद था, जो खेतसिंह जी कह रहे हैं वास्तव में यही बात थी।

श्रीमती बीना काक : कृपया इस मामले को डाइल्यूट न करके इसे गम्भीरता से लें। बात बलात्कार की हो रही है, महिलाओं के हित की बात हो रही है और ये जूते की बात कर रहे हैं।(व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : ··(व्यवधान)···· खत्म कर दिया जाए वह ····(व्यवधान)···

एक माननीय सदस्य : यह तो प्रोसिडिंग्स वाला मामला है, प्रोसिडिंग्स देख लीजिए इस मामले में।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक मिनट। यह सही है कि आज हम सत्ता में बैठे हैं और आप विपक्ष में बैठे हैं इसलिए इस प्रकार के··· (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : तख्ती लगाना कोई अपराध नहीं है। जब कोई कांड होगा तो तख्ती भी लगायी जाएगी। तख्ती लगाना कोई अपराध नहीं है। इतना बड़ा कांड हो गया और तख्ती नहीं लगावें।

श्री अध्यक्ष : विराजे, विराजे आप।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं इतना ही निवेदन कर रहा हूं····

श्रीमती कमला : माननीय मुख्य मंत्री महोदय, इसे प्रतिष्ठा का सवाल नहीं बनाएं।

श्री अध्यक्ष : विराजिये।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : हमारा सिर्फ इतना ही निवेदन है कि बहुत ही गम्भीर विषय है, इसको आप मिलाने की कोशिश मत करें। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इतना तो परम्पराओं का ध्यान रखें। मैं आपकी भावनाओं को व्यक्त कर रहा हूं, आप बीच में विघ्न पैदा कर रही हैं। इसमें, देखिये, आपकी जो भावनाएं हैं वह मेरी भी भावना है। आखिर उस महिला के साथ जो कुछ हुआ है उससे मुझे कोई खुशी नहीं है, मुझे आपसे ज्यादा दुःख है। मेरी भी बदनामी होती है, सरकार की भी बदनामी होती है और जनता में एक प्रकार की विचित्र स्थिति उत्पन्न होती है, उसका निराकरण जल्दी से जल्दी हो इसमें कोई सन्देह नहीं है। मैं भी चाहता हूं, इसका जल्दी से जल्दी निराकरण हो। इसलिए यह राजस्थान विधान सभा के इतिहास में पहली बार होगा कि कल की कार्यवाही के बाद हमने लॉ एण्ड आर्डर के ऊपर चर्चा रखी। अब माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि इसके ऊपर अलग से चर्चा हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है लेकिन मैं उस परम्परा की ओर फिर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा जो लोक सभा में अभी तय हुई है कि हमें किसी भी स्थिति में प्रश्नकाल स्थगित नहीं करना चाहिए। यदि आप लोग यह चाहते हैं कि इसको नहीं माना जाए तो आपकी मर्जी की बात है, मैं आप पर छोड़ता हूं। अगर आप चाहते हैं कि प्रश्नकाल स्थगित किया जाए तो कर दीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्रीमती बीना काक : प्रश्नकाल के बाद ले लीजिए। प्रश्नकाल के इमीजियेट बाद आप इस मामले को उठा लीजिए।

श्री शिवनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता महोदय ने....(व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अभी आपने परम्पराओं की बात कही। बेहतर तो यह होता सरकार खुद इस पर अपना स्टेटमेंट जारी करती। आपने अपने भाषण में बार-बार यह कहा कि मुझे इस पर चर्चा कराने में कोई आपत्ति नहीं है। यह शब्द आपके मुंह से शोभा नहीं देते, माननीय मुख्य मंत्री महोदय। आपको चाहिए था कि आप अपने होम मिनिस्टर से स्टेटमेंट जारी करवाते।

श्री खेतसिंह राठौड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, आधा घण्टा गुजर गया है और आधा घंटे के लिए आप प्रश्नकाल चालू कर दीजिए और उसके बाद तुरन्त इस विषय को ले लीजिए।

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद। माननीय श्री विष्णु मोदी।

तारांकित प्रश्नोत्तर

खपरिया (जयपुर) की सिवाय चक भूमि का आवंटन

24. **श्री विष्णु मोदी** (पुष्कर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि जयपुर जिले की तहसील आमेर के ग्राम खपरिया में स्थित सिवाय चक भूमि का अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों को आवंटन किया गया था? यदि हां, तो कुल कितने बीघा भूमि किन-किन को आवंटित की गयी।

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा आवंटित की गयी उक्त भूमि आवंटियों के अतिरिक्त अन्य की खातेदारी में दर्ज कर दी गयी है? यदि हां, तो किन-किन व्यक्तियों के नाम पर और किस आधार पर? सरकार द्वारा उक्त मामले में अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों।

राजस्व मंत्री (श्री गंगाराम चौधरी) : (1) जी हां। यह सही है कि जयपुर जिले की आमेर तहसील के खपरिया गांव में स्थित सिवाय चक भूमि का, अनुसूचित जाति के 8 लोगों को 41 बीघा 3 बिस्वा भूमि का आवंटन किया गया था। सूची परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। यह सही नहीं है कि सरकार द्वारा आवंटित की गयी उक्त भूमि अन्य की खातेदारी में दर्ज की गयी है। यह भूमि राजस्व रिकार्ड मे वर्तमान में भी आवंटियों के नाम गैर खातेदारी में दर्ज है। उक्त आवंटित 41 बीघा 3 बिस्वा भूमि में से खसरा नम्बर 221/2 क्षेत्रफल 19 बीघा 1 बिस्वा के सम्बन्ध में राजस्व अपील अधिकारी ने अपने निर्णय दिनांक 3-3-97 द्वारा सेढूराम व अन्य को खातेदार कृषक घोषित किया है। इस निर्णय के विरुद्ध राज्य सरकार की ओर से भूमि धारक तहसीलदार, आमेर द्वारा राजस्व मण्डल में अपील दायर की है, जो विचाराधीन है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–1 देखें)

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, जो सरकार के सामने सबसे बड़ा प्रश्न है उस पर प्रश्नकाल को स्थगित नहीं कर रहे हैं इसलिए इस प्रश्नकाल का मैं वाक आउट करता हूं। ऐसी सरकार जिसका कोई नैतिक दायित्व नहीं है यहां बने रहने का और प्रश्नकाल हो रहा है, ऐसे प्रश्नकाल का मैं बहिष्कार करता हूं।

(श्री अमराराम (धोद) सदस्य द्वारा सदन से बहिर्गमन)

श्री विष्णु मोदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने सवाल किया कि जयपुर जिले के आमेर के ग्राम लखरियर में स्थित सिवाय चक भूमि का अनुसूचित जाति/जनजाति को आवंटन हुआ? माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में बताया है कि आवंटन हुआ। फिर दूसरे खण्ड में पूछा कि उसको रिकार्ड में दर्ज कर दिया गया है क्या? मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि जब आज भी उनके नाम से रिकार्ड में दर्ज है तो जो यह अधिकारी ने फैसला दिया तो क्या उनको सुना गया? क्या इस मामले में डिस्ट्रिक्ट एडवोकेट्स बार एसोसिएशन ने कोई मेमोरेंडम दिया आपको और चेयरमैन रेवेन्यू बोर्ड को? तीसरा प्रश्न यह है कि क्या उस मेमोरेंडम पर आपने कोई कार्यवाही की या चेयरमैन रेवेन्यू बोर्ड ने कोई कार्यवाही की?

श्री गंगाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, आवंटियों को पक्षकार राजस्व अपील अधिकारी के कार्यालय में नहीं बनाया गया था इसलिए उन्हें सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया, सरकार को बनाया गया था। सरकार की ओर से जवाब भी पेश हुआ। सारे तथ्य राजस्व अपील अधिकारी के सामने आए लेकिन राजस्व अपील अधिकारी ने निर्णय दे करके उन 6 आदमियों को खातेदारी दे दी। मेमोरेंडम की मुझे जानकारी नहीं है कैसा मेमोरेंडम दिया, मेरे पास तो नहीं आया। कलक्टर के पास आया होगा तो पूछ लेंगे।

श्री विष्णु मोदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी को जानकारी नहीं है कि कोई मेमोरेंडम आया है। डिस्ट्रिक्ट एडवोकेट्स बार एसोसिएशन ने मेमोरेंडम दिया उस पर रेवेन्यू बोर्ड के चेयरमैन ने जुडिशियल मेम्बर, श्री गणपतसिंह भण्डारी को अपाइन्ट किया। इसी एक मसले में नहीं, इससे सम्बन्धित दो मसले और थे। एक तरफ तो राज्य सरकार को पार्टी बनाया, जो आज मंत्रीजी कह रहे हैं कि खातेदारी आज भी उन अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों के नाम दर्ज है उनको पार्टी नहीं बनाया, ये कह रहे हैं रिकार्ड में उनके नाम से आज भी दर्ज है लेकिन उनको तो पार्टी बनाया नहीं, राज्य सरकार को पार्टी बनाया तो राज्य सरकार ने भी यह जरूरी नहीं समझा उस अपील अधिकारी के सामने कि जो आवंटी हैं वे इसमें पार्टी बनें? उसके बाद डिस्ट्रिक्ट एडवोकेट्स बार एसोसिएशन ने मेमोरेंडम दिया फिर चेयरमैन रेवेन्यू बोर्ड के चेयरमैन ने जांच करायी। जुडिशियल मेम्बर, गणपतसिंह भण्डारी ने जांच की और उस जांच के बाद मुख्य सचिव को रेवेन्यू बोर्ड के चेयरमैन ने कोई रिपोर्ट भेजी कि इसी मामले में [illegible]

(श्री विष्णु मोदी)

मामलों में भी लाखों रुपये की जमीन जो अनुसूचित जाति के लोगों को आबंटित थी वह दूसरे लोगों के नाम दर्ज कर दी गयी। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि आपको तो जानकारी नहीं, कलक्टर को दिया होगा, रेवेन्यू बोर्ड के चेयरमैन ने जांच करा ली, जुडिशियल मैम्बर की रिपोर्ट आ गयी, उसके अन्दर सारे केसेज खुलकर आ गये, वह चीफ सैक्रेटरी को रिपोर्ट पेश हो गयी और आपको अभी तक जानकारी नहीं ? उस अपीलेंट अधिकारी का 13-8-97 को आपने तबादला किया, 21-8-97 तक वह अधिकारी फैसले देता रहा। तो रेवेन्यू बोर्ड के जुडिशियल मैम्बर ने जिस अधिकारी को दोषी पाया है उसके खिलाफ में आपने क्या कार्यवाही की और क्या करने जा रहे हैं ?

श्री गंगाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, पार्टी को खुद को चाहिए था कि वह राजस्व अपील अधिकारी के समक्ष अपनी दरख्वास्त पेश करती पक्षकार बनने के लिए।

श्री विष्णु मोदी : उसको जानकारी ही नहीं तो वह कहां से करेगी। जब सरकार को जानकारी थी तो क्या सरकार ने उनको बनवाया ?

श्री गंगाराम चौधरी : सरकार ने अपना जवाब पेश कर दिया कि गैर-खातेदारी में दर्ज है। आप ए. सी. एम. का फैसला देख लीजिए। असिस्टेंट कलक्टर कोर्ट में राज्य सरकार की ओर से यह जवाब पेश हुआ था कि गैर-खातेदारी में कुछ लोगों को आबंटित भूमि है, गैर-खातेदारों के नाम जमीन दर्ज है और उन्होंने अपने फैसले में खातेदारी खारिज की थी और इसी तरह से राजस्व अपील अधिकारी के समक्ष बहस हुई थी। पार्टी खुद ने, जिस आदमी ने अपील की थी उसको पक्षकार नहीं बनाया और उन्होंने अपनी तरफ से कोई दरख्वास्त भी नहीं दी। सच पूछिये तो आबंटियों ने अभी तक उस जमीन पर कब्जा ही नहीं किया, केवल रिकार्ड में सरकार ही उनके पक्ष में कर रही है और सरकार ने ही राजस्व मण्डल अधिकारी के समक्ष अपील पेश की है। पार्टी ने राजस्व मण्डल, अधिकारी के समक्ष अपील भी पेश नहीं की, आबंटियों ने अब तक कब्जा भी नहीं लिया। मेमोरेण्डम की आप बात कर रहे हैं उसमें अगर कुछ बात आई है और राजस्व अपील अधिकारी के विरुद्ध भी कुछ प्रकरण बनता है तो उस जांच के हिसाब से कार्यवाही कर दी जाएगी। वैसे उसका स्थानान्तरण इस स्थान से कर दिया गया है।

श्री विष्णु मोदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो मेरे प्रश्न पूछने की मूल भावना थी वह मंत्रीजी के मुंह से आ गयी कि अनुसूचित जाति के लोगों को आबंटन कर दिया कब्जा नहीं दिलाया या उन्हें कब्जा नहीं मिला। यह मेरी मूल भावना थी जो आपने बताया है कि आपकी क्या प्रक्रिया थी, आप आबंटन तो कर देते हैं, कब्जा किसी का है या नहीं, आपके अपीलेट अधिकारी ने उसके ऊपर केस का फैसला कर दिया, सरकार ने जवाब दे दिया, आबंटियों को जानकारी तक नहीं है और उसके

(श्री विष्णु मोदी)

बावजूद उसकी इन्क्वायरी हो गयी जुडिशियल मैम्बर से और चीफ सैक्रेटरी को रिपोर्ट पेश हो गयी वह भी आपकी जानकारी में नहीं है और स्थानान्तरण 18 तारीख को हो गया और उसके बाद में 21 तारीख तक वही अधिकारी फैसले देता रहा और उसके बावजूद भी मंत्रीजी की जानकारी में यह आज तक नहीं है।

श्री गंगाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, बहुत सी चीजें हैं इसमें।

श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं) : अध्यक्ष महोदय, एक मैं भी सवाल पूछना चाहता हूं। जैसा मंत्री महोदय ने बताया कि गैर-खातेदारी में नाम दर्ज है। राजस्व अपील अधिकारी के पास में जब यह मामला आया और रिकार्ड की जो नकल पेश हुई उसमें इनके नाम थे और यह प्रभावित व्यक्ति थे इनको अगर पार्टी ने पक्षकार नहीं बनाया तो राजस्व अपील अधिकारी को तो अपील खारिज कर देनी चाहिए थी। उसको इसमें कोई निर्णय लेना नहीं चाहिए था क्योंकि प्रभावित व्यक्तियों को अगर पार्टी नहीं बनाया तो उस केस में कोई फैसला नहीं हो सकता। आप कह रहे हैं कि राजस्व अपील अधिकारी के खिलाफ कोई मामला आएगा। मामला तो स्पष्ट है। आप राजस्व अपील अधिकारी के खिलाफ क्या करना चाहते हैं।

श्री गंगाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल के समक्ष अपील पेश कर दी है। एक प्रिसाइडिंग आफिसर ने कोई फैसला दिया उसके खिलाफ कोई जब अपील पेश हो जाती है तो अपील के अन्दर अगर यह एसपर्शन्स आ जाएंगे, यह बात आ जाएगी राजस्व मण्डल की ओर से कि प्रिसाइडिंग आफिसर की फलां-फलां गलती है तो अवश्य कार्यवाही की जाएगी। जहां अपील विचाराधीन है उसके पहले हम कुछ भी करने में सक्षम नहीं हैं।

श्री विष्णु मोदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, रेवेन्यू बोर्ड के जुडिशियल मैम्बर गणपतसिंह भण्डारी ने इसकी जांच कर ली और जांच करके रेवेन्यू बोर्ड के चेयरमैन ने चीफ सैक्रेटरी को रिपोर्ट सबमिट कर दी कि इसके अन्दर यह जो अधिकारी था उसकी अनियमितताएं हैं।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर (नसीराबाद) : उसमें आप क्या कह रहे हैं?

श्री गंगाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, हो सकता है उसका स्थानान्तरण इसी आधार पर हुआ हो। वैसे डी. ओ. पी. करती है, मुझे जानकारी नहीं है।

श्री विष्णु मोदी : स्थानान्तरण तो पनिशमेंट नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं ··

श्री गंगाराम चौधरी : लेकिन अधिकारी को वहां से बदल दिया गया है।

श्री अध्यक्ष : विराजें। श्री महावीर भगोरा।

झाड़ोल (उदयपुर) में आवासीय कन्या विद्यालय

25. श्री महावीर मगोरा (गोगुन्दा) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि उदयपुर जिले की झाड़ोल तहसील में आवासीय कन्या विद्यालय की योजना किसी स्वयंसेवी संस्था को स्वीकृत की गयी है ? यदि हां, तो किस संस्था को एवं किस स्थान हेतु व कितनी छात्र संख्या के लिए स्वीकृति दी गयी है ? इस हेतु कितनी राशि कब से स्वीकृत की गयी ?

(2) क्या निर्धारित स्थान पर यह विद्यालय/छात्रावास चल रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास (श्री नन्दलाल मीणा) : (1) जी नहीं, राज्य सरकार द्वारा इस प्रकार की कोई योजना स्वीकृत नहीं की गयी है, यद्यपि भारत सरकार ने कम साक्षरता वाले पाकेट्स में अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं हेतु शैक्षणिक परिसर नामक आवासीय कन्या विद्यालय की तीन योजनाएं झाड़ोल तहसील में क्रमश: राजस्थान बाल कल्याण समिति, झाड़ोल, चेतना आरोग्य मन्दिर एवं समाज सेवा समिति झाड़ोल एव अरावली वालिंटियर्न/सोसायटी मुख्यालय खैरवाड़ा, नामक स्वयंसेवी संस्थाओं को स्वीकृत की हैं, विस्तृत विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) दो संस्थाएं निर्धारित स्थान पर चल रही हैं, लेकिन अरावली वालिंटियर्स सोसायटी को भूमि उपलब्ध न हो पाने के कारण प्रस्तावित स्थान अम्बावी की जगह परिसर खैरवाड़ा में संचालित किया जा रहा है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

श्री महावीर मगोरा : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न के जवाब के भाग दो में जो उत्तर दिया है उसमें लिखा है कि दो संस्थाएं निर्धारित स्थान पर चल रही हैं। इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि संस्थाएं निर्धारित स्थान पर चल रही हैं परन्तु जिस योजना के तहत पैसा दिया है, क्या इस योजना का कार्यक्रम वहां चल रहा है ? नम्बर दो, अम्बावी के लिए अरावली वालिंटियर्स सोसायटी की बात कही है कि भूमि उपलब्ध नहीं हो पाने के कारण प्रस्तावित स्थान अम्बावी की जगह परिसर खैरवाड़ा में संचालित किया जा रहा है। मेरा माननीय मन्त्री महोदय से आपके माध्यम से निवेदन है कि क्या खैरवाड़ा में उस संस्था को जमीन मिल गयी है और परिसर का निर्माण कर लिया गया है और क्या वहां आवासीय बालिका विद्यालय चल रहा है ? पहला प्रश्न तो यह है।

मेरा दूसरा प्रश्न है कि राज्य सरकार ने तो पैसा नहीं दिया है, यह पैसा भारत सरकार द्वारा दिया गया है तो क्या भारत सरकार द्वारा दिया गया है तो क्या भारत सरकार या विदेशी संस्थाओं से जो हमारे प्रदेश में वालिंटियर्स इंस्टीट्यूशंस चल रही

(श्री महावीर भगोरा)

हैं उनको दी जाने वाली राशि का कोई आडिट होता है, राज्य सरकार द्वारा कराया जाता है या उस कार्यक्रम का कहीं मूल्यांकन किया जाता है, इस सम्बन्ध में मैं माननीय मन्त्री महोदय से जानना चाहूंगा। तीसरी बात, यह अरावली वालिंटियर सोसायटी का मूल जो प्रार्थना पत्र था उसमें यह कार्यक्रम कहां चलाने का प्रस्ताव था, इसकी जानकारी चाहता हूं।

श्री नन्दलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार के कल्याण मन्त्रालय द्वारा राजस्थान के अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में जो दो प्रतिशत से बिलो लिटरेसी बालिकाओं में है उसके लिए एक नयी योजना लागू की गयी है। 1994-95 के पहले से, जिसमें स्वयंसेवी संस्थाएं एन.जी.ओज. के द्वारा जनजाति विकास विभाग के मार्फत भारत सरकार को आवेदन करें और राज्य सरकार आवासीय छात्रावास के लिए मुफ्त भूमि की व्यवस्था करे, इस शर्त पर भारत सरकार आवासीय छात्रावास का भवन निर्माण करने के लिए पैसा देगी और वहां पर उन बालिकाओं के लिए छात्रावास का संचालन होगा। खैरवाड़ा तहसील में तीन आवासीय छात्रावास स्वीकृत हुए, जैसा मैंने निवेदन किया, जिनमें से एक खैरवाड़ा में चल रहा है, प्रस्तावित था झाड़ोल तहसील में अम्बावी गांव में आवासीय छात्रावास खोला जाना परन्तु वहां पर भूमि उपलब्ध नहीं होने की वजह से वह आवासीय छात्रावास खैरवाड़ा में चल रहा है। जनजाति विकास विभाग का आदिम जाति शोध संस्थान है, अध्यक्ष महोदय, इसके माध्यम से राजस्थान में जो 13 छात्रावास सीधे स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से चल रहे हैं उनकी व्यवस्था सुव्यवस्थित है या नहीं है, आवासीय व्यवस्था कैसी है, शैक्षणिक स्तर क्या है, इसके लिए आदिम जाति शोध संस्थान के माध्यम से हमने मूल्यांकन कराया और मूल्यांकन में यह पाया कि अरावली वालिंटियर सोसायटी खैरवाड़ा की व्यवस्था दयनीय है, सोचनीय है। मैंने आज ही हमारे उच्च अधिकारियों से कहा है कि एक महीने में जाकर तत्काल वहां पर पहुंचकर सारी स्थिति की रिपोर्ट मुझे प्रस्तुत करें और मैं यह चाहूंगा कि इस तरह के जो आवासीय छात्रावास हैं, सुव्यवस्थित चलें, मापदण्ड के आधार पर चलें और जो स्वीकृत छात्राओं की संख्या है उन स्वीकृत छात्राओं को पूरी तरह से लाभ मिले। यह सही है कि भवन निर्माण के लिए अरावली वालिंटियर सोसायटी को दो स्तर पर भारत सरकार के कल्याण मन्त्रालय ने पैसा आवंटित किया है, परन्तु अब तक भवन का निर्माण नहीं हुआ है। मैं यह मानता हूं कि यह पैसा पिछले दो वर्ष के अन्दर-अन्दर उपयोग हो जाना चाहिए था। इसका उपयोग क्यों नहीं हुआ, इसमें किस स्तर की कमियां खामियां रही हैं, मैं इसकी विस्तृत जांच करवाऊंगा और आडिट भी करवाऊंगा और इसमें तत्काल कार्यवाही हो, इसकी व्यवस्था करूंगा और जहां कहीं भी लेकुना रहा है उसमें निश्चित रूप से यह प्रयास किया जाएगा कि भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति न हो।

श्री महावीर भगोरा : अध्यक्ष महोदय, दो वर्ष से करीब पौने छः लाख रुपया सोसायटी लेकर बैठी हुई है। मन्त्री महोदय, जैसा कि अन्य संस्थाओं या विभागों में प्रावधान है, क्या ब्याज सहित इस राशि को वसूल करने की कार्यवाही करेगा विभाग? इस तरह की जनजाति विभाग चला रहा है वो संस्थाएं अलग हैं। यह वालिंटियर्स इन्स्टीट्यूशंस का मामला है। ऐसी अनेकों वालिंटियर्स इन्स्टीट्यूशंस हमारे ट्राइबल ऐरिया में चल रही हैं जो अरबों रुपये जनजाति के नाम पर लाकर इस क्षेत्र में डकार रही है, यह शब्द बोल रहा हूं मैं। इस सम्बन्ध में सरकार कोई विचार रखती है कि ऐसी संस्थाओं की जांच की जाए, यह मैं जानना चाहता हूं?

श्री नन्दलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की भावना से मैं परिचित हूं। स्वयंसेवी संस्थाएं खासकर इस आदिवासी इलाके में दो तरह की चलती हैं, एक तो कागजों में चलती हैं और एक व्यावहारिकता में चलती हैं। इन दोनों प्रकार की संस्थाओं के बारे में विस्तृत अंकेक्षण किया जाए, इसके लिए मैंने दो महीने पहले ही विभाग को निर्देशित किया है और इसका काम प्रगति पर है। जो लोग आदिवासियों के नाम पर स्वयंसेवी संस्था रजिस्टर्ड करवा कर या एन.जी.ओ. के नाम से पैसा भारत सरकार से प्राप्त करते हैं और उसको सही ढंग से खर्च नहीं करते हैं, उसके उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो पाती, ऐसी संस्थाओं को बेनकाब किया जाएगा और ऐसे लोगों के खिलाफ भविष्य में किस प्रकार से कार्यवाही की जाए, वह भी की जाएगी। जहां तक पैसों का सवाल है, माननीय वित्तमन्त्री जी यहां बिराजे हुए हैं, भवन निर्माण के काम, योजनाओं और परियोजनाओं के काम के लिए जो राशि स्वीकृत होती है यदि उसमें विलम्ब होता है और ब्याज वसूल करने का प्रावधान है तो उसमें उस हिसाब से कार्यवाही की जाएगी और जैसी व्यवस्था हो सकती है वैसी व्यवस्था की जाएगी।

श्री अध्यक्ष : बिराजें। श्री हरजीराम जी बुरड़क।

श्री चुन्नीलाल गरासिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से उनके जवाब के बारे में ही यह प्रश्न करना चाहूंगा कि भारत सरकार ने तीन संस्थाओं को स्वीकृति दी थी। दो संस्थाएं प्रारम्भ हो चुकी हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, तीसरी जो सस्था है अरावली वालिंटियर्स सोसायटी, वास्तव में उस परिसर में नहीं है। झाडोल पंचायत समिति में स्वीकृत हुई थी जहां साक्षरता का घनत्व कम था। खैरवाड़ा जहां साक्षरता का स्तर सारे ट्राइबल क्षेत्र में सबसे ज्यादा है, उस सोसायटी का जो डायरेक्टर है उसके इन्टरेस्ट से वहां उसे प्रारम्भ किया गया है। कागजों में सोसायटी चल रही है, इस जवाब से स्वयं मंत्री जी मान रहे हैं। मैं मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहूंगा कि सदन में वह आश्वस्त करें, जब वास्तव में जवाब से ही पता लग रहा है कि वो फाल्ट में है। तो वे सीधी उस पर कार्यवाही करें।

श्री अध्यक्ष : वह कह रहे हैं कि कार्यवाही करेंगे।

श्री चुन्नीलाल गरासिया : नहीं, वह जांच करवाएंगे जबकि जांच कराने की आवश्यकता ही नहीं है। भारत सरकार ने जिस नियम के तहत उसको स्वीकृति दी थी उस नियम के तहत वह संस्था नहीं चल रही है। यानि जवाब से यह साबित हो रहा है कि वह संस्था चालू होनी चाहिए थी झाडोल पंचायत समिति ने परन्तु वह चल रही है खैरवाड़ा पंचायत समिति में और जो अम्बावी में चलनी चाहिए थी उसके बजाय तहसील हैडक्वार्टर पर चल रही है, वो भी कागजों में चल रही है। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि जब वास्तव में जवाब में फाल्ट दिख रहा है तो क्या कार्यवाही करेंगे और करेंगे तो कब करेंगे ? इसको जांच में न डालकर सीधा जवाब दे दें कि जांच हो जाए और उसके खिलाफ कार्यवाही की जाए।

श्री नन्दलाल मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक सप्ताह के अन्दर-अन्दर निश्चित रूप से कार्यवाही की जाएगी।

श्री अध्यक्ष : विराजें।

श्री चुन्नीलाल गरासिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न और है। इसी संस्था को इनके विभाग से पैसा दिया गया है। मंत्री महोदय यह बताएं कि पहले भी इस संस्था को पैसा दिया है, क्या उस संस्था को जो पैसा दिया है उसका सदुपयोग हुआ है ?

श्री अध्यक्ष : वह सब आएंगे, सब आएंगे।

श्री चुन्नीलाल गरासिया : मंत्री महोदय मान लें इसकी जांच भी उसमें हो जाए ...

श्री अध्यक्ष : श्री रिछपाल सिंह जी।

श्री नन्दलाल मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को साथ लेकर स्वयं खैरवाड़ा जाऊंगा और उस गांव में भी जाऊंगा जहां छात्रावास के लिए भवन नहीं मिल रहा है। वहां सारी परिस्थितियां देखकर वह जो निर्णय करेंगे वह मुझे स्वीकार है।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, उस संस्था का भी इनको मिल रहा है। मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करूंगा उस एजेंसी से पैसा उस संस्था को मिल रहा है उसकी भी जांच करवाएं।

श्री अध्यक्ष : हां, वो सब करवाएंगे। विराजें आप। श्री रिछपाल जी।

(तारांकित प्रश्न संख्या 26 स्थगित किया गया)

जिला नागौर के पशु चिकित्सालय

27. श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना): क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जिला नागौर में वर्तमान में कुल कितने पशु चिकित्सालय कार्यरत हैं ? सूची तहसीलवार सदन की मेज पर रखें।

(श्री रिछपाल सिंह मिर्धा)

(2) वर्तमान वर्ष 1997-98 के दौरान नागौर जिले में कुल कितने नये पशु चिकित्सालय खोले गये ? सूची तहसीलवार सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या सरकार द्वारा नये पशु चिकित्सालय खोलने के मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं ? यदि हां, तो क्या ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

राज्य मंत्री, पशुपालन (श्री अर्जुन सिंह देवड़ा) : (1) वर्तमान में जिला नागौर में 59 पशु चिकित्सालय कार्यरत हैं, जिनकी तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है ।

(2) वर्ष 1997-98 के दौरान नागौर जिले में नया पशु चिकित्सालय नहीं खोला गया है ।

(3) नयी चिकित्सा संस्था खोलते समय पशु संख्या, भवन, पूर्व में कार्यरत पशु चिकित्सा संस्था से दूरी जनसंख्या, आवागमन के साधन, डाक सुविधा आदि को भी ध्यान में रखा जाता है । विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

(सूची एवं विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-3 देखें)

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो मानदण्ड आपने रखे है, क्या उनकी पूर्णतः पालना हुई है ? नम्बर-दो, जिले में हास्पिटल तो आपने खोल दिये पर नागौर जिले में ऐसे कितने हास्पिटल हैं जिनमें अभी डाक्टरों और कम्पाउंडरों के कितने-कितने पद रिक्त पड़े है ? कृपया आप बताएं ।

श्री अर्जुनसिंह देवड़ा : अध्यक्ष महोदय, नागौर में, जैसा कि मैंने आपको कहा, नौ पशु चिकित्सालय हैं और उनके अन्दर आठ पशु चिकित्सालय ऐसे हैं जिनमें डाक्टर नहीं लगे हुए हैं । एल.एस.ए. सभी जगह लगे हुए हैं । एक भी एल.एस.ए. का पद रिक्त नहीं है और वी.ए. के पद रिक्त हैं उनकी डी.पी.सी. होने वाली है । पिछले साल भी हमने जो पिछले साल की डी. पी.सी. थी वह करा दी थी । अभी लिस्ट बन गयी है तो वो पद है, बाकी एल.एस.ए. और डाक्टर के 59 में से 8 पद जरूर रिक्त हैं और इसके लिए भी विज्ञप्ति जारी हो चुकी है । 22 तारीख को लास्ट डेट है और उसके बाद में 24 तारीख को सलेक्शन हो जाएगा ।

श्री हरजीराम बुरड़क : अध्यक्ष महोदय, आपने जो यह सूची दी है उसमें हास्पिटलों के नाम तो बता दिये हैं लेकिन अभी आपने कहा कि सब जगह डाक्टर लगे हुए हैं । मेरे क्षेत्र में गांव रताऊ है जिसमें हास्पिटल खोले आपको दो साल हो गये और डाक्टर भी कोई लगा रखा होगा लेकिन आज तक एक भी डाक्टर या कम्पाउंडर उस गांव में नहीं गया । ऐसे कितने हास्पिटल हैं जहां कागजों में आपने लगा रखे हैं और मौके पर नहीं हैं ? इसकी शिकायतें आपको गांव वालों ने, पंचायत ने, पंचायत समिति ने, सबने की है

(श्री हरजीराम बुरड़क)

लेकिन आज तक न तो डाक्टर गांव में आया और न उसका आपने तबादला किया। कहां से कैसे तनख्वाह लेते हैं यह आप जानें।

श्री अध्यक्ष : लाडनूं की बात हो रही है, मात्र लाडनूं। बिराजें आप।

श्री कालूलाल गूजर : लाडनूं का नहीं यह पूरे राजस्थान का एक प्रश्न है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं, मंत्रीजी ने यह अखबारों में भी दिया था कि हर पंचायत हैडक्वार्टर पर एक पशु चिकित्सालय या पशु चिकित्सा सम्बन्धी व्यवस्था कर दी जाएगी, उसमें पैसा पंचायती राज और इनसे मिला करेगा, क्या ऐसी व्यवस्था करने जा रहे हैं, यह जरा बता दें?

श्री अध्यक्ष : अभी तो मात्र नागौर की बात हो रही है।

श्री प्रद्युम्नसिंह देवड़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि पिछले तीन सालों ...

श्री परसराम मदेरणा (नेता, प्रतिपक्ष) : माननीय अध्यक्ष महोदय, क्वेश्चन स्पेसिफिक होता है और उसी के ग्रोबिट में मिनिस्टर को उत्तर देना चाहिए। मैं यह कल से देख रहा हूं कि बहुत क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं वह क्वेश्चन के ग्रोबिट में नहीं हैं। मुझे भी 19 साल तक उस तरफ बैठने का अवसर मिला है और किसी ने इर्रेलेवेट क्वेश्चन पूछा है तो मैंने कह दिया कि यह इर्रेलेवेंट नहीं है इसका मैं जवाब नहीं दूंगा। इसलिए मैं यह कह रहा हूं कि आज क्वेश्चन नागौर का है, नागौर के क्वेश्चन में तमाम राजस्थान के वेटेरिनरी हास्पिटल्स आ गये, यह कोई क्वेश्चन आवर का न तो अभिप्राय है और न प्रयोजन है और न हम क्वेश्चन आवर का सार्थक उपयोग कर रहे हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह देवड़ा : अध्यक्ष महोदय, पिछले तीन सालों में लगभग 846 डाक्टर हमने लगाये थे और राजस्थान में मात्र 60 जगह ऐसी थीं जिनमें डाक्टर नहीं लग पाये थे और वह भी इसलिए क्योंकि नया बैच पास आउट होकर आने वाला था। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को निवेदन करना चाहूंगा कि लाडनूं में अभी रताऊ में डाक्टर नहीं लगा हुआ है। माननीय सदस्य ने मुझे एक शिकायत की कि वहां का एल एस. ए. और वी. ए. वहां रहते नहीं हैं। मैंने तत्काल कार्यवाही की, उनको सस्पैंड करवाया और दूसरा एल. एस. ए. वहां लगाया। आपका ध्यान आकर्षित करते हुए मैंने यह कार्यवाही कर दी है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : बिराजें। श्री रामचन्द्र जी रावत।

बी. डी. एम. चिकित्सालय, कोटपूतली में उपभोक्ता संघ द्वारा संचालित दुकान की स्थापना

28. श्री रामचन्द्र रावत (कोटपूतली): क्या सहकारिता मंत्री यह बतायें की कृपा करेंगे :—

(श्री रामचन्द्र रावत)

(1) क्या सरकार जयपुर जिले में सहकारी उपभोक्ता संघ की दुकानें खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कहां-कहां व नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार तहसील कोटपूतली के बी. डी. एम. अस्पताल में सहकारी उपभोक्ता संघ द्वारा संचालित दुकान खोलने का विचार रखती है ?

सहकारिता मंत्री (श्री सुजान सिंह यादव) : (1) जी नहीं, क्योंकि राज्य सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है ।

(2) जी, नहीं ।

श्री रामचन्द्र रावत : सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि उन्होंने केवल "जी नहीं" के अन्दर जवाब दिया है, एक लाइन भी आगे नहीं बढ़ाई, "जी, नहीं", "जी, नहीं" ।

मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जयपुर जिले के सवाई मानसिंह अस्पताल के अन्दर सहकारी उपभोक्ता संघ के द्वारा जो दुकानें संचालित हैं, जो मेडिकल स्टोर हैं, जो फल-फ्रूट की दुकानें हैं, जो चाय-पानी की दुकान चल रही हैं, क्या वह जयपुर जिले से बाहर की हैं ?

दूसरा, कोटपूतली अस्पताल, जो जयपुर से लेकर दिल्ली के बीच में इतना बड़ा अस्पताल है, डेढ़ सौ बैड का अस्पताल है, रात और दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं, शहर से काफी दूर है, इतना होने के बावजूद जो मेडिकल की दुकानें हैं, जो दवाइयों की दुकानें हैं, चाय-पानी की दुकानें हैं, फल-फ्रूट की दुकानें हैं वे शहर से बहुत दूर हैं और एक्सीडेंट होने पर रात को मरीजों को परेशानी होती है, सारे के सारे दुकानदार, जो प्राइवेट हैं, वे दुकानें बन्द करके रात को चले जाते हैं, दिन को चले जाते हैं और अनाधिकार चेष्टा करके दवाइयों के इतने रुपये लेते हैं कि एक ग्लूकोस की बोतल जो 8 रुपये....

श्री अध्यक्ष : आपका स्पेसिफिक प्रश्न है कि उपभोक्ता संघ की दुकानें खोलने का विचार है कि नहीं ?

श्री रामचन्द्र रावत : मैं भी इसी पर आ रहा हूं, श्रीमान् ।

तो क्या इसकी आवश्यकता के अनुसार देखते हुए, योजना है या नहीं है, अगर योजना नहीं है तो क्या सरकार इतने बड़े अस्पतालों में, आपके मापदण्ड के अनुसार, कोटपूतली के अन्दर सहकारी उपभोक्ता संघ के द्वारा इस तरह की दुकाने खोलने का विचार रखती है ? अगर नहीं रखती है, तो आपके पास कौनसी ऐसी दूसरी योजनाएं हैं कि उस अस्पताल के परिसर में आप इस तरह की दुकानें खोलकर मरीजों को इस तरह की सुविधा दिला सकते हो ?

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : विचार तो आपका नहीं है लेकिन माननीय सदस्य के सुझाव पर विचार तो कीजिए ।

श्री सुजान सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की चिन्ता से मैं भी चिन्तित हूं। कोई 5-6 महीने पहले पेंशनर्स की तरफ से एक प्रार्थना-पत्र आया था कि यहां मेडिकल की दुकान खोली जाए। उसके आदेश मैंने तत्काल किये। मैं भी जानता हूं कि कोटपूतली का अस्पताल डेढ़ सौ बिस्तरों का है और वहां मेडिकल की दुकान होनी चाहिए। रिपोर्ट मेरे पास आई है, रिपोर्ट के औचित्य के आधार पर मैं भी जानता हूं कि वहां दवाइयों की दुकान खुलनी चाहिए परन्तु दुर्भाग्य इस बात का है कि जहां अस्पताल है वहां तो हम को कोई दुकान मिलती नहीं। हमने खूब कोशिश की है, अस्पताल के अन्दर काफी कमरे रिक्त पड़े हुए हैं। माननीय विधायक भी अस्पताल की प्रशासनिक कमेटी के सदस्य हैं, आप से भी अनुनय-विनय किया हमने कि हमको आप किराये पर कोई दुकान दे दें, जिसके आधार पर हम दवाइयों की दुकान खोलें। नहीं मालूम कि उसमें आपकी चली कि नहीं चली, यह तो आप दोषी हैं पर मेरा विभाग दोषी नहीं है और मंत्री दोषी नहीं है।

श्री अध्यक्ष : चलिये, ठीक, खतम हो गया।

श्री हरिसिंह (महुआ) : दोनों की ही नहीं चल रही है।

श्री अध्यक्ष : रावत साहब, आप तो दुकान दिलाओ, बात खतम हो गई। (व्यवधान) आपको दुकान चाहिए, आप दुकान दिलाओ।

श्री सुजान सिंह यादव : नहीं, नहीं, नहीं, अध्यक्ष महोदय, मेरी तो चल रही है....

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): आप दुकान दिलाओ, ये दुकान खुलवा देंगे।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम (सांगानेर) : (व्यवधान) यह आपने जवाब किस बेस पर दिया ?

श्री सुजानसिंह यादव : आप उस सलाहकार अस्पताल की प्रशासनिक सलाहकार कमेटी के सदस्य हैं, आप एक कमरा हमको दिला दें, हम तत्काल दुकान खुलवा देंगे।

श्री अध्यक्ष : बस, बैठिये। (व्यवधान) बस हो गई बात। श्री हरिनारायणजी।

श्री रामचन्द्र रावत : सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी है कि आपने कह दिया, (व्यवधान) आपको कमरा दिला देंगे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपका तो परपज सॉल्व हो गया, रावत साहब। श्री हरिनारायणजी।

रणथम्भोर बाघ परियोजना (सवाई माधोपुर) में संचालित होटल

29. श्री हरिनारायण (बस्सी) : क्या पर्यटन राज्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(श्री हरिनारायण)

(1) क्या यह सही है कि रणथम्भोर बाघ परियोजना क्षेत्र, सवाई माधोपुर की सीमा पर कई होटलें बनी हुई हैं जिनमें पर्यटक ठहरते हैं ? यदि हां, तो कुल कितनी होटलों में पर्यटक ठहरते हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें। उक्त क्षेत्र में होटल निर्माण के मानदण्ड क्या हैं ?

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा उक्त क्षेत्र की सीमाओं पर होटलों की स्वीकृति दी गई है ? यदि हां, तो इससे सरकार को प्रतिवर्ष कितनी राशि प्राप्त होती है ? और यदि नहीं तो क्या सरकार इन होटलों को बन्द कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

राज्य मंत्री, पर्यटन (श्रीमती नरेन्द्र कंवर) : (1) जी नहीं। रणथम्भोर बाघ परियोजना क्षेत्र, सवाई माधोपुर की सीमा पर होटलें बनी हुई नहीं हैं।

(2) जी नहीं।

श्री हरिनारायण: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदया ने दोनों ही प्रश्नों का उत्तर "नहीं", "नहीं" दिया है। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि क्या शेरपुर के पास मुम्बई की एक फर्म, कादर खान की होटल बनी हुई है ? वह बाघ परियोजना क्षेत्र की सीमा पर ही नहीं, सीमा के अन्दर है। दूसरा विनायक होटल के सामने डाक्टर अबरार अहमद की होटल और दिलीप मीणा की होटल बनी हुई हैं। ये भी बाघ परियोजना क्षेत्र की सीमा के ऊपर हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि ये होटलें वैध हैं या अवैध हैं ?

श्रीमती नरेन्द्र कंवर : अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न पूछा है, उसी के सन्दर्भ में अभी विचाराधीन है। कुम्भट कमेटी 19.2.1992 को गठित की गई थी, इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट 27.8.1992 को दे दी थी, इस रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया था कि सैंक्चुरी सीमा से 10 किलोमीटर तक निर्माण कार्य नहीं होना चाहिए। परन्तु, सवाई माधोपुर में रोजगार का एक मात्र साधन खाली पर्यटन है। पर्यावरण के नाम पर सारी फैक्ट्रियां बन्द हैं, तो इसको मद्देनजर रखते हुए न्यायालय में एक याचिका की गयी जिस पर न्यायाधीश ने 13.11.1992 को अपने निर्णय में कुम्भट कमेटी की रिपोर्ट को मानते हुए यह कहा कि इसे लागू करने से पूर्व विशेषज्ञों की एक कमेटी बनायी जाए तथा उस कमेटी द्वारा जो रिपोर्ट दी जाए उसके अनुसार कार्यवाही की जाए। इस आधार पर एक नयी कमेटी, "मानिटरिंग एण्ड इम्पलीमेंटेशन कमेटी फार रणथम्भोर नेशनल पार्क" बनायी गयी। उसमें निम्नलिखित सदस्य थे,

वन सचिव राजस्थान, निदेशक पर्यटन राजस्थान, निदेशक बाघ परियोजना भारत सरकार, निदेशक वन्य जीव भारत सरकार, श्री अशोक कुमार सलाहकार भारत सरकार, श्री एस. डबराय वन्य जीव विशेषज्ञ, व मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, राजस्थान।

(30)

(श्रीमती नरेन्द्र कंवर)

इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 29-10-1993 में नये निर्माण की सीमा 10 किलोमीटर से घटाकर आधा किलोमीटर की कर दी और इसी को देखते हुए आज कोई भी होटल आधे किलोमीटर की दूरी में नहीं है, सब उससे दूर हैं और अभी एक रिपोर्ट वापस कलक्टर तैयार कर रहे हैं जो कि गवर्नमेंट आफ इण्डिया को भेजी जाएगी।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल (गंगापुर) : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह नहीं है। प्रश्न तो यह है कि....

श्री अध्यक्ष : एक मिनट, मूल प्रश्नकर्ता को तो बोलने दें पहले।

श्री हरिनारायण : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो सवाल पूछा है उसका जवाब नहीं आया कि ये होटलें वैध हैं या अवैध हैं। दूसरी बात यह है कि माननीय मंत्री महोदया ने यह कहा कि वहां पर्यावरण की वजह से सारी फैक्ट्रियां बंद हैं, आय के साधन नहीं हैं। तो क्या आपके पर्यटन विभाग को इन होटलों से आमदनी हो रही है ?

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं भी पूछ लूं, मंत्री महोदया, साथ-साथ जवाब दे दें। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैं भी आपसे निवेदन कर दूं।

श्री अध्यक्ष : समय बहुत लिमिटेड है।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : आपने अभी प्रश्न में यह कहा था कि "जी नहीं"। मैं इस बात को जानना चाहता हूं कि सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन से आपकी बाघ परियोजना की सीमा की दूरी कितनी है और इस बीच के अन्दर आपके कितने होटल हैं ? आपने कह दिया, "जी नहीं"।

श्रीमती नरेन्द्र कंवर : आधे किलोमीटर से ज्यादा है।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन से रणथम्भौर रोड के ऊपर, जहां से आपकी बाघ परियोजना प्रारम्भ होती है, वहां से कितनी दूर है आपकी बाघ परियोजना की सीमा की ? और आप कहते हैं कि सीमा के ऊपर होटल नहीं हैं। सीमा के ऊपर कम से कम 10 या 12 होटल बने हुए हैं। आप नपवा लीजिए। हम होटलों के विरोधी नहीं हैं, हम होटलों को प्रोत्साहन देना चाहते हैं लेकिन कम से कम सरकार को भी उसके माध्यम से आमदनी हो और उसके अन्दर आप प्रोत्साहित करें। यह हम नहीं कहते कि आप होटलों को बंद कर दें। हम तो कहते हैं कि और होटल खोल दीजिए। हम उसके विरोधी नहीं हैं। प्रश्न तो यह है कि आपकी सरकार को इन होटलों के माध्यम से उनसे कितनी आमदनी होती है, या आमदनी नहीं होती तो क्यों नहीं होती है, उनको बनाने का प्रावधान क्या है ? हम तो आपसे यह जानना चाहते हैं।

श्रीमती नरेन्द्र कंवर : पहले तो सवाई माधोपुर से आने वाले माननीय विधायक

(श्रीमती नरेन्द्र कंवर)

ने जो प्रश्न किया है उसका जवाब मैं दे रही हूं।

श्री हरिसिंह (महुआ) : सवाई माधोपुर से तो आप ही हैं।

श्री अध्यक्ष : समझने की बात है।

श्रीमती नरेन्द्र कंवर : खण्डार से, सवाई माधोपुर जिले से।

विनायक होटल से शुद्ध लाभ 6 लाख का हुआ है और टर्न ओवर 27 लाख का है तथा झूमर बावड़ी से शुद्ध लाभ साढ़े छह लाख का हुआ है और टर्न ओवर 26

(12.00)

लाख का है। यह तो यह है और जो विदेशी पर्यटक आए, 1994 में 1293 और स्वदेशी आए 673, उसकी तुलना में 1996 में 2633 विदेशी पर्यटक आए और 1567 स्वदेशी आए। विदेशी पर्यटक पर–डे के हिसाब से करीब 1500 से 2000/– रुपये औसत खर्च करता है, उसका निवेश इसी क्षेत्र में होता है और जो स्वदेशी पर्यटक है वे 500 से लेकर हजार रुपये तक का पर-डे एक्सपेंडीचर करता है, वह भी उसी क्षेत्र के लोगों को लाभान्वित करता है। अभी आपने पूछा कि बाघ परियोजना से कितनी दूर है। बाघ परियोजना की सीमा, आधा किलोमीटर की जो बाउण्ड्री वाल है, उससे गिनी जाती है न कि रेलवे स्टेशन से।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का रिप्लाई दें।...(व्यवधान)..

श्रीमती नरेन्द्र कंवर : आप ऐसा करिये कि आप मेरे साथ पधारें और यहां से उसको नाप करके दिखा देंगे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त। बिराजिये-बिराजिये।

श्री हरिनारायण (खण्डार) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न को गौण कर दिया गया है। जो उत्तर दिया गया है वह आर. टी. डी. सी. की होटलों का दिया गया है न कि प्राइवेट होटलों का। मैंने जो प्रश्न किया है वह .. (व्यवधान)

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : चल चलेंगे साथ। नाप कर दिखा देंगे आपको। (व्यवधान)

श्री हरिनारायण : होटलों के लिए किया है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये। प्रश्न काल समाप्त।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट–4 देखें।)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित शीघ्र लिपिक परीक्षा

38. श्री रामकिशन वर्मा (रामगंज मंडी) : क्या मुख्य (प्रशासनिक सुधार) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री रामकिशन वर्मा)

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा मई, 1996 में आयोजित की गई शीघ्र लिपिक की परीक्षा में से कुछ चयनित अभ्यर्थियों को जून, 1997 तक नियुक्ति प्रदान की गई है? यदि हां, तो कितनों को तथा इनमें अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों की संख्या कितनी है? नियुक्त व्यक्तियों की सूची मय नाम, पते के सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्तमान में 15 अगस्त, 1997 तक राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में कुल कितने शीघ्र लिपिकों के पद रिक्त हैं? विभागवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि सचिवालय कोटे में निर्धारित विज्ञापित पदों से अधिक अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण किया गया है? यदि हां, तो किस आधार पर? क्या इन समस्त सचिवालय कोटे में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को सचिवालय में ही नियुक्ति प्रदान की जावेगी? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सचिवालय कोटे की तर्ज पर ही अधीनस्थ कोटे में भी समस्त उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जावेगी?

(4) क्या यह सही है कि मुख्य सचिव राजस्थान सरकार के आदेश के तहत राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं सचिवालय में कार्यरत अस्थायी अनुबन्धित सेवानिवृत्त शीघ्रलिपिकों को सेवा मुक्त किये जाने के आदेश दिये गये हैं? यदि हां, तो विभागवार संख्या सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या कुछ विभागों में कनिष्ठ/वरिष्ठ लिपिक, शीघ्रलिपिक के रूप में कार्य कर रहे हैं? यदि हां, तो किस आधार पर एवं किन-किन विभागों में कब से कार्यरत हैं?

(6) क्या यह सही है कि अधीनस्थ मंत्रालयिक सेवा में नियमों के अनुसार शीघ्रलिपिक परीक्षा का पैनल दो वर्ष होता है?

उत्तर

(1) जी हां, 423 अभ्यर्थियों को आवंटित/नियुक्ति दी गई है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों की संख्या क्रमशः 32 7,96 व 288 है। विभागवार नियुक्ति हेतु आवंटित अभ्यर्थियों की सूची संलग्न है।

(2) विभागों में उपलब्ध सूचना के अनुसार 133 पद रिक्त हैं सूची संलग्न है।

(3) जी हां। राजस्थान सचिवालय मंत्रालयिक सेवा नियम 1970 एवं राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय मंत्रालयिक सेवा नियम 1957 के आधार पर। विज्ञापित पदों से अधिक को नियुक्त देने का मामला हाल ही राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 7 जुलाई, 1997 के अनुक्रम में विचाराधीन है।

(मुख्य (प्रशासनिक सुधार) मंत्री)

(4) जी हां, सचिवालय में 11 पुनर्नियुक्त शीघ्रलिपिकों की सेवाएँ समाप्त की जा चुकी हैं। अधीनस्थ विभागों द्वारा मुक्त किये गये शीघ्रलिपिकों की सूचना प्राप्त होने पर प्रेषित करदी जावेगी।

(5) सचिवालय से प्राप्त सूचना के अनुसार कोई कनिष्ठ या वरिष्ठ लिपिक शीघ्रलिपिकों के विरुद्ध कार्यरत नहीं है। अन्य विभागों से इस संबंध में सूचना एकत्रित की जा रही है, जो प्राप्त होते ही प्रेषित कर दी जावेगी।

(6) राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा प्रेषित सूची की वैधता दो वर्ष तक ही है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

सर्किट हाउस जोधपुर का निर्माण कार्य प्रकरण

39· श्री राजेन्द्र चौधरी (बिलाड़ा) : मुख्य (सामान्य प्रशासन) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जोधपुर में सर्किट हाउस का निर्माण कब किया गया ?

(2) सर्किट हाउस के निर्माण का प्रथम नक्शा किसके द्वारा कब बनाया गया ? नक्शे की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि सर्किट हाउस जोधपुर के निर्माण के अलग-अलग नक्शे बनाये गये थे ? यदि हां, तो उनकी प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) सर्किट हाउस को कितनी भूमि आवंटित की गई ? कितना निर्माण कब-कब किया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा वर्तमान में सर्किट हाउस की दीवार को बनाने का कार्य शुरू किया गया था ? यदि हां, तो क्या वहां पर पूर्व में भी नींव भरी हुई थी ? यदि हां, तो अब निर्माण कार्य को रोकने के क्या कारण रहे ? अब कब तक निर्माण कार्य करा दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जोधपुर में सर्किट हाउस का निर्माण वर्ष 1960 में किया गया था। सर्किट हाउस के निर्माण का प्रथम साईट प्लान नक्शा सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा वर्ष 1958 में बनाया गया था। नक्शे की प्रतियां संलग्न है।

(2) सर्किट हाउस के विस्तार के लिये समय-समय पर भूतल एवं प्रथम तल के विस्तृत नक्शे बनाये गये। नक्शों की प्रतियां संलग्न है।

(3) व (4) संलग्न प्रथम साईट प्लान नक्शे के अनुसार सर्किट हाऊस जोधपुर की कुल भूमि का क्षेत्रफल 39560·41 वर्ग गज है। सर्वप्रथम वर्ष 1960 में सर्किट हाउस का निर्माण किया गया जिसमें भूतल पर 15 कमरे एवं प्रथम मंजिल पर 4 कमरे व एक हाल का निर्माण किया गया।

(मुख्य (सामान्य प्रशासन) मंत्री)

वर्ष 1984 में प्रथम मंजिल पर 4 कमरों का निर्माण व वर्ष 1986 में भी प्रथम मंजिल पर 4 कमरों का निर्माण कराया गया एवं वर्तमान में सर्किट हाउस की प्रथम मंजिल पर 3 कमरों का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

(6) जी हां। खुदाई के दौरान 86 फुट लम्बाई में जमीन तल से एक से डेढ़ फुट तक नींव भरी होना पाया गया। वर्तमान में मामला उच्च न्यायालय में वाद विचाराधीन होने के कारण भूमि की सही जानकारी करने के लिए एवं विवाद और आगे बढ़ने न देने के लिए चार दीवारी का निर्माण रोका गया। न्यायालय में वाद होने के कारण यह कहना संभव नहीं है कि निर्माण कार्य कब तक करवा दिया जायेगा।

(प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

सहायक अभियन्ता सिविल अभियान्त्रिकी परीक्षा, 1997

40. श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : क्या मुख्य (कार्मिक) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सहायक अभियन्ता संयुक्त परीक्षा (सिविल/यान्त्रिकी/विद्युत) 1997, के अन्तर्गत दिनांक 26 जून, 1997 को सिविल अभियान्त्रिकी तृतीय विषय की परीक्षा के प्रश्न पत्र में "हाईवे खण्ड" के 60 प्रश्नों में से 54 प्रश्न इस विषय से सम्बन्धित श्री एस. पी. गुप्ता एवं श्री एस. एस. गुप्ता द्वारा लिखित पास बुक से हूबहू नकल कर तैयार किये गये थे ? यदि हां, तो क्या यह कार्यवाही आयोग द्वारा निर्धारित मानदण्डों व परीक्षा के प्राकृतिक सिद्धांत के अनुरूप है ? यदि नहीं, तो कितने प्रश्न उक्त पास बुक के प्रश्नों के अनुरूप थे ?

(2) क्या सरकार उक्त विषय की परीक्षा को रद्द कर जनहित में उच्चस्तरीय जांच कराने का विचार रखती है ? यदि नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। रचे गये 60 प्रश्नों में से मात्र 52 प्रश्न ही ऐसे हैं जो गुप्ता एवं गुप्ता की पुस्तिका में उल्लेखित हैं और ये ही प्रश्न अन्य मानक पुस्तकों में भी उपलब्ध हैं; उदाहरणार्थ खन्ना एण्ड ब्रदर्स द्वारा प्रकाशित जस्टो एण्ड खन्ना द्वारा लिखित हाइवे इंजीनियर्स पुस्तक में। प्रश्न पत्र की रचना की यह कार्यवाही आयोग द्वारा निर्धारित मानदण्डों व परीक्षा के प्राकृतिक सिद्धान्तों के प्रतिकूल नहीं है।

(2) जी नहीं। उक्त विषय का प्रश्न पत्र सिविल इंजीनियरिंग के फील्ड हाईवे इंजीनियरिंग की विषय सामग्री के अनुरूप था, अतएव जांच का प्रश्न ही नहीं उठता है।

अतारांकित प्रश्न संख्या 41

(स्थगित)

अतारांकित प्रश्न संख्या 42

(स्थगित)

छतरगढ़ (बीकानेर) में नई तहसील

43. **श्री भीमसेन चौधरी** (लूणकरणसर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि श्रीगंगानगर जिले में उपनिवेशन विभाग का कार्य समाप्त होने के पश्चात् संबन्धित उपनिवेशन तहसील को राजस्व तहसील घोषित कर दी गई ? यदि हां, तो बीकानेर जिले के लिये दोहरा मानदंड अपनाये जाने के क्या कारण रहे ?

(2) क्या यह सही है कि उपनिवेशन तहसीलों को समाप्ति पर संबन्धित तहसील को राजस्व तहसील घोषित करने के पीछे जन सुविधा के साथ-साथ रिकार्ड की सुरक्षा का भी ध्यान होता है ?

(3) क्या सरकार छतरगढ़ को नई राजस्व तहसील घोषित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां। जिला श्रीगंगानगर में उपनिवेशन विभाग का कार्य समाप्त होने के पश्चात् उपनिवेशन तहसीलों को समाप्त किया जाकर राजस्व तहसील स्थापित की जा चुकी है। इसी प्रकार बीकानेर की उपनिवेशन तहसीलों को समाप्त किया गया है। उनके स्थान पर नई तहसील खाजूवाला एवं पूंगल स्थापित की गई है। इस प्रकार बीकानेर जिले के लिये दोहरा मापदंड अपनाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(2) जी, हां।

(3) छतरगढ़ को नई तहसील स्थापित करने का प्रकरण राज्य सरकार के विचाराधीन है।

रामसराताल (चूरू) की भूमि पर अतिक्रमण

44. **श्री इन्द्रसिंह पूनिया** (सादुलपुर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला चूरू की तहसील राजगढ़ के ग्राम रामसराताल, न्यागल छोटी, राधा छोटी, जादुवास के गांवों की सार्वजनिक भूमियों जैसे गोचर, चरागाह कुआं की जमीन व श्मशानों पर किन-किन लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है ? सूची ग्रामवार नाम, पिता का नाम, आदि के सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त गांवों की उक्त भूमियों से लोगों को बेदखल किया गया है ? यदि हां, तो कब ? क्या यह सही है कि मौके पर अतिक्रमी का अतिक्रमण आज भी है। यदि हां, तो क्या सरकार दोषी अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करेगी ?

(श्री इन्द्रसिंह पूनिया)

(3) सरकार द्वारा अतिक्रमियों को अब कब तक बेदखल कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जिला चूरू तहसील राजगढ़ के ग्राम रामसरताल, न्यागल छोटी, राघा छोटी, जाटूवास की गोचर, चरागाह, कुंआ एवं श्मशान की भूमियों पर जिन व्यक्तियों ने अतिक्रमण किया है, उनकी ग्रामवार सूची संलग्न है। सूची ग्रामवार एवं व्यक्तिवार संलग्न है।

(2) संलग्न सूची के अनुसार अतिक्रमियों को भौतिक रूप से बेदखल किया गया है। जिनकी बेदखली दिनांक संलग्न सूची में अंकित है। इसके अलावा जिन व्यक्तियों का मौके पर कब्जा है सूची में अंकित है। दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही जैरकार है।

(3) बाडेजात व बटोडों के कुछ अतिक्रमियों को हटा दिया गया है जो बाडे बटोडे शेष रह गये हैं, उनके लिये तथा जिन बाडों में खुडडी व पक्के मकानात बना रखे हैं ऐसे अतिक्रमण तुरन्त हटाने की कार्यवाही की जा रही है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

ग्राम बापी (दौसा) की अवाप्त भूमि का लगान वसूली प्रकरण

45. श्री हीरालाल (बामनवास) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि तहसील दौसा में बाण गंगा नदी पर पुल व अप्रोच रोड के निर्माण के लिए ग्राम बापी तहसील दौसा के किसानों की जमीन अवाप्त की गई थी ?

(2) यदि हां, तो क्या अवाप्त की गई भूमि का अभी तक किसानों से लगान लिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार किसानों के खाते में से अवाप्त भूमि हटाकर लगान बन्द करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या सरकार किसानों से अधिक लगान वसूली के लिए किसी अधिकारी/कर्मचारी को दोषी मानती है ? यदि हां, तो उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) जी, हां। अवाप्त की गयी भूमि का राजस्व अभिलेख से सम्बन्धित विभाग के नाम से खातेदारी का अंकन नहीं हो

(राजस्व मंत्री)

जाने के कारण से किसानों से लगान लिया गया है।

(3) जी, हां। किसानों के खाते से अवाप्त की गयी भूमि हटाकर संबन्धित विभाग के नाम दर्ज कर दी गयी है जिससे काश्तकारान से वसूली बन्द कर दी गयी है।

(4) जी, हां। दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है।

कालाडेरा (जयपुर) का नामान्तरकरण प्रकरण

46. **श्री बाबूलाल (दूदू)** : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे–

(1) क्या यह सही है कि जिला जयपुर तहसील चौमू के ग्राम कालाडेरा में दिनांक 8 जून, 1987 के इकरारनामे को आधार मानकर नामान्तरकरण संख्या 596 खोला गया है? यदि हां, तो कब?

(2) क्या उक्त नामान्तरकरण में सबका हिस्सा बराबर रहा अथवा किसी का हिस्सा कम बेशी किया गया?

(3) क्या यह सही है कि जिस इकरारनामे को आधार मानकर नामान्तरकरण खोला उसमें इकरारनामा दिनांक 8 जून, 1987 का बताया है और उस पर ग्रोथ कमिशनर के दिनांक 8 अगस्त, 1987 के हस्ताक्षर हैं? यदि हां, तो दोनों इकरारनामे की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त प्रकरण की जांच कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(5) क्या यह सही है कि इकरारनामे के प्रत्येक पेज पर हिस्सेदारों के हस्ताक्षर होना मानकर नामान्तरकरण खोला गया था?

(6) क्या यह भी सही है कि वास्तव में इकरारनामे के प्रत्येक पेज पर हिस्सेदारो के हस्ताक्षर नहीं हैं? क्या जिन दो पेजों पर हस्ताक्षर नहीं हैं उसको फर्जी तैयार करके नामान्तरकरण फर्जी खुलवाया है? यदि हां, तो उक्त इकरारनामे की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(7) क्या सरकार उक्त प्रकरण की जांच कराकर उक्त नामान्तरकरण को निरस्त कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, नहीं।

(2) नामान्तरकरण संख्या 596 विरासत का है, जिसमें सबका हिस्सा बराबर है।

(3) जी, नहीं।

(राजस्व मंत्री)

(4) नामान्तरकरण सं. 596 इकरारनामे के आधार पर नहीं खोला गया है। अतः इस प्रकरण की जांच कराये जाने का कोई औचित्य नहीं है।

(5) यह नामान्तरकरण इकरारनामे के आधार पर नहीं खोला गया है।

(6) यह नामान्तरकरण इकरारनामे के आधार पर नहीं खोला गया है। अतः इकरारनामे की प्रति उपलब्ध नहीं कराई जा सकती है।

(7) नामान्तरकरण संख्या 596 इकरारनामे के आधार पर नहीं खोला गया है। अतः इसे निरस्त कराने का कोई औचित्य नहीं है।

अतारांकित प्रश्न संख्या 47
(स्थगित)

जयपुर रियासत काउन्सिल द्वारा आवंटित भूमि प्रकरण

48. श्री रेवती प्रसाद कोली (वैर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 20 मई, 1944 को जयपुर रियासत के आदेश संख्या 584 सेक्रेट्री काउन्सिल द्वारा ग्राम चक हसनपुरा की खास खसरा नं. 54/1 व ग्राम बस्सी-सीतारामपुरा के खास खसरा नं. 138 मिन, 138/282 व 138/283 फौजियों को आवंटित की गई थी?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त खसरा नम्बरान की भूमि को सैटलमेंट/तहसील कर्मियों ने महकमा खासर, सिवायचक एवं चारागाह में परिवर्तित कर दिया है? यदि हां, तो किस आदेश के तहत किस्म परिवर्तित की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार ने सैटलमेंट/तहसील की उक्त गलत कार्यवाही को आधार मानकर रियासत काल की आवंटित उक्त भूमि पर काबिज खातेदारों को बेदखल किया है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जयपुर रियासत के आदेश संख्या 584 से संबंधित रेकार्ड तहसील कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। संवत् 2015 व उसके पश्चात के अभिलेख से यह सिद्ध नहीं होता है कि यह भूमि फौजियों को आवंटित की गई थी।

(2) खतौनी बन्दोबस्त संवत् 2015 के अनुसार ग्राम बस्सी सीतारामपुरा के ख. नं. 138 व 138/283 की भूमि सिवाय चक बिना लगानी व ख. नं. 138/282 की भूमि चारागाह दर्ज थी, जो वर्तमान रेकार्ड के आधार पर पूर्ववत दर्ज है। ग्राम चक हसनपुरा स्थित ख. नं. 54 की भूमि खतौनी बन्दोबस्त संवत् 2015 के अनुसार मकबूजा महकमा खासर के नाम दर्ज थी, जिसमें से ख.नं. 54/1 मिन की 3 बीघा 10 बिस्वा रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार व 54/2 की भूमि 7 बीघा 15 बिस्वा रेल्वे विभाग के नाम तथा शेष ख.

(राजस्व मंत्री)

नं. 54/1 की भूमि 56 बीघा 84 बिस्वा मकबूजा लांगसर के नाम वर्तमान में दर्ज है। इस प्रकार ख. नं. 54/1 की भूमि अभी भी मकबूजा लांगसर के नाम दर्ज है।

(3) इस संबंध में बेदखली का वर्तमान में रिकार्ड उपलब्ध नहीं है।

मृत राज्यकर्मी के आश्रितों को भुगतान

49. श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) क्या यह सही है कि माही घाटी कडाणा परियोजना (बांसवाड़ा) के अन्तर्गत कार्यरत केटल गार्ड श्री राजेश पुत्र श्री मंगला मीणा निवासी खरबर तहसील सराड़ा का ड्यूटी के समय स्वर्गवास हो गया था ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा उक्त मृतक के आश्रितों को उसकी समस्त देय राशियों का भुगतान कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब व नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार नियमानुसार उक्त मृतक के परिवार में से किसी एक आश्रित को नौकरी पर रखने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां। कडाना परियोजना वन विभाग बांसवाड़ा के अन्तर्गत कार्यरत केटल गार्ड श्री राजेश पुत्र मंगला मीणा की कार्य के दौरान दिनांक 22.1.97 को मृत्यु हो गई थी। कर्मचारी के आश्रितों को उनका जी.पी.एफ.सी.पी.एफ. एवं राज्य बीमा का भुगतान बकाया है। कर्मचारी के आश्रितों से आवेदन पत्र प्राप्त कर भुगतान की कार्यवाही की जा रही है।

(2) जी, हां। मृतक की पत्नी ने आवेदन दिनांक 1.7.97 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वृद्धावस्था एवं बिमारी के कारण वह नौकरी नहीं करना चाहती आश्रित की नौकरी उसके पुत्र जो कि अभी 13 वर्ष का है को बालिग होने पर दी जावें। उसके लिए स्थान सुरक्षित रखने हेतु निवेदन किया है। अतः वर्तमान में इस बाबत कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

जिला सीकर में वृक्षारोपण कार्य पर व्यय

50. श्री अमराराम (धोद) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) जिला सीकर में पिछले तीन वर्षों में विभिन्न योजनाओं पर पेड़ लगाने अथवा वन क्षेत्र बढ़ाने में सरकार एवं स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा कितना व्यय किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री अमराराम)

(2) क्या सरकार की कोई एजेन्सी द्वारा कार्यों का मूल्यांकन किया गया है? यदि हां, तो उसके क्या नतीजे रहे?

उत्तर

(1) जिला सीकर में पिछले तीन वर्षों में पेड़ लगाने एवं वन क्षेत्र बढ़ाने पर 1211.99 लाख रुपये का व्यय किया गया है। किए गए व्यय का योजनावार विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) जी, हां। विभाग के प्रायोजना प्रबोधन यूनिट, एग्रीकल्चर फायनेंस कारपोरेशन नई दिल्ली तथा जिला ग्रामीण अभिकरण द्वारा सीकर जिले में विभिन्न वृक्षारोपण क्षेत्रों का मूल्यांकन किया गया है। जिसके परिणाम आम तौर पर संतोषप्रद रहे हैं।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-5 देखें)

विधान सभा क्षेत्र डग में वृक्षारोपण कार्य

51. श्री बाबूलाल वर्मा (डग) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा विधान सभा क्षेत्र डग में वर्ष 1993-94 से अब तक वृक्षारोपण का कार्य किया गया है? यदि हां, तो किये गये वृक्षारोपण का विवरण, स्वीकृति दिनांक, राशि, योजना का प्रकार सहित सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अवधि में यह वृक्षारोपण किस-किस ग्राम पंचायत की कितनी रकबा भूमि में किया गया है एवं प्रत्येक ग्राम पंचायत में कितने-कितने वृक्ष कहां-कहां लगाये गये? इन सभी कार्यों को पूर्ण करने में विभाग द्वारा कितनी राशि व्यय की गई तथा भुगतान किन श्रमिकों को किया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। सरकार द्वारा डग विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 1993-94 से अब तक 2090 हैक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण कार्य किया गया है। वृक्षारोपण कार्य का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) उक्त अवधि में करवाये गये कार्यों का विवरण सदन की पटल पर रख दिया गया है। भुगतान आस-पास के ग्रामवासी जिन्होंने कार्य किया, उनको किया गया है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-6 देखें)

उदयपुर संभाग में कृषि योग्य भूमि

52. श्री महावीर भगोरा (गोगुन्दा) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) उदयपुर संभाग में कुल कितनी कृषि योग्य भूमि है ? इसमें से कितनी भूमि पर वास्तव में खेती की जा रही है एवं यह कुल कृषि भूमि का कितना प्रतिशत है ? विवरण जिलेवार सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उदयपुर संभाग में कृषि भूमि में सिंचाई हेतु विभाग की कोई अपनी योजना है ? यदि हां, तो क्या एवं कहां-कहां पर ?

(3) क्या यह सही है कि विभाग व सिंचाई विभाग के मध्य सिंचाई संबंधी योजना निर्माण, विस्तार, सुदृढ़ीकरण के संबंध में कोई समन्वित योजना बाबत कोई बैठकें पिछले पांच वर्षों में सम्पन्न हुई हैं ? यदि हां, तो कितनी बार एवं कहां-कहां ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) उक्त क्षेत्र में सिंचाई की कितनी-कितनी सुविधा उपलब्ध है एवं उससे कितने प्रतिशत कृषि भूमि पर सिंचाई होती है ? विवरण जिला व मौसमी फसलों अनुसार सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) उदयपुर संभाग में वर्ष 94-95 में 20.96 लाख हैक्टेयर कृषि योग्य भूमि उपलब्ध थी। जिसमें से 10.92 लाख हैक्टेयर भूमि में खेती की गई जो कुल कृषि योग्य भूमि का 52 प्रतिशत है, जिसका जिलेवार विवरण निम्न प्रकार है :—

(क्षेत्रफल-लाख हैक्टेयर)

जिले	कृषि योग्य भूमि	वास्तविक कृषि मय क्षेत्र	प्रतिशत
बांसवाड़ा	3.17	2.30	72.56
डूंगरपुर	2.22	1.24	55.86
चित्तौड़गढ़	6.99	3.89	55.65
उदयपुर	5.55	2.50	45.05
राजसमन्द	3.03	0.99	32.67
योग—	20.96	10.92	52.10

(राज्य मंत्री; कृषि)

(2) कृषि विभाग की सिंचाई हेतु अपनी कोई योजना नहीं है। केवल कुशल सिंचाई के साधनों जैसे फव्वारा सेट, पी. वी. सी. पाइप लाइन, कुआं-सुधार योजना एवं ड्रिप स्टेट पर कृषि विभाग द्वारा अनुदान उपलब्ध कराया जाता है।

(3) जी, नहीं।

(4) जिला एवं मौसमवार सिंचित फसलों के क्षेत्रफल (है.) का विवरण निम्नानुसार है :—

(कृषि मंत्री, कृषि)

	फसल	बांसवाड़ा	डूंगरपुर	चित्तौड़गढ़	उदयपुर	राजसमन्द	योग संभाग
	1	2	3	4	5	6	7
खरीफ	चावल	193	682	262	24	101	1262
	मक्का	3793	236	154	181	124	4488
	मूंगफली	3	76	1201	12	286	1578
	कपास	8	8	219	43	886	1164
	गन्ना	524	460	2485	2116	1505	7090
	अन्य	135	252	1788	737	481	3394
योग—		4657	1714	6109	3113	3383	18976

– (राज्य मंत्री, कृषि)

	1	2	3	4	5	6	7
रबी	गेहूं	56629	26259	113425	74721	38041	309073
	जौ	1170	298	5646	12023	8376	27513
	चना	15878	1146	10623	12156	1319	41122
	अन्य दालें	4138	1327	981	7966	18	14430
	सरसों	15	54	36397	5837	1281	43584
	अन्य	988	722	30307	5972	4735	42724
	योग—	78818	29806	197379	118675	53770	478448
	महायोग—	83475	31520	203488	121788	57153	497424

विधान सभा क्षेत्र श्रीगंगानगर की सड़कें

53. श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) विधान सभा क्षेत्र श्रीगंगानगर में कितनी सड़कें मंजूर हुई तथा कितनी सड़कें जीर्ण-शीर्ण व टूटी-फूटी अवस्था में है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि ग्रामीण स्तर की सभी सड़कें जगह-जगह से टूटी पड़ी हैं ? क्या सरकार उक्त सड़कों का पुनर्निर्माण/पेचवर्क करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

(3) वर्ष 1997 में कितनी नई सड़कें बनाई गई हैं तथा कितनी सड़कों का पुनर्निर्माण करवाया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र श्रीगंगानगर में कुल मंजूर एवं निर्मित सड़कों का ब्योरा निम्न प्रकार है :—

क्र.स.	नाम सम्पर्क सड़क	निर्मित लम्बाई कि.मी	वर्ष
1	2	3	4
1.	सं.स. श्रीगंगानगर सूरतगढ़ सड़क से नेतेवाला	0.75	1977-78
2.	सं.स. श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ से 10 एल एन पी	3.50	1979-80
3.	सं.स. नाथावाली से ठाकरवाली	3.30	1983-84
4.	सं.स. महियावाली से लादुवाला रोड से 21 एम.एल.	1.00	1983-84

(राज्य मंत्री, कृषि)

1	2	3	4
5.	सं.स. हनुमानगढ़ रोड से 3 एम.एल.	1.30	1983-84
6.	सं.स. श्रीगंगानगर सूरतगढ़ रोड से 19 एल.एन.पी. (गणेशगढ़)	7.40	1984-85
7.	सं.स. गंग केनाल फीडर से 9 एल.एन.पी.	4.50	1984-85
8.	सं.स. 5 एल.एन.पी से 8 एल.एन.पी.	1.90	1984-85
9.	सं.स. श्रीगंगानगर सूरतगढ़ से लादूवाला	8.50	1984-85
10.	सं.स. श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ रोड से बिरधांवाली (5ई7ई)	1.00	1984-85
11.	सं.स. श्रीगंगानगर सादुलशहर सं.स. रोड से 1 एल.एन.पी.	1.75 0.80	1988-89 1991-92
12.	सं.स. 3 ई से 4 ई	2.15	1988-89
13.	सं.स. सूरतगढ़ सड़क से टेका-वाली (1 एफ छोटी)	0.75	1990-91
14.	सं.स. 3 ई 4ई सड़क से 2 ई	0.50	1990-91
15.	सं.स. गणेशगढ़ रोड से मनफुल-वाला	2.90	1992-93

(राज्य मंत्री, कृषि)

1	2	3	4
16.	सं.स. श्रीगंगानगर सूरतगढ़ रोड़ से बेड़ माईनर बाई पास	1.50	1995-96
17.	सं. स. नेतेवाला से लादूवाला (विस्तार)	0·55	1996-97
		45.35	

उपरोक्त सड़कों में से 38·15 कि. मी. लम्बाई की सड़कें मरम्मत योग्य राशि सहित सार्वजनिक निर्माण विभाग को 30-5-97 को हस्तांतरित करदी गई है। शेष 7·20 कि. मी. लम्बाई की सड़कों की मरम्मत हो चुकी है तथा इन्हें सार्वजनिक निर्माण विभाग को हस्तांतरण की कार्यवाही की जा रही है।

सार्वजनिक निर्माण विभाग को हस्तांतरित की जाने वाली सड़कों के नाम निम्न हैं :—

क्र. सं.	नाम सम्पर्क सड़क	लम्बाई (कि. मी.)
1	2	3
1. सं. सं.	श्री गंगानगर सूरतगढ़ रोड़ से नेतेवाला	0·75
2. सं. स.	नाथावाली से ठाकरावाली	3·30
3. सं. स. (5ई, 7ई)	श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ रोड़ से बिरधांवाली	1·30
4. सं. स.	हनुमानगढ़ रोड़ से 3 एम. एल.	1·30
5. सं. स.	नेतेवाला से लादूवाला (विस्तार)	0·55 नई सड़क
		7.20

(राज्य मंत्री, कृषि)

(2) हस्तान्तरित सड़कों के पुनर्निर्माण या पेचवर्क का कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा करवाया जाना है।

(3) विधान सभा क्षेत्र श्रीगंगानगर में वर्ष 1997 में निम्न नवीन सड़कों का निर्माण कार्य करवाया गया है :—

क्र. सं.	नाम सम्पर्क सड़क	लम्बाई (कि. मी.)
1	2	3
1. सं. स.	नेतेवाला से लादूवाला (विस्तार)	0·55

विधान सभा क्षेत्र श्रीगंगानगर में वर्ष 1996-97 में निम्न सड़कों का पुनर्निर्माण (विशेष मरम्मत) का कार्य करवाया गया :—

क्र. सं.	नाम सम्पर्क सड़क	विशेष मरम्मत की लम्बाई (कि. मी.)
1. सं. स.	श्रीगंगानगर सूरतगढ़ रोड़ से नेतेवाला	0·75
2. सं. स.	श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ रोड़ से 5ई, 7ई	1·30
3. सं. स.	नाथावाली से ठाकरांवाली	3·30
4. सं. स.	श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ रोड़ से 3 एम. एल.	1·30
		6·65

विधान सभा क्षेत्र डग के कृषकों को फव्वारा संयंत्र

54. श्री बाबूलाल वर्मा (डग) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र डग में कितने कृषकों को फव्वारा संयंत्र वर्ष 1993-94 से 1996-97 तक कृषि विभाग (उद्यान) द्वारा उपलब्ध कराये गये ? कृषकों की

(श्री बाबूलाल वर्मा)

सूची सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) लाभान्वित कृषकों की कितनी रकबा भूमि को सिंचित किया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) इन कृषकों द्वारा लाभान्वित होने के लिये कितनी हिस्सा राशि जमा कराई गई एवं सरकार द्वारा कितनी राशि प्रत्येक किसान को प्रदान कराई गई?

उत्तर

(1) झालावाड़ जिले के उपखण्ड भवानीमण्डी के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र डग आता है। वर्ष 1993-94 से 1996-97 तक कृषि विभाग द्वारा 98 कृषकों को फव्वारा संयंत्र उपलब्ध कराये गये। कृषकों को उपलब्ध कराये गये फव्वारा संयंत्रों की सूची परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) उपलब्ध कराये गये फव्वारा संयंत्रों से करीब 152·5 हैक्टेयर में सिंचाई होना संभावित है। विवरण निम्न प्रकार हैं :–

वर्ष	सिंचित क्षेत्र (हैक्टेयर में अनुमानित)
1993-94	3·00
1994-95	7·50
1995-96	113·00
1996-97	29·00
योग :–	152·50

(3) कृषकों द्वारा प्रदत्त हिस्सा राशि (स्वयं या ऋण स्रोत से) रुपये 625,711·00 एवं सरकार द्वारा अनुदान राशि रुपये 12,27,700·00 उपलब्ध कराई गई है। जिसका कृषकवार विवरण परिशिष्ट "अ" पर अंकित है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

जिला बीकानेर में इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र के ग्रामों हेतु सड़कें

55. श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर) : क्या सिंचित क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि बीकानेर जिले में इन्दिरा गांधी नहर के प्रथम व द्वितीय चरण मे अनेक ग्राम पंचायत मुख्यालयों को पक्की सड़कों से नहीं जोड़ा जा सका है?

(2) क्या यह भी सही है कि बड़ी आबादी वाले अनेक चकों को भी बिना सड़क सुविधा के छोड़ दिया गया है? यदि हां, तो क्या सड़क सुविधा से वंचित ग्राम पंचायत मुख्यालय वरूतपुरा को पंचायत मुख्यालय खारबारा से एवं चक 2 डी. एम. पार्वती तलाई को पंचायत मुख्यालय

(श्री भीमसेन चौधरी)

डेलीतलाई से जोड़ने हेतु कार्यवाही की जा रही है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) इन्दिरा गांधी नहर के द्वितीय चरण के क्षेत्र के अन्तर्गत बीकानेर जिले की समस्त पंचायत मुख्यालयों को सड़क से जोड़ा जा चुका है।

(2) बड़ी आबादी वाले अनेक चकों में बजट की उपलब्धता व प्राथमिकता के निर्धारण के अनुसार कार्य करवाए जाते हैं।

चम्बल सिंचित क्षेत्र में कैचमेन्ट कर्जे प्रकरण

56. श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डोली) : क्या सिंचित क्षेत्र विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि चम्बल सिंचित क्षेत्र में कैचमेन्ट के कर्जों की वजह से किसानों को बैंकों व सहकारी संस्थाओं द्वारा ऋण देने से इन्कार किया जाता है?

(2) क्या चम्बल सिंचित क्षेत्र में कैच-मेन्ट के कर्जे माफ करने की घोषणा राज्य सरकार के विभिन्न मंत्रियों ने विभिन्न स्थानों पर की थी? क्या इस बाबत सरकार ने कैचमेन्ट के कर्जे माफ करने का फैसला किया है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। कैचमेन्ट के कर्जों की वजह से किसानों को बैंकों व सहकारी संस्थाओं से ऋण लेने में आ रही कठिनाई को दूर करने के लिए राज्य सरकार के द्वारा ऋणदात्री संस्थाओं को द्वितीय भार (सैकण्ड चार्ज) करने की अनुमति प्रदान कर दी गई है। सिंचित क्षेत्र विकास एवं जल उपयोगिता विभाग, राजस्थान जयपुर के द्वारा प्रसारित आदेश क्रमांक: एफ. 11 (II) सीएडी/85 पार्ट-11 दिनांक 30-4-97 की छायाप्रति संलग्न है। (परिशिष्ट "क")

(2) कर्जे माफ करने का निर्णय राज्य सरकार के स्तर पर विचाराधीन है।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-7 देखें)

न्यूनतम मजदूरी दरों में वृद्धि

57. श्री अमराराम (धोद) : क्या श्रम राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार वर्तमान न्यूनतम मजदूरी की दर 32/- रुपये प्रतिदिन को बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी हां। सरकार शीघ्र न्यूनतम वेतन की दरों में बढ़ोतरी करने पर विचार कर रही है।

निजी शिक्षण संस्थाओं को देय सहायता

58. श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि निजी शिक्षण संस्थाओं को सरकार द्वारा सहायता व मान्यता प्रदान की जा रही है ? यदि हां, तो जयपुर शहर में कौन-कौन सी संस्था को क्या-क्या सहायता तथा मान्यता व निःशुल्क एवं रियायती दर पर भूमि उपलब्ध कराई गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) उक्त निजी शिक्षण संस्थाओं द्वारा कितनी-कितनी, फीस व अन्य वसूली प्रति छात्र प्रति माह की जा रही है तथा प्रवेश फीस, वर्दी, स्टेशनरी आदि के नाम से किस प्रकार से कितनी-कितनी राशि वसूल की जा रही है ?

(3) जिन संस्थाओं को सरकार अनुदान दे रही है उनकी फीस सरकारी स्कूलों के बराबर किये जाने के बारे में सरकार ने क्या-क्या कदम उठाये और उनमें कहां तक सफलता मिली ? सरकार की इस सम्बन्ध में क्या नीति है ?

(4) क्या सरकार द्वारा निजी शिक्षण संस्थाओं पर नियंत्रण के लिए जो कानून बनाया गया है उसमें पूर्ण सफलता मिली है ? यदि हां, तो किस प्रकार तथा नहीं, तो इसे प्रभावी बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है ?

(5) जयपुर शहर में ऐसी कौन-कौन सी शिक्षण संस्थाएं हैं, जिन्हें न सरकार द्वारा मान्यता दी गई है व न कोई सहायता ऐसी संस्थाओं पर सरकार का क्या नियन्त्रण है ? यदि नहीं, तो सरकार की इस सम्बन्ध में आगे क्या कदम उठाने की नीति है ?

उत्तर

(1) गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं को मान्यता एवं अनुदान राज्य सरकार द्वारा गैर सरकारी शैक्षणिक संस्था अधिनियम, 1989 व नियम 1993 के प्रावधानों के अन्तर्गत उपलब्ध करायी जाती है । जयपुर शहर में मान्यता प्राप्त एवं अनुदान प्राप्त संस्थाओं की सूची परिशिष्ट एक व दो पर संलग्न है । निःशुल्क या रियायती दर पर भूमि शिक्षा विभाग द्वारा उपलब्ध नहीं करायी जाती ।

(2) निजी शिक्षण संस्थाओं द्वारा कितनी-कितनी फीस व अन्य वसूली छात्र प्रतिमाह की जा रही है, तथा प्रवेश, वर्दी, स्टेशनरी आदि के नाम से कितनी-कितनी फीस ली जा रही है, यह सूचना राज्य सरकार द्वारा संकलित नहीं की जाती ।

(3) अनुदान नियमों के परिशिष्ठ "2"(7) में यह उल्लेखित है कि राज्य सरकार द्वारा किसी संस्था द्वारा ली जाने वाली फीस का निर्धारण किया जायेगा । राज्य सरकार द्वारा अभी तक फीस

(शिक्षा मंत्री)

निर्धारण या ऐसी संस्थाओं को फीस सरकारी स्कूलों के बराबर करने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इस सम्बन्ध में नीति निर्धारण विचाराधीन है।

(4) राज्य में निजी शिक्षण संस्थाओं पर नियन्त्रण हेतु कोई कानून नहीं बना हुआ है, वरन् गैर सरकारी शैक्षिक संस्थाओं में शिक्षा के बेहतर संगठन और विकास के लिए अधिनियम प्रभाव में है। इस अधिनियम में संशोधन हेतु राज्य सरकार द्वारा एक कमेटी बनाई हुई है।

(5) राज्य में संचालित होने वाली प्रत्येक निजी शिक्षण संस्था के लिये यह कहना आवश्यक है कि या तो राज्य के शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त करें, या नियमों में वर्णित प्रावधानों के तहत, राज्य के शिक्षा विभाग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र लेकर सम्बन्धित शिक्षा बोर्ड से मान्यता ले शिक्षा विभाग जो जानकारी के अनुसार जयपुर शहर में ऐसी कोई शिक्षण संस्था संचालित नहीं है, जिसने राज्य के शिक्षा विभाग से मान्यता अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं लिया हो।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

पुस्तकालयाध्यक्ष का पदोन्नति प्रकरण

59. श्री हंसराज गुर्जर (करौली) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि डी. पी. सी. सत्र 1994-95 में चयनित पुस्तकालयाध्यक्ष (द्वितीय वेतन श्रृंखला) कोटा परिक्षेत्र, कोटा द्वारा जारी आदेश संख्या शि.उ.नि./को/संस्था-3/पदो./पुस्त./(12)/97/393 दिनांक 3-3-1997 द्वारा द्वितीय ग्रेड पुस्तकालयाध्यक्ष के पद पर कर्मचारियों को पदोन्नत किया गया है? यदि हां, तो कितने व किन-किन कर्मचारियों की पदोन्नति की गई एवं उन्हें कहां-कहां पद स्थापित किया गया?

(2) क्या पदोन्नत कर्मचारियों में से सभी कर्मचारियों द्वारा अपने नवीन पद पर कार्यभार ग्रहण कर लिया गया है? यदि नहीं, तो कितने व किन-किन कर्मचारियो द्वारा?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त पदोन्नत कर्मचारियों में से श्रीमती कान्ता गुप्ता, पुस्तकालयाध्यक्ष द्वारा राजकीय माध्यमिक विद्यालय, सलेमपुर, जिला-सवाईमाधोपुर के रजिस्टर्ड पत्र क्रमांक 934 दिनांक 22 मार्च, 1997 एवं रजिस्टर्ड पत्र दिनांक 29-3-1997 द्वारा नवीन पद पर कार्यभार ग्रहण करने की अवधि बढ़ाने की प्रार्थना की गई है? यदि हां, तो क्या विभाग द्वारा उक्त कर्मचारी की अवधि बढ़ाने अथवा न बढ़ाने की कोई सूचना से कर्मचारी को अवगत कराया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) क्या सरकार ऐसे पीड़ित कर्मचारी की पदोन्नति अवधि बढ़ाकर उसे

(श्री हंसराम गुर्जर)

पदोन्नत मानते हुए पद-स्थापन करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक एवं नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। सत्र 1994-95 में पुस्तकालयाध्यक्ष (द्वितीय वेतन श्रृंखला) के रिक्त पदों हेतु विभागीय पदोन्नति समिति के द्वारा 11 पुस्तकालयाध्यक्षों का चयन किया गया। पदस्थापन स्थान एवं चयनित पुस्तकालयाध्यक्ष का विवरण परिशिष्ट "क" पर जिसमें उन्हें आवंटित जिला शिक्षा अधिकारी (छात्र संस्थाएं) का स्थान भी अंकित किया गया है।

(2) जी नहीं। निम्नांकित तीन पुस्तकालयाध्यक्षों के द्वारा कार्यग्रहण नहीं किया गया :–

नाम पुस्तकालयाध्यक्ष	जन्म तिथि
1	2
1. श्री रमेशचन्द्र उपाध्याय माध्यमिक विद्यालय, नई मण्डी, हिन्डौन	1-7-55
2. श्रीमती कान्ता गुप्ता बालिका सीनियर माध्यमिक विद्यालय सपोटरा।	3-5-59
3. श्री रमेश कुमार जैन माध्यमिक विद्यालय बिछोछ।	5-4-48

(3) जी हां। आदेश दिनांक 3-3-97 में ही स्पष्ट रूप से यह शर्त अंकित की गई थी कि निर्धारित तिथि तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण नहीं करने पर पदोन्नति का परित्याग मान लिया जावेगा तथा विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा किया गया चयन निरस्त माना जायेगा। ऐसी स्थिति कर्मचारी को सुचित करने का कोई औचित्य नहीं है।

(4) जी नहीं। पदोन्नति पर कार्यग्रहण नहीं करने के कारण पदोन्नति का परित्याग मान लिया गया। अतः अब पदस्थापन करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 8 देखें)

राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बीजवाड़ चौहान (अलवर) में शिक्षकों के रिक्त पद

60. श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(54)

(श्रीमती कमला बरोड़ा)

(1) क्या यह सही है कि राजकीय सीनियर माध्यमिक विद्यालय बीजवाड़ चौहान, जिला अलवर में विभिन्न श्रेणी के शिक्षकों के कई पद लम्बे समय से रिक्त हैं? यदि हां, तो क्यों? अब इन्हें कब तक भर दिया जायेगा?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त विद्यालय में प्राध्यापक संस्कृत का पद भी काफी समय से रिक्त है? यदि हां, तो इसे कब तक भर दिया जावेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राजकीय सीनियर माध्यमिक विद्यालय बीजवाड़ चौहान में दो व्याख्याताओं के पद रिक्त हैं, जिनमें एक पद 11/96 तथा एक पद 3/97 से रिक्त है। रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विभागीय चयन समिति के द्वारा आशार्थियों की सूची उपलब्ध करवायी गई, परन्तु चयनित आशार्थियों के द्वारा 9,18 व 27 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर चयनित ग्रेड का लाभ प्राप्त करने के कारण 15 प्रतिशत से 25 प्रतिशत तक ही कार्यग्रहण करने के कारण पद रिक्त रहते हैं।

(2) जी नहीं। संस्कृत प्राध्यापक का पद 3/97 से रिक्त है। रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विभागीय चयन समिति के द्वारा आशार्थियों की सूची उपलब्ध करवायी गई, परन्तु चयनित आशार्थियों के द्वारा 9,18 व 27 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर देय चयनित ग्रेड का लाभ प्राप्त करने के कारण 15 प्रतिशत से 25 प्रतिशत तक ही कार्य ग्रहण करने के कारण पद रिक्त रहते हैं।

राज्य में नई उच्च प्राथमिक शालाएं

61. श्री बनवारी लाल बैरवा (निवाई): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि सरकार की निति सभी पंचायत मुख्यालयों पर उच्च प्राथमिक शाला खोलने की है? यदि हां, तो राज्य के विभिन्न जिलों में किन-किन पंचायत मुख्यालयों पर उच्च प्राथमिक शालाएं खोली जा चुकी हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) राजस्थान के विभिन्न जिलों में अब कौन-कौन से मुख्यालय हैं, जहां उच्च प्राथमिक शालाएं खोली जानी है?

(3) खोली जाने वाली उच्च प्राथमिक शालाएं कब तक चालू कर दी जायेंगी?

उत्तर

(1) जी नहीं। राज्य सरकार की निति प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्र में न्यूनतम एक उच्च प्राथमिक स्तर की विद्यालय की सुविधा कराए जाने की है।

(2) ग्राम पंचायत मुख्यालय पर उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलने की नीति नहीं होने से, संबंधित नहीं है।

(शिक्षा मंत्री)

(3) लागू नहीं होता।

अतारांकित प्रश्न संख्या 62

(स्थगित)

राज्य विद्युत मण्डल द्वारा कृषि/घरेलू कनेक्शनों हेतु जारी परिपत्र

63. श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

राजस्थान राज्य विद्युत् मण्डल ने वर्ष 1997-98 में कृषि कनेक्शन एवं घरेलू उपभोक्ता कनेक्शन के अब तक कितने आदेश/परिपत्र जारी किए हैं ? जारी किए गये आदेश/परिपत्रों की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल द्वारा चालू वर्ष 1997–98 में कृषि कनेक्शन एवं घरेलू उपभोक्ता कनेक्शन के अब तक 18 आदेश/परिपत्र जारी किये गये, जिनकी प्रतियां संलग्न हैं।

(प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

ऊंतीरामपुरा (जयपुर) में ग्रिड सब स्टेशन की स्थापना प्रकरण

64. श्रीमती इन्दिरा मायाराम (सांगानेर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि ऊंतीरामपुरा (जयपुर) में बिजली की लाइन लम्बी होने के कारण ग्रिड सब-स्टेशन स्वीकृत कर दिया गया है ? यदि हां, तो उस पर कार्य प्रारम्भ क्यों नहीं किया गया ? अब यह कार्य कब तक पूर्ण हो जाएगा ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। विद्युत व्यवस्था को और सुचारू रूप से बनाये रखने हेतु ऊंतीरामपुरा में एक 33/11 के.वी. का सब स्टेशन वर्ष 1996-97 में स्वीकृत किया गया था। इस सब-स्टेशन के लिये 33 के.वी. की लाइन पूरी करके, सब-स्टेशन का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। संसाधनों की उपलब्धितानुसार सब-स्टेशन का कार्य वित्तीय वर्ष 1997-98 में पूरा करने का प्रयास किया जायेगा।

जिला झुन्झुनूं में नेपथा आधारित विद्युत संयंत्र की स्थापना

65. श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कृभको/इफको ने विद्युत उत्पादन हेतु नेपथा पर आधारित कारखाना राजस्थान के झुंझुनूं जिले में लगाने की योजना पेश की है और 25 लाख रुपये की लाइसेंस फीस राशि भी जमा करा दी है ?

(2) यदि हां, तो इस योजना की क्या

(श्री शिवनाथ सिंह)

प्रगति है तथा कब तक कारखाना चालू हो जायेगा?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) राज्य सरकार ने सशर्त सैध्दान्तिक स्वीकृति प्रदान कर दी है, परन्तु फर्म ने अभी तक विद्युत क्रय अनुबन्ध नहीं किया है। विद्युत अनुबन्ध होने से पूर्ण विद्युत गृह से उत्पादन कब प्रारम्भ हो जायेगा, के बारे में निश्चित रूप से अभी कुछ बताना संभव नहीं है।

राज्य में आर्थिक आधार के डिफोल्टर

66. श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गत तीन वर्षों के प्रथम सबसे ज्यादा आर्थिक आधार पर 50 डिफोल्टर का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त डिफोल्ट किस-किस डिफोल्ट का कब-कब से चला आ रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विगत तीन वर्षों में सबसे अधिक बकाया वाले प्रथम 50 उपभोक्ताओं (उच्च तापीय) की सूची परिशिष्ट "अ", "ब" व "स" संलग्न है।

सामान्यत: इतनी अधिक राशि उच्च तापीय उपभोक्ताओं के विरुद्ध ही बकाया रहती है।

(2) बकाया विगत अनेक वर्षों से चली आ रही है, जो सामान्यत: न्यायालयों के स्थगन आदेशों, विद्युत सम्बन्ध विच्छेद एवं एल.पी.एस. आदि के कारण रहती है। बकाया राशि की अवधि उक्त सूचियों में दर्शा दी गई है।

(सूचियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

ग्राम कानरपुरा (जयपुर) के ट्रांसफार्मर की कैंची का मरम्मत कार्य

67. श्री परसराम मोरदिया (लक्ष्मणगढ़) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम कानरपुरा, तहसील चोमू, जिला जयपुर में हरिजन मोहल्ले के पास लगे ट्रांसफार्मर की लाइन काटने की कैंची खराब हो रही है? यदि हां, तो कब से?

(2) उक्त खराब कैंची को अब तक ठीक नहीं कराने के क्या कारण हैं? इसमें कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी है? क्या सरकार दोषी अधिकारी/कर्मचारी के खिलाफ कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक एवं नहीं, तो क्यों?

(श्री परसराम मोरदिया)

(3) क्या सरकार अब उक्त ट्रांसफार्मर पर लगी लाइन काटने की कैंची को ठीक कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, नहीं। ग्राम कानरपुरा, तहसील चौमू, जिला जयपुर में हरिजन मोहल्लों के पास लगे हुये ट्रान्सफार्मर की लाइन काटने की कैंची (स्विच) अभी खराब नहीं है।

(2) उक्त ट्रान्सफार्मर के लाइन काटने की कैंची (स्विच) वर्तमान में खराब नहीं है। अतः किसी अधिकारी/कर्मचारी के दोषी होने या कार्यवाही का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है।

(3) उक्त ट्रान्सफार्मर की लाइन काटने की कैंची (स्विच) ठीक है।

पशुपालन विभाग में विभिन्न पदों की समाप्ति प्रकरण

68. श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति या मृत्यु होने पर रिक्त होने वाले पद को समाप्त कर दिया जाता है ? यदि हां, तो इस प्रकार से किस-किस श्रेणी के रिक्त पदों को समाप्त करने का प्रावधान है ? पिछले पांच वर्षों में कितने-कितने रिक्त पदों को इस प्रकार समाप्त किया गया ? समाप्त किए गये पदों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि चतुर्थ श्रेणी, पशु परिचारक, सईस एवं अन्य तकनीकी पद समाप्त करने के कारण सम्बन्धित कार्यालयों में शून्यता आने की संभावना है ?

(3) क्या सरकार उक्त श्रेणी के रिक्त पदों को समाप्त नहीं करके नवीन नियुक्तियां करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा नवीन चिकित्सालयों एवं औषधालयों में सभी श्रेणी के कर्मचारियों के पदों का सृजन किया जाता है ? यदि हां, तो पुराने चिकित्सालयों एवं औषधालयों में रिक्त पदों को समाप्त किये जाने के कारणों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

वित्त विभाग के परिपत्र संख्या प. 9 (1) वित्त-1 (1) आ. व्यय/95 दिनांक 4-7-95 के द्वारा वेतनमान संख्या 1 से 6 में कार्यरत कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के

(राज्य मंत्री, पशुपालन)

साथ ही पद को समाप्त माने जाने सम्बन्धी आदेश जारी किये हुए हैं। वर्ष 1995-96 में इस आदेश के तहत 67 पद निम्नांकित श्रेणी के समाप्त हुए हैं :-

क्र. सं.	पद का नाम	संख्या	वेतनमान संख्या
1.	पशुधन सहायक	27	6
2.	वाहन चालक	2	6
3.	पम्प चालक	1	6
4.	पट्टी बन्धक	1	2
5.	जमादार	2	2
6.	सईस	15	1
7.	जलधारी	7	1
8.	सांड परिचालक	1	1
9.	सफाईकर्ता	8	1
10.	चपरासी	3	1
	योग	67	

(2) उपरोक्त आदेश वर्ष 1995 में ही प्रभावी रहे। वित्त विभाग के आदेश संख्या प. (9) वित्त-1 (1) आ. व्यय/96 दिनांक 19-11-96 के अनुसार वर्ष 1996-97 से ऐसे पद समाप्त नहीं किये जायेंगे। इससे पूर्व इस तरह कोई पद समाप्त नहीं किये गये। मृत्यु होने पर पद समाप्त नहीं होता है।

(3) जी हां। वर्ष 95-96 में विभाग द्वारा इस प्रकार सेवानिवृत्ति के कारण रिक्त हुए पदों का पूर्ण औचित्य बताते हुए प्रस्ताव शासन को भेजकर पदों को समाप्त नहीं किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है। शासन से स्वीकृति प्राप्त होने पर इस सम्बन्ध में कार्यवाही सम्भव हो सकेगी।

(राज्य मंत्री, पशुपालन)

(4) जी, हां। पदों को समाप्त किये जाने की कार्यवाही शासन के निर्णय की अनुपालना में की जा रही है।

पशु चिकित्सालय खोलने के मानदण्ड

69. श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में वर्ष 1993-94 से 1996-97 तक कितने पशु चिकित्सालय कहां-कहां खोले गये ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त पशु चिकित्सालय खोलने के मानदण्ड क्या थे ?

उत्तर

(1) राज्य में वर्ष 1993-94 से 1996-97 तक ग्रामीण विकास केन्द्र की आधारभूत संरचना के अन्तर्गत 127 नये पशु चिकित्सालय वर्ष 1995-96 में खोले गये हैं। जिलेवार सूची संलग्न है।

(2) वर्ष 95-96 में ग्रामीण विकास केन्द्रों को आधारभूत संरचना के अन्तर्गत 127 नये पशु चिकित्सालय, विशिष्ट योजना संगठन के मापदण्ड अनुसार खोले गये हैं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-9 देखें)

विधान सभा क्षेत्र बेगूं में दुग्ध उत्पादन केन्द्रों की स्थापना

70. श्री चुन्नीलाल धाकड़ (बेगूं) : क्या डेयरी विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बेगूं में एक भी दुग्ध उत्पादन केन्द्र नहीं है ? यदि हां, तो निकट भविष्य में क्या सरकार इस योजना को पशुधन विकास की दृष्टि में रखते हुये लागू करना चाहती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी हां। इस सम्बन्ध में उपादेयता (Feasibility) अध्ययन किया जा रहा है जिसके आधार पर समुचित निर्णय लिया जायेगा।

सरकारी संस्थाओं के चुनाव

71. श्री रामपाल उपाध्याय (सहाड़ा) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार ग्राम सेवा सहकारी समितियों, सेण्ट्रल को-आपरेटिव बैंकों, क्रय-विक्रय सहकारी समितियों, अरबन को-आपरेटिव बैंकों, राज्य स्तर की सहकारी संस्थाओं आदि के चुनाव करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(2) क्या उक्त संस्थाओं में वर्तमान में

(श्री रामपाल उपाध्याय)

प्रशासक कार्यरत हैं ? यदि हां, तो संस्थावार प्रशासक का नाम, कार्य प्रारम्भ करने की तिथि आदि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त सभी संस्थाओं का कार्यकाल 3 वर्ष से अधिक का किया गया है तथा निर्वाचन प्रणाली में परिवर्तन किया गया है ?

(4) क्या सरकार उक्त चुनावों को नियमित तथा निष्पक्ष करने हेतु स्वतंत्र चुनाव आयोग का गठन कर लोकतांत्रिक मूल्यों में वृद्धि करेगी ? यदि हां, तो उसका गठन कब तक कर दिया जायेगा।

(5) क्या सरकार सम्पूर्ण सहकारी संस्थाओं के चुनावों को नियमित, एक रूप एवं सरल करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। ग्राम सेवा सहकारी समितियों के निर्वाचन माह अक्टूबर-नवम्बर, 1997 में करवाया जाना प्रस्तावित है। इसके पश्चात् क्रय-विक्रय सहकारी समितियां एवं केन्द्रीय सहकारी बैंकों के चुनाव करवाएं जाएंगे। कोटा व भरतपुर अरबन को-आपरेटिव को छोड़कर शेष अरबन को-आपरेटिव बैंकों में निर्वाचित संचालक मण्डल कार्यरत हैं।

(2) जी, हां। पांच शीर्ष संस्थाओं में निर्वाचित संचालक मण्डल कार्यरत है। चार शीर्ष संस्थाओं की उप-विधियों के प्रावधान के अनुसार मनोनीत संचालक मण्डल कार्यरत है। छह शीर्ष संस्थाओं में विभिन्न कारणों से प्रशासक नियुक्त हैं; जिनकी सूची संलग्न है। दो संस्थाएं अवसायन में एवं एक संस्था पंजीयन के पश्चात् से निष्क्रिय अवस्था में होने से चुनाव नहीं करवाएं जा सके हैं। ग्राम सेवा सहकारी समितियों, क्रय-विक्रय सहकारी समितियों एवं केन्द्रीय सहकारी बैंकों के प्रशासकों सम्बन्धी सूचना अत्यधिक विस्तृत होने से वर्तमान में दिया जाना सम्भव नहीं है।

(3) जी, नहीं।

(4) जी, नहीं।

(5) वर्तमान नियमों में सहकारी संस्थाओं के चुनावों में निष्पक्षता एवं सरलता की उचित व्यवस्था है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-16 देखें)

व्यवस्थापक ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. मूंगथला (सिरोही) का निलम्बन प्रकरण

72. श्री विष्णु मोदी (पुष्कर): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि दि. सिरोही सेन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक लि. सिरोही के

(श्री विष्णु मोदी)

तत्कालीन प्रबंध संचालक द्वारा वर्ष 1990-91 में अधिक राजकीय यात्राएं कर बैंक को आर्थिक हानि पहुंचाई गई थी ? यदि नहीं, तो तत्कालीन प्रबन्ध संचालक के सितम्बर, 1988 एवं जून, 1990 के यात्रा भत्ता बिलों एवं उपस्थिति पंजिका की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि तत्कालीन प्रबंध संचालक द्वारा उनके कार्यालय आदेश दिनांक 24-9-1988 के द्वारा तत्कालीन व्यवस्थापक, मूंगथला ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. मूंगथला (सिरोही) को अनुपस्थित रहने, विशेष लेखा परीक्षक के आदेशों की अवहेलना करने एवं आबंटित कार्य समय पर संपादित नहीं करने के कारण निलम्बित किया गया था ? यदि हां, तो इनके माह सितम्बर, 1988 की प्रमाणित उपस्थिति मय निलम्बन अवधि की माहवार उपस्थिति पंजिका की प्रतियां, विशेष लेखा परीक्षक द्वारा सीधे उक्त व्यवस्थापक को दिये गये आदेशों की प्रति (जिसकी उन्होंने अवहेलना की) कौन-कौन से कार्य आबंटित किये गये तथा उनमें से कौन-कौन से कार्य उन्होंने सपादित नहीं किये ? का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि पैक्स व्यवस्थापक सेवा नियम के तहत किसी भी व्यवस्थापक को 6 माह से अधिक समय के लिए निलम्बित नहीं रखा जा सकता है ? यदि हां, तो फिर उक्त व्यवस्थापक को एक वर्ष दस माह की लम्बी अवधि तक निलम्बित क्यों रखा गया और इस प्रकरण में अभी तक जांच अधिकारी नियुक्त कर, जांच क्यों नहीं करवायी गई ? क्या उक्त प्रकरण में विभाग किसी अधिकारी को दोषी मानता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उसके खिलाफ कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि उक्त व्यवस्थापक को उनके सेवा समाप्ति आदेश दिनांक 27-7-1990 में उल्लेखित धारा 74 में दर्ज प्रकरण रु. 2215. 52, रुपये; 2243.00 एवं 55,000 का निर्णय हो चुका है ? व्यवस्थापक के विरुद्ध उक्त रुपये 2215.52 व रुपये 2243.00 की राशि किस-किस मद की है और इनमें से कौन-कौन से व्यय करना किसी भी संस्था के लिए अनिवार्य होता है एवं रुपये 55,000/- के प्रकरण का निर्णय उक्त व्यवस्थापक के विरुद्ध कितनी राशि का, किस दिनांक को हुआ और निर्णय आदेश उक्त व्यवस्थापक को किस दिनांक को प्राप्त हुए ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। श्री लखारा को बैंक आदेश क्रमांक 5145. 52 दिनांक 24 9-80 के द्वारा निलंबित किया गया था तथा निलम्बन अवधि में श्री लखारा का मुख्यावास प्रधान कार्यालय सिरोही में किया था। लेकिन श्री लखारा ने लगभग एक वर्ष तक स्वेच्छा से अनुपस्थित रहकर आदेशों की पालना नहीं की, इस कारण

(सहकारिता मंत्री)

अग्रिम कार्यवाही नहीं की जा सकी। प्रकरण में हुए विलम्ब की जांच विभाग द्वारा पृथक से करवाली जावेगी। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् ही अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

(2) जी, हां। उक्त राशि 2215–50 अनियमित यात्रा भत्ता एवं रोकड़ पोता गबन पर ब्याज मद की राशि, एवं 2243–00 विभिन्न प्रकार से किये गये गबन एवं अनियमित भुगतान कर दुरुपयोग की राशि है। किसी भी संस्था द्वारा किया जाने वाला व्यय, संस्था के कार्य व्यापार एवं स्वीकृत बजट के अनुसार होता है। समिति के निरीक्षण पत्र दिनांक 6-7.10. 1989 के आधार पर धारा 74 के अन्तर्गत दर्ज 5 प्रकरण, जिसकी वास्तविक राशि 55000/– न होकर 56745.94 रुपये है, में से राशि रु. 18447–14 के मामले अब तक सहायक रजिस्ट्रार, सिरोही द्वारा श्री लखारा के विरुद्ध निर्णित किये गये हैं, जिनका निर्णय दिनांक एवं श्री लखारा को निर्णय की प्रति प्रेषित किये जाने का केसवार विवरण परिशिष्ट–6 पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। तत्कालीन प्रबन्ध संचालक के माह सितम्बर, 88 एवं जून, 90 के यात्रा भत्ता बिलों एवं उपस्थिति पंजिका की फोटोप्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(4) जी, हां। श्री लखारा, निलंबन दिनांक 24.9.88 से 17.9.89 तक लगातार अनुपस्थित रहे हैं। जबकि श्री लखारा को प्रधान कार्यालय में उपस्थिति देने के आदेश दिये गये थे। दिनांक 18.9.89 से 27.7.90 तक के उपस्थिति रजिस्टर की प्रति एवं श्री लखारा की उपस्थिति रिपोर्ट 18.9.89 की प्रति परिशिष्ट-2 व 3 पर, विशेष लेखा परीक्षक द्वारा बैंक को दिये गये पत्र की प्रति परिशिष्ट-4 पर संलग्न है। व्यवस्थापक समिति तत्समय प्रभावी बैंक व्यवस्थापक सेवा नियम 1977 के नियम 19 के अनुसार निर्धारित दायित्वों के निर्वहन में विफल रहे हैं, इसकी पुष्टि विशेष लेखा परीक्षक, सिरोही, क्षेत्रीय ऋण पर्यवेक्षक शाखा आबूरोड प्रधान, पंचायत समिति आबूरोड एवं ग्रामीणों से प्राप्त शिकायती पत्रों से की गई, जिसकी प्रति परिशिष्ट-5 पर संलग्न है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

लोक शिक्षण संस्थान जयपुर में संचालित पाठ्यक्रम

73. श्री रामेश्वरलाल चौधरी (नावां) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि लोक शिक्षण संस्थान, गणगौरी बाजार, जयपुर का रजिस्ट्रेशन सहकारी संस्था अधिनियम के तहत किया गया है ?

(2) क्या यह भी सही है कि संस्थान के संविधान में वेतनभोगी कर्मचारी की सेवा अवधि 62 वर्ष तक की है ? यदि हां, तो वर्तमान सचिव की आयु कितनी है और क्या वह बाल श्रमिक योजना के निदेशक के पद पर अभी तक भी सेवारत है ?

(श्री रामेश्वर लाल चौधरी)

(3) उक्त संस्थान को राज्य सरकार/भारत सरकार द्वारा कौन-कौनसी योजनाएं आबंटित हैं? संस्था का संचालन किस हद तक इन योजनाओं में है?

(4) क्या संस्थान ने अपना लेखा जोखा रजिस्ट्रार के यहां समय-समय पर भेजा है? यदि हां, तो कब-कब?

(5) उक्त संस्था में कौन-कौन से कर्मचारी कार्यरत हैं? योजनावार प्रत्येक कर्मचारी की सेवा नियुक्तियों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या संस्था के स्टोर का अब तक सत्यापन किया गया है? यदि हां, तो कब-कब?

(7) संस्था के पदाधिकारियों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(8) क्या संस्था की अन्य शाखाएं भी है? यदि हां, तो क्या यह सही है कि कम्प्यूटर कोर्स व ड्रेस डिजाइनिंग, कॉमर्सियल आर्ट की फीस 7,000/- रुपये प्रतिमाह तक वसूली जाती है? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार इस संस्था के कृत्यों की जांच कराने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी, नहीं।

(2) से (8) चूंकि उक्त संस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 के तहत पंजीकृत है एवं स्व नियंत्रण में कार्य करती है जिन पर रजिस्ट्रार संस्थाए का सीधा नियंत्रण नहीं रहता है। अतः कोई सूचना दिया जाना संभव नहीं हैं।

ग्राम दिवेर (राजसमंद) की मेवाड़ काम्पलेक्स योजना

74. श्री लक्ष्मणसिंह रावत (भीम): क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम दिवेर जिला राजसमंद का ऐतिहासिक महत्व है?

(2) क्या उक्त ऐतिहासिक स्थल को "मेवाड़ काम्पलेक्स योजना" में सम्मिलित करने हेतु समय-समय पर कई संगठनों व जन प्रतिनिधियों ने मांग की है?

(3) यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त दिशा में अब तक क्या-क्या कदम उठाये गये?

(4) क्या सरकार जिला प्रशासन के निर्णयानुसार विजयादशमी के अवसर पर दिवेर में राज्य/राष्ट्र स्तरीय समारोह मनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो समारोह की रूपरेखा/योजना के प्रारूप की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां।

(राज्य मंत्री, पर्यटन)

(2) जी, हां।

(3) प्रथम चरण में मेवाड़ कॉम्पलेक्स योजना में सम्मिलित चावण्ड, गोगुन्दा, हल्दीघाटी आदि स्थलों का विकास कार्य पूर्ण किया जाना है। दिवेर के ऐतिहासिक स्थल को हालांकि मेवाड़ कॉम्पलेक्स में शामिल नहीं किया गया, परन्तु दिवेर के अलग से विकास के लिए भी राज्य सरकार विचार कर रही हैं।

(4) जी नहीं, वर्तमान में विजयदशमी पर दिवेर में राज्य स्तरीय/राष्ट्रीय स्तरीय समारोह आयोजित नहीं किया जा रहा हैं।

ग्राम रोजवाड़ी (जयपुर) में नाली निर्माण कार्य

75. श्री मांगीलाल मेघवाल (केशवरायपाटन) : क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा जयपुर जिले की बस्सी तहसील के ग्राम रोजवाडी में वर्ष 1995-96 में सीमेंट की सड़कें बनाई गई थी? यदि हां, तो कुल कितने मीटर और उस पर कितनी राशि व्यय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त गांव में पूर्व में डामर की सड़क बनी हुई थी? यदि हां, तो सीमेंट की सड़क बनाने का औचित्य था?

(3) क्या यह सही है कि उक्त ग्राम में सड़क निर्माण के बावजूद नालियों का निर्माण नहीं किया गया है, जबकि ग्रामीणों द्वारा नाली निर्माण की मांग की जाती रही है? यदि हां, तो क्यों? सरकार अब कब तक उक्त ग्राम में नाली निर्माण करवाने का विचार रखती है? यदि नहीं तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, हां। जयपुर जिले की बस्सी तहसील के ग्राम रोजवाड़ी में वर्ष 1995-96 में जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत कुल 188.4 मीटर सीमेंट सड़क का निर्माण किया गया था जिस पर कुल रु. 55,974/- की राशि व्यय की गई थी।

(2) जी, हां। पूर्व में उक्त ग्राम में जो डामर की सड़क बनी हुई थी, उसका लेवल नीचे रह जाने के कारण सड़क पर पानी व कीचड़ आदि इकट्ठा हो जाने के कारण क्षतिग्रस्त हो गई थी। ऐसी स्थिति में पंचायत समिति बस्सी से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, जयपुर द्वारा सीमेंट सड़क व नाली बनाने हेतु रु. 93,000.00 की स्वीकृति दी गई थी।

(3) जी, हां। विकास अधिकारी, बस्सी द्वारा केवल सीमेंट सड़क का निर्माण ही कराया गया तथा शेष राशि रु.

(राज्य मंत्री, विशिष्ट योजना संगठन)

37,297.00 का उपयोग नाली निर्माण न करवा कर 119.5 मीटर खरंजे का निर्माण कर लिया गया। विकास अधिकारी, बस्सी द्वारा इस अनधिकृत निर्माण के सम्बन्ध में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, जयपुर द्वारा विकास अधिकारी, बस्सी के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है एवं नाली निर्माण का कार्य पंचायत द्वारा पंचायत को जवाहर रोजगार योजना में प्राप्त राशि से कराने को लिखा गया है।

पंचायत समिति नैनवां की केन्द्रीय परिवर्तित योजना

76. श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि केन्द्रीय परिवर्तित योजना "इन्दिरा आवास" प्रदेश में लागू की गई है? यदि हां, तो किस तारीख से?

(2) क्या उक्त योजनान्तर्गत ग्राम पंचायत क्षेत्र रजलावता, सादेड़ा, मोड़सा, जैतपुर पंचायत समिति नैनवा क्षेत्र के विभिन्न ग्रामों के लिये इन्दिरा आवास स्वीकृत किये गये हैं? यदि हां, तो किस व्यक्ति के पक्ष में किस तारीख को? ग्रामवार नामजद सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त में से कितने आवास पूर्ण किये जा चुके हैं, कितने अपूर्ण हैं तथा कितनों का कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है? स्वीकृति के पूर्व से निर्मित आवास सहित अलग-अलग नामजद विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या कार्य प्रारम्भ तथा कार्य पूर्ण नहीं करने वाले को भी राशि का भुगतान किया गया है? यदि हां, तो किसकी अभिशंषा से? व्यक्तिवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां, प्रदेश में "इन्दिरा आवास योजना' वर्ष 85-86 से लागू की गई है।

(2) जी हां, उक्त योजना अन्तर्गत पंचायत समिति नैनवां के ग्राम पंचायत रजलावता में 63, सादेड़ा में 35, मोड़सा में 52, जैतपुर में 42, कुल 192 इन्दिरा आवास स्वीकृत किये गये है। ग्रामवार व्यक्ति के पक्ष में स्वीकृत किये गये लाभार्थियों की सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न कर प्रस्तुत है।

(3) उक्त स्वीकृत आवासों में से कुल 108 इन्दिरा आवास पूर्ण किये जा चुके हैं, 65 आवास अपूर्ण हैं तथा 8 पर कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। शेष 41 आवासों की स्वीकृतियां निरस्त की जा चुकी हैं। जिसकी सूची परिशिष्ठ 'अ' पर संलग्न है।

(4) जिन इन्दिरा आवास का कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है उनको भुगतान नहीं किया गया है। जो कार्य प्रारम्भ किये गये हैं उन्हें सरपंच, सचिव एवं मुख्य प्रधानाध्यापक (सम्बन्धित प्राथमिक विद्यालय) की समिति की अभिशंषा

(राज्य मंत्री, विशिष्ट योजना संगठन)

पर ही आंशिक भुगतान किया गया है। पूर्ण भुगतान कार्य पूरा होने पर ही दिया जाता है। व्यक्तिवार सूची परिशिष्ट 'म' पर संलग्न कर प्रस्तुत है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

पंचायत समिति बामनवास के स्वीकृत सामुदायिक भवन

77. श्री हीरा लाल (बामनवास) : क्या विशिष्ट संगठन योजना राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) विधान सभा क्षेत्र बामनवास की पंचायत समिति बामनवास में 1992-93 से कितने सामुदायिक भवन किस-किस ग्राम में किस-किस योजना के तहत स्वीकृत हुए ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उनमें से कितने सामुदायिक भवन पूर्ण हो चुके हैं और कितने अपूर्ण हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत सुन्दरी व बिछोछ के सामुदायिक भवनों का कार्य तकमीना अनुसार नहीं हुआ है यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बामनवास की पंचायत समिति बामनवास में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 1992-93 से 1997-98 (अगस्त, 97) तक 17 सामुदायिक भवन स्वीकृत किये गये थे, जिनकी ग्रामवार सूची परिशिष्ट—"म" पर संलग्न कर प्रस्तुत है।

(2) उनमें से 9 सामुदायिक भवन पूर्ण हो चुके हैं और 8 अपूर्ण हैं, जिनकी सूची परिशिष्ट—"म" पर संलग्न कर प्रस्तुत है।

(3) ग्राम पंचायत सुन्दरी के सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य स्वीकृत तकमीने के अनुसार ही हुआ है, एवं केवल ग्रा. पं. बिछोछ में छत 10 फुट के स्थान पर 9 फुट ऊंचाई पर डाली गई है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-11 देखें)

ग्राम पंचायत आटूण कलां (सवाई माधोपुर) के इन्दिरा आवास भवन

78. श्री हरिनारायण बैरवा (खण्डार): क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत आटूण कलां, पंचायत समिति सवाई माधोपुर के ग्राम पचीपला में इंदिरा आवास के मकान बनवाये गये थे ? यदि हां, तो उस वक्त सरपंच व सचिव कौन थे तथा कुल कितना व्यय हुआ था ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त इंदिरा आवास के मकान आज भी अधूरे हैं और पूरा पैसा पंचायत द्वारा उठा लिया गया

(श्री हरिनारायण बैरवा)

है ? यदि हां, तो संबंधित सरपंच, सचिव व अन्य अधिकारियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। उस समय श्री सिराज रसूल सरपंच व श्री मोहनलाल सैनी सचिव थे। ग्राम पंचायत आटूणं कलां पंचायत समिति सवाई माधोपुर के ग्राम पचीपला में दस इन्दिरा आवासों के समूह का निर्माण किया गया था। इस निर्माण पर 1,12,000/- रुपये राशि का व्यय हुआ।

(2) जी, नहीं। परियोजना निदेशक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, सवाई माधोपुर ने सूचित किया है कि ग्राम पंचायत आटूणं कलां ने उक्त इन्दिरा आवास का निर्माण वर्ष 1990-91 में पूर्ण करने के पश्चात् यह इन्दिरा आवास लाभार्थियों को हस्तान्तरित कर दिये गये थे। ये इन्दिरा आवास लाभार्थियों द्वारा काफी समय से उपयोग नहीं करने के कारण क्षतिग्रस्त हो गये। ग्राम पं. आटूणं कलां को इन इन्दिरा आवासों के निर्माण हेतु 1,12,000/- रुपये राशि का भुगतान किया गया।

चूंकि यह आवास ग्राम पंचायत द्वारा पूर्णतया निर्माण कराने के पश्चात् लाभार्थियों को हस्तान्तरित किये गये थे, अतः सम्बन्धित सरपंच, सचिव तथा अन्य अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

पंचायत समिति सरदारशहर के स्वीकृत इन्दिरा आवास

79. श्री भंवरलाल शर्मा (सरदारशहर) : क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) पंचायत समिति सरदारशहर में जनवरी, 1993 से आज तक कितने व्यक्तियों को इन्दिरा आवास की स्वीकृति जारी की गई ? उनमें से कितने पूर्ण हो गये और कितनों को भुगतान हो गया ? ग्रामवार/व्यक्तिवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि बहुत सी जगह इन्दिरा आवासों का निर्माण ही नहीं हुआ और उसका भुगतान कर दिया गया ? यदि हां, तो भुगतान करने वाले अधिकारियों के खिलाफ अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

(3) इन्दिरा आवास स्वीकृत करने का मानदण्ड क्या है ?

उत्तर

(1) पंचायत समिति सरदारशहर में जनवरी, 1993 से आज (अगस्त, 1997 तक) कुल 658 व्यक्तियों को इन्दिरा आवास की स्वीकृतियां जारी की गई, उनमें से 571 आवास पूर्ण हो गये हैं जिनको भुगतान भी कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त 87 आवास का कार्य अपूर्ण है जिनको प्रथम किस्त का भुगतान किया

(राज्य मंत्री, विशिष्ट योजना संगठन)

गया है। ग्रामवार व्यक्तिवार सूची परिशिष्ट-"ब" पर उपलब्ध है।

(2) जी, नहीं : परियोजना निदेशक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, चूरू ने सूचित किया है कि पंचायत समिति सरदार शहर में किसी भी जगह इन्दिरा आवास का निर्माण किये बिना भुगतान नहीं किया गया, अतः किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

(3) इन्दिरा आवास की मार्ग-निर्देशिका के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे चयनित व्यक्ति जिनके पास पक्के आवास नहीं है तथा पूर्व में आवास निर्माण हेतु किसी योजनान्तर्गत लाभान्वित नहीं हुए हैं, इन्दिरा आवास निर्माण हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित इकाई लागत के अनुसार वित्तीय सहायता पाने के पात्र हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

पंचायत समिति इटावा (कोटा) की ट्राइसम योजना

80. श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा) : क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि कोटा जिले की पंचायत समिति इटावा में वर्ष 1996-97 में ट्राइसम योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण दिया गया है ? यदि हां, तो किस-किस ट्रेड में कितने-कितने व्यक्तियों को किस संस्था द्वारा प्रशिक्षण दिया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त संस्था का कार्य संतोषप्रद नहीं होने की शिकायत स्थानीय जन प्रतिनिधियों द्वारा की गई थी ? यदि हां, तो कब-कब ?

(3) क्या यह भी सही है कि जन प्रतिनिधियों की शिकायतों के बाद भी जिला ग्रामीण विकास अभिकरण कोटा द्वारा उसकी अवहेलना कर इस संस्था को भुगतान कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब, कितनी राशि का ? इस संस्था को किये गये भुगतान के लिए कौन दोषी है ? क्या सरकार उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां, पंचायत समिति इटावा में वर्ष 1996-97 में ट्राइसम योजना के अन्तर्गत निम्नानुसार प्रशिक्षण दिया गया:--

(राज्य मंत्री, विशिष्ट योजना संगठन)

क्र. सं.	संस्था का नाम	नाम ट्रेड	संख्या
1.	जिला ग्रामीण व्यवसायिक प्रशिक्षण एवं उद्यमकर्ता विकास केन्द्र, कोटा।	हैंड पम्प	16
2.	गणेश शिक्षा समिति, इटावा हाउस।	वायरिंग	20
		मोटर वाईंडिंग	20
		योग—	56

(2) गणेश शिक्षा समिति का कार्य संतोषप्रद नहीं होने की शिकायत प्रधान, इटावा द्वारा दिनांक 28.3.97 व 7.8.97 को की गई थी।

(3) उक्त शिकायतें प्राप्त होने के उपरांत संस्था को कोई भुगतान नहीं किया गया है। संस्था के विरुद्ध शिकायतों के प्रमाणिक होने पर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

ग्राम कानरपुरा (जयपुर) के औषधालय भवन की मरम्मत

81. श्री खंगारसिंह चौधरी (खारची): क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जिला जयपुर, तहसील चौमूं के ग्राम कानरपुरा के राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय की छत खराब हो जाने के कारण उसमें पानी गिरता है?

(2) क्या सरकार उक्त छत की मरम्मत कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त औषधालय के चारदीवारी नहीं होने के कारण उसमें आवारा पशु प्रवेश कर यहां आने वाले मरीजों को परेशान करते हैं?

(4) क्या सरकार अब उक्त औषधालय की चारदीवार का निर्माण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(70)

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। उक्त औषधालय भवन ग्राम पंचायत द्वारा काम के बदले अनाज योजनान्तर्गत निर्मित कराया गया है, इस भवन का पंजीयन विभाग के नाम नहीं है। इस कारण अतिरिक्त कलक्टर (विकास) जयपुर एवं विकास अधिकारी, गोविन्दगढ़ (जयपुर) को जिला आयुर्वेद अधिकारी जयपुर "अ" द्वारा छत की मरम्मत हेतु लिखा गया है। शीघ्र ही कार्यवाही होने की संभावना है।

(3) जी हां। औषधालय भवन की चारदीवारी बनी हुई नहीं है। परन्तु आवारा पशुओं के प्रवेश करने एवं मरीजों को परेशानी संबंधी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(4) जी हां। जिला आयुर्वेद अधिकारी, जयपुर "अ" क्षेत्र द्वारा अतिरिक्त कलक्टर (विकास) जयपुर एवं विकास अधिकारी, गोविन्दगढ़ (जयपुर) को चारदीवारी के निर्माण कराने हेतु निवेदन किया गया है। शीघ्र ही कार्यवाही होने की संभावना है।

जिला झुंझुनूं में जवाहर रोजगार योजना के तहत स्वीकृत कार्य

82. श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1997-98 में झुंझुनूं जिले के लिये जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत कितनी धनराशि स्वीकृत हुई अथवा होने का अन्दाज है?

(2) इस राशि में से जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, पंचायत समितियों तथा ग्राम पंचायत से कितनी-कितनी धनराशि मिलने की संभावना है?

(3) जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के हिस्से की राशि में से जनवरी, 1997 से अगस्त, 1997 की अवधि में कितनी-कितनी धनराशि के कौन-कौन से कार्य उक्त अभिकरण द्वारा स्वीकृत किये गये हैं?

(4) क्या ये स्वीकृत कार्य ग्रामीण क्षेत्रों में हैं अथवा शहरी क्षेत्रों के लिये भी हैं?

(5) जवाहर रोजगार योजना की राशि किन-किन कार्यों के लिये शहरी अथवा ग्रामीण क्षेत्रों में खर्च के नियम/निर्देश हैं? प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 1997-98 में झुंझुनूं जिले में जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत कुल 243.42 लाख रुपये राशि का आवंटन किया गया है। जिसमें से पहली किस्त की राशि 121.72 लाख जिले को विमुक्त की जा चुकी है।

(राज्य मंत्री, विशिष्ट योजना संगठन)

(2) वर्ष 1997-98 में आवंटित की जाने वाली राशि में से निर्मुक्त की जाने वाली राशि से 50,000/- रुपये प्रशिक्षण हेतु जिला ग्रामीण विकास अभिकरण स्तर पर रखकर शेष राशि जिला ग्रामीण विकास अभिकरण/पंचायत समिति/ग्राम पंचायत को योजना की क्रियान्विति हेतु निम्नानुसार हस्तान्तरित होगी :—

1. जिला स्तर पर —20 प्रतिशत

2. पंचायत समिति स्तर पर —15 प्रतिशत

3. ग्राम पंचायत स्तर —65 प्रतिशत

(3) जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के हिस्से की धनराशि में से जनवरी, 1997 से अगस्त, 1997 की अवधि में 24.34 लाख लागत राशि के 32 कार्य स्वीकृत किये गये जिनका विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(4) यह सभी कार्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वीकृत किये गये हैं।

(5) जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत आवंटित राशि का केवल ग्रामीण क्षेत्रों में उपयोग किये जाने का प्रावधान है। योजनान्तर्गत जिले की मूलभूत सुविधाओं के विकास हेतु टिकाऊ स्वरूप के उत्पादन एवं जन-उपयोगी उपयोगिता के कार्य लिये जाने का प्रावधान है। जवाहर रोजगार की मार्ग-दर्शिका के अनुसार लिये जाने वाले कार्यों की सूची परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-12 देखें)

बायोगैस योजना में कार्यरत कर्मचारी

83. श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में बायो गैस योजना के तहत कनिष्ठ अभियन्ता, बायो गैस मिस्त्री ग्रेड-I एवं II के कितने-कितने कर्मचारी कार्यरत हैं ? स्वीकृत एवं अस्वीकृत पदों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त कर्मचारियों में से किन-किन कर्मचारियों को राज्य सरकार के आदेश दिनांक 15.4.1997 के तहत अधिशेष घोषित किया गया और किन-किन कर्मचारियों का अन्य विभागों में समायोजन किया गया ? पद, नामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा ऐसे कर्मचारी जिनकी सेवा 10 वर्ष अथवा इससे अधिक अवधि की हो गई है, को सेवा से पृथक किया गया है ? यदि हां, तो किस आधार पर ? ऐसे कर्मियों की नामवार, पदवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री रामस्वरूप मीणा)

(4) क्या सरकार उनकी दीर्घ अवधि की सेवा एवं राज्य में पुनः सेवा हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा की अवधि पार कर लेने की स्थिति में उन्हें अन्य विभागों में समायोजित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक एवं नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राज्य में बायोगैस योजनान्तर्गत मुख्यालय पर अब केवल एक कनिष्ट अभियंता का पद स्वीकृत है, जो वर्तमान में रिक्त है। बायोगैस मिस्त्री ग्रेड-I एवं II के नाम से अब कोई पद स्वीकृत नहीं है।

(2) राज्य सरकार के आदेश दिनांक 15.4.97 के तहत जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों में बायोगैस प्रसार कार्यकर्ताओं के समस्त पद समाप्त किए गए, जिसके फलस्वरूप अभिकरणों में नियुक्त बायोगैस प्रसार कार्यकर्ताओं की सेवाएं समाप्त हो गई। इनमें से किसी भी कार्यकर्ता को अन्य विभाग में समायोजित नहीं किया गया है। अभिकरणों द्वारा सेवाओं से पृथक किए गये कार्यकर्ताओं की सूची परिशिष्ट-अ पर प्रस्तुत है।

(3) जी हां। अभिकरण द्वारा विभिन्न श्रेणी के पद समाप्त होने के कारण सेवाएं समाप्त की गई उनमें बायोगैस कार्यकर्ताओं की सेवा अवधि 10 वर्ष से अधिक की रही हैं। विवरण परिशिष्ट-"अ" पर प्रस्तुत है।

(4) प्रकरण राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 13 देखें)

होमियोपैथिक चिकित्सकों के पदों पर नियुक्ति

84. श्री कुबेर लाल (रामगढ़) एवं श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि 1 जनवरी, 1990 से 1 जनवरी, 1995 की अवधि में होमियोपैथिक चिकित्सक के पद पर नियुक्ति/पदोन्नति दी गई है ? यदि हां, तो कितने चिकित्सकों को ? आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त अवधि में की गई नियुक्ति/पदोन्नति नियमान्तर्गत की गई थी ? यदि हां, तो किस नियम के अन्तर्गत ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त अवधि में कार्यरत आयुर्वेद कम्पाउण्डर्स को भी होम्योपैथिक चिकित्सक के पद पर नियुक्ति/पदोन्नति की गई है ? यदि हां, तो किस व्यक्ति को,

(श्री जुबेर खान)

किस नियम के तहत ? आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

(3) उक्त अवधि में नियुक्ति/पदोन्नति ही नहीं की गई।

कोटपूतली (जयपुर) में नये आयुर्वेदिक औषधालयों की स्थापना

85. श्री रामचन्द्र रावत (कोटपूतली) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली में गत पांच वर्षों में कितने नये औषधालय कहां-कहां खोले गये ? यदि नहीं; तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार तहसील कोटपूतली में नये आयुर्वेदिक औषधालय खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक, कितने व कहां-कहां और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) गत पांच वर्षों में जयपुर जिले के कोटपूतली विधान सभा क्षेत्र में कोई भी नवीन औषधालय नहीं खोला गया। वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण नहीं खोले जा सके हैं।

(2) वर्ष 1997-98 के विभागीय वित्तीय बजट में नवीन आयुर्वेदिक औषधालय खोलने का कोई प्रावधान नहीं होने के कारण फिलहाल तहसील कोटपूतली में नवीन औषधालय खोला जाना संभव नहीं है।

सदन की मेज पर रखे गये पत्रादि

श्री अध्यक्ष : अभी आज स्थगन प्रस्तावों पर और 295 के प्रस्तावों पर व्यवस्था नहीं दे रहा हूं क्योंकि उसमें ज्यादा समय लगेगा। यह अधिसूचनाएं रख दें और फिर उसके बाद जो.... (व्यवधान) तीन मिनट का ही तो काम है। अब आप उस समय तो कह रहे थे कि जल्दी जल्दी करो। आप ठहरिये एक मिनट।

श्री किशन मोटवानी (अजमेर पश्चिम) : आप इस मैटर को ज्यादा डाइल्यूट क्यों करते हैं। सीरियस मैटर है, उसको डाइल्यूट कर देते हैं।

श्री अध्यक्ष : सीरियस मैटर है इसीलिए तो कह रहा हूं।

श्री हरिशंकर भाभड़ा (उप मुख्य मंत्री) : वित्त विभाग की एवं उद्योग विभाग की अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखेंगे। (व्यवधान) दो मिनट का काम है, आप करने दीजिए। अधिसूचनाएं आप पढ़ने दीजिए। फटाफट।

(७५)

अधिसूचनाएं

वित्त विभाग

श्री हरिशंकर भाभड़ा (उप मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं वित्त विभाग की निम्नांकित अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं :—

(1) अधिसूचना क्रमांक प. 8 (14) वित्त/कर/अनु/97, दिनांक 1 अप्रेल, 1997 जिसके द्वारा राज्य सरकार ने राजस्थान भूमि एवं भवन कर अधिनियम, 1964 के अन्तर्गत भूमि एवं भवन कर हेतु मूल्यांकन आधार की अवधि 31 मार्च, 1997 से बढ़ाकर 30.6.97 तक करने हेतु निर्देश जारी किये गये हैं ;

(2) अधिसूचना संख्या एफ. 8(14) वित्त/कर/अनु/97, दिनांक 1 अप्रेल, 1997 जिसके द्वारा भूमि एवं भवन पर लगने वाले कर को एक मुश्त जमा कराने की अवधि 30.6.97 तक बढ़ाई गयी है ;

(3) अधिसूचना संख्या प.4(90) वित्त/कर - अनु/82- पीटी -11- 148, दिनांक 28.4.97, जिसके द्वारा तिलम् संघ को राजस्थान विक्रय कर में उपलब्ध करायी गयी 75 प्रतिशत कर मुक्ति की अवधि दिनांक 31.3.1997 से बढ़ाकर दिनांक 31.7.1997 तक की गयी है ;

(4) अधिसूचना संख्या क्र. 4 (90) वित्त कर-अनु/82 पीटी-11-149, दिनांक 28.4.97 जिसके द्वारा तिलम् संघ को केन्द्रीय विक्रय कर में उपलब्ध करायी गयी 75 प्रतिशत कर मुक्ति अवधि दिनांक 31.3.97 से बढ़ाकर दिनांक 31.7.97 तक की गयी है ;

(5) अधिसूचना संख्या क्र. 2 (4) वित्त/कर-अनु/89-1, दिनांक 26.5.97, जिसके द्वारा राजस्थान स्टाम्प विधि (अनुकूलन) अधिनियम, 1952 के अधीन राजस्थान के लिये यथानुकूलित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 9 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके आवासन सहकारी समिति द्वारा आवंटित भू-खण्ड के हस्तान्तरण के दस्तावेज पर देय मुद्रांक कर प्रति वर्ग गज 10/- रुपये की दर से लागू की गयी है ;

(6) अधिसूचना संख्या प.2 (4) वित्त कर-अनु/. 89-2, दिनांक 26.5.97, जिसके द्वारा राजस्थान

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

सरकार को 10/- रुपये प्रति वर्ग गज से मुद्रांक कर अदा की गयी, ऐसे हस्तान्तरण के दस्तावेज पर पंजीयन शुल्क से छूट प्रदान की गयी है ;

(7) अधिसूचना संख्या 2 (6) वित्त/कर-अनु/97, दिनांक 26.6.97, जिसके द्वारा राजस्थान सरकार किसी दलाल या अभिकर्ता द्वारा अपने मालिक को, उस मालिक के लेखे किसी भी माल स्टॉक या विपर्ण्य प्रतिभूति के क्रय या विक्रय प्रज्ञापित करते हुए भेजे गये टिप्पणी या ज्ञापन पर प्रभारी स्टाम्प शुल्क न्यूनतम 10/- रुपये अधिकतम 75/ रुपये के अध्यधीन रहते हुए माल स्टॉक या विपर्ण्य प्रतिभूति के मूल्य को घटाकर 0.10 प्रतिशत किया गया है ;

(8) अधिसूचना क्रमांक प. 8 (14) वित्त/कर-अनु/ 97, दिनांक 5.7.97, जिसके द्वारा राज्य सरकार ने राजस्थान भूमि एवं भवन कर अधिनियम, 1964 के अन्तर्गत भूमि एवं भवन कर हेतु मूल्यांकन आधार की अवधि 30.6.97 से बढ़ाकर 31.7.97 की गयी है ;

(9) अधिसूचना संख्या 8 (14) वित्त/कर-अनु/97, दिनांक 5 जुलाई, 1997 जिसके द्वारा भूमि एवं भवन कर की एक मुश्त की जमा कराने की अवधि दिनांक 30.6.1997 से बढ़ाकर दिनांक 31.7.1997 तक की गयी है ;

(10) अधिसूचना संख्या 2 (1) वित्त/कर-अनु/94, दिनांक 24.7.97, जिसके द्वारा राजस्थान स्टाम्प विधि (अनुकूलन) अधिनियम 1952 के द्वारा वित्तीय वर्ष 1996-97 के दौरान 400 करोड़ रुपये का वित्त बाजार से जुटाने के लिये राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल द्वारा जारी किये गये बन्द पत्रों पर स्टाम्प शुल्क घटाकर 0.25 प्रतिशत किया गया है ;

(11) अधिसूचना संख्या 2 (1) वित्त/कर-अनु/94, दिनांक 24.7.97 जिसके द्वारा राजस्थान स्टाम्प विधि (अनुकूलन) अधिनियम, 1952 के इस वित्तीय वर्ष के दौरान 300 करोड़ रुपये का वित्त बाजार से जुटाने के लिये राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल द्वारा जारी किये गये बन्द पत्रों पर स्टाम्प शुल्क घटाकर 0.25 प्रतिशत किया गया है ;

(12) अधिसूचना संख्या प. 4 (1) वित्त/कर-अनु/85 पार्ट, दिनांक 4.8.97 जिसके द्वारा श्री महिला

(76)

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

मण्डल, उदयपुर को उनके उत्पादनों के पैकिंग सामग्री पर वर्ष 1994-95 एवं 1995-96 में आरोपित बिक्री कर की राशि रुपये 15,992/- को पूर्व प्रभाव से मुक्त किया गया है ;

(13) अधिसूचना संख्या 8 (14) वित्त/कर - अनु/97, दिनांक 6.8.97 जिसके द्वारा क्रम संख्या 9 की अधिसूचना भूमि एवं भवन कर की एक मुश्त कर जमा कराने की अवधि दिनांक 31.7.97 से बढ़ाकर दिनांक 30.8.97 की गयी है ;

(14) अधिसूचना संख्या प. 8 (14) वित्त/कर - अनु-/97, दिनांक 6.8.97 जिसके द्वारा भूमि एवं भवन कर हेतु मूल्यांकन आधार वर्ष की अवधि 31.7.97 से बढ़ाकर 30-8-97 की गयी है ;

(15) अधिसूचना संख्या प.17 वित्त/कर-अनु/97, दिनांक 14.8.97 जिसके द्वारा राजस्थान (होटलों और वासों में) विलासों पर कर नियम, 1997 को प्रस्तावित प्रारूप नियम का प्रकाशन किया गया है ;

(16) अधिसूचना संख्या प. 4 (42) वित्त/कर-अनु/94-150, दिनांक 14-8-97, जिसके द्वारा लाटरियों के लिये एक प्रशमित उद्ग्रहण स्कीम दिनांक 16-8-97 से 31-3-98 तक प्रवृत्त की गयी है;

(17) अधिसूचना संख्या प. 17 (1) वित्त/कर-अनु/97, दिनांक 30-8-97 जिसके द्वारा राजस्थान (होटलों और वासों में) विलासों पर कर नियम, 1997 विरचित किये गये हैं ;

(18) अधिसूचना संख्या प. 2 (4) वित्त/कर-अनु/95-11, दिनांक 1.9.97 जिसके द्वारा केन्द्रीय विद्यापीठ समिति द्वारा इकरारनामे से ग्राम जामडोली में क्रय की गयी 174 बीघा भूमि पर स्टाम्प शुल्क वास्तविक प्रतिफल पर प्रभारित करने हेतु निर्देश दिये गये हैं;

(19) अधिसूचना संख्या प.4 (26) वित्त/कर/अनु/97-151, दिनांक 1.9.97 जिसके द्वारा ग्रीटिंग कार्ड पर दिनांक 7-3-94 से 1-9-97 तक 4 प्रतिशत की दर से कर वसूलने हेतु हिदायत दी गयी है ; एवं

(20) अधिसूचना संख्या प. 4 (19) 92-152, दिनांक 1-1-97, जिसके द्वारा लकड़ी के लट्ठों या पेड़ों के 31-3-95 तक किये गये विक्रय या क्रय पर 3 प्रतिशत से अधिक लगने वाले कर को छूट प्रदान की गयी है ।

श्री अध्यक्ष : श्री गंगारामजी चौधरी, राजस्व एवं उपनिवेशन मंत्री।

श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : I am on point a of order Sir.

श्री अध्यक्ष : There is no point of order.

श्री विष्णु मोदी : अध्यक्ष महोदय, आप मेरे को सुन लीजिए। अभी मामड़ाजी ने 1 से 20 तक की अधिसूचनाएं रख दीं, इसमें 18 नम्बर की अधिसूचना है जिसके द्वारा केशव विद्यापीठ समिति द्वारा इकरारनामे से ग्राम जामडोली में क्रय की गयी 174 बीघा भूमि पर स्टाम्प शुल्क वास्तविक प्रतिफल पर प्रभारित करने हेतु निर्देश दिये गये हैं। (व्यवधान)

श्री गंगाराम चौधरी (राजस्व मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार राजस्व विभाग की निम्नांकित सात अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। कोई पाइंट आफ आर्डर नहीं है। श्री नाथूसिंहजी। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।

श्री परसराम मदेरणा (नेता, प्रतिपक्ष) : अध्यक्ष महोदय, यह सदन की परम्परा रही है कि किसी अधिसूचना पर अगर वह स्टिपुलेटेड पीरियड आफ टाइम के ऊपर मेज पर नहीं रखी गयी है, उसी वक्त एतराज किया गया है। आज जो अधिसूचना उप मुख्य मंत्रीजी ने रखी है; उस अधिसूचना के सम्बन्ध में पाइंट आफ आर्डर है, न कि पाइंट आफ आर्डर कोई दूसरी बात पर है। इसलिए इस सदन के माननीय सदस्यों को उस अधिसूचना के सम्बन्ध में अपने विचार रखने का अधिकार है और उस अधिकार से....

श्री अध्यक्ष : बाद में रख लेना।

श्री परसराम मदेरणा : उस अधिकार से नहीं, आपने कह दिया कि अधिसूचना रख दीजिए, राजस्व मंत्रीजी उतावले क्यों हो रहे हैं? इनकी बाद में रख देना। जब आपने कह दिया कि मैं अधिसूचना रखना चाहता हूं, उसके बाद उस मैटर को ले लेंगे; वह जो पहले तय हुआ है तो अधिसूचना तो एक मिनट में रख दी जाएगी। एक-एक को पढ़ना नहीं है। इन्होंने तो एक मिनट में सब पढ़ दीं। एक से बीस में बीच में कोई एक अधिसूचना है, उस पर आप एतराज कर रहे है। औचित्य है, प्रोप्राइटी है। हमेशा होता रहा है और उस वक्त भी इस सदन में जब दो दिन की डिले हुई है और पिछले सैशन में नहीं रखी गयी है तो प्रभारी मंत्री ने माफी भी मांगी है उसी वक्त। इसलिए यह प्रश्न इस तरह का नहीं है। प्रश्न यह है कि जो अधिसूचना है, आप सुन लीजिये और अगर पाइंट आफ आर्डर नहीं है तो आप उसको निरस्त कर सकते हैं।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत (भीम) : अध्यक्ष महोदय, यह पाइंट आफ आर्डर

78

(श्री लक्ष्मणसिंह रावत)

है। कल 27 आप देख लीजिए। लिस्ट आफ बिजनेस आप रोज प्रिपेयर करते हैं, उस लिस्ट आफ बिजनेस में डिटेल दी जाती है कि आज कौन-कौन सा बिजनेस आप लेने वाले हैं। अगर आपको एक से बीस तक, जो माननीय आपत्ति की कर रहे हैं, क्लब करके, एक ही मिनट में कहना हो तो फिर आपने उनको एक से बीस तक अलग-अलग क्यों लिस्ट की? इसलिए कृपया, उप मुख्य मंत्रीजी, आपको जो अधिसूचनाएं रखनी हैं उनको एक-एक करके प्रस्तुत कीजिए और इसमें जिसमें हमको आब्जेक्शन होगा, उसके अन्दर हम अपनी बात कहेंगे।

श्री विष्णु मोदी : 18वें नम्बर पर आज बिजनेस में जो लिस्टेड है, वह आर. एस. एस. के द्वारा चलायी गयी एक विद्यापीठ है जामडोली में, केशव विद्यापीठ, उसमें 174 बीघा जमीन है, वह आज कम से कम 20 करोड़ रुपये से ऊपर की जमीन है,....(व्यवधान) 20 करोड़ रुपये से ऊपर की जमीन है, उसमें सरकार ने क्या किया है कि एकमुश्त सौ रुपये में खरीदी हुई है इकरारनामे पर, तो उसी पर स्टाम्प ड्यूटी दी जाएगी और जबकि स्टाम्प ड्यूटी का यह है कि हर जगह की मार्केट रेट है, फिक्स है....

श्री शांतिकुमार धारीवाल : फिक्स है। आप उससे कम नहीं कर सकते।

श्री विष्णु मोदी : और इसके बावजूद आपने यह इसको की है, तो जो ऐसी एजूकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, क्या सरकार यह मानस रखती है कि इस तरह की सभी एजूकेशनल इंस्टीट्यूट्स को आप यह स्टाम्प ड्यूटी का लाभ देंगे? (व्यवधान)

श्री किशन गोपाल कोगटा : यह पाइंट आफ आर्डर नहीं है। यह प्रश्न से प्रश्न है।

श्री विष्णु मोदी : क्या आप राजस्थान के अन्दर इस तरह के सभी एजूकेशनल इंस्टीट्यूट्स जो हैं उनको वास्तविक इकरारनामे पर स्टाम्प ड्यूटी की छूट देंगे?

श्री हरिशंकर भाभड़ा : पहली आपत्ति तो मेरी यह है कि पाइंट आफ आर्डर में जो आपत्ति उठानी चाहिए थी और जो उठायी जा सकती है, वह यह आपत्ति नहीं है। आपत्ति उसकी मेरिट्स पर है। मैं माननीय सदस्य को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि सरकार इस तरह की कोई भी एजूकेशनल इंस्टीट्यूट्स हों, हर केस पर विचार करती है और जहां पर उचित है, वहां पर छूट देती है, भविष्य में भी देगी।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : कहां-कहां दे दी आपने? (व्यवधान)

श्री हरिशंकर भाभड़ा : यह विषय नहीं है। (व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी : यदि आपकी मंशा साफ है, आप पहले....(व्यवधान)

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : सरकारी पैसे से नहीं, अपनी जेब से चंदा एकत्रित करके आर. एस. एस. को खूब दो, सरकार के पैसे से नहीं। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : इस केशव विद्यापीठ का कौनसा आउट-स्टैंडिंग काम आपने देखा, जिससे आपने उसको इतनी बड़ी रियायत देने जा रहे हैं?

श्री हरिशंकर भामड़ा : अध्यक्ष महोदय, उद्योग विभाग की ओर है। पहले उद्योग विभाग की है।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये-बिराजिये। आपको एतराज हो तो दूसरे तरीके से इस बात को उठाना। श्री हरिशंकर जी भामड़ा।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अध्यक्ष महोदय, आज करोड़ों रुपये के एक्सचेकर को चूना लगा रहे हैं और ऐसी संस्था को आप इस तरह से छूट दे रहे हैं और गलत परम्परा डाल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। भामड़ाजी।

उद्योग विभाग

श्री हरिशंकर भामड़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं उद्योग विभाग की अधिसूचना संख्या आर. एफ. सी./पीए/3(5), दिनांक 5 दिसम्बर, 1996, जिसके द्वारा राजस्थान फाइनेंशियल कारपोरेशन स्टाफ (रिवाइज्ड पे स्केल) रेगूलेशन, 1989 के वेतनमान संख्या–12 को संशोधित किया गया है, सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री गंगारामजी चौधरी।

राजस्व विभाग

श्री गंगाराम चौधरी (राजस्व मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार राजस्व विभाग की निम्नांकित सात अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं :–

(1) अधिसूचना संख्या प. 2(8) रेव-9/90-1, दिनांक 23-4-97, जिसके द्वारा भू-राजस्व (नगरीय क्षेत्रों में आवासीय एवं वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिये कृषि भूमि का आवंटन संपरिवर्तन एवं नियमितीकरण) नियम, 1981 में संशोधन किये गये हैं;

(2) अधिसूचना संख्या प. 6(12) राज6/92/11, दिनांक 24-4-97, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (सर्वेक्षण अभिलेख और बंदोबस्त) (सरकार) नियम, 1957 में संशोधन किये गये हैं;

(3) अधिसूचना संख्या प. 10(1) राज-6/94/12, दिनांक 26-4-97 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व भूमि (भूमि अभिलेख) नियम, 1957 में संशोधन किये गये हैं;

(श्री गंगाराम चौधरी)

(4) अधिसूचना संख्या प. 6(63) राज-4/75/15 दिनांक 8-5-97 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (सिनेमा और होटलों के संनिर्माण तथा पैट्रोल पम्प, चिकित्सा सुविधाएं स्थापित किये जाने हेतु कृषि भूमि का आवंटन संपरिवर्तन और नियमितीकरण) नियम, 1978 में संशोधन किये गये हैं;

(5) अधिसूचना संख्या प. 6(63) राज-4/75/14, दिनांक 8-5-97 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (औद्योगिक क्षेत्र आवंटन) नियम, 1959 में संशोधन किये गये हैं;

(6) अधिसूचना संख्या प. 6(16) राज-4/87/16, दिनांक 20-5-97 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (चूने के भट्टों के लिए अनभिधृत सरकारी भूमि का आवंटन) नियम, 1965 में संशोधन किये गये हैं; तथा

(7) अधिसूचना संख्या प. 6(6) राज-6/92/20, दिनांक 27-8-97 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के लिये संपरिवर्तन) नियम, 1992 में संशोधन किये गये हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं कार्य में सूची किये गये उल्लेख के अनुसार उपनिवेशन विभाग की निम्न पांच अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं :—

उपनिवेशन विभाग

(1) अधिसूचना संख्या प. 4(15) कोल/92, दिनांक 17-2-97, जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इंदिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में सरकारी भूमि का आवंटन और विक्रय) नियम, 1975 में संशोधन किये गये हैं;

(2) अधिसूचना संख्या प. 4(2) कोल/92, दिनांक 28-6-97, जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इंदिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में सरकारी भूमि का आवंटन और विक्रय) नियम, 1975 में संशोधन किये गये हैं;

(3) अधिसूचना संख्या प. 4(2) उप/92, दिनांक 28-6-97, जिसके द्वारा अधिसूचना दिनांक 19-2-97 में शुद्धि पत्र जारी किया गया है;

(4) अधिसूचना संख्या प. 4(5) कोल/81 पार्ट, दिनांक 5-8-97, जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (भाखरा परियोजना में सरकारी भूमि का आवंटन तथा विक्रय) नियम, 1995 में संशोधन किये गये हैं तथा;

(5) अधिसूचना संख्या प. 4(5) कोल/81/पार्ट, दिनांक 5-8-97, जिसके

(श्री गंगाराम चौधरी)

द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (गंग नहर भूमि स्थायी आवंटन तथा विक्रय) नियम, 1956 में संशोधन किया गया है।

श्री अध्यक्ष : श्री नाथूसिहजी, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य मंत्री।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

श्री नाथूसिह गुर्जर (राज्य मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज) : अध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की निम्नांकित चार अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं :—

(1) अधिसूचना संख्या एफ. 4(7) ग्रा. वि. पं./विधि/94/3866, दिनांक 1-7-1997, जिसके द्वारा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 32(3) के अन्तर्गत उल्लिखित उपबन्धों के प्रयोजनार्थ सम्बन्धित जिले के जिला कलक्टर को सक्षम अधिकारी के रूप में अधिकृत/नियुक्त किया गया है;

(2) अधिसूचना संख्या एफ. 4(29) ग्रा. वि. पं./विधि/97/4170, दिनांक 17-7-97, जिसके द्वारा करौली जिले के खण्डों का निर्माण करते हुए उनकी सीमाओं का निर्धारण किया गया है;

(3) अधिसूचना संख्या एफ-4(29) ग्रा. वि. पं./विधि/97/4171, दिनांक 17-7-97, जिसके द्वारा जिला सवाई माधोपुर के खण्डों का निर्माण करते हुए सीमाओं का निर्धारण किया गया है; एवं

(4) अधिसूचना संख्या एफ. 4(29) ग्रा. वि. पं./विधि/97/4172, दिनांक 17-7-97 जिसके द्वारा करौली जिले के लिये जिला परिषद् का गठन किया गया है।

श्री अध्यक्ष : श्री रामप्रतापजी, खाद्य एवं नागरिक रसद राज्य मंत्री।

खाद्य एवं नागरिक रसद विभाग

डा. रामप्रताप (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति) : अध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार खाद्य एवं नागरिक रसद विभाग की निम्नांकित पन्द्रह अधिसूचनाएं/आदेश सदन की मेज पर रखता हूं :—

(1) आदेश क्रमांक एफ. 17(111)खा. वि./विविध/80, दिनांक 4.1.97 जिसके द्वारा राजस्थान व्यापारिक वस्तु (अनुज्ञापन तथा नियंत्रण) आदेश, 1980 के खण्ड 18 के

82

([illegible])

उप खण्ड (ii) के अन्तर्गत राज्य में [illegible] द्वारा एक समय कब्जे में रखे जाने वाले गेहूं की अधिकतम स्टाक सीमा निर्धारित की गयी है ;

(2) आदेश क्रमांक एफ. 17 (45) खा. वि./विविध/76-पार्ट-II, दिनांक 6.1.97 जिसके द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 23 सपठित खण्ड 24 के अन्तर्गत खाद्य विभाग (मुख्यालय) जयपुर में पदस्थापित कतिपय अधिकारियों को राज्य के [illegible] जिलों के लिये उक्त आदेश के खण्ड 24 में [illegible] शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत किया गया है ;

(3) आदेश क्रमांक एफ 17 (45) खा. वि./विधि/76—पार्ट-II, दिनांक 6.1.97, जिसके द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश, 1976 के खण्ड 23 सपठित खण्ड 8 व 9 के अन्तर्गत (मुख्यालय) जयपुर में पदस्थापित [illegible] अधिकारियों को समस्त जिलों के लिये उपरोक्त आदेश के खण्ड 8 व 9) में [illegible] शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत किया गया है ;

(4) अधिसूचना संख्या एफ. 17 (43) खा. वि./विविध/95, दिनांक 28.1.97 एवं अधिसूचना संख्या एफ 17 (7) खा.वि./विधि/96, दिनांक 29.1.97, जिसके द्वारा राजस्थान राइस प्रोक्योरमेंट (लेवी) आर्डर 1985 में संशोधन किये गये हैं ;

(5) आदेश क्रमांक एफ. 17 (3) खा. वि./विधि/97, दिनांक 3.2.97, जिसके द्वारा राजस्थान गेहूं (निर्यात नियंत्रण) आदेश, 1997 विरचित किये गये हैं ;

(6) अधिसूचना क्रमांक एफ. 17 (17) [illegible], दिनांक 15.2.97, जिसके द्वारा [illegible] पदार्थ ([illegible] द्वारा) कीमतों का [illegible] आदेश, 1982 को [illegible] किया गया है ;

(7) अधिसूचना क्रमांक एफ. 17 (24) खा.वि./विधि/90-II, दिनांक 20.2.97, जिसके द्वारा राजस्थान पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स (लाइसेंसिंग एण्ड कन्ट्रोल) आर्डर, 1990 को संशोधित किया गया है ;

(8) अधिसूचना क्रमांक एफ. 17 (16) खा.वि./विधि/94-II, दिनांक 1.4.97, जिसके द्वारा राजस्थान ट्रेड आर्टिकल्स (लाइसेंसिंग एण्ड कंट्रोल) आदेश, 1980 के [illegible] डीलर [illegible] द्वारा रिटेल [illegible] स्टाक सीमा निर्धारित की गयी है ;

(डॉ. रामप्रताप)

(9) अधिसूचना क्रमांक एफ. 17 (3) खा.वि./विधि/97-1, दिनांक 4.4.97, जिसके द्वारा राजस्थान गेहूं (निर्यात नियंत्रण) आदेश, 1997 को विखण्डित किया गया है ;

(10) अधिसूचना क्रमांक एफ. 17 (111) खा.वि./विधि/80-1/, दिनांक 17.4.97, जिसके द्वारा समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 14.12.96, एवं 18.12.96 के अन्तर्गत राज्य में थोक विक्रेता एवं खुदरा विक्रेताओं के लिये निर्धारित गेहूं की स्टाक सीमा को विखण्डित किया गया है ;

(11) अधिसूचना क्रमांक एफ. 17 (45) खा.वि./विधि/76/11, दिनांक 22.4.97, जिसके द्वारा हनुमानगढ़ जंक्शन व टाउन में नये राशनकार्ड बनाने हेतु अधिशासी अधिकारी नगरपालिका मण्डल हनुमानगढ़ को प्राधिकृत किया गया है ;

(12) अधिसूचना क्रमांक एफ 17 (16) खा.वि./विधि/94-11, दिनांक 1.5.97 जिसके द्वारा खाने योग्य तिलहन और खाने योग्य तेल (भण्डारण नियंत्रण) आदेश, 1977 के खण्ड 4 के उप खण्ड-1 के प्रथम परन्तुक के अन्तर्गत कतिपय मण्डियों को प्राथमिक मण्डियां विनिर्दिष्ट करते हुए थोक विक्रेताओं के लिये तिलहन की स्टाक सीमा विनिर्दिष्ट की गयी है ;

(13) अधिसूचना क्रमांक एफ. 17 (16) खा वि./विधि/94-11, दिनांक 1.5.97, जिसके द्वारा खाने योग्य तिलहन और खाने योग्य तेल (भण्डार नियंत्रण) आदेश 1977 के खण्ड-4 के उप खण्ड-1 के प्रथम परन्तुक के अन्तर्गत कतिपय मण्डियों को प्राथमिक मण्डियां विनिर्दिष्ट करते हुए थोक विक्रेताओं के लिये तिलहन की स्टाक सीमा विनिर्दिष्ट की गयी है ;

(14) अधिसूचना क्रमांक एफ. 17 (16) खा.वि./विधि/94-11, दिनांक 29.5.1997, जिसके द्वारा राजस्थान व्यापारिक वस्तु (अनुज्ञापन एवं नियंत्रण) आदेश, 1980 में संशोधन किया गया है ; एवं

(15) अधिसूचना क्रमांक एफ. 17 (7) खा.वि./विधि/96, दिनांक 26.6.97, जिसके द्वारा राजस्थान राइस प्रोक्योरमेंट (लेवी) आर्डर, 1985 में संशोधन किया गया है।

श्री परसराम मदेरणा : मंत्रीजी ने जो अधिसूचनाएं रखी हैं, वे तो....

श्री महावीर प्रसाद जैन : सात नम्बर पर भी है।

श्री परसराम मदेरणा : अच्छा यह उलटी लग गयी। आपका हरेक काम उलटा है। शीर्षासन करके आप काम करते हैं। (व्यवधान)

(९५)

श्री अध्यक्ष : श्रीमती नरेन्द्र कंवर, पर्यटन राज्य मंत्री, राजस्थान पर्यटन विकास निगम का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे सदन की मेज पर रखेंगी।

प्रतिवेदन एवं लेखें

राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड का सत्रहवां वार्षिक (1995-96) प्रतिवेदन एवं लेखे

श्रीमती नरेन्द्र कंवर (राज्य मंत्री, पर्यटन) : अध्यक्ष महोदय, मैं कम्पनीज अधिनियम, 1956 की धारा 619 ए की उप धारा (3) के तहत राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड का सत्रहवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं वार्षिक लेखे वर्ष 1995-96 सदन की मेज पर रखती हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री हरिशंकरजी भामड़ा, उप मुख्य मंत्री वर्ष 1997-98 के लिए राजस्थान शासन के व्यय हेतु अनुपूरक अनुदान की मांगें (प्रथम संकलन) उपस्थापित करेंगे।

अनुपूरक अनुदान की मांगों (1997-98) (प्रथम संकलन) का उपस्थापन

श्री हरिशंकर भामड़ा (उप मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 1997-98 के लिये राजस्थान शासन के व्यय हेतु अनुपूरक अनुदान की मांगें (प्रथम संकलन) सदन में उपस्थापित करता हूं।

श्री चन्दनमल बैद (तारानगर) : अध्यक्ष महोदय, आप यह बता दीजिए कि कौन-कौनसी डिमाण्ड ली जाएगी जिसमें हम कट्मोशन दे सकें। आप ही यह बता दीजिए।

श्री हरिशंकर भामड़ा : हां, वह तो बता देंगे।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा): अध्यक्ष महोदय, अभी आपने यह मांग रखी और कल इन पर डिस्कशन होने वाला है। हमें यह पता नहीं है कि कौन-कौनसी मांग है किसका हैड है, हम कटमोशन नहीं दे पाएंगे।

श्री अध्यक्ष : आप जितना देना चाहें, कभी भी दे सकते हैं।

श्री हरिशंकर भामड़ा : अध्यक्ष महोदय, यह कल तय हो गया था, अभी बता देंगे आपको। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (मुण्डावा) : माननीय अध्यक्षजी, आप इतने एब्सेंट क्यों महसूस कर रहे हैं कि कोई चीज सकुंलेट हुई नहीं, हमें बताया नहीं गया, कौन-कौनसी रख रहे हैं, उसकी आप मांग रख रहे हैं। यह कोई बात हुई क्या? यह तो बता दिया जाय कि कौनसी मांग है। (व्यवधान)

श्री हरिशंकर भामड़ा : अब होगी सकुंलेट और आपको बता दी जाएगी मांगें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं तो कल ले रहा हूं।

श्री रामनारायण चौधरी : तो आप इतनी कमजोरी क्यों महसूस कर रहे हैं?

श्री अध्यक्ष : कमजोरी कहां महसूस कर रहे हैं ? (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : कौन-कौन-सी मांग आप रख रहे हैं ?

श्री चन्दनमल बैद : आप डिमांड्स बता दीजिए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब यह आ जाने दें, अभी बात कर लेते हैं। (व्यवधान)

श्री हरिशंकर भामड़ा : बी.ए.सी. का प्रतिवेदन आने के बाद मांगें बता देंगे आपको।

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, आप तो बिलकुल असहाय हो गये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री हरिशंकर भामड़ा वर्ष 1986-87, 1987-88, 1988-89, 1989-90, व 1990-91 के लिए अतिरेक मांगों का उपस्थापन करेंगे।

अतिरेक मांगों का उपस्थापन

श्री हरिशंकर भामड़ा (उप मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 1986-87, 1987-88, 1988-89, 1989-90, व 1990-91 के लिए अतिरेक मांगें सदन में उपस्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन।

श्री घनश्याम तिवाड़ी, समापति, जन लेखा समिति, 1997-98 समिति के प्रतिवेदन उपस्थापन करेंगे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (समापति, जन लेखा समिति) : अध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार.....

श्रीमती कमला (बैराठ) : अध्यक्ष महोदय, बी.ए.सी. में आपको एतराज कर दिया था। आप डिमांड्स के नाम तय करके सदन को अवगत कर देते। इसमें क्या दिक्कत है ?

श्री हरिशंकर भामड़ा : बताएंगे न। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अभी करते हैं, दो मिनट। आने तो दीजिए यह। यह है जो तो ले लेने दीजिए। अभी तो आप सब बलात्कार के बारे में कह रहे थे। दो मिनट भी कोई टोलरेंस नहीं करना चाहता। (व्यवधान)

समिति का प्रतिवेदन

जनलेखा समिति का 88वां, 89वां एवं 90वां प्रतिवेदन

श्री घनश्याम तिवाड़ी (समापति, जन लेखा समिति) : अध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार जन लेखा समिति, 1997-98 के निम्नांकित प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं :—

(1) भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) में समाविष्ट गृह विभाग से सम्बन्धित वर्ष 1986-87 पैरा 3·7, वर्ष 1987-88 का पैरा 3·3 व 3·4 तथा कारागार विभाग से

(श्री घनश्याम तिवारी)

सम्बन्धित वर्ष 1988-89 का पैरा 3·7, 3·8, 3·9 व पुलिस विभाग से सम्बन्धित वर्ष 1989-90 का पैरा 5·7 एवं वर्ष 1991-92 के पैरा 5·1 से सम्बन्धित मामलों पर समिति का 88वां प्रतिवेदन,

(2) भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) में समाविष्ट कृषि (भूजल) विभाग संबंधित प्रतिवेदन वर्ष 1985-86 का पैरा 3·6 कृषि (सी. ए. डी.) वर्ष 1985-86 का पैरा 4·5, 4·6, 4·7 वर्ष 1987-88 का पैरा 4·12 वर्ष 1988-89 का पैरा 5·1 कृषि (सी. ए. डी. एवं इं. मि. क. प. विभाग) वर्ष 1985-86 का पैरा 5·1, 5·2, 5·3, 5·4 से सम्बन्धित मामलों पर समिति का 89वां प्रतिवेदन, एवं

(3) भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) में समाविष्ट श्रम एवं नियोजन विभाग से सम्बन्धित पंचेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1985-86 का अनुच्छेद संख्या 3.1 तथा मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग से सम्बन्धित प्रतिवेदन वर्ष 1986-87 का अनुच्छेद संख्या 5·1 वर्ष 1988-89 का अनुच्छेद संख्या 7·2 से सम्बन्धित मामलों पर समिति का 90वां प्रतिवेदन ।

श्री [illegible] : [illegible] है । (व्यवधान) जो प्रतिवेदन है [illegible] एश्योरेंस कमेटी का [illegible] होगा ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री महावीर प्रसाद जैन, सरकारी मुख्य सचेतक कार्य सलाहकार समिति के 24वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करेंगे । (व्यवधान)

कार्य सलाहकार समिति का 24वां प्रतिवेदन

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) । अध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सलाहकार समिति के 24वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 24वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है ।

श्री पन्नालाल बैंच : अध्यक्ष महोदय, मुझे कुछ कहना है । (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, इसी के बारे में मैं कह रहा हूं । (व्यवधान) हां, इसी के बारे में कहना है ।

श्री अध्यक्ष : पूरा तो हो जाने दें आप ।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : पहले यह बोल लें फिर आप बोल लें । (व्यवधान)

श्री पन्नालाल बैंच : हां, यह तीनों एक ही धर्म के मानने वाले हैं ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : [illegible] रहे हो हूं ?

श्री चन्दनमल बैद : नहीं, मैं जरा एतराज कर रहा हूं। आप पास करने की बात कर रहे हैं, इस बात पर कह रहा हूं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आपका आब्जेक्शन जो इसमें है ....(व्यवधान)...

श्री चन्दनमल बैद : है ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : आपकी जो बात है, इसमें सम्मिलित कर लेते हैं। 12 तारीख को....

श्री चन्दनमल बैद : है ? मेरी बात इसमें ....(व्यवधान)...

श्री महावीर प्रसाद जैन : पहले इसको पढ़ने तो दो। पढ़ लेने दीजिए।

श्री चन्दनमल बैद : 12 तारीख को मान लेंगे ?....(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष। आपकी बात मान लेंगे अब।

श्री महावीर प्रसाद जैन : अध्यक्ष महोदय, कार्य सलाहकार समिति का 24वां प्रतिवेदन। कार्य सलाहकार समिति की बैठक माननीय अध्यक्ष के चैम्बर में दिनांक 8 सितम्बर, 1997 को मध्याह्न पश्चात् 2.00 बजे हुई। समिति दिनांक 9 से 11 सितम्बर, 1997 तक सदन में लिये जाने वाले कार्य के बारे में विचार-विमर्श कर सिफारिश करती है कि कार्य का बटवारा निम्न प्रकार किया जाय :—

मंगलवार	दिनांक 9 सितम्बर, 1997	राज्य में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति पर विचार।
बुधवार गुरुवार	दिनांक 10 सितम्बर, 1997 दिनांक 11 सितम्बर, 1997	1. अनुपूरक अनुदान की मांग वर्ष 1997-98 (प्रथम संकलन) 2. वर्ष 1986-87 के लिए अतिरेक मांगें, 3. वर्ष 1987-88 के लिए अतिरेक मांगें, 4. वर्ष 1988-89 के लिए अतिरेक मांगें, 5. वर्ष 1989-90 के लिए अतिरेक मांगें, 6. वर्ष 1990-91 के लिए अतिरेक मांगें।

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

अध्यक्ष महोदय, इस कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन में यह तय किया गया था कि 12 तारीख को इस विनियोग विधेयक का पुरःस्थापन और इस पर विचार किया जाए। इसके बाद माननीय सचेतक महोदय, खेतसिंहजी और मेरे महोदय के बीच में यह तय हुआ कि 11 तारीख को ही इसको रख लिया जाए। अभी बीच में बात में आई थी कि नहीं, यह 12 तारीख को ही रखना चाहिए। तो इसमें हमको कोई एतराज नहीं है। मैं समझता हूं कि विनियोग विधेयक का पुरःस्थापन और उस पर विचार और पारण 12 तारीख को कर लिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है।

श्री चन्दनमल बैद : ठीक है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मैं, प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 24वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री परसराम मदेरणा : 24वें प्रतिवेदन पर आपने जो संशोधन किया है उसके सहित।

श्री महावीर प्रसाद जैन : संशोधित रूप में।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 24वें प्रतिवेदन पर, संशोधित प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है?

(स्वीकृत)

सदन द्वारा प्रतिवेदन पर सहमति प्रदान की गयी।

अब राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति पर चर्चा।

अनेक माननीय सदस्य : नहीं, नहीं।

श्री अध्यक्ष : सुन लीजिये पहले आप।

यह पहले जो [illegible] का, जो बहुत अर्जेण्ट इश्यू है बलात्कार वाला, उस पर सबसे पहले मैं मदेरणा साहब से निवेदन करूंगा कि वे कुछ फरमाएं। (व्यवधान) मैंने तो विपक्ष के नेता के नाते आपसे निवेदन किया है।

श्री कैलाश मेघवाल (गृह मंत्री) : मैं स्टेटमेंट दे देता हूं। (व्यवधान) स्टेटमेंट दे दूं।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : इस पर गवर्नमेंट स्टेटमेंट नहीं देगी क्या? (व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : अध्यक्षजी, महिलाओं से शुरू करवाया जाए। (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा मायाराम (सांगानेर) : कल मैं इस पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रख चुकी हूं और नेता महोदय ने इस पर····
(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप वक्तव्य चाहते हैं या खाली बहस कराना चाहते हैं ? तो फिर मैं वक्तव्य के लिए कह दूंगा। मंत्रीजी आप वक्तव्य देंगे क्या ?

श्री कैलाश मेघवाल : दे देता हूं।

श्री अध्यक्ष : हां, वक्तव्य दे दें पहले। (व्यवधान) आप वक्तव्य दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : नहीं, पहले हम बोलेंगे उसके बाद। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : एक मिनट ठहरें आप। वक्तव्य दे रहे हैं।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : अध्यक्षजी, अभी चर्चा में यह सवाल आया था कि पहले इस विषय पर चर्चा कर ली जाए। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : पहले चर्चा करायी जाए। पहले चर्चा होगी। अभी जांच ही नहीं हुई उस केस की।

श्री शिवनाथ सिंह : मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस विषय पर अलग से चर्चा करवा रहे हैं, इसके लिए क्या सीमा होगी, कितना समय होगा, वह तो थोड़ा सा हमारे सामने स्पष्ट होना चाहिए। ला एण्ड आर्डर की डिबेट अलग होगी और इस विषय पर अलग चर्चा होगी। इसलिए इस विषय पर चर्चा के लिए आप कितना समय रखना चाहते हैं, क्या रखना चाहते हैं वह हमारे सामने आ जाए उसके बाद ला एण्ड आर्डर पर चर्चा हो जाएगी और जब ला एण्ड आर्डर का होगा तो माननीय गृह मंत्रीजी उस पर चर्चा कर देंगे। इसलिए उससे पहले वह बात हमारे सामने आनी चाहिए कि कितने समय के लिए आप इस पर चर्चा कराना चाहते हैं।

एक माननीय सदस्य : बहुत बढ़िया। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप दे रहे हैं क्या इस पर ?

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : नहीं, पहले चर्चा होगी इस पर।

श्री अध्यक्ष : दो मिनट बिराजें तो सही।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : पहले हमने ध्यानाकर्षण रखा है, चर्चा कराइये।

श्री अध्यक्ष : सुनो तो सही। (व्यवधान)

शासकीय वक्तव्य

जे. सी. बोस छात्रावास में बलात्कार की घटना

श्री कैलाश मेघवाल (गृह मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जे. सी. बोस छात्रावास बलात्कार प्रकरण, जयपुर शहर के बारे में मैं यह वक्तव्य रख रहा हूं।

(श्री कैलाश मेघवाल)

दिनांक 5 सितम्बर, 1997 को कुमारी प्रगति व्यास पुत्री वेद व्यास, उम्र 26 साल, निवासी 7/122 मालवीय नगर, जयपुर ने थाना गांधीनगर में उपस्थित होकर एक रिपोर्ट दर्ज कराई कि मैं आज दोपहर 12 बजे मालवीय नगर से बस में बैठ कर गोपालपुरा मोड़ पर उतरी तथा वहां से मानसरोवर जाने के लिए बस स्टेण्ड, गोपालपुरा पर खड़ी थी तब संदीप दहिया मेरे पास आया। उसके पास काले रंग की बुलट मोटर साइकल थी। दहिया साल भर से मेरा शोषण करता रहा है। संदीप दहिया उर्फ राहुल चौधरी मुझे बहला-फुसलाकर, डरा धमका कर अपनी बुलट पर बैठा कर जे. सी. बोस छात्रावास के कमरा नम्बर 49 में ले गया। छात्रावास में जाते ही उसने मुझे नीचे ही खड़ा रखा। वह कहीं से जाकर चाबी लाया व कमरा नम्बर-49 खोलकर मुझे अन्दर ले गया। अन्दर एक चारपाई थी। कमरा बंद कर उसने मेरे वस्त्र उतारकर मेरे साथ दो बार कुकर्म, संभोग किया व भविष्य में भी मिलने के लिए दबाव डाला व बदनाम करने की बात कहकर कहा कि मेरे दोस्तों को भी संतुष्ट कर और ऐसा कह कर वह गायब हो गया। फिर ओम बेनीवाल कमरे में आया, दरवाजा बंद किया, मेरे कपड़े उतारे व मेरे साथ एक बार कुकर्म किया और गायब हो गया। फिर संस्कार चौधरी, जो एक पैर से लंगड़ा है, आया। उसने भी वही प्रक्रिया की व कमरा बंद कर चला गया। तब एक मोटा सा लम्बे बालों वाला लड़का, जिसने चोटी बढ़ा रखी थी, आया। उसने भी संभोग किया। फिर एक-एक कर के चार लड़के और आए। उन्होंने भी संभोग किया। मैंने कई बार कमरे की खिड़कियां पीटी, चीखी-चिल्लायी। फिर हिम्मत करके किवाड़ के धक्का दिया तो किवाड़ खुल गया। जब मैं बाहर आई तो वहां टाटा सूमो गाड़ी खड़ी थी जो इन्हीं अपराधियों की थी व संस्कार चौधरी अपनी मोटर साइकल पर बैठा था। मैंने चौकीदार से इस बाबत वार्डन को पूछा तो चौकीदार ने कहा कि वार्डन नहीं है। फिर मैं निकलने लगी तो सामने से आते किसी को देखा। चौकीदार से पूछने पर उन्होंने वार्डन से परिचय कराया। मैंने वार्डन को अपनी बात, आपबीती सुनायी तो उन्होंने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने की सलाह दी। जिस पर मैं तुरन्त गांधीनगर थाने पर आ गयी।

मैं उन लड़कों को, जिन्होंने मेरे साथ बुरा काम किया है, पहचान सकती हूं। इनमें संदीप, ओम बेनीवाल, संस्कार को मैं पहले से जानती हूं। बाकी लड़कों को देखकर पहचान सकती हूं। संस्कार जो विवेकानन्द छात्रावास में रहता है, पहले भी मुझे छात्रावास में ले जाकर, डरा-धमका कर मेरे साथ संभोग कर चुका है। यह लड़के काफी वर्षों से मेरा मानसिक, शारीरिक व आर्थिक शोषण करते रहे हैं।

पहले मैं अपने पिता के साथ बनीपार्क में कांति नगर में रहती थी तब किसान छात्रावास के ओमप्रकाश बिजारनिया निवासी सुजानगढ़ व रवि चौधरी, झुन्झुनूं

(श्री कैलाश मेघवाल)

से मेरा परिचय हो गया था। ओमप्रकाश बिजारनिया ने शादी का झूठा झांसा देकर सन् 1990 से मेरा शारीरिक शोषण शुरू कर दिया तथा अपने साथ जे. सी. बोस छात्रावास में जबरदस्ती ले जाने लगा। सन् 1991-92 में जब नरेन्द्र सिहाग विधि महाविद्यालय का अध्यक्ष था तब कमरा नम्बर-54 में वह मुझे कई बार ले गया था और इस प्रकार से एक शृंखला शुरू हो गयी। मेरा शारीरिक शोषण करने में राहुल उर्फ संदीप दहिया, कपिल चौधरी, सुरेश चौधरी, राजेश चौधरी, रणधीर कड़वासरा, धर्मेन्द्र पूनिया, प्रहलाद पूनिया, भारत भूषण पारीक, हरीश सिहाग आदि भी शामिल होते गये। जिन्होंने आए दिन मेरा सभी प्रकार से शारीरिक शोषण किया। कानूनी कार्यवाही की जाकर इनको सजा दिलायी जाए।

इस पर अपराध संख्या 577/97 धारा 342, 376, 120-बी भारतीय दण्ड संहिता में पुलिस थाना गांधीनगर में पंजीबद्ध कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। अनुसंधान के दौरान घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तथा एफ. एस. एल. के विशेषज्ञों के द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण करवाया गया। मौके से सात कंडोम, कंडोम पेपर, चद्दर, गद्दा, शराब की बोतल आदि जब्त कर घटनास्थल के फोटो करवाये गये। पुलिस उप महा-निरीक्षक, जयपुर (प्रथम) द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। प्रार्थिया कुमारी प्रगति का मेडिकल बोर्ड से मुआयना कराया गया।

मुलजिमान की गिरफ्तारी हेतु विशेष दल गठित कर मानसरोवर, अग्रवाल फार्म, वैशाली नगर, जवाहर नगर, ट्रांसपोर्ट नगर, सिंधी कैम्प, पोलोविक्ट्री आदि स्थानों पर सघन अभियान चलाकर नाकाबंदी व तलाशी की गयी। विशेष दल गंगानगर, पीलीबंगा, हनुमानगढ़ की तरफ भी मुलजि-मान की तलाशी व गिरफ्तारी के लिए भेजे गये हैं। अभियुक्तों की गिरफ्तारी के भरसक प्रयत्न जारी हैं।

दिनांक 7-9-97 को विश्वविद्यालय अधिकारियों द्वारा जे. सी बोस छात्रावास पुलिस की सहायता से खाली करवाया गया, जिसमें कुल 64 कमरे हैं जिन पर विश्वविद्यालय अधिकारियों द्वारा अपने ताले लगाये गये हैं एवं छात्रावास का मुख्य द्वार भी ताला लगाकर बंद कर दिया गया है उप कुलपति, राजस्थान विश्वविद्यालय ने पुलिस अधिकारियों से इस घटना को लेकर हुए विचार-विमर्श में यह भी बताया गया कि इस प्रकार विश्वविद्यालय के अन्य छात्रावासों को भी शीघ्र खाली करवाया जाएगा जिसमें गैर कानूनी तरीके से रह रहे विद्यार्थियों एवं समाजकंटकों को निकाला जाएगा तथा उसके बाद सही विद्यार्थियों को नियमानुसार कमरे आवंटित किये जाएंगे।

प्राचार्य, विधि महाविद्यालय ने इस घटना के सम्बन्ध में दिनांक 7-9-97 को निम्नलिखित चार विद्यार्थियों को

(श्री कैलाश मेघवाल)

निष्कासित किये जाने के आदेश दिये हैं :-

1. राम निवास पुत्र श्री हनुमान सिंह, एलएल. बी., द्वितीय वर्ष
2. नरेन्द्र कुमार पुत्र श्री रतन सिंह, एलएल. बी., प्रथम वर्ष
3. अमित आहूजा पुत्र श्री ललित आहूजा, एलएल. बी., प्रथम वर्ष
4. संदीप गोदारा पुत्र श्री रणवीर सिंह, एलएल बी., द्वितीय वर्ष

अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के विशेष दल विभिन्न स्थलों पर भेजे गये हैं तथा उनकी गिरफ्तारी के भरसक प्रयत्न जारी हैं। इस घटना में प्रयोग में की गयी टाटा सूमो गाड़ी नम्बर डीएल 2 सी. डी. 8395 को पुलिस द्वारा जब्त किया गया है।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती बीना काक। (व्यवधान)

श्रीमती बीना काक (सुमेरपुर) : क्या हो गया ? क्या यह कोई हंसी का मामला है मेरा नाम आना ? (व्यवधान) नहीं-नहीं, तो फिर क्या ?

श्री कैलाश मेघवाल : आप गंभीर हैं इसलिए आपका नाम पुकारा गया।

श्रीमती बीना काक : आप तो रहने दीजिए। (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सरकार के लिए यह बहुत ही शर्म की बात है और इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने राजस्थान का सिर शर्म से झुका दिया है। यह एक ही मामला नहीं, ऐसे अनेक मामले हैं। अध्यक्ष महोदय, जब से इस सरकार ने शपथ ली, जब से राज्य की बागडोर संभाली तब से महिलाओं के उत्पीड़न, अत्याचार के मामले निरन्तर बढ़ते जा रहे हैं। बेहन्तहा जुल्म महिलाओं और नाबालिग बच्चियों के ऊपर होते जा रहे हैं। स्पेक्ट्रम आफ क्राइम, बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, कस्टडी में डैथ, पुलिस की जेलों के अन्दर डैथ, पुलिस की जेलों के अन्दर बलात्कार, इस तरह के मामले हुए हैं। आज यह मंत्रीजी को मेरे ख्याल से इस्तीफा देने के अलावा और कोई चारा नहीं रह जाता और उन्हें यह नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए, जो महिलाओं के ऊपर इतने अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं इसकी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विराजें, विराजें। विराजें सब।

श्री आर. पी शर्मा (भरतपुर) : (व्यवधान) शर्म आनी चाहिए, मुस्करा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको बलात्कार की घटना पर... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विराजिये आप। (व्यवधान) माननीय सदस्य विराजिये आप। (व्यवधान) बोलने दीजिये।

श्री शैलेन्द्र जोशी : ....जुल्म हुआ है और आप हंस रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बोलने दें उन्हें । (व्यवधान)

श्रीमती बीना काक : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो रक्षक हैं, वही अगर भक्षक बन जाएं तो इस मुल्क का क्या होगा और इस राज्य का क्या होगा ? जो क्राइम होते हैं, चाहे वह शिवानी को जला देने का हो, चाहे, शालिनी हो चाहे नूरबानो हो, चाहे राजकुमारी हो, चाहे यह बच्ची हो, जिसके साथ बलात्कार हुआ, उसके अन्दर अगर पुलिस के अधिकारी लिप्त हों, मन्त्रियों के लड़के लिप्त हों तो + + + और इस सरकार को तुरन्त इस्तीफा देना चाहिए ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले चार वर्षों में जो महिलाओं के साथ जुल्म हुए हैं, अत्याचार हुए हैं, उनके अन्दर 33 प्रतिशत.... (व्यवधान) ताराजी, मैं आपका ध्यान इधर चाहूंगी, आप भी एक महिला हैं, कृपया अपना जो काम है, वह मंत्रीजी को बाद में बताएं, पहले इस मामले पर गौर करें । (व्यवधान)

श्रीमती तारा भण्डारी : हां, कर रही हूं ।

श्रीमती बीना काक : मुझे सब दिखता है, चारों तरफ आंखें हैं मेरी । महिलाओं के क्राइम के .. (व्यवधान)

श्रीमती तारा भण्डारी : बीना जी ऐसी निगाहें सुमेरपुर विधान सभा क्षेत्र पर रखो तो आपका विधान सभा क्षेत्र.... (व्यवधान)

श्रीमती बीना काक : आप मेरे सामने सुमेरपुर से लड़ लो इस बार, फिर बताती हूं । आप मेरे सामने सुमेरपुर से लड़ लो लेकिन अभी मामला महिला के अत्याचार का है, कृपया इसे डाइल्यूट न करें । (व्यवधान)

श्रीमती मनोरमा सिंह (राजाखेड़ा) : सन् 1990 से यह काम होता आ रहा है, तो वह महिला गंदगी में रहना पंसद करती है, उसने अब तक क्यों नहीं कहा ? (व्यवधान)

श्रीमती बीना काक : अभी मैं आपको जवाब देती हूं, क्यों नहीं कहा । + + + जो इस तरह की महिलाओं के बारे में बात करते हैं ।

श्री अध्यक्ष : बिराजें ।

श्री आर.पी. शर्मा : कहने के बाद क्या किया आपने ?

श्रीमती मनोरमा सिंह : महिलाओं के बारे में नहीं, लेकिन जो महिला गंदगी में रहना पसन्द करे .. (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ज्यादा उत्तेजित होने

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी ।

(श्री अध्यक्ष)

की आवश्यकता नहीं है। इस बात को पूरी गंभीरता से लें।

श्रीमती मनोरमा सिंह : सन् 1990 से वह महिला क्या करती रही, अब तक उसने क्यों नहीं कहा ?

श्रीमती बीना काक : मैं आपका जवाब दूंगी।

श्रीमती मनोरमा सिंह : क्यों नहीं उसने पुलिस को अवगत कराया अब तक और अब उसको मय किसने खोल दिया ? उस गंदगी को सहन करती जा रही है। (व्यवधान)

श्रीमती बीना काक : हरिसिंह जी, आप बैठें।

श्रीमती मनोरमा सिंह : 1990 से चल रहा है, और जब कोई महिला उस गंदगी को सहन करती जा रही है तो वह उस गंदगी को क्यों सहन करती आ रही है ? (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : आप तो अबला के हिमायती हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कोई अंकित नहीं करें। कोई अंकित नहीं होगा।

श्री हरिसिंह (महुआ) : ×××

श्रीमती मनोरमा सिंह : ×××

श्रीमती बीना काक : ×××

श्री शैलेन्द्र जोशी : ×××

श्री अध्यक्ष : कृपया बोलने दें। विराजिये आप। आप सब विराजें। माननीय बीनाजी को बुलाया है, आप उनको बोलने दें।

श्री हरिसिंह (महुआ) : ×××

श्रीमती मनोरमा सिंह : ×××

श्री शैलेन्द्र जोशी : ×××

श्री अध्यक्ष : विराजें।

श्री शैलेन्द्र जोशी : ×××

श्री हरिसिंह (महुआ) : ×××

श्री आर.पी. शर्मा : ××× (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप सब विराजें। ऐसा लगता है कि आप केवल कहने के लिए सीरियस ले रहे हैं, कोई सीरियस नहीं ले रहा है।

श्री शैलेन्द्र चौधरी : ×××

श्री अध्यक्ष : एक-एक माननीय सदस्य बोलेंगे, बीच में कोई नहीं खड़ा होगा। न पक्ष की तरफ से होगा, न विपक्ष की तरफ से होगा। बिना किसी पर कटाक्ष

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री अध्यक्ष)

किये सभी माननीय सदस्य अपनी अपनी सीमा में रहकर अपनी बात करें।

श्रीमती बीना काक : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत अफसोस है कि आज के इस युग में भी इस तरह का नजरिया सामने आता है यह केवल राजाखेड़ा से आने वाली माननीय सदस्या का ही नजरिया नहीं है, उस पक्ष में बैठे हुए ज्यादातर लोगों का यही नजरिया होगा, अगर दोष है तो महिला का है, अगर अपराध बोध है तो महिला पर है। महिला वहां क्यों गयी, महिला ने ऐसे कपड़े क्यों पहने, महिला खुद क्यों गयी। आप जानती नहीं हैं, वह महिला पिछले सात साल तक टेरर के अन्दर जीयी है, मनोरमाजी। उसके ऊपर आतंक था, उसे ब्लैकमेल किया जाता था। भगवान न करे, हमारे में से किसी की बच्ची के साथ ऐसा हो, उस वक्त इस तरह की बात कहने के लिए आप यहां खड़ी नहीं रह सकेंगी।

श्रीमती मनोरमा सिंह : मैंने इस तरह की बात नहीं कही है।

श्रीमती बीना काक : आप बैठिये, बैठिये आप शांत रहिये। यह नजरिया आम नजरिया है।

श्री अध्यक्ष : मैं बीनाजी से भी प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप किसी का नाम नहीं लें, आप विषय पर ही बोलें।

श्रीमती बीना काक : माननीय अध्यक्ष महोदय, उन्होंने कहा इसलिए मैंने नाम लिया।

श्री अध्यक्ष : आप बार-बार किसी को छेड़ रहे हैं, आप स्वयं छेड़खानी कर रही हैं लोगों से।

श्रीमती बीना काक : मैंने कहा कि राजाखेड़ा से आने वाली माननीय सदस्या....

श्री अध्यक्ष : आप छेड़खानी कर रही हैं, विषय पर बोलें।

श्रीमती बीना काक : मैं छेड़खानी कर रही हूं ?

श्री अध्यक्ष : आप उनको छेड़ेंगे नहीं।

श्रीमती बीना काक : मैं छेड़खानी कर रही हूं ?

श्री राजेन्द्र पारीक : हम छेड़खानी नहीं कर रहे हैं यहां पर, अध्यक्ष महोदय। आप कह रहे हैं कि हम छेड़खानी कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये।

श्रीमती बीना काक : यह छेड़खानी हो गयी ?

श्री राजेन्द्र पारीक : "छेड़खानी" शब्द को निकाल दें इसमें से।

श्री अध्यक्ष : मैं कह रहा हूं कि आप किसी का नाम नहीं लें, आप उनका नाम नहीं लें।

श्रीमती बीना काक : जिसने मेरे से छेड़खानी की, उसके लिए ग्राप कुछ नहीं कहेंगे। यही है राजस्थान का नजरिया, ग्रापकी सरकार का नजरिया ? मेरे साथ उन्होंने जो छेड़खानी की, उसका तो कुछ नहीं।

श्री ग्रध्यक्ष : फिर तो ग्रापकी मर्जी ग्राए जैसे चला लो। ग्राप किसी के ऊपर दोषारोपण नहीं कर सकते। ग्राप अपनी बात को सीधे-सीधे तरीके से कहो।

श्रीमती बीना काक : ग्राप तो बात को सुनिये। आप इतने उत्तेजित न होइये, माननीय ग्रध्यक्ष महोदय। हम सब उत्तेजित हैं।

श्री ग्रध्यक्ष : मैं गरिमा कायम करना चाहता हूं।

श्रीमती बीना काक : ग्रापको हमें संरक्षण देना है, ग्रापको हमें संभालना है। ग्राप स्वयं उत्तेजित हो जाएंगे तो क्या होगा।

श्री ग्रध्यक्ष : मैं संरक्षण दे रहा हूं। मैं कोई उत्तेजित नहीं हो रहा हूं। कृपा करके ग्राप एक दूसरे पर दोषारोपण नहीं करें।

श्रीमती कमला : माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्या इनको इन्टरप्ट कर रही थीं ग्रौर इस तरह के कमेंट्स कर रही थीं, उनको तो ग्राप रोक नहीं पाये ग्रौर इनको ग्राप यह कह रहे हैं कि छेड़खानी मत करिये। निकालिये इस शब्द को।

श्री ग्रध्यक्ष : मैं ग्राप सभी को कह रहा हूं कि शालीनता से बात करें।

श्रीमती कमला : ये दो तरफा, दो तरह का व्यवहार मत करिये ग्राप। ग्राप ग्रध्यक्ष हैं, आपकी दृष्टि सभी के ऊपर समान होनी चाहिए।

श्री ग्रध्यक्ष : मैं तो सभी से हाथ जोड़कर कह रहा हूं कि शालीनता से पेश ग्राएं।

श्रीमती कमला : जो गलती पर है, ग्राप उसको संभालिये। ग्राप जो ग्रपना भाषण दे रहे हैं, उससे हमको समझाने की जरूरत नहीं है।

श्री ग्रध्यक्ष : कमलाजी, मैंने इनसे ही नहीं, सबसे कहा है। हाथ जोड़कर कहा है कि शालीनता से बात करें।

श्रीमती कमला : ग्राप हमेशा भेदभावपूर्ण तरीके से काम करते हैं।

श्री ग्रध्यक्ष : ग्रच्छी बात है। ग्राप मर्जी ग्राए जो कर लीजिए फिर।

श्री टीकमचन्द कान्त : माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, ये सदन की वरिष्ठ मैम्बर हैं....

श्री देवीसिंह भाटी : "भेदभावपूर्ण व्यवहार" को एक्सपंज किया जाए।

श्री ग्रध्यक्ष : यह इनकी मर्जी के ऊपर है। ये मर्जी ग्राए जो बोल सकते हैं।

श्रीमती बीना काक : माननीय ग्रध्यक्ष

(श्रीमती बीना काक)

महोदय, आप मुझे बोलने देना चाहते हैं ?

श्री चुन्नीलाल गरासिया : अध्यक्ष महोदय, यह सीधा आक्षेप है, इसे एक्सपंज किया जाए ।

श्री देवीसिंह भाटी : we will not allow it. इसको एक्सपंज किया जाए । चेयर के ऊपर आक्षेप है ।

श्रीमती बीना काक : अध्यक्ष महोदय, इस तरह से मेरी आवाज इस सदन में दबायी नहीं जा सकती ।

श्री अध्यक्ष : आप बोलें ।

श्रीमती बीना काक : न आपके द्वारा और न किसी माननीय सदस्य के द्वारा । मुझे हक है बोलने का ।

श्री अध्यक्ष : फिर आप एक्पेल कर रही हैं ।

श्रीमती बीना काक : मुझे बोलने का हक है ।

श्री अध्यक्ष : इस तरीके से नहीं ।

श्रीमती बीना काक : तरीका आप समझा दीजिए, मैं वैसे बोल लेती हूं ।

श्री अध्यक्ष : मैंने कहा है कि आप दूसरों को छेड़कर नहीं बोलें । आपको अपनी तरफ से जो बात कहनी है, वह आप कहें । आप तो मुझ पर ही आक्षेप कर रही हैं ।

श्री रामनारायण मीणा : अध्यक्ष महोदय, व्यक्तिगत बहस में हिस्सा नहीं लें । आप व्यक्तिगत टसल पर क्यों आ जाते हैं ?

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : अध्यक्षजी के क्या अधिकार हैं, उनको पता है कि नहीं ?

श्री अध्यक्ष : आप फरमाएं ।

श्रीमती बीना काक : माननीय अध्यक्ष महोदय, देखिये, मैं तो मेरा तरीका ही अख्तियार कर सकती हूं । आप कैसा तरीका मुझसे चाहते हैं, मुझे तो कहना मुश्किल होगा । मैं बहुत शालीनता से अपनी बात शुरू कर रही थी, जब माननीय सदस्यों ने बीच में इन्ट्रप्ट किया तो यह माहौल हुआ । एनी वे ।

चार वर्षों में महिला उत्पीड़न व अत्याचार के मामलों में 33 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । पिछले वर्ष में जो रेप्स के अन्दर बढ़ोतरी आयी है, वह डेढ़ गुना आयी है । केवल पिछले डेढ़ वर्ष का आंकड़ा मैं आपको बताना चाहती हूं । सिर्फ 1996 में 1150 मामले दर्ज हुए लेकिन, गृह मंत्रीजी, चालानों के प्रस्तुतीकरण की जो दर है वह बहुत कम है । पिछले साल 1996 के फर्स्ट क्वार्टर में जनवरी से मार्च में महिला हत्या और दहेज हत्या के 302 व 304 बी के मुकदमे थे, 67 और सैकण्ड में 68

(श्रीमती बीना काक)

आत्महत्या और उसके लिए धारा 306 के जो मुकदमे थे, पहले क्वार्टर में 21 दर्ज हुए और सैकण्ड क्वार्टर में 32 औरतों को तंग करने के मुकदमे 862 और 1195 सैकण्ड क्वार्टर में। रेप्स के मामले 290 और 321, ये सिर्फ पिछले वर्ष के आंकड़े मैंने आपको दिये हैं। मैं राज्य सरकार से पूछना चाहती हूं कि क्या कार्यवाही हुई इन मुकदमों में ? क्या सीरियसली इन मुकदमों को लिया गया ?

माननीय अध्यक्ष महोदय, जेल्स में रेप्स हुए और जेल्स में कस्टडी डैथ हुई। झुन्झुनूं और सीकर में पुलिस के द्वारा बेरहमी से रेप्स किये गये। प्रेम कंवर को दौसा में बेरहमी से पीटा गया, पुलिस के द्वारा पीटा गया। उसके मुंह में लकड़ियां ठूंसी गयीं और गांव में उसको खुला ले जाकर पीटा गया और पुलिस की रिपोर्ट कहती है कि हमने तो थाने में नहीं पीटा, गांव में पीटा था। तो यदि पुलिस गांव में महिला को ले जाकर पीट सकती थी तो क्या थाने में उन्हें किसी प्रकार की रोक थी ? जब कलक्टर से पूछा गया तो उनका कहना था कि उस बुढ़िया के मुंह में तो दांत ही नहीं हैं, उसे कौन पीटेगा। इतना गैर जिम्मेदाराना रवैया पुलिस महकमे का है और राजस्थान सरकार इस तरह के पुलिस अधिकारियों को दोषित नहीं करती यह बहुत ही शर्म की बात है। कस्टडी में जब डैथ होती हैं या कस्टडी में जो इन्वेस्टीगेशन होते हैं तो उनकी वीडियोग्राफी करवायी जाती है लेकिन इस तरह के मामलों में कहीं भी वीडियोग्राफी नहीं हो रही है। प्रेम कंवर का दहेज प्रताड़ना का केस था। सास को बुलाकर पीटा गया। मैं तो यह कहना चाहती हूं कि Police cannot violete the right to life. उसके जीने का अधिकार पुलिस नहीं ले सकती। महिला को आज के समाज में खास तौर से पुलिस अधिकारियों द्वारा एक बण्डल आफ फ्लेश माना जाता है। आपने अभी जो बताया कि उस लड़की ने इतने बजे परसों जाकर रिपोर्ट दी, इतने बजे बोर्ड बिठाया गया, इतने बजे उसका मेडिकल हुआ, माननीय अध्यक्ष महोदय, इस केसेज के अन्दर एफ. आई. आर. लिखने में पुलिस देर करती है। यहां तक कि पुलिस के अधिकारी सजेस्टेड एफ. आई. आर. इन लोगों को बताते हैं कि हां, यह लिखवा दो, यह लिखवा दो। यह नहीं लिखे तो उसको धमकाया जाता है। मेडिकल देर से होता है, मेडिकल का बोर्ड देरी से बिठाया जाता है।

शहर में ही आपने इस केस के अन्दर इतनी देर लगा दी तो गावों के अन्दर क्या हश्र होता होगा और जो यह यूनिवर्सिटी का मामला आया है, यह पहला मामला नहीं है, माननीय मंत्रीजी, ऐसा केस पहले भी हो गया है लेकिन आपके विभाग द्वारा और आपकी पार्टी के लोगों के द्वारा उसे रफादफा कर दिया गया। मैं चाहती हूं कि इस केस की आप गहराई में जाएं तथा पहले वाले केस को भी निकालें। होता क्या है कि बेचारी जिस महिला का शोषण होता है वह टेरर में रहती है, आतंकित रहती है। वह अपनी आवाज

(श्रीमती बीना काक)

नहीं उठा सकती है। अगर वह कहती है तो वह समाज के सामने बुरी बनती है। उस लाज और शर्म के कारण कुछ नहीं कह पाती और जब कहती है तो उसे सुसाइड करने पर मजबूर कर दिया जाता है। क्या हुआ था अजमेर फोटो कांड के अन्दर ? सोलह लड़कियों ने आत्महत्या की थी। केवल इसलिए कि उन्हें समाज का सपोर्ट नहीं मिला। अगर आज महिला के साथ इस तरह की कोई घटना होती है और एकाध इस तरह की आवाज नहीं उठे कि वह महिला ही ऐसी थी तो आज महिलाओं के साथ जो शोषण हो रहा है, वह कम हो जाएगा। मैं इस लड़की को दाद देती हूं, जिसके साथ यह बलात्कार हुआ, कि सात साल शोषित होने के बाद, सात साल टेरराइज रहने के बाद उसने कम से कम हिम्मत करके अपनी आन और अपने पूरे खानदान की आबरू को, अपनी जान लड़ा कर के आज आवाज उठायी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह लड़की अन्दर से चिल्लाती रही, शोर मचाती रही, बाहर पचास-साठ लड़के हल्ला मचाते रहे लेकिन कोई उसको बचाने के लिए नहीं आया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हर स्तर पर अपराध बोध महिला पर ही होता है। पुरुष या लड़कों का तो कोई दोष ही नहीं है, उन्हें बचा लिया जाता है। आज तक गिरफ्तारियां नहीं हुई हैं। लड़की पर लांछन लगा दिया गया कि यह निकली ही क्यों थी, कपड़े ही ऐसे क्यों पहनती थी, जाती ही क्यों हैं। इस तरह की बातें करके महिलाओं को आतंकित किया जाता है। हमेशा बात महिला के ऊपर आकर रुक जाती है।

अध्यक्ष महोदय, यह जो इस लड़की के साथ हुआ, बहुत शर्मनाक है और इन सभी होस्टलस के अन्दर आतंकवादी गतिविधियां काफी बढ़ गयी हैं। ड्रग्स इन होस्टलस के अन्दर आ रही है। लड़कियों को इन होस्टलस के अन्दर लाया जाता है। हथियार इन होस्टलस के अन्दर मिलते हैं। लड़कों द्वारा जो इन होस्टलस के आस पास के एरिया हैं उनसे हफ्ते लिये जाते हैं। यहां तक कि जो इस तरह के लड़के हैं, जो इस तरह की गंदगी समाज के अन्दर फैला रहे हैं वह आतंकित करके बसों के अन्दर बिना टिकट यात्रा कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका इन पर वरदहस्त है।

जब यह लड़की वार्डन के पास गयी ऐसा होने के बाद तो वार्डन का जवाब था कि आज तो छुट्टी है, परसों आना। इस तरह का अगर ऐटीट्यूड एडमिनिस्टेशन लेता है तो यह बहुत गम्भीर बात है सोचने की। यह थाने में पौने दो बजे पहुंची। अध्यक्ष महोदय, साढे पांच छह बजे दो-तीन घण्टे बाद इसके पेरेन्ट्स को बुलाया गया। यदि, अध्यक्ष महोदय, पुलिस मदद करना चाहती, सिन्सियरली अगर वह चाहती तो सबसे पहले मां-बाप को खबर करती ताकि यह जो अत्याचार से पीड़ित लड़की थी, जो मेन्टली इतनी डिस्टर्ब थी, जिसके साथ इतनी बड़ी घटना हुई कम से

(100)

(श्रीमती बीना काक)

कम उसका अगर कोई घर का व्यक्ति उसके साथ होता तो उसे बहुत मोरल सपोर्ट मिलता लेकिन पुलिस वाले भी उसे लिये लिये घूमते रहे, माननीय अध्यक्ष महोदय, तीन घण्टे तक और अकेली लड़की के साथ किस तरह के सवालात पुलिस कस्टडी के अन्दर, पुलिस में इन्वेस्टीगेशन के दौरान करते हैं, कोई भी महिला या पुरुष उसे सुन नहीं सकता। तो इस तरह का जो मामला था, सबसे पहले पुलिस को संवेदनशीलता से काम लेते हुए उसके पेरेन्ट्स को इत्तला करनी चाहिए थी, उसके घरवालों को बुलाना चाहिए था लेकिन, अध्यक्ष महोदय, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेडिकल हुआ, बोर्ड बैठा, दो बजे की घटना, साढ़े आठ बजे मेडिकल बोर्ड बैठता है और बारह बजे इस लड़की का रात को मेडिकल होता है।

अध्यक्ष महोदय, इस लड़की ने कहा है कि चाहे मैंने मेरी मौत का आलिंगन नहीं किया लेकिन मेरा जो जीवन है वह एक मौत के समान है, उसे भी मैं जिऊंगी। तो इस तरह अगर किसी बच्ची के साथ कोई भी घटना होती है तो हमें उसका सपोर्ट करना चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गम्भीर मामला है। हमारे पूरे एटीट्यूड में, हमारे पूरे सोच में हमें बदलाव लाना पड़ेगा। जो एक्सप्लाइट कर रहे थे इस लड़की को साल साल से, उसमें वकील भी हैं, पुलिस का अधिकारी भी है, जैसा कि कहा जाता है किसी मंत्री के पुत्र भी हैं। तो, अध्यक्ष महोदय, इन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा? मैं तो आप सभी से यह कहना चाहूंगी कि सब अपने दिल पर हाथ रखकर यह कहें कि इस तरह की बच्ची के साथ कोई भी जुल्म होता है, कृपया उसे बुरा न कहें। अगर हम उसे बुरा कहते हैं तो महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उनमें कभी कमी नहीं आएगी और इनका शोषण निरन्तर बढ़ता जाएगा।

रेप कम एबडक्शन के केसेज बढ़ रहे हैं। मानसरोवर से एक 15 साल की बच्ची को एबडक्ट कर लिया गया और उसके साथ रेप होता रहा। दूरबालो के साथ होता रहा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को कन्क्लूड करते हुए राज्य सरकार से यह उम्मीद रखती हूं कि जिन मंत्रीजी के बेटे इसके अन्दर लिप्त हैं या भतीजे लिप्त हैं या जो भी रिश्तेदार हैं, कृपया वह इसको ओन अप करें और अपनी मोरलिटी को रखते हुए इसमें सख्त से सख्त कार्यवाही करवाएं। चाहे उनका खुद का बेटा हो, उन्हें इसमें आगे आना चाहिए। इस्तीफा देना तो ठीक है लेकिन ओन अप करें इस चीज को। मैं तो कहना चाहूंगी, गृह मंत्रीजी, आपके रहते हुए तो बड़ा ही ओब्जेक्शनेबल यह है कि महिलाओं के साथ जो जुल्म हो रहे हैं उनमें कभी कमी आएगी। इस्तीफा मांगना चाहती हूं मैं, माननीय गृह मंत्री जी, और अभी भी आप मुस्कुरा रहे हैं। मुझे तो शर्म आती है, रियली मैं उधर देखती हूं और मुझे तकलीफ होती है। सभी अड्डों पर छापा मारा जाए और तुरन्त गिरफ्तारियां की जाएं।

(श्रीमती बीना काक)

अन्त में, जो सरकार बहू-बेटियों की इज्जत को महफूज न रख सके उसे कोई हक नहीं है यहां पर बैठने का। नैतिकता के आधार पर आप सबको त्याग पत्र देना चाहिए। आप लोगों ने राजस्थान का सिर नीचे झुका दिया है।

श्री अध्यक्ष : श्री कालीचरण जी।

श्री कालीचरण सराफ (जौहरी बाजार) : माननीय अध्यक्ष महोदय, गत पांच सितम्बर को विश्वविद्यालय प्रांगण के जे. सी बोस होस्टल में जिस तरीके का शर्मनाक, जघन्य, अमानवीय कुकृत्य एक युवती के साथ किया गया, उसकी जितने कठोर शब्दों में निंदा की जाए उतनी कम है। इस घटना की केवल सत्ता पक्ष के विधायक और सरकार भी उतने ही कठोर शब्दों में निंदा करती है जितनी विपक्षी विधायक करते हैं। आज इस घटना के बाद पूरा जयपुर शहर उद्वेलित है। चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, छात्र संगठन हो, सामाजिक संगठन हो, महिला संगठन हो, सभी ने इस घटना की एक स्वर में निंदा की है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे दुर्भाग्यपूर्ण पहलू यह है कि गांधीनगर पुलिस स्टेशन के सामने स्थित विश्वविद्यालय प्रांगण के जे सी. बोस होस्टल में एक अबला के साथ लगभग तीन घण्टे तक बलात्कार होता रहा और अबला चिल्लाती रही और दरिन्दे अपना काम करके आराम से सूमो में बैठकर चले गये। इतना ही नहीं, रूम नम्बर-47, जहां यह कुकृत्य हो रहा था, कमरे के बाहर लड़के झुण्ड बनाकर बैठे थे, गाने गा रहे थे और जब वह लड़की अपनी इज्जत लुटाकर बाहर निकली उस समय उसको दुबारा आने का निमंत्रण दे रहे थे, फब्तियां कस रहे थे। माननीय अध्यक्ष महोदय, विश्वविद्यालय के इतिहास में इस प्रकार का शर्मनाक काण्ड पहली बार हुआ है। जितने कठोर शब्दों में इसकी निंदा की जाए, कम है। इस काण्ड की मैं निंदा करना चाहता हूं। आखिर होस्टल में वार्डन भी रहता है, चौकीदार भी रहता है, तीन घण्टे तक उस अबला के साथ वहां पर बलात्कार होता रहा, मैं पूछना चाहता हूं राजस्थान सरकार के माध्यम से विश्वविद्यालय प्रशासन को कि वह चौकीदार उस समय कहां था, वार्डन उस समय कहां था? जब उस लड़की ने वार्डन को अपनी आप बीती सुनायी तो वार्डन की क्या यह ड्यूटी नहीं बनती थी, क्या यह कर्त्तव्य नहीं बनता था कि उस लड़की को लेकर के वह थाने के अन्दर जाता। उसने कहा कि तुम जाओ और थाने के अन्दर अपनी रिपोर्ट लिखा दो। और इससे भी ज्यादा दर्दनाक पहलू यह है कि उस वार्डन को विश्वविद्यालय प्रशासन ने जब बर्खास्त किया तो वहां के जितने भी वार्डन्स हैं उन्होंने उसके पक्ष में इस्तीफा दिया है। मैं कहना चाहूंगा राज्य सरकार से कि इस प्रकार के वार्डन को आपने बरखास्त किया, यह तो आपने बहुत बढ़िया काम किया; इसके साथ-साथ जिन वार्डन्स ने उसके साथ इस्तीफे दिये हैं उनको भी निश्चित रूप से बरखास्त किया जाना चाहिए।

(श्री कालीचरण सराफ)

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक सामान्य-सी बात है, जब युवती नामजद रिपोर्ट दर्ज करवा रही है, अपराधियों के नाम बता रही है, यह बात सही है कि आज तक कोई अपराधी पकड़ में नहीं आया है परन्तु एक सामान्य अपराध का जब तक इन्वेस्टीगेशन करते हैं उनके परिवारजन यहां पर होंगे, उनके भाई-बहन यहां पर होंगे, मां-बाप होंगे और रिश्तेदार यहां रहते होंगे, मैं पूछना चाहता हूं गृह मंत्रीजी से कि राज्य सरकार ने क्या उनको पकड़ कर उनके साथ इन्वेस्टीगेशन किया ? लड़की ने बयान दिया कि भारत भूषण पारीक नाम का एडवोकेट सात साल से उसका यौन शोषण कर रहा था। उसने एक पुलिस ग्राफिसर का नाम लिया, अन्य कई नामी गिरामी लोगों के नाम लिए, क्या पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया ? उनको बुलाकर थाने में कोई इन्वेस्टीगेशन किया ? वह सारे के सारे आराम से घूम रहे हैं। हाई कोर्ट की बार उसको निलम्बित कर रही है परन्तु राज्य सरकार की पुलिस ने उसके ऊपर क्या कार्यवाही की ?

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो यहां तक कहना चाहता हूं कि यदि समय रहते शहर की नाकेबंदी कर दी जाती तो एक भी अपराधी भागकर नहीं जा सकता था। पौने दो बजे लड़की थाने में जाती है, अपना बयान दर्ज करवाती है, रात को नौ बजे तक शहर की नाकेबंदी नहीं की गयी और नाकेबंदी भी की गयी तो पुलिस अधिकारियों को यह नहीं बताया गया कि नाकेबंदी किसलिए की जा रही है। पुलिस अधिकारियों ने मुझे बताया है कि उनको यह नहीं बताया गया कि नाकेबंदी किसलिए की जा रही है, क्या अपराध शहर में घटित हो गया। नाकेबंदी करने के बाद हरमाड़ा के पास से भोला यादव नाम का अपराधी टाटा सूमो में बैठकर बड़े आराम से निकल गया क्योंकि पुलिस अधिकारियों को पता ही नहीं कि यह नाकेबंदी क्यों की जा रही है। और आश्चर्यजनक बात तो यह है कि कल मैं रात्रि को मैट्रो चैनल पर "आज तक" देख रहा था, हमारे जो चीफ वार्डन है विश्वविद्यालय के उनका इन्टरव्यू आ रहा था, उन्होंने बड़े मजाकिया लहजे में कहा कि इस प्रकार की घटनाएं हमारे यहां तो आम बात है, विश्वविद्यालय में इस प्रकार की घटनाएं तो होती रहती हैं। माननीय गृह मंत्रीजी, एक जिम्मेदार पद पर बैठे हुए, चीफ वार्डन के पद पर बैठे हुए डॉक्टर मोहन सिंह पूनिया ने बड़े साधारण से लहजे में कह दिया कि इस प्रकार की घटनाएं तो हमारे यहां घटित होती रहती हैं, आए दिन होती रहती हैं। यदि यह बात सच है कि इस प्रकार की घटनाएं वहां पर आए दिन होती रहती हैं तो सबसे पहले उस चीफ वार्डन को गिरफ्तार करना चाहिए, बरखास्त करना चाहिए। उनको यदि इस प्रकार की घटनाओं की जानकारी थी तो राज्य सरकार के नोटिस में यह बात क्यों नहीं लाया ?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : उसको सच बोलने पर बरखास्त करना चाहिए ?

श्री कालीचरण सराफ : विश्वविद्यालय प्रशासन को यदि इस प्रकार की जानकारी थी तो उस पर कार्यवाही क्यों नहीं हुई ग्रौर यदि जानकारी नहीं थी तो चीफ वार्डन के पद पर बैठा हुआ व्यक्ति इस प्रकार का सार्वजनिक बयान दे रहा है। "ग्राज तक" के इण्टरव्यू में, उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही है, इसके बारे में भी निश्चित रूप से बताएं। माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, यह कोई साधारण घटना नहीं है। यह राजस्थान की राजधानी गुलाबी नगरी पर कलंक है। मैं मांग करना चाहता हूं कि इस पूरे प्रकरण की जांच की जाए ग्रौर जांच में चाहे कितने भी बड़े अधिकारी या राजनेताग्रों के कोई भी रिश्तेदार शामिल हों, उनको निश्चित रूप से पकड़ा जाना चाहिए, उनके खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए।

एक बात मैं ग्रौर कहना चाहता हूं। ग्राज 10-10, 12-12 साल से वार्डन बने हुए हैं राजस्थान विश्वविद्यालय में, उनकी छत्रछाया में सैकड़ों इस प्रकार के छात्र, जो ग्रब छात्र नहीं हैं विश्वविद्यालय के, होस्टल्स में रह रहे हैं। मैंने भी राजस्थान विश्वविद्यालय में राजनीति की है। छात्र संघ का ग्रध्यक्ष रहा हूं, सिंडिकेट का सदस्य रहा हूं। हमारे समय में कल्पना नहीं की जा सकती थी कि जहां ब्वायज होस्टल होते थे वहां कोई युवती या महिला चली जाए। दिन दहाड़े—(व्यवधान) इसको डाइल्यूट मत करिए। इसको राजनैतिक मामला मत बनाइए। श्रीमानजी, मैं जो बता रहा हूं इसको गम्भीरता से सुनिए। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि दिन दहाड़े दोपहर के 12 बजे एक लड़की मोटर साइकिल पर बैठकर ब्वायज होस्टल की तरफ गयी कैसे, ग्रौर गयी तो, उसको किसी ने रोका क्यों नहीं? चौकीदार ने भी नहीं टोका, वार्डन ने भी नहीं देखा ग्रौर छात्रों ने भी नहीं देखा। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति, ग्रराजकता की स्थिति विश्वविद्यालय में हो नहीं सकती। इस पूरे प्रकरण की जांच करके जो इसमें ग्रपराधी हैं उनको निश्चित रूप से पकड़ा जाए ग्रौर व्यवस्था में किस प्रकार से सुधार लाया जा सकता है, इसको देखें। ग्रवैध छात्र जो होस्टल में दादागिरी ग्रौर हथियारों के बल पर रह रहे हैं, वार्डन और चीफ वार्डन की शह पर रह रहे हैं, मैं कहना चाहता हूं कि सारे होस्टल को एक बार खाली करवाएं। खाली करवा कर जिस प्रकार पहले मैरिट के ग्राधार पर एडमिशन होते थे होस्टल में, वैसे हों। आखिर विश्वविद्यालय प्रांगण का होस्टल पढ़ने वाले बच्चों के लिए है हथियार जमा करने के लिए नहीं। गुंडों के ग्रड्डे छात्रावास को नहीं बनने देना चाहिए, निश्चित रूप से सारे छात्रावासों को खाली करवाइये। जांच की जाए इस बात की कि किस प्रकार ग्रवैध लड़के वहां पर रह रहे हैं। किसकी शह पर, किसके इशारे पर वह लोग वहां रह रहे हैं। इस सारे प्रकरण की जांच होनी चाहिए ग्रौर इस प्रकार के जो ग्रपराधी तत्व वहां पर रह रहे हैं उनको निश्चित रूप से वहां से बेदखल किया जाना चाहिए।

(श्री कालीचरण सराफ)

जयपुर शहर महानगर बनता जा रहा है। यह बात सही है कि जब भी कोई शहर विकसित होता है, महानगर के रूप में डवलप होता है तो वहां अपराधिक गतिविधियां बढ़ती हैं। केवल यह कह कर कि महानगर बन रहा है, बड़ी लाइन से जयपुर शहर जुड़ गया, बिहार के लोग भी आते हैं, यू. पी. से भी आते हैं, हमारे काम की इतिश्री तो नहीं होती। आज दस हजार से ज्यादा बांग्लादेशी इस जयपुर शहर में रह रहे हैं। जितनी चोरियां होती हैं जितनी आगजनी की घटनाएं होती हैं, ज्यादातर ऐसे लोगों के नाम उसमें आते हैं। बांग्लादेशी घुसपैठियों के बारे में राज्य सरकार क्या कर रही है इसके बारे में भी राज्य सरकार को बताना चाहिए। दिन दहाड़े डकैती हो गयी जयपुर शहर में। फिर 8 घंटे में दूसरी डकैती हो गयी। शिवानी जडेजा के साथ तेजाब काण्ड। शालिनी तवर का तीन बार अपहरण हुआ। गृह मंत्रीजी, ने लिख दिया कि पुख्ता इन्तजाम करें, अपराधियों को पकड़ा जाए। मुझे अफसोस है यह कहते हुए कि शालिनी तंवर जिसका तीन बार अपहरण हुआ, बलात्कार हुआ, उसने मुख्य अभियुक्त सरदार का और जत्थार का आज भी खुले घुम रहे हैं। उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। पुलिस व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन आवश्यक है। केवल एक डी. आई. जी. बैठा दिया उसके नीचे आपने चार एस. पी. लगा दिये, उसके नीचे एडिशनल एस. पी. की संख्या बढ़ा दी, डिप्टीज की संख्या बढ़ा दी, थानों की संख्या बढ़ा दी यही पर्याप्त नहीं है। मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आपने थानों की संख्या तो बढ़ा दी, आफिसर्स भी बढ़ा दिए परन्तु पुलिस की नफरी अभी भी ज्यों की त्यों है। मालवीय नगर थाना जो मेरे इलाके में आता है, उसका 28 किलोमीटर लम्बा क्षेत्र है परन्तु वहां पर उनके पास कान्स्टेबल नहीं है, हैड कान्स्टेबल नहीं है। आपने जिस तादाद में पुलिस अधिकारियों की नियुक्तियां जयपुर शहर में की हैं, यह सही है कि जयपुर शहर महानगर होता जा रहा है यहां पुलिस आफिसर्स अच्छी तादाद में रहने चाहिए, आपने एक डी. आई. जी. स्तर के व्यक्ति को जयपुर शहर के अन्दर बैठाया, बहुत बढ़िया बात है, एस. पीज. को भी यहां पर लगाया बहुत बढ़िया बात है परन्तु उसके साथ-साथ पुलिस कर्मियों की संख्या में भी वृद्धि निश्चित रूप से होनी चाहिए। एक इस प्रकार का विशेष सैल जयपुर शहर में बनना चाहिए जो इन अपराधों की जांच कर सके।

मैं धन्यवाद देना चाहता हूं समाचार पत्रों को भी कि उन्होंने पहली बार उस युवती का नाम अखबारों में नहीं छापा। यह अच्छी बात है। आज कई युवतियां, कई अबलाएं केवल इसलिए अपने साथ हो रहे अपराधों को बताने में हिचकिचाती हैं क्योंकि उनका समाचार पत्रों में पूरा वर्णन छपता है तो

(13.00)

तो समाचार पत्रों के माध्यम से जनता के सामने नंगी हो जाती है। बधाई देना चाहूंगा, इस बार समाचार पत्रों ने युवती

(श्री कालीचरण सराफ)

का नाम नहीं छापा और भविष्य में भी निश्चित रूप से उस बच्ची का नाम नहीं छापें, यह ठीक है। पूरे जयपुर शहर की जनता इस काण्ड से उद्वेलित है, शर्मसार है। जितने कठोर शब्दों में हम उसकी निन्दा कर सकते हैं, निन्दा करनी चाहिए। बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के निन्दा करनी चाहिए। मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, गृह मंत्रीजी....

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : एक प्रस्ताव पास कर लें निन्दा का।

श्री कालीचरण सराफ : इस काण्ड की निन्दा करनी चाहिए, अब उसका क्या सिस्टम हो, आप जानें और इस काण्ड की पूरी जांच करवायी जाए। इस काण्ड में उस युवती ने जितने नाम बताए हैं उन सबको गिरफ्तार किया जाए। विश्व-विद्यालय की होस्टल व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन किया जाए। अवैध रूप से जो छात्र रह रहे हैं उनको निश्चित रूप से वहां से बेदखल किया जाए। सारे होस्टल एक बार खाली करा कर मेरिट के आधार पर वहां एडमिशन किये जाएं और जिन पुलिस अधिकारियों ने इस काण्ड में कोताही बरती है उनको निश्चित रूप से दण्डित किया जाए। मैं इस अवसर पर इतना ही कहना उपयुक्त समझता हूं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री रतन लाल ताम्बी।

श्री परसादीलाल मीणा : जिस पुलिस अधिकारी की शिनाख्त हो गयी उसके बारे में भी बोलो आप। उसको सस्पेण्ड करने की मांग तो करो।

श्री कालीचरण सराफ : एक पुलिस अधिकारी... (व्यवधान) युवती ने बताया कि यह भी लिप्त था उसके ऊपर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। मैंने पहले ही कह दिया कि उनके ऊपर कार्यवाही की जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, कानून व्यवस्था और जे.सी. बोस छात्रावास में हुए बलात्कार को लेकर....(व्यवधान) ये ऐसे मुद्दे हैं कि सारी कानून-व्यवस्था से जुड़े हुए हैं। राजस्थान में अपराधवृत्ति बढ़ रही है, यह आंकड़े हमारे सामने हर बार आ रहे हैं और उसके बाद जे.सी. बोस छात्रावास में जो घटना घटित हुई है, यह समूचे राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था को एक तरह से चुनौती है। माननीय सदस्य कालीचरण जी ने बहुत अच्छे ढंग से इसका जो चित्रण किया है उस चित्रण में मैं अपने आपको सम्मिलित करते हुए यह मानकर चलता हूं कि यह जो घटना घटित हुई है, पिछले चार-पांच-छह वर्षों से वहां पर प्रशासन चाहे शिक्षा से जुड़ा हुआ हो, चाहे पुलिस हो और चाहे दूसरे प्रकार के लोग जो इससे जुड़े हुए हैं, उन सबकी एक तरह से मिलीभगत मुझे लग रही है इसलिए यह सारा कुछ होता रहा है। इस एफ.आई. आर. में जो बताया गया, उससे यह सिद्ध होता है कि पिछले 6-7 वर्ष से लगातार शोषण की शिकार यह लड़की होती रही है

(श्री रतनलाल ताम्बी)

और इस तरह का आतंक पैदा कर दिया गया कि 6-7 वर्ष से घटना होती रही और उसके बाद उसने किसी प्रकार से घटना को उजागर करने का साहस नहीं जुटाया। इसका अर्थ यह है कि राजस्थान में अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को किसी न किसी रूप में चाहे राजनीतिक संरक्षण मिल रहा हो, चाहे प्रशासनिक संरक्षण मिल रहा हो, चाहे विश्वविद्यालय के माध्यम से मिल रहा हो, यह सारे संरक्षण का ही कारण है कि इतनी बड़ी घटना घटित हुई है। मुझे आश्चर्य इस बात का है कि कल इस घटना को बहुत सहज भाव से लिया गया। समूचा जयपुर, मैंने अब तक जयपुर बन्द को जिस रूप में देखा है, मैं कह सकता हूं कि समूचा जयपुर इस घटना से उद्वेलित था और जयपुर बंद था इस तरह घटना को लेकर। और भी घटनाएं राजस्थान में हुई हैं पहले यौन शोषण को लेकर, पर राजस्थान की सरकार ने इन सारी घटनाओं को हमेशा लाइटली लिया, बहुत सहज भाव से लिया। इसी तरह यह बड़ी घटना भी हो गयी। आश्चर्य इस बात का है कि अपराधी नामजद किये हुए हैं और राजस्थान का गृह विभाग, हमारे मंत्री महोदय हमारे जिले का प्रतिनिधित्व करते हैं, बहुत ही तेज-तर्रार हैं, बहुत अपने आपको तीस मार खां समझते हैं और सब करने के बाद भी नामजद अपराधियों में से एक भी अपराधी गिरफ्तार नहीं करवा सके। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि गृह मंत्रीजी भी किसी दबाव में हैं, क्योंकि पुलिस में बड़े-बड़े लोग इससे जुड़े हुए हैं, राजनीतिक दृष्टि से भी सामने आ रहा है कि मंत्रीजी के कोई रिश्तेदार जुड़े हुए हैं। तो मैं यह कह सकता हूं कि इस घटना का, जैसा शालिनी के साथ हुआ है, राजकुमारी और दुनिया भर के अभी नाम बताए, वह सब हुआ, वैसा ही यह होता है। इससे अधिक मुझे लगता नहीं कि कुछ सुधार हो सकता है। यह मंत्रीजी त्यागपत्र दें, न दें, इनकी नैतिकता का सवाल यह सोचें परन्तु मैं यह कहना चाहता हूं कि राजस्थान के इन गृह मंत्री के नेतृत्व में जितनी व्यवस्था बिगड़ती चली आ रही है इसके पीछे कोई दूसरा षड़यंत्र भी हो सकता है कि अनुसूचित जाति के हैं, दूसरे कोई कारण भी हो सकते हैं। परन्तु एक सफल गृह मंत्री के रूप में इनकी छवि राजस्थान में बिगड़ती चली आ रही है इसलिए अच्छा तो यह है कि इनको स्वयं को यह विभाग छोड़ देना चाहिए। अब यह इनके बूते की बात नहीं है। चाहे आप कितना ही पुलिस बल बढ़ा रहे हैं, थाने बढ़ा रहे हैं, यह बढ़ा रहे हैं, आपने जितना बढ़ाया, उसके बाद आंकड़े आप देख लें, हर मामले में अपराध बढ़े हैं। इसलिए मेरी यह मांग है, माननीय गृह मंत्रीजी, कहीं आपमें नैतिकता का साहस है तो समाज में इतने बड़े अपराधी आज खुले आम घूम रहे हैं इनके लिए आप घोषणा करें कि आप क्या करना चाहते हैं? वह गिरफ्तार हो जाएंगे? कब होंगे? महीने, छह महीने लगा दंगे आप। अभी 2-4 दिन में नहीं कर सकते। समूचे राजस्थान में पुलिस तंत्र है और 8-10 व्यक्तियों को सारी पुलिस मिलकर गिरफ्तार नहीं कर सकी, इससे ज्यादा शर्मनाक बात

(श्री रतनलाल ताम्बी)

क्या हो सकती है। आज जयपुर की महिलाओं और युवतियों में बहुत बड़ा भय पैदा हो गया है कि राजस्थान में इतना बड़ा अपराध हुआ, उसके बाद राजस्थान का प्रशासन कुछ नहीं कर सकता। जयपुर की 25 लाख जनता उद्वेलित हो गयी, पूरा जयपुर बन्द हो गया, उसके बाद भी राजस्थान की सरकार सो रही है।

मैं फिर से मांग करना चाहता हूं कि इस मामले को गम्भीरता से लिया जाए और राजस्थान विधान सभा के सभी माननीय सदस्यों से मेरा निवेदन है, चाहे इस पक्ष के हो, चाहे उस पक्ष के हों, इसको आप मजाक के रूप से मत लीजिए, एक निन्दा प्रस्ताव पास कीजिए और मैं गृह मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि स्वयं आगे होकर आप इस विभाग को छोड़िये। त्यागपत्र की बात मैं नहीं कहना चाहता हूं, आप मंत्रिमण्डल में रहिये, मगर आपके साथ मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ा षड्यन्त्र है। अन्दर ही अन्दर चारों ओर से बदनाम होने का आपको अवसर क्यों मिल रहा है? मेवाड़ की धरती और भीलवाड़ा जिले का आप प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं, हमको भी बहुत शर्म आ रही है। मेरा आपसे व्यक्तिगत काफी वर्षों से सम्बन्ध है, सम्पर्क है, इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कृपा करके आज आप साहस करके कम से कम इस विभाग को छोड़ दीजिए। मैं इस्तीफे की, मंत्रिमंडल से हटने की बात नहीं कहता पर गृह मंत्री के रूप में आपके पास जो विभाग है, राजस्थान निश्चित रूप से आज अपराधियों का घर बन गया, चारागाह बन गया, चाहे बिहार से आ रहे हों, चाहे बंगाल से आ रहे हों, चाहे उत्तर प्रदेश से आ रहे हों, भीलवाड़ा में कितनी बड़ी-बड़ी घटनाएं हुई हैं, यह सब आपके सामने मौजूद है, थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने गये, उनके साथ क्या क्या घटनाएं हुई, यह आपके सामने मौजूद है, हत्याओं को दुर्घटनाओं में बदल दिया जाता है, मंत्रियों के संरक्षण पाकर अपराधी घूमते रहते हैं उन मामलों में कोई कार्यवाही नहीं, भीलवाड़ा जिले के उदाहरण आपके सामने हैं इसीलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि इस घटना को गम्भीरता से लिया जाए और गृह मंत्रीजी कुछ जलवा दिखा दें आज, राजस्थान आपकी तरफ देख रहा है, क्या कर सकते हो, वरना आपका इस कुर्सी पर, इस पद पर रहने का कोई औचित्य नहीं है, मेरा आपसे यही निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत (श्रीमाधोपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं आज के अवसर को दुर्भाग्यपूर्ण मानते हुए राजस्थान की धरती पर इसे बहुत बड़ा कलंक का टीका मानता हूं। विवश होकर इस प्रकार की घटना पर सदन के दोनों ओर के माननीय सदस्यों को अपना रोष प्रकट करना पड़ रहा है। निश्चित रूप से, जैसा भाई कालीचरणजी ने कहा, प्रेस जगत से जुड़े हुए बंधुओं का मैं हार्दिक आभार प्रकट करना चाहूंगा इस सदन के माध्यम से, जिन्होंने मर्यादापूर्वक इस प्रकरण को उठाकर एक जलवा खड़ा

(108)

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत)

किया। माननीय गृह मंत्रीजी ने एक वक्तव्य पढ़ा, मैं आपसे भी निवेदन करना चाहता हूं और खास तौर से प्रेस से जुड़े हुए बंधुओं से निवेदन करना चाहता हूं, मेरी ओर से अपील करना चाहता हूं कि जो एफ.आई.आर. पढ़ी गयी और जो नाम लोगों को पता नहीं थे वह नाम लिये गये, अगर वह नाम नहीं लिये जाते तो उपयुक्त होता। जिन परिस्थितियों में, जिन हालात में यह घटना घटी, उस पर मैं अधिक चर्चा नहीं करना चाहता और यह चर्चा का विषय भी नहीं है, जैसा कि बुजुर्ग माननीय सदस्य पूनम चन्दजी ने कहा कि इस किताब को उजागर करने से किसी को लाभ नहीं होने वाला, किन्तु हमको मजबूर किस बात के लिये होना पड़ा कि चर्चा की जाए? प्रश्न इस बात का नहीं है कि पुलिस कार्यवाही करे। प्रश्न इस बात का नहीं है कि गृह मंत्रीजी वक्तव्य दें।

प्रश्न इस बात का नहीं है कि कानून व्यवस्था की बिगड़ी हुई स्थिति पर राजस्थान विधान सभा के सदस्य चर्चा करें, अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि राजस्थान विधान सभा के माध्यम से इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है कि इस प्रकार की परिस्थितियां जब पैदा हुई हैं, इस प्रकार का पाप इस सरकार के माथे पर लगा है, कितनी चर्चाएं की गयीं पिछले काण्डों की, चाहे अजमेर की चर्चा की गयी हो, चाहे अलवर की चर्चा की गयी हो, चाहे जयपुर में घटित घटनाओं की चर्चा की गयी हो, मैं इस बात

(13.10)

(श्री समर्थलाल मीणा, उपाध्यक्ष, पीठासीन)

को जानता हूं कि आज यह चर्चा हुई है, धीरे-धीरे इस घटना पर लीपापोती भी होगी, धीरे-धीरे यह घटना ठंडी भी पड़ेगी, मुलजिमों को गिरफ्तार भी किया जाएगा लेकिन मुलजिमों को गिरफ्तार करके चालान करने मात्र से और राजस्थान विधान सभा में चर्चा हो और चर्चा के बाद बाहर अखबारों में यह बात छपे, इतने मात्र से आज की इस चर्चा का उद्देश्य मैं पूरा नहीं मानता, जिन परिस्थितियों में जो हालात बने, उन सवालों का जवाब माननीय गृह मंत्रीजी को अपने वक्तव्य में देना चाहिए था।

जो घटना दिन में घटी, पौने दो बजे प्रताड़ित वह अबला थाने पहुंची। पौने दो बजे थाने पहुंचने के बाद तीन घंटे तक उसकी एफ.आई.आर. क्यों नहीं दर्ज की गयी? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहते हुए तकलीफ होती है, मुझे जानकारी मिली है कि तीन घंटे तक पुलिस का एक कर्मचारी अपने स्कूटर पर बैठा करके उस अबला को शहर के विभिन्न ठिकानों पर इसलिए घूमता फिरा कि कौनसी जगह क्या-क्या घटनाएं कब हुआ करती हैं और कौन लोग दोषी हैं। किसलिए वह तीन घंटे तक स्कूटर पर लेकर घूमता रहा? क्यों नहीं उच्चाधिकारियों को इस बात की सूचना दी गयी? वहां एस.एच.ओ. नहीं था। तीन घंटे बाद एफ.आई.आर.दर्ज की गयी।

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत)

यह तो मामला प्रखबारों ने उठा लिया, विधान सभा सत्र माने वाला था, नहीं तो पता नहीं उसकी सिसकियां कहां दबकर रह जातीं। तीन घंटे तक स्कूटर पर कर्मचारी लेकर घूमता रहे, शायद इसके पीछे यह मंशा रही होगी कि जो-जो दोषी लोग पकड़ में मा जाएं, मेरी जेब गर्म कर लूं, युवती को घर भेज दूं, मामला रफा-दफा हो जाएगा। उसके बाद मेडिकल कब हुमा, इस बात की चर्चा भी माननीय सदस्या ने की है। मुझे शर्म माती है यह कहते हुए, उन तथ्यों को उजागर नहीं करना चाहता, लेकिन कपड़े पीड़ित पक्ष के कब सीज किये गये? कितने समय के बाद कपड़े सीज किये गये? सबूतों को नष्ट करने का प्रयास किन कर्मचारियों और प्रधिकारियों ने किया है? यह सवाल कुछ प्रनुत्तरित हैं, जिनके जवाब प्राप सदन में तो ना दें लेकिन अपनी कलम से उस बात की कृपा करे।

प्रश्न इस बात का नहीं है कि मुल-जिम गिरफ्तार हो जाएंगे। पुलिस मुस्तैदी से लगी हुई है, प्रापने प्राश्वासन दिया है। मुख्य मंत्रीजी ने भी कल घोषणा की थी कि चाहे मेरे परिवार का सदस्य भी क्यों न हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा। मुझे खुशी होती यदि राजस्थान के मुख्य मंत्री इस बात की घोषणा करते कि जिस मंत्री के परिजन का नाम प्राया है उस मंत्री से त्याग पत्र लेकर स्वीकार 24 घंटे में कर दिया गया है। तो निश्चित रूप से प्रापकी जांच पर भी हमको भरोसा होता।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहता हू वकील समाज के उन साथियों को, जिन्होंने जब पता लगा, शक की धुरी एक वकील की तरफ गयी उसे अपनी जमात से निकाल कर बाहर किया, प्रताड़ित किया, शर्मिन्दा किया। प्रापकी पुलिस के प्रधिकारी को नामजद करने के बाद प्राज तक प्राप उसके खिलाफ कार्यवाही नहीं कर सके। उसको गिरफ्तार नहीं कर सके जो प्रापके सामने खुले प्राम घूम रहा है। प्रौर फिर राजस्थान की जनता प्रौर यह विधान सभा प्रापसे न्याय की उम्मीद करेगी?

मुझे ताज्जुब होता है, दोषियों को गिरफ्तार करने के लिए, जैसा कि भाई कालीचरण जी ने कहा, प्रापने नाकेबन्दी करवाई। प्रगर प्राप नाकेबंदी की चर्चा नहीं करते तो प्रच्छा रहता। हरमाड़ा के प्रन्दर एक कार प्रापने जब्त की। उपाध्यक्ष महोदय, विडम्बना देखिये, कार में बैठा हुप्रा, कार को चलाने वाला मुलजिम भाग जाता है, कार बरामद हो जाती है। पुलिस बड़ी मुस्तैदी से कार्यवाही कर रही है। बड़ी शर्म की बात है। क्योंकि मुलजिम प्राप प्रभी नहीं पकड़ेंगे, विधान सभा सत्र में प्राज चर्चा होकर समाप्त हो जाएगी; इस प्रकरण की इतिश्री हो जाएगी। कानून व्यवस्था पर भाषण हो जाएंगे। उसके बाद धीरे-धीरे शायद प्राप मुलजिमों को भी पकड़ेंगे। शायद धीरे-धीरे प्राप चालान भी करेंगे। मैं इस बात पर जोर नहीं देता कि प्राप मुलजिमों को तत्काल पकड़ें या

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत)

तुरन्त चालान करें। आपकी नीयत साफ है, इस बात का सबूत सदन के सामने आपको पेश करना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार की यह घटना घटी है, निश्चित रूप से हर व्यक्ति का सिर शर्म से झुक जाता है। घटना कब घटी? शिक्षक दिवस था, पूरा देश शिक्षक दिवस मना रहा था। शिक्षा मंत्री जी नैतिकता के भाषण दे रहे थे और शिक्षा के प्रांगण में, सरस्वती के मंदिर में एक अबला की इज्जत लूटी जा रही थी। उसकी चीखें न राजस्थान सरकार को सुनाई दी गयीं और न प्रशासन को सुनाई दी गयीं। जिस प्रकार के हालात बने हैं, आज जो परिस्थितियां पैदा हुई हैं, निश्चित रूप से मुख्य मंत्रीजी ने 2 घंटे में पीड़ित पक्ष के परिजनों से टेलीफोन पर बात की लेकिन आज तक गृह मंत्रीजी को उस परिवार से मिलने जाने तक की भी फुरसत नहीं मिली है। आज उस परिवार पर क्या बीत रही है?

मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, उसकी हिम्मत पर दाद देना चाहता हूं कि इतनी बड़ी घटना के बाद उसने हिम्मत करके प्रशासन के सामने यह चीज प्रस्तुत की। आज उस परिवार को घर से बाहर निकलने की स्थिति नहीं है। धमकियां मिल रही हैं। जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। पुलिस की नजर में सारा मामला घटना के पश्चात् उसी वकील की पत्नी द्वारा दो महिलाओं ने जाकर उसके परिवार के साथ झगड़ा करने का प्रयास किया है। आज गाड़ियां उस परिवार के सामने से घूम रही हैं। गवाही न दी जाए, इस बात के प्रयास किये जा रहे हैं और पुलिस या प्रशासन या गृह मंत्रीजी यह स्पष्टीकरण देंगे कि मुस्तैदी से जांच जारी है, गिरफ्तारी करने का प्रयास किया जा रहा है। मुझे तो इस बात का भी शक है कि चाहे आप पुलिस को गंगानगर भेजें, चाहे आप दस्ते सीकर भेजें, चाहे दस्ते झुंझुनू भेजें लेकिन वह मुलजिम जयपुर शहर के बाहर नहीं, बड़े लोगों के घरों में, राजस्थान की राजधानी जयपुर में छिपे हुए हैं। पुलिस की हिम्मत नहीं हो रही है उन पर हाथ डालने की। गृह मंत्रीजी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि प्रश्न इस बात का नहीं है कि मुलजिम गिरफ्तार हो जाएंगे और चालान हो जाएगा। प्रश्न इस बात का है कि भविष्य में इस प्रकार की घटना करने की किसी की हिम्मत नहीं हो। आपने इतनी बड़ी घटना घटने के बाद क्या किसी प्रशासन के अधिकारी को भी जिम्मेदार माना? क्या जांच में हुई ढील और देरी के लिए किसी को जिम्मेदार ठहराया? निश्चित रूप से आप चालान करेंगे, लीपापोती भी होगी लेकिन आखिर राजस्थान की विधान सभा में सदियों तक, कब तक इस प्रकार की घटनाओं की चर्चा की जाती रहेगी?

पिछली बार बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने एक हरिजन महिला के साथ बलात्कार की चर्चा इस सदन में की थी। हम चाहे उस वक्त इधर बैठते हों, चाहे उधर बैठते हों, किन्तु पूरे दिन सदन में इस बात की तकलीफ महसूस की गयी

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत)

थी और चर्चा हुई थी और इस बात का संकल्प लेने का प्रयास किया गया था कि आने वाले भविष्य में इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो, इस बात का वातावरण तैयार करना चाहिए। और इस बात की जिम्मेदारी सरकार पर ज्यादा है। माननीय गृह मंत्री जी, आज सदन में चर्चा हो जाएगी, सरकार की तरफ से आश्वासन हो जाएगा, इसकी यहीं इतिश्री नहीं हो जाती।

मेरे कुछ साथियों ने गृह मंत्री से त्याग-पत्र की मांग की। मैं इस बात को जानता हूं कि राजस्थान के गृह मंत्री त्याग पत्र देने वाले तो नहीं हैं लेकिन मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि जिस अबला के साथ इतनी बडी घटना घटी है, उसको मानवता के आधार पर आप लें। किसी की बेटी के साथ यह घटना घट सकती थी, किसी की बहिन के साथ यह घटना घट सकती थी, आपके लिए मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं और मैं यह महसूस करता हूं कि आप शायद इस बात को महसूस नहीं करते होंगे कि एक बेटी के बाप की तड़फ क्या होती होगी क्योंकि न तो आपका परिवार है, न बहू है, न बेटी है। ऐसी परिस्थिति में तुलसीदास ने कहा है, "वो क्या जाने पीर पराई, जाके पैर न कभी फटी बिवाई। इसलिए यदि आप पीड़ा को महसूस करते हैं तो मेरा आपसे एक निवेदन है कि उस अबला के साथ में जो घटना घटी है, वह राजस्थान के गृह मंत्री की बेटी, आज के बाद कैलाश मेघवाल की बेटी कहलाए तो आपकी नीयत और नेक नीयति की साख का पता चलेगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि उसका भविष्य आज अन्धकार में है। आज राजस्थान के पत्रकार जगत ने उसका नाम छुपाकर रखते हुए सारी घटना को उजागर किया है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस प्रकार की हिम्मत करने वाले व्यक्तियों को आपको राजस्थान की पुलिस में सेवा करने का अवसर देना चाहिए जिससे वह पीड़ा भोगी हुई युवती आने वाले जमाने की पीड़ा और दुःख दर्द में भागीदार बन सके और उसको समाज में प्रतिष्ठित रह करके जीने का अधिकार मिल सके। मैं एक तो आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं।

भाई कालीचरणजी सराफ ने कहा; विश्वविद्यालय में जो स्थितियां चल रही हैं, उपाध्यक्ष महोदय, पिछली बार इस सदन में इस बात को उजागर किया गया था कि राजस्थान विश्वविद्यालय का क्या हश्र होने जा रहा है। राजस्थान विश्वविद्यालय में जो परिस्थितियां बनीं, वह एक दिन का परिणाम नहीं। जैसा भाई कालीचरण जी ने कहा कि चीफ वार्डन ने कह दिया कि ये घटनाएं आम हैं। आज ये परिस्थितियां क्यों पैदा हुई ? यदि ये घटनाएं बार-बार घटित होती रहीं, राजस्थान विश्वविद्यालय का स्तर गिरता रहा, राजस्थान के उच्च शिक्षा मंत्रीजी अपने आपको असहाय महसूस करते रहे, शासन ने इस बात को स्वीकार किया, इससे दुःखद स्थिति पैदा नहीं हो सकती। आज वहां छात्र होस्टल्स के

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत)

अंदर बिना पढ़े हुए रह सकते हैं, कौन छात्र रह रहा है, कौन नहीं रह रहा है, इस बात का पता नहीं है, जो शैक्षणिक वातावरण दूषित हुआ है, उस पर सरकार का ध्यान नहीं है। केवल कानून को दोष देकर या कानून के माध्यम से समाज में व्याप्त कुरीतियों का हम समाधान चाहते हैं तो वह सम्भव नहीं है। इसीलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं आदरणीय मुख्य मंत्रीजी को भी, उनकी सरकार में बैठे हुए उनके साथियों को भी कि हमको विचार करना पड़ेगा इस बात पर कि कानून के माध्यम से केवल समाज में व्याप्त कुरीतियों का सामना नहीं किया जा सकता, इसके लिए आपको वातावरण बनाना पड़ेगा, आपको एक दबहत भी बनानी पड़ेगी समाज में उन तत्वों के खिलाफ, जो इस प्रकार की करतूतों के लिए आगे आकर निश्चिन्त घूमते हैं। राजस्थान की राजधानी में, जहां पूरा प्रशासन पूरी पुलिस, पूरी सरकार बैठी है, इस प्रकार की घटना घटित हो जाए और इतने दिनों के बाद भी मुलजिम गिरफ्तार नहीं हो सकें, मुलजिमों के बड़े लोगों के साथ रिश्ते मालूम होते हों, इस प्रकार के हालात के बाद आप हमको आश्वासन देते हैं कि सरकार मुस्तैदी से कार्यवाही करेगी, राजस्थान की जनता आपकी इस मुस्तैदी की कार्यवाही के ऊपर विश्वास करने को तैयार नहीं है। इस सदन में आपने आज चर्चा करा ली, चर्चा कराने मात्र का उद्देश्य विपक्ष का नहीं था। अंतःकरण में ज्वाला है लोगों में इस बात के प्रति। राजस्थान की राजधानी जयपुर शहर कल बंद रहा, छात्रों की गुण्डागर्दी से नहीं रहा, लोगों के भावनात्मक जुड़ाव का प्रतीक था। राजस्थान की राजधानी ने यह साबित किया है कि सरकार अपनी आंखें खोले, अपने कानों को खोले। राजस्थान के माथे पर इतना बड़ा कलंक का टीका आज ही नहीं लगा, बार-बार यह लगता हुआ टीका, आखिर हमको कहां ले जाएगा, समाज को कहां ले जाएगा, आने वाली पीढ़ी को कहां पहुंचाएगा, इस सवाल का जवाब इस सदन में देना चाहिए।

हम लोग चाहें विपक्ष से चुनकर आते हों, चाहे सत्ता पक्ष में बैठते हों लेकिन समाज में जो लोग अगुवा कहलाते हैं, जनतंत्र में जो लोग अगुवा कहलाते हैं उनके कंधों पर, गृह मंत्रीजी, जिम्मेदारी अधिक है। आज अपने घरों में बैठी हुई छात्राएं महसूस करती हैं कि किस गृह मंत्री के भरोसे, किस राजस्थान की पुलिस के भरोसे, किस सरकार के भरोसे मैं कॉलेज में पढ़ने के लिए जाऊं? आज ये परिस्थितियां पैदा हुई हैं। इन परिस्थितियों का समाधान आपको ढूंढना पड़ेगा और इन परिस्थितियों का समाधान ढूंढने का जवाब भी राजस्थान की जनता को आपको देना पड़ेगा। यह मेरा आपसे निवेदन है। मैं खड़ा होकर आपसे इस्तीफे की मांग करूं, उससे मेरा उद्देश्य पूरा होने वाला नहीं है। आपको अंतःकरण में विचार करना पड़ेगा, इस प्रश्न की महत्ता को महसूस करना पड़ेगा। सदन में चर्चा होने के बाद आपका जवाब भी आएगा, दोषियों को नहीं बख्शे जाने का आपका जवाब आएगा, हम जानते हैं

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत)

और कल अखबारों में इस बात की बड़ी-बड़ी सफाई पेश की जाएगी। आज भी मुख्य मंत्रीजी की तरफ से छपा है कि मेरे परिवार का सदस्य हो तो भी उसको बख्शा नहीं जाएगा। निश्चित रूप से भावना यदि आपकी यह है तो सराहनीय है लेकिन इस भावना के पीछे हमको शक है। जिस प्रकार से मंत्रियों के रिश्तेदारों के नाम आए हैं, जिस प्रकार से पुलिस के बड़े अधिकारियों के नाम आए हैं, जिस प्रकार से ऊंची पहुंच वाले लोग इसमें इन्वाल्व हैं, जिस प्रकार के बड़े अधिकारियों के नाम आए हैं, वकीलों के नाम आए हैं, कितना न्याय आप राजस्थान की जनता को दे पाएंगे, कितना न्याय आप चीखती इन अबलाओं को दे पाएंगे, इस पर राजस्थान की जनता को और इस सदन को शक है। इसलिए मैं इसी विश्वास के साथ निवेदन करना चाहूंगा कि आप एक वातावरण दें, आप एक्शन लेकर के आपकी नीयत साफ है इस बात का सबूत दें और राजस्थान की जनता के उस भय को समाप्त करें कि कोई भी अबला आपके गृह मंत्री रहते हुए राजस्थान की सड़क पर रात में भी निकल सके। आज दिन के 12 बजे इज्जत लूटी जाती है, कौन अबला अपने घर से निकलना पसंद करेगी? इस दर्द को आप महसूस करने की कोशिश करें, इस पीड़ा को महसूस करने की कोशिश करें। इन्हीं शब्दों के साथ, उपाध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया, धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री घनश्याम तिवाड़ी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (चौमूं) : उपाध्यक्ष महोदय, जे. सी. बोस छात्रावास की घटना की चर्चा हो रही है, वहां तक अपने आपको सीमित करता हूं। जयपुर शहर में इस घटना के विरोध में कल जयपुर के नागरिकों ने अपना पूरा रोष व्यक्त किया। बार एशोसिएशन ने अपने सदस्य को निलम्बित करके जो कार्यवाही की है उसके लिए बार एशोसिएशन धन्यवाद की पात्र है। यह घटना जो घटित हुई और इस घटना के बाद में जिस प्रकार के वक्तव्य आ रहे हैं, कल मैंने भी "आज तक" कार्यक्रम देखा था, राजस्थान विश्वविद्यालय के चीफ वार्डन ने स्टेटमेंट दिया बड़े आराम से कि इस प्रकार की घटनाएं तो राजस्थान विश्वविद्यालय में आम बात है, इसमें कोई नई बात नहीं है। यह स्टेटमेंट उन्होंने क्या बात सोचकर दिया?

श्री रामनारायण चौधरी (मंडावा) : यह सही है, हकीकत है, इसलिए दिया है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैं बोल रहा हूं, वह भी बोल रहा हूं। अगर इसकी शिकायतें पहले उन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन से की तो उनकी शिकायतों पर विश्वविद्यालय प्रशासन ने क्या कार्यवाही की और उनके शिकायत करने के बाद भी विश्वविद्यालय प्रशासन ने कार्यवाही नहीं की उसके लिए कौन जिम्मेदार है? (व्यवधान) आप इसको मजाक बनाना चाहें तो आप....

श्री चन्दनमल बैद (तारानगर) : चतुर्वेदीजी हंस रहे हैं, आप भी अधिकारी

(श्री चन्दनमल बैद)

हैं विश्वविद्यालय के। चीफ वार्डन जिम्मेदार हैं तो आप भी जिम्मेदार हैं।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (उच्च शिक्षा मंत्री) : मैं भी जिम्मेदार हूं।

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : आप डरो मत, तिवाड़ीजी।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बैठे-बैठे न बोलें, माननीय सदस्य।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय उच्च शिक्षा मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकार की शिकायतें जिन भी अधिकारियों ने की हैं, उन शिकायतों को सार्वजनिक किया जाए और उन शिकायतों पर कार्यवाही किन लोगों ने नहीं की, उनके नाम भी उजागर किये जाएं और अगर उन्होंने शिकायत नहीं की है और उसके बाद में भी स्टेटमेंट दिया है तो उनके उस स्टेटमेंट की प्रामाणिकता की भी जांच की जाए।

दूसरा, उपाध्यक्ष महोदय, एक बात और निवेदन करना चाहूंगा कि जिस प्रकार का वक्तव्य आया है, उस लड़की ने वार्डन को जाकर कहा कि उसके साथ यह घटना हो गयी, और उस वार्डन ने रास्ते चलते कह दिया कि जाकर पुलिस में रिपोर्ट करो, उसके बाद उस वार्डन को एक दिन भी वहां रहने का अधिकार था? नहीं था। सरकार ने हटा दिया लेकिन उसके बाद भी उसको प्रोटेक्ट करने के लिए यूनिवर्सिटी के सारे प्रोफेसर, जो इतने-इतने बड़े लोग हैं, व गैंग बनाकर इस्तीफा दे रहे हैं और इस्तीफा देने के बाद में सरस्वती के मंदिर में रहना चाहते हैं?

श्री चन्दनमल बैद : उनके इस्तीफे स्वीकार कर लो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : उनके इस्तीफे स्वीकार करने चाहिए, यस, उनके इस्तीफे स्वीकार करने चाहिए। उनके स्टेटमेंट से तो यह लग रहा है कि जैसे राजस्थान विश्वविद्यालय नहीं है, वह रेड लाइट एरिया हो गया।

श्री चन्दनमल बैद (तारानगर) : प्रोफेसर और बहुत मिलेंगे, करो इस्तीफे स्वीकार उनके।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : इसको राजनीतिक मुद्दा मत बनाइए इसको राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश न करें कृपया। मैं एक बात इस हॉस्टल के बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार के जे. सी. बोस छात्रावास को खाली कराया गया है, यह शिकायत मेरे पास युवक शिक्षकों का एक प्रतिनिधिमण्डल आया था, उसने की कि राजस्थान विश्वविद्यालय के जितने हॉस्टल्स हैं उन हॉस्टलों में जिनकी पढ़ाई खत्म हो चुकी है वे लड़के भी रह रहे हैं वे किस कारण से रह रहे हैं, क्यों रह रहे हैं, इसकी जांच निश्चित रूप से करानी चाहिए।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

जो-जो लोग उनमें रह रहे हैं उनको तुरन्त निष्कासित करना चाहिए और आज तक क्यों रह रहे हैं तथा किसके कारण से रह रहे हैं, इसकी भी जांच होनी चाहिए।

मैं एक बात यह भी निवेदन करना चाहता हूं, कई लोग कहते हैं, मैं उनकी इस बात से सहमत नहीं हूं कि सरस्वती का मंदिर है, इसमें पुलिस का प्रवेश नहीं होना चाहिए। यह सरस्वती का मंदिर है, जहां पर 12 बजे से लेकर 3 बजे तक किसी ने अबला की चीत्कार नहीं सुनी ? बाहर गाने गाकर अपने मां-बाप का नाम उजागर कर रहे थे। बेशर्मी और नपुंसकता की हद थी। उनको तो लानत है ही जिन्होंने यह काम किया, उनको भी लानत कम नहीं है जो बाहर खड़े रहकर नारेबाजी कर रहे थे—

"समर शेष है, नहीं पाप का
भागी केवल व्याध,
जो तटस्थ हैं समय लिखेगा
उनका भी इतिहास।"

यह उनका भी दोष है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार के सरस्वती के मंदिर में पुलिस का प्रवेश नहीं हो तो वह तो होना ही था। पुलिस की सहायता लेकर यदि गुण्डों पर काबू करना है तो निश्चित रूप से करना है। विश्वविद्यालय का सारा एडमिनिस्ट्रेशन, पिछली बार दीपेन्द्र सिंह जी ने कहा, सारी विधान सभा ने यह कहा था कि उप कुलपति आर. एन. सिंह के कारण से सारा मामला डूबा जा रहा है। सारी विधान सभा ने सर्वसम्मति से स्वीकार किया था। मैं किसी को दोष नहीं देता। विश्वविद्यालय की स्वायत्तता अगर महामहिम में निहित है तो होगी लेकिन स्वायत्तता का मतलब अराजकता और व्यभिचार नहीं है। इसकी बजाय तो यह विश्वविद्यालय नहीं चले तो भी ठीक है। अगर स्वायत्तता के नाम पर ऐसे विश्वविद्यालय को चलाना है तो नहीं चलाया जाना चाहिए।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि तत्काल रूप से विश्वविद्यालय के सारे के सारे होस्टल हैं उनको खाली कराया जाए और एक कमेटी बनायी जाए और मैरिट के आधार पर इनमें एडमिशन दिया जाए। बिना मैरिट के आधार पर एडमिशन नहीं दिया जाना चाहिए। तय करना चाहिए एम.ए. करने वाला दो साल के लिए रहे, एल.एल.बी. करने वाला तीन साल के लिए रहे। 5-5 बार फेल होने वाले होस्टलों में रह रहे हैं। होस्टलों में हथियार बरामद हुए हैं। जयपुर के होस्टलों के बारे में रिपोर्ट छपती है अखबारों में। दवाइयों के, ड्रग्स के रैकेट, अड्डे बने हुए हैं, बरामद हुई हैं। हथियारों के अड्डे बने हुए हैं। क्या राज्य सरकार इस पर विचार नहीं कर सकती कि सम्पूर्ण राजस्थान के होस्टलों के लिए कोई कानून बनाया जाए। होस्टल केवल यहीं नहीं हैं, बहुत से स्थानों पर होस्टलों के कारण से गुण्डागर्दी के अड्डे बन गये हैं। शरमाते हैं लोग, कह नहीं सकते। होस्टलों के आसपास रहने वाले परिवारों के लोग तो मकानों को बेचकर

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

जाने के लिए तैयार हूं ।

मुझे याद है, मुझे पिपराली के एक चौधरी मिले, मैंने कहा कि आपके यहां सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल खोल रहे हैं, रूड़ाराम जी उनका नाम है, उन्होंने कहा, बेटा, यह काम न कराओ तो ठीक है। मैंने कहा, क्यों ? बोले, पहले तो हम गांव में काका, ताऊ, चाचा थे लेकिन जबसे तुम्हारी शिक्षा आई है तबसे हम जाट, गुर्जर, ब्राह्मण, राजपूत हो गये । इसलिए ये जो होस्टल हैं ये बजाय पढ़ाने के जिस प्रकार के अड्डे बनते जा रहे हैं उस पर निश्चित रूप से राजस्थान सरकार को विचार करना चाहिए और राजस्थान भर में एक परिपाटी निश्चित करनी चाहिए और चाहे प्राइवेट होस्टल क्यों न हों, उन होस्टलों के बारे में भी जिला स्तर पर एक कमेटी बनानी चाहिए जो उनके मापदण्ड तय करे तथा उस प्रकार से उन होस्टलों के अन्दर लोगों के रहने की व्यवस्था करे ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस घटना के बारे में तीन-चार वह बातें निवेदन करना चाहता हूं जो बहुत ही तकलीफ देने वाली हैं । पहली बात यह है कि विश्वविद्यालय से गांधीनगर थाने में पहुंचने में लड़की को ज्यादा समय नहीं लगा । एक फर्लांग की दूरी है । वहां पर पहुंचने के बाद में दो घण्टे के बाद एफ.आई.आर. दर्ज होने का कोई कारण नहीं है । एफ.आई.आर. दर्ज होने के बाद लड़की के मां-बाप को बिना बुलाये मोटरसाइकिल, स्कूटर पर बैठाकर घुमाने का कोई कारण नहीं है । क्या आठ व्यक्तियों द्वारा प्रताड़ित महिला को जीप में पुलिस वाले नहीं घुमा सकते थे ? क्या उसको मोटरसाइकिल पर ही घुमाना जरुरी था ? क्या जीप उपलब्ध नहीं थी ? किसी अधिकारी के पास जीप नहीं थी ? रोज सब्जियां लाते हुए मैं पुलिस की जीपों को देखता हूं । एक जीप नहीं मिल सकती थी उसको ले जाने के लिए ? क्यों घुमाते रहे थे ? पुलिस वहां पर जाती है और सात कण्डोम, निरोध वहां पर मिल जाते हैं, ये मिलने के बाद क्या बचा था इस केस के अन्तर्गत ? फिर इसमें इतनी ढिलाई क्यों हुई ? रात को 12 बजे मेडिकल हुआ । इतनी देर बाद में मेडिकल क्यों किया गया, मुझे इसका जवाब चाहिए ।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : दो दिन तक कपड़े सीज नहीं किये गये ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मुझे अपनी बात कह लेने दीजिए, मुझे जो जानकारी है वह मैं बता रहा हूं । अपनी रिपोर्ट दर्ज कराने वह लड़की कब आई, कितने बजे रिपोर्ट दर्ज हुई, रिपोर्ट दर्ज करने के बाद डाक्टरी कितने बजे हुई, उसके मां-बाप को कब सूचित किया गया, उसके कपड़े कब सीज किये गये, कमरा कब सीज किया गया? यह बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है । नाकाबंदी कब की गई ?

मुझे आश्चर्य है, हरमाड़ा के पास नाकाबंदी परमानेंट होती है, मैं उधर से रोज आता-जाता रहता हूं, परमानेंट पोस्ट लगी हुई है वहां पर, हरमाड़ा के पास

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

नाकाबंदी में टाटासुमो लेकर अभियुक्त जा रहा है, अभियुक्त जीप छोड़कर भाग रहा है, पुलिस वहां पर खड़ी हुई है। उसी जीप में बैठकर पुलिस पीछा कर सकती थी। अभियुक्त उसी जगह है, उस चैक पोस्ट के पास टाटा-सुमो छोड़कर जा रहा है। वहां 4-5 पुलिस वाले रहते हैं, वे किसी भी गाड़ी पर बैठकर जा सकते थे। किस प्रकार की कार्यवाही की गयी ? यह इस प्रकार की कार्यवाही की गयी है इस पर मुझे शंका है।

एक बात और बार-बार कही जा रही है, उधर से भी कही जा रही है, उसको छिपाकर कहने की क्या जरूरत है। किस मंत्री का पुत्र है, किस अधिकारी का पुत्र है, किसका भतीजा है ? किसी का भतीजा, मंत्री का पुत्र कहने की जरूरत नहीं है। यदि किसी का है तो उसको अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए। अगर नहीं है तो आम तौर पर इस तरह से सब मंत्रियों का नाम लेकर बदनाम भी नहीं किया जाना चाहिए। यह बात भी हो सकती है, मंत्री का भतीजा भी हो सकता है, भाई-भाई आपस मे चुनाव लड़ते हैं, किसी का बेटा और जंवाई भी किसी के कब्जे में आ जाए। इसलिए जो है, जिसका भी है और जिस प्रकार का भी है उस पर निश्चित रूप से कार्यवाही करनी चाहिए। कार्यवाही करने से किसका बेटा बचा हुआ है ? आज के जमाने में किसी का बेटा भी अपराध करने के बाद बच नहीं सकता। न्यायपालिका है, अखबार है, हम बचाना भी चाहें तो नहीं बचेगा।

इस काण्ड के लिए मैं अखबारों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, जितने संयम से उन्होंने छापा है इसके लिए वे भी धन्यवाद के पात्र हैं। बार एसोसिएशन भी धन्यवाद की पात्र है।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं। इस मामले में जो एक प्रस्ताव आया है कि इसकी निन्दा करनी चाहिए, इसकी निन्दा तो हो गयी, इसकी निन्दा आपने कर दी; इसकी निन्दा हमने कर दी, इस पर तो कार्यवाही होनी चाहिए। कार्यवाही भी; जैसा दीपेन्द्र सिंह जी ने कहा, आजकल एक सुनियोजित कार्यवाही होती है। मैं उस घटना का नाम नहीं लेता। अभी जयपुर में कुछ दिनों पहले एक मर्डर हो गया। मुल्जिम पकड़े भी गये। बड़े-बड़े नेताओं के फोन आए, मैं नाम नहीं लेता, निरपराध नहीं पकड़ा जाना चाहिए। यह तकलीफ हो गयी, निरपराध नहीं पकड़ा जाना चाहिए, लेकिन यह नहीं कहा कि कोई भी मुल्जिम छूटना नहीं चाहिए। हमें हमारा दृष्टिकोण बदलना पड़ेगा। कोई भी मुल्जिम नहीं छूटना चाहिए और कोई भी अकारण नहीं फंसना चाहिए।

एक बात जो हमारे समाज और हम सबके लिए दुखदायी है वह यह है कि बार-बार हम यह प्रश्न खड़ा करते हैं कि लड़की गयी क्यों ? लड़की ने इतने दिन रिपोर्ट क्यों नहीं की ? कई बार अपनी इज्जत को बचाने के लिए भी वर्षों तक रिपोर्ट नहीं की जाती। उपाध्यक्ष महोदय; मैं कहना चाहूंगा कि किसी में अगर थोड़ी बहुत त्रुटि भी हो तो उसका इस प्रकार से

(118)

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

शोषण नहीं किया जाना चाहिए । उसके कारण से इतनी बड़ी सज़ा नहीं दी जा सकती । इसलिए मैं राज्य सरकार से मांग करता हूं कि इस शर्मनाक कृत्य को निन्दनीय कृत्य की निन्दा करनी चाहिये । इसका कारण यह नहीं है, इसका कारण यह है कि हमने पुरानी सब परम्पराओं को तोड़ दिया । एक भी दिन किसी भी विद्यालय में कहीं भी हम नैतिकता की बात नहीं करना चाहते । नैतिकता को तो हम डिक्शनरी से निकालना चाहते हैं । जिस देश में जी.टी.वी. और स्टार टी.वी. के कार्यक्रम इसी प्रकार से अबाध रूप से चलेंगे तो देश की भावी पीढ़ी को डुबाने का सबसे बड़ा काम हम करेंगे । नहीं बचा सकते हम लोग । क्या सिखाना चाहते हैं हम लोगों को ? सुबह से शाम तक इन चैनलों पर हम नंगे प्रदर्शन करना चाहते हैं ? यह सारा समाज डूबा जा रहा है । हमारी आजादी की स्वर्ण जयन्ती की जिस समय बहस करेंगे उस समय ये बातें आयेंगी । दूसरी पीढ़ी तो जो हमारी आजादी के बाद जन्मी है, मुझे दुःख है कि वह संस्कारविहीन होती जा रही है ।

किसी जमाने में इस देश में महात्मा गांधी और बहुत से लोगों ने व्यक्ति निर्माण का कार्य किया था । राजनीतिज्ञों ने तो व्यक्ति निर्माण का काम बंद कर दिया । राजनीति ने तो व्यक्तियों को भ्रष्ट करने का काम प्रारम्भ कर दिया है । कौनसी राजनैतिक पार्टी व्यक्ति निर्माण का काम कर रही है ? कहां तक हम समाज में जाने की बात करते हैं ? इन सारी घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में देखकर हम कार्यवाही करेंगे, इस सारी घटना पर हम चिन्तन करेंगे, यह केवल प्रशासनिक मामला नहीं है यह केवल शिक्षा का मामला नहीं है, यह हमारी सम्पूर्ण व्यवस्था का मामला है और हमारे सबके ऊपर एक प्रश्नचिन्ह लगा हुआ है । हम उस सभा में बैठे हुये हैं, उपाध्यक्ष महोदय, जिस सभा का कहीं वह नाम नहीं आ जाये कि चीरहरण होता रहा और हस्तिनापुर के राजसिंहासन से हम बंधे रहे । नहीं होना चाहिये । जितनी कड़ी से कड़ी सजा इन अपराधियों को दिला सकते हैं, हम सबको मिलकर वह दिलानी चाहिये, इन सारी व्यवस्थाओं में सुधार करने का प्रयत्न करना चाहिये और इसको राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाकर सामाजिक मुद्दा बनाकर इस पर हम कार्यवाही करें । जिन विश्वविद्यालय के अधिकारियों का कर्मचारियों का दोष है, जिन पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों का दोष है और जिन्होंने यह कुकृत्य, निंदनीय कृत्य किया है उनको दण्डित करें । कोई भी सजा से नहीं बचे, यह हम सबको मिलकर करना चाहिये । इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रिछपाल सिंह मिर्धा ।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज जिस घटना की सदन में चर्चा की जा रही है

(श्री रिछपाल सिंह मिर्धा)

वह वास्तव में बहुत शर्मनाक घटना है और पूरे राजस्थान का सिर इस घटना ने नीचा किया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसके साथ यह भी बात कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से इस घटना के तथ्यों को तोड़-मरोड़कर सदन के समक्ष इसको बलात्कार का रूप दिया जा रहा है, 7 साल से देह शोषण का मामला है, जिसमें कुछ ऐसे बिन्दु हैं जो विचारणीय हैं। एफ. आई.आर. में माननीय गृह मंत्रीजी के बयान में पहली बात यह बतायी गयी कि संदीप दहिया गोपालपुरा मोड़ से उस लड़की को जे.सी.बोस होस्टल ले गया और नीचे खड़ी करके ऊपर चाबी लेने के लिए गया। वह इतनी देर वहां क्यों इंतजार करती रही? क्या इसे बलात्कार कहा जा सकता है? वह अपनी मर्जी से वहां जब तक वह चाबी लेकर नीचे आया तब तक इंतजार करती रही।

दूसरी बात, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सात साल तक उसका देह शोषण होता रहा और वह बरदाश्त करती रही? (व्यवधान) मैं मेरी बात कह रहा हूं आपको तकलीफ है कुछ?

श्री टीकमचन्द कान्त : तकलीफ तो खूब हो रही है।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : किसको?

श्री टीकमचन्द कान्त : सबको हो रही है।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : हो रही है तो आप भी कह देना। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया आपस में बात नहीं करें, माननीय सदस्य। श्री मिर्धा साहब, आप आसन को सम्बोधित करें।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : आपको क्या तकलीफ हो रही है? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ऐसी घटनाएं राजस्थान में एक नहीं, अनेक हुई हैं और इस तरह से किसी एक वर्ग के खिलाफ तथ्यों को तोड़-मरोड़कर पेश करना और सरकार और खाली पुलिस का दोष बताना, मैं इसमें सत्यता नहीं मानता। क्या करती इसमें सरकार? सात साल तक कोई बन्धुआ मजदूर भी अपना देह शोषण बरदाश्त कर सकती है? क्या सात साल में राजस्थान के पुलिस थाने नहीं थे? (व्यवधान)

श्रीमती शशीदत्ता : कर सकती है।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : क्यों कर लेती है? कोई नहीं कर सकती, शशि दत्ता जी। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या, आसन की आज्ञा के बिना नहीं बोल सकतीं। बिराजें आप।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से

(श्री रिछपाल सिंह मिर्धा)

इस सदन से यह मांग करना चाहता हूं कि इस मुकदमे में जो भी दोषी व्यक्ति हैं, एफ.आई.आर. में जितने नाम दर्ज हुए हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए। पर मैं इसके साथ यह भी बात कहना चाहूंगा कि उसने जिन 90 लोगों के नाम बताये, उनकी सूची सदन की मेज पर रखवाई जाए, पूरी सूची को मंगवा-कर सदन में दिखाया जाए कि इसमें यह 90 नाम बताये। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि इस मुकदमे में पहले एफ. आई.आर. दर्ज हुई उस एफ.आई.आर. को फाड़ा गया और उसके बाद दूसरी एफ.आई. आर. लिखी गयी, क्या यह बात सही है? इसका भी इस सदन में जवाब दिया जाए। जो 90 नाम बताये उनमें वकील, एम. एल. ए., कई लोग शामिल हैं। वह सूची यहां मंगायी जाए। एम. एल. ए. भी शामिल हैं उसमें। मैं नाम बता दूंगा, वह सूची आ जाएगी, माननीय गृह मंत्रीजी यहां सूची मंगवायेंगे विधान सभा में तो।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह नहीं कहता कि यह काम अच्छा हुआ। मैं यह कहना चाहता हूं कि जो यह शर्मनाक घटना हुई है, आपके माध्यम से, माननीय मुख्य मंत्री जी से, माननीय उप मुख्य मंत्रीजी यहां बैठे हैं उनसे यह मांग करता हूं कि इसमें विधान सभा की समिति का गठन किया जाना चाहिए, इसकी न्यायपूर्ण जांच होनी चाहिए और जो व्यक्ति दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पांच व्यक्तियों का एफ. आई. आर. में नाम दर्ज होना पहले बताया, उसके बाद में उस लड़की ने जो 90 नाम बताये उनकी सूची को मद्देनजर रखकर, पांच लोगों ने जो जुर्म किया उसकी श्रेणी में ही वह 90 लोग आते हैं, तो मैं यही बात कहना चाहता हूं कि इसकी न्यायपूर्ण जांच हो, दोषी कितना भी बड़ा हो, वह नहीं बचे। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शिवनाथ सिंह।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : उपाध्यक्ष जी, यह जो प्रकरण यहां शुरू हुआ और जिस पर चर्चा चली, वास्तव में बहुत ही शर्मनाक घटना घटी है। इसके लिए सदन ही नहीं, पूरा समाज शर्मिन्दगी महसूस करता है। एक महिला के साथ इस प्रकार का यौन शोषण हुआ और लम्बे समय तक होता रहा है। इसमें समाज को भी देखना पड़ेगा कि इस प्रकार की घटनाएं क्यों होती हैं। जो कुछ कोताही पुलिस की तरफ से बरती गयी या नहीं बरती गयी, वह माननीय गृह मंत्रीजी देखेंगे। हमारी आज चिन्ता यह है कि पुलिस की तरफ से जो तत्परता दिखायी जानी चाहिए थी वह नहीं दिखायी गयी। कालेज के, यूनिवर्सिटी के जो होस्टलस हैं और जिनका प्रबन्ध जिनके हाथ में हैं उनकी तरफ से बहुत बड़ा अपराध किया गया है। राजस्थान यूनिवर्सिटी के मामले में इस सदन में

(श्री शिवनाथ सिंह)

कई बार चर्चा चली है और उस चर्चा के आधार पर हम कह सकते हैं कि जो हस्तियां, जो अधिकारी, जो सरकार, जो कर्मचारी और मंत्री इसको सुधार सकते थे उन्होंने सुधारने की चेष्टा नहीं की या उनके हाथ में सुधारने की शक्ति नहीं थी।

पिछले सत्र में यहां तत्कालीन जो कुलपति थे उनके सम्बन्ध में बहुत चर्चाएं चलीं, एडमिशंस के मामले को लेकर बहुत चर्चाएं चलीं, उन सब चर्चाओं का कोई निष्कर्ष नहीं निकला और यह जो यूनिवर्सिटी का प्रशासन है उसमें लगातार गिरावट आती रही, उसी का परिणाम है कि आज यह होस्टल्स वेश्यालय बन गये हैं। शर्म आती है मुझे कहते हुए। आज जिस प्रकार का उस महिला का बयान है उस बयान को एफ. आई. आर. में माननीय गृह मंत्रीजी ने पढ़ा है। कोई कह सकता है कि उसका भी सहयोग उसमें हो लेकिन किसी महिला का सहयोग होते हुए भी समाज के किसी भी वर्ग को, व्यक्ति को, पुरुष को इस प्रकार का आचरण करने का अधिकार नहीं है। आज हमें सामाजिक दृष्टि से भी देखना पड़ेगा। यह जो महानगरों की एक संस्कृति है, जैसा अभी हमारे तिवाड़ी साहब कह रहे थे, वह संस्कृति भी इसके लिए जिम्मेदार है। यह काल गर्ल्स की जो संस्कृति है, महानगरों में थी, वह हमारे यहां पर प्रवेश कर रही है, और वही इस प्रकार की घटनाओं को घटित करने के लिए जिम्मेदार है। हमारे समाज को देखना पड़ेगा, हमको देखना पड़ेगा और हमारी सरकार को देखना पड़ेगा कि शहर में छात्रावास और होटल, दो ही ऐसे अड्डे हैं जो इस प्रकार की घटनाओं के लिए जिम्मेदार हैं। क्या सरकार समय रहते उनका इंतजाम नहीं देख सकती थी? क्या उन होटलों पर निगाह नहीं रख सकती थी? क्या उन छात्रावासों पर निगाह नहीं रख सकती थी? वहां के चीफ वार्डन का स्टेटमेंट आया, वह उसके लिए कितना जिम्मेदार है या नहीं है, वह देखने की बात है लेकिन एक बात को उजागर करता है वह स्टेटमेंट कि यह छात्रावास, जो एक ही छात्रावास नहीं है, दूसरे अनेक छात्रावास इस प्रकार के व्यभिचार के अड्डे बने हुए हैं और जब अड्डे बने हुए हैं तो सरकार हमारी क्या कर रही थी। सरकार को उन्होंने आगाह किया है, चेतावनी दी है, जानकारी दी है, उसके बाद भी हमारा पुलिस प्रशासन, हमारा शिक्षा से सम्बन्धित प्रशासन इन सब बातों को गौण करता रहा। गौण करता रहा, उसका नतीजा आज भयंकर रूप में हमारे सामने आया है।

उपाध्यक्ष महोदय, एक ही मामला नहीं है। कानून और व्यवस्था के ऊपर चर्चा होगी तो दूसरी बातें कहूंगा लेकिन एक बात और कहना चाहूंगा। इन्हीं दिनों में जो घटनाएं घटित हुई हैं उन घटनाओं को भी इस घटना के साथ में जोड़ना पड़ेगा। शायद निम्बाहेड़ा या कोई दूसरा स्थान, जैन साधु के ऊपर इलजाम लगाया

(श्री शिवनाथ सिंह)

सारी, भीनमाल। आरोप लगाया गया, पुलिस ने तत्परता दिखाई। तुरन्त उस व्यक्ति को थाने में लाया गया सम्मानपूर्वक जीप में बैठाकर और आन्दोलन चला। इस सरकार ने उस अधिकारी को वहां से हटाने की तजवीज की सस्पैण्ड भी कर सकते हैं ये। तो ये दोहरे मापदण्ड नहीं चलने वाले हैं। आज जो व्यक्ति एक अपराधी है उस महिला का 164 में बयान हुआ है, यह सब अखबारों में आया है, जो दर्दनाक घटना उसने कही है, उसको देखते हुए हमारा प्रशासन, हमारा गृह मंत्रालय और हमारी सरकार ऐसे अधिकारियों को यदि इस प्रकार से प्रताड़ित करती है तो फिर कौन पुलिस का अधिकारी होगा जो इस प्रकार की घटनाओं में सक्रियता से भाग लेगा? जिन लोगों ने इसमें भाग लिया है, जो अत्याचार किये हैं उनको कोई माफ नहीं कर सकता लेकिन....

श्री शांति कुमार धारीवाल (हिण्डोली): आपने भीनमाल की बात कही है, वह सिर्फ अखबारों को पढ़कर आपने बात कही है। तारा भण्डारी वहां पर मौजूद थीं खुद और वह खुद... (व्यवधान) वही तो मैं कह रहा हूं आपसे कि आपको तथ्यों की पूरी जानकारी नहीं है उस बारे में, उसमें इतनी बदतमीजी उस जैन साधु के साथ में की गयी है, इतनी बदतमीजी की गयी है पुलिस के द्वारा....

श्री उपाध्यक्ष: कृपया आप विराजिये, माननीय सदस्य। आप खड़े हो जाते हैं और बिना आज्ञा के बोलना शुरू कर देते हैं। यह क्या तरीका है? कृपया विराजिये।

श्री अमराराम (धोद): कोई साधु को इजाजत होगी, नेताओं को इजाजत होगी (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप बोलिये। आपने समाप्त कर दिया क्या?

श्री शिवनाथ सिंह: मैं बोल रहा हूं, बोल रहा हूं, बोल रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष: बोलिये।

श्री शांतिकुमार धारीवाल: बात व्यवस्था की नहीं चल रही (व्यवधान) बात किसी दूसरे विषय पर चल रही है। या तो आप यह कह दो कि कानून व्यवस्था के ऊपर बात चल रही है। अगर कानून व्यवस्था की बात नहीं चल रही है तो आप खत्म कर दीजिए पहले।

श्री उपाध्यक्ष: विराजिये, माननीय सदस्य। विराजिये, विराजिये। आप, माननीय सदस्य, विराजिये।

श्री शिवनाथ सिंह: न तो मैं इस....

श्री शांतिकुमार धारीवाल: यह क्या तरीका है? आपको उस बात के तथ्य मालूम नहीं हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि जिस विषय पर वक्तव्य दिया गया है, यदि इस मामले में हम गम्भीर हैं तो

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

हमको उसके इर्द-गिर्द रहना चाहिए। कानून व्यवस्था की स्थिति पर अलग चर्चा होगी और उसके तथ्य क्या हैं वह शायद अलग से लिये जायेंगे। केवल अखबारों के आधार पर, हमारे यहां पर यह भी परम्परा रही है कि अखबारों के आधार पर और किन्हीं सुनी हुई बातों के ऊपर हम चर्चा करें तो मैं समझता हूं कि विधान सभा में बड़ी जिम्मेदारी से कोई माननीय सदस्य को बोलने के लिए कहा जाता है और उसमें बिना तथ्यों के आधार पर केवल अखबारों के आधार कोई बात कह दी जाए तो मैं समझता हूं कि हम अन्याय करेंगे। यह सभा निश्चित रूप से न्याय करने के लिए है इसलिए जिस विषय पर चर्चा हो रही है उसके पास हमको घूमना चाहिए।

श्री शिवनाथ सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा, माननीय सदस्य को एतराज था कि मैं अखबारों में छपी खबरों के आधार पर कह रहा हूं। मैं निश्चित रूप से ईमानदारी से और धर्म उठाकर कहता हूं न तो मैं इस बाबत प्राईविटनेस था, न मैं इस काम में शरीक था। (व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी जैन साधु के बारे में जो शब्द कहे हैं उनको आप एक्सपंज कराइये। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : जब तक उस विषय पर चर्चा नहीं शुरू हो जाए तब तक उस विषय पर जांच नहीं करें, तब तक उस विषय पर नहीं बोला जाना चाहिए।

श्री शिवनाथ सिंह : मैं न तो उस मामले में शरीक था। अखबारों में.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया अब समाप्त करें। (व्यवधान) माननीय शिवनाथ सिंह जी।

श्री देवीसिंह भाटी (सिंचाई मंत्री) : मेरा सदन से निवेदन है, जाति और वर्ग के आधार पर सब अपनी अपनी गाये जाएंगे तो....

श्री महावीर प्रसाद जैन : अखबारों में छपी हुई खबर के आधार पर... (व्यवधान) यह तथ्य को तोड़ मरोड़कर पेश कर रहे हैं।

श्री देवीसिंह भाटी : यह बहुत गलत है, बहुत गलत है। उपाध्यक्ष महोदय, जो भी माननीय सदस्य जाति विशेष बात की बात या वर्ग विशेष की बात कहने के लिए खड़े हो जाते हैं, यह बहुत गलत है। क्या यह तरीका हुआ। जहां जाति और वर्ग के मामले आ जाए, अपनी-अपनी वर्ग और जाति के लिए खड़े हो जाते हैं। कमाल हो गया +++ क्या सदन है और क्या माननीय सदस्यों की भावना है?

श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को भीनमाल की घटना के बारे में बिना जानकारी लिये कोई बोलने का अधिकार नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, अगर आप मेरा नाम पुकारेंगे तो मैं बताऊंगी कि भीनमाल में क्या हुआ। बिना जानकारी के माननीय सदस्य को....

+++ शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय शिवनाथ सिंह जी, अब आप समाप्त करें।

श्री शिवनाथ सिंह : कैसे समाप्त करूं ? मुझे बोलने ही नहीं दिया जा रहा है। मैं क्या करूं ?

श्री उपाध्यक्ष : कृपया आप विराजे ताराजी। मैं आपका नाम पुकारने वाला हूं। (व्यवधान)

श्री शिवनाथ सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं भीनमाल की घटना पर न तो बहस में जाना चाहता हूं और न और घटना पर मैं इसलिए कह रहा हूं कि पुलिस प्रशासन एक्शन में आता है तो उस पर दबाव पड़ता है और....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : उपाध्यक्ष महोदय, आप यह व्यवस्था कर सकते हैं क्या कि जिस जाति का नाम आए, उसी जाति के लोग बोलें, बाकी दूसरी जाति के लोगों पर चर्चा करने पर पाबन्दी हो जाए, यह हमारे लिए अच्छी बात है ?

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, ऐसी व्यवस्था आसन की तरफ से नहीं है। कोई व्यवस्था नहीं है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : तो फिर यह अच्छी बात नहीं है।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : तो आप इन्हें रोकिये ऐसे लोगों को विधान सभा को जातिगत आधार पर नहीं बांटा जा सकता चाहे वह चीफ व्हिप ही क्यों न हो ? चीफ व्हिप भी यदि विधान सभा में जातिगत भावनाएं फैलाता है तो बिलकुल गलत बात है। चीफ व्हिप होने का मतलब यह कतई नहीं है कि विधान सभा को जाति में बांटकर रख दें।

श्री उपाध्यक्ष : आप, माननीय सदस्य, विराजिये। प्रतिपक्ष के नेता बोल रहे हैं। विराजिये विराजिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मैंने कोई जातिगत बात नहीं की है। मैंने केवल यह कहा है कि जो वक्तव्य दिया गया है और जिस वक्तव्य के ऊपर चर्चा हो रही है, यदि हम उस विषय को इधर-उधर ले जाएंगे तो मैं समझता हूं, हम उस विषय के साथ अन्याय करेंगे। मैंने यह कहा है, उसको डाइल्यूट नहीं करना चाहिए। मैंने यह बिलकुल नहीं कहा है और जाति में बांटने का प्रयास मैंने अपनी ओर से नहीं किया है। वह वक्ता अपनी ओर से कर सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मुख्य सचेतक महोदय, विराजिये, विराजिये। प्रतिपक्ष के नेता महोदय बोल रहे हैं।

श्री परसराम मदेरणा (नेता, प्रतिपक्ष) : उपाध्यक्ष महोदय, यह बात सही है, अभी यह चर्चा केवल 5 तारीख को जे.सी.बोस होस्टल में जो शर्मनाक घटना घटी, जिससे हम सब शर्मिन्दा हैं उसी विषय पर चल रही है। गुढ़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने दोहरे मापदण्ड की बात कही है, कोई जाति विशेष के ऊपर आक्षेप नहीं किया है। अगर आप यह चाहते हैं, जो उन्होंने अखबार पढ़ा है,

(श्री परसराम मदेरणा)

अखबार में आया है, अब इन्वेस्टीगेशन का तो मामला आगे है, 164 के बयान क्या है, क्या नहीं है, यह 164 के बयान भी सीआर.पी सी. जानने वाले यहां बहुत से एडवोकेट बैठे हैं, क्रिमिनल ला को जानते हैं, वह 164 के बयान ही कोई सत्य को उजागर करता है, यह बात नहीं है, कतई नहीं है।

मैं जानता हूं एक केस को और अभी 164 का बयान हुआ कोई 15 दिन पहले, 65-65 साल के आदमी के झूठे नाम इम्प्लीकेट किये हैं केस में, कनकाक्ट किया केस को इसलिए 164 के बयान हो जाने से ही कोई अपराधी नहीं हो जाता। इसलिए इन्होंने दोहरे मापदण्ड की बात की थी। यहां जाति का सवाल नहीं है। प्रश्न सिर्फ इतना है कि आज जो प्रकरण....

श्री पूनमचन्द विश्नोई : वह इनकी जाति का नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : जो प्रकरण हमारे सामने हैं हम उसी तक ही सीमित रहें तो ज्यादा ठीक रहेगा।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया आप समाप्त करें।

श्री शिवनाथ सिंह : कर रहा हूं, बोलने तो दीजिए। मैं जैन धर्म के लिए बहुत बड़ी श्रद्धा रखता हूं। जैन साधुओं में बहुत बड़ी श्रद्धा है। महावीर जैन धर्म के दिग्दर्शक थे। उन्होंने संसार को संदेश दिया है, मैं जैन धर्म के आगे नत मस्तक हूं।

मैं सिर्फ यह कह रहा था कि जे. सी. बोस छात्रावास में जो कांड हुआ था उसमें तफतीश सही नहीं हो रही है, इस प्रकार की चर्चा यहां सदन में आई। मैं उसमें यह

(14.00)

निवेदन करना चाहता हूं कि सही तफतीश हो, उसके लिए वातावरण ठीक हो, सही मापदण्ड हो और सभी को उसमें सहयोग करना चाहिए। एक काण्ड में सही तफतीश हो रही है या गलत, मुझे उसमें नहीं कहना है, लेकिन यदि एक काण्ड में पुलिस अधिकारियों को प्रताड़ित किया जाता है, उनको एक भय दिखाया जाता है तो दूसरे मामले में भी वह सही तफतीश नहीं कर पाएंगे। मेरा इससे इतना ही सम्बन्ध था, ज्यादा सम्बन्ध नहीं था।

मैं, उपाध्यक्षजी, आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे समाज को यह सोचना पड़ेगा कि यह जो प्रवृत्ति कार्ल गर्ल्स की हमारे यहां आ रही है, इसको हमें रोकना पड़ेगा। दूसरा, यौन शोषण और बलात्कार में भी हमको फर्क डालना पड़ेगा। बलात्कार घृणित कार्य है, उस कार्य की कोई क्षमा नहीं हो सकती, उसकी भर्त्सना की जानी चाहिए। लेकिन जहां तक सहमति से यौन शोषण होता है उसमें दोनों पक्ष दोषी होते हैं। महिलाओं के साथ में यह हो, वह एक कमजोर वर्ग है

(श्री शिवनाथ सिंह)

और कमजोर वर्ग के साथ में हमारी सिम्पेथी होनी चाहिए, लेकिन हमको वातावरण ऐसा तैयार करना चाहिए, हमको ऐसी व्यवस्थाएं करनी चाहिए जिससे इस प्रकार की महिलाएं हमारे देश की माताएं, बहिनें और बेटियां इस प्रकार की प्रक्रिया में लिप्त नहीं हो पाएं और उनके लिए संरक्षण हो, यह मेरा आपसे निवेदन है।

जो कुछ बोस होस्टल में हुआ उसकी मैं निंदा करता हूं। घृणित कार्य है। चाहे सहमति से ही हुआ फिर भी वह काम घृणित है उसकी जितनी निंदा की जाए उतना अच्छा है।

मैं, माननीय उपाध्यक्षजी, यहां पर एक निवेदन करना चाहूंगा कि यहां एक मामला राजनीति से जोड़ा गया। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि कोई किसी का, मन्त्री का सम्बन्धी हो सकता है, भाई हो सकता है, हमने ऐसे उदाहरण देखे हैं कि भाई को भाई कतल करता है, बाप को बेटा कतल करता है इसलिए इस बात को छांटना चाहिए, मुझे पता नहीं किसी मंत्री का है या नहीं है, लेकिन किसी मंत्री का सम्बन्धी कोई कार्य करता है तो उस मंत्री का दोष उसमें कितना है, इस बात को भी छांटकर हमें करना चाहिए, तभी हम यहां इस बात को उठाएं। आज इस्तीफा देओ कि नहीं देओ, यह मुख्य मंत्रीजी का काम है, वह देखें कि उस मंत्री का उसमें कितना लिप्त होना पाया जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ उस घृणास्पद कांड की मैं निंदा करता हूं और यह चाहता हूं कि हमारे समाज में महिलाओं को संरक्षण मिले, आसानी से इज्जत से वह जिन्दगी जी सकें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री देवीसिंह भाटी।

श्रीमती तारा भण्डारी : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे चांस दे देते तो मैं इनकी गलतफहमी तो निकाल देती कि किस काण्ड की किससे तुलना कर रहे हैं वह।

श्री रतनलाल ताम्बी : नहीं-नहीं, आपको जरूरत नहीं है। आपकी गलतफहमी निकली हुई है। आज महिलाओं का रोल अच्छा होना चाहिए।

श्रीमती तारा भण्डारी : जरूरी है। महिलाओं का रोल तो हमेशा ही अच्छा होता है।

श्री देवीसिंह भाटी (सिंचाई मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान यूनिवर्सिटी के जे. सी. बोस होस्टल में जो शर्मनाक घटना हुई है उससे पूरे प्रदेशवासियों को तकलीफ हुई है और शर्म से सिर नीचे झुका है। लेकिन मुझे आज जो महसूस हुआ, उपाध्यक्ष महोदय, यह चर्चा शुरू नहीं हुई थी उससे पहले ही यहां आपस में जब हम बैठे चर्चा कर रहे थे, निजी तौर पर चर्चा हो रही थी तो एक हमारे साथी ने फरमाया कि युवती का चरित्र

(श्री देवीसिंह भाटी)

संदिग्ध था, उपाध्यक्ष महोदय, उस युवती के बारे में तो हमने प्रश्नचिन्ह लगा दिया लेकिन जिन्होंने कुकृत्य किया उनके लिए हमने यह चिंता जाहिर नहीं की, जिस प्रकार से यह सामूहिक रूप से उसके साथ यौन शोषण किया, उस बात के लिए उन्होंने नहीं कहा, हमारे यहां साथी सदस्य थे, मुझे बहुत तकलीफ हुई। क्योंकि उसी परिप्रेक्ष्य में यहां सदन में अब थोड़ी-थोड़ी दूसरे पक्ष से भी चर्चा शुरू हो रही है। एक माननीय सदस्य ने यहां फरमाया कि सात वर्षों से इस प्रकार से हो रहा था, क्यों नहीं बोली वह ? क्यों नहीं उसने अपनी पीड़ा और शिकायत थाने में जाकर दर्ज करवाई ? हम उस युवती के बारे में तो इतना सोचने लग गये कि वह युवती ही दोषी है, बाकी समाज हमारा दोषी नहीं है, यह पुरुष वर्ग दोषी नहीं है। शिवानी जड़ेजा का काण्ड हुआ, उसके बारे में भी एक प्रश्नचिन्ह लगा दिया कि इसका चरित्र संदिग्ध है। उनको हमने नहीं देखा कि जिन्होंने तेजाब डाला, क्या वह सबसे ज्यादा दोषी नहीं थे। उसके लिए भी एक बहस चला दी। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। हम किस दिशा में जा रहे हैं, समाज किस विकृति की ओर बढ़ रहा है, उसके ऊपर चिंता जाहिर करने की जरूरत है। कौन कहां, क्या कर रहा है, धोती में सब नंगे हैं। लेकिन इस प्रकार से सामूहिक रूप से उस युवती का या कोई भी बालिका हो, उसका नाजायज फायदा उठाया जाए, यह किसका कसूर था कि अजमेर के अन्दर जो फोटो काण्ड हुआ, इसके लिए कौन युवती तैयार होती है ? क्या अपनी बहिन-बेटियां तैयार होती हैं ? सब उस तरफ तो जैसे ही ऐसी कोई बात आ जाए तो तलवार निकाल लें, बंदूक निकाल लें। लेकिन उसकी मजबूरी का फायदा उठाते हैं, उसको नाजायज तरीके से बार-बार एक के बाद दूसरा, चौथा, इस प्रकार से सामूहिक रूप से कृत्य होता है, उसके लिए चिंता जाहिर करने की आवश्यकता है। हो सकता है अलग-अलग जाति और वर्ग के, कौन सी जाति और कौन सा वर्ग ? हर जाति में ऐसे युवक मिल सकते हैं, ऐसे व्यक्ति मिल सकते हैं। यहां बड़े-बड़े काण्ड हुए हैं, जोधपुर में पता नहीं कौन से वह, एक गोयल और वह फलां अधिकारी, उद्योग के अधिकारी थे, समाज ने उसको कहीं माफ नहीं किया, वापस प्रमोशन लेते रहे और शालीनता से रिटायरमेंट लेकर गये। पकड़े गये रंगे हाथों, पूरे मोहल्लेवासियों ने पकड़ा, लाकर वहां सबूत दिला दिये, उसके लिए हमने चिंता नहीं की। लड़का कोई भी गलत रास्ते जा सकता है, किसी भी जाति का हो सकता है, लेकिन यह जिम्मेदारी किसकी ? उन माता-पिताओं की, उन पेरेंट्स की, जो उनका ध्यान नहीं रखते कि हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं या क्या वहां कृत्य कर रहे हैं। बच्चा तो कुम्हार की माटी का एक पुतला है, उसे कृष्ण का रूप दे दो, कंस का रूप दे दो। लेकिन उसके लिए जिम्मेदार हम हैं। आज कोई भी कृत्य हो जाए, यहां भी थोड़ी चर्चा होने लग गयी, अगर उसमें कहीं दोष है या गलती होने लग गयी है तो हम उसे उस चीज को महसूस करवाएं, चाहे कोई भी तरीका हो, चाहे

(128)

(श्री देवीसिंह भाटी)

आप जोर से डंडे से समझाएं या प्रेम से समझाएं, उसको सही रास्ते पर लाएं। लेकिन जो उच्च वर्ग के लोग हैं, चाहे वह उद्योगपति प्रभावशाली हैं, चाहे हम सदन में बैठे बड़े लोग हैं, तुरन्त उसकी सुरक्षा के लिए आगे बढ़ते हैं कि यह तो हमारा निजी मामला है, हमारे परिवार का मामला है, इसको तो कैसे ही बचाओ। अगर हम यह चिंता रखेंगे तो कैसे यह समाज सुधरेगा। मुझे तो इसमें बहुत दिक्कत हो रही है। इसके लिए चर्चा करें और उसकी चिंता जाहिर करें तो मैं सोचता हूं कि हम कोई सही रास्ते पर चल सकते हैं, थोड़े परिवर्तन की आशा कर सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, जैसे अभी चर्चा चल रही थी, यह होस्टल, ऐसी संस्थाएं, यह एक सुरक्षित स्थान हो गये हैं गलत कार्य करने के लिए। खुले आम कोई घर में करने के लिए तैयार नहीं, और कहीं स्थान उसे मिलता नहीं, कोई भी गलत काम करो कि होस्टल के अन्दर तो पुलिस आ नहीं सकती, यहां पूरे विद्यार्थियों का झुंड है, यहां यूनियन है, यहां संघ है, किसकी मजाल हो सकती है। यह साहब प्रभावशाली उद्योगपति हैं, इसके फार्म हाऊस पर कौन आ सकता है, यह मंत्री का बंगला है, यहां फलां ऐसे एम. पी. साहब का या फलां एम. एल. ए. साहब का घर है, इसमें किसकी हिम्मत हो सकती है। इसके लिए हमें चिंता करने की जरूरत है कि उसे संरक्षण कौन दे रहा है गलत कार्यों में उसके लिए, चिंता नहीं होती है, उपाध्यक्ष महोदय। यह कृत्य तो कहीं भी हो सकते हैं। यहां कुछ थोड़ा डाइवर्ट करने के लिए कि साहब, यह सरकार किसकी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सरकार किसी की भी हो, चाहे कांग्रेस की रही, चाहे किसी भी दल की रही, चाहे वह वर्तमान सरकार है, किसी भी सरकार में ऐसे गलत काम हो सकते हैं। सरकार इसके लिए दोषी नहीं है। मैं तो यह मान रहा हूं कि यहां बार-बार यह आवाज उठ रही है, मुल्जिमों को गिरफ्तार करना चाहिए, तुरन्त कार्यवाही होनी चाहिए, क्या हो जाएगा गिरफ्तार कर लोगे और उसे जेल में डाल दोगे? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कृत्य हो गया, गिरफ्तार हो गये, कार्यवाही हो गयी, खतम। हमें उस बुराई की जड़ में जाना चाहिए कि उस बुराई की जड़ को हम कैसे समाप्त कर सकते हैं। उसके लिए हमारा प्रयास होना चाहिए। वह मैं सोच रहा हूं। शायद हमारे साथी गलत दिशा में डाइवर्ट हो रहे हैं कि सिर्फ गिरफ्तार करें, तुरन्त कार्यवाही करें। क्यों नहीं हुई कार्यवाही? इस विषय को छोड़ना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो एक उदाहरण दूं क्योंकि मैं खुद भुक्तभोगी हूं। आज से 14 वर्ष पहले इसी सदन के अन्दर मैंने एक विषय उठाया। बीकानेर में मेरे क्षेत्र में पूरी आर्मी का डिविजन आया हुआ था एक्सरसाइज के लिए। खेत-खेत में आर्मी फैल गयी। एक ढाणी के अन्दर एक महिला के साथ सेना के सात जवानों ने गैंग रेप किया। विधान सभा का सत्र चल

(श्री देवीसिंह भाटी)

रहा था, मुझे सूचना मिली। यहां की प्रक्रिया है, स्थगन प्रस्ताव दिया, आसन में व्यवस्था हुई कि राज्य सरकार की जानकारी के लिए भेज दिया गया है, जानकारी प्राप्त होने पर सूचित कर दिया जाएगा। प्रक्रिया है। उसके दो दिन बाद में फिर घटना हुई, मंजू नाम की मेहतर लड़की आर्मी कैम्पस में जाती है उसके साथ रेप होता है, उसका मर्डर हो जाता है। विषय फिर मेरे सामने आया। आखिर आसन के सामने तो वही मजबूरी है या व्यवस्था है हमारी, राज्य सरकार की जानकारी के लिए भेजा जाएगा और जानकारी प्राप्त होने पर व्यवस्था दी जाएगी। मैंने सोचा कि यह तो बहुत गलत हो रहा है। आर्मी से आम नागरिक लड़ नहीं सकता। खेत-खेत में आर्मी फैली हुई है। मैंने उसको सीधा हिट करने के लिए, क्योंकि आदमी अभी तिलमिलाता है जब उसे सीधा हिट किया जाए, पिंच किया जाए, मैं एक तख्ती लगाकर के इस सदन के अन्दर आया कि मुख्य मंत्री की बेटी मंजू के साथ सेना के जवानों द्वारा बलात्कार व हत्या। सोच हमारा बहुत गड़बड़ है। उपाध्यक्ष महोदय, जो इस तरफ बैठने वाले सदस्य थे, इतने आक्रोश में आए, इतने उद्वेलित हुए कि उन्होंने देखा कि हमारे मुख्य मंत्री की बेटी का नाम ले दिया और यह उसको बदनाम करने के लिए उसके चरित्र के ऊपर इस प्रकार से कीचड़ उछालने का प्रयास किया है। उस गहराई में नहीं किये गये कि मेरी भावना क्या है, मैं क्यों ऐसा विषय इस तरीके से उठा रहा हूं। मुझे भी तीन साल का उस समय अनुभव हो गया था इस सदन का। मुझे पता था कि इस प्रकार से विषय उठाऊंगा, कुछ नहीं होना जाना लेकिन पूरे, सबके सब, सदन में जो सत्ता पक्ष में थे, सीधा हिट करने लग गये और वहां पर प्रस्ताव लाने की सारी तैयारी हो गयी कि कोलायत से आने वाले सदस्य की सदस्यता ही समाप्त कर दी जाए। क्या ऐसा बूट मेजोरिटी से करके दिखाना चाहते थे? उस विषय की गम्भीरता में नहीं गये। आज भी मैं उसी परिप्रेक्ष्य में कहता हूं कि यह ऐसा क्यों हो रहा है उसमें जाइये। इसमें मत जाइये कि मुख्य मंत्री खुश हो जाएगे कि हम उनकी पैरवी में सारे खड़े हो गये और एक स्वर से आवाज उठाई। मैं माननीय सदस्यों को आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि उसका परिणाम मिला। पूरे दिन, यहां पर सत्र जो चल रहा था, उसके ऊपर चर्चा हुई और वहां लोग इतने आक्रोश में आए, बीकानेर में, सेना के जवानों के साथ किसी की हिम्मत नहीं होती, चाहे वह जनप्रतिनिधि हो या कोई कितना ही बड़ा आदमी हो, हर आदमी डरा हुआ रहता है, बीकानेर में सेना की गाड़ी नहीं घुसने दी, जो गाड़ी आई उसकी बॉडी तोड़-फोड़ दी, जो जवान सेना का मिला उसके साथ मार-पीट की। ऐसा माहौल बना और प्रेस के माध्यम से यहां की सारी बात गयी। उसके बाद वहां के जी. ओ. सी. को आना पड़ा उसके अन्दर और जी. ओ. सी. ने आकर के सब ऑफिसर्स की मीटिंग ली कि अगर दुबारा ऐसी कोई घटना हो गयी तो बीकानेर से लेकर चंडीगढ़ तक सारों को मैं रूट मार्च

(श्री देवीसिंह भाटी)

करवाऊँगा और उसका असर है कि आज 14 साल के बाद में भी एक भी घटना वहां पर ऐसी नहीं हो सकी जिसमें कोई भी सेना के जवान दुबारा ऐसे आम नागरिकों के साथ दुराचरण करे ।

हमें उस विषय पर जाना पड़ेगा कि इस कृत्य को हम कैसे रोक सकते हैं । यहां पर सिर्फ चर्चा करने से, गिरफ्तार करने से कुछ नहीं होना जाना । हम यहां जाति और वर्ग की बात करेंगे तो, उपाध्यक्ष महोदय, हम कभी भी हमारे समाज के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे । मेरा निवेदन यही है कि सब माननीय सदस्यों को कि इस बीमारी की जड़ में जाइये । यह जाति का, वर्ग का लगाव छोड़ें । अगर मेरा बेटा है तो उसे समाज बहिष्कृत करे । उसे ऐसी नीच निगाहों से समाज के अन्दर किनारे पर खड़ा कर दें । दुबारा उसकी हिम्मत नहीं हो सकती । मैं भी शायद मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा यह प्रतीत नहीं होता और हम एक [illegible] बनकर सामने खड़े हो जाते हैं कि हमारे सामने विषय है कि मेरा अपना है, मेरा कार्यकर्ता है, मेरा नजदीकी है, मेरा रिश्तेदार है इसलिए इसको तो कैसे भी बचाओ ।

उपाध्यक्ष महोदय, इसीलिए आज सुबह जैसे ही मैंने कार्य सलाहकार समिति का जो प्रतिवेदन आना था उसमें देखा, माननीय सदस्य और वरिष्ठ लोग उस समय समिति में विराज रहे थे, कल इतने उद्वेलित हो रहे थे कि विषय आया कि कानून और व्यवस्था के साथ इस सारी की चर्चा होगी, हम उस गम्भीरता में नहीं जाना चाहते, मैं सरकार में हूं तो मैं मेरी बात कहे बगैर नहीं रहूंगा कि अगर इस विषय की गम्भीरता हम जानते थे तो इस विषय को डाइल्यूट करने के प्रयास क्यों किये गये ? क्या यह किसी [illegible] की कुश्ती हो रही है ? अगर विषय की गम्भीरता को हम समझ रहे थे तो इसके ऊपर अलग से चर्चा होनी चाहिए और मुझे बहुत खुशी है कि शासन ने, माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस बात पर सदन की भावना को समझा और इस विषय को अलग से लिया । वरना मैं सुबह से बहुत पागल हो रहा था कि यह किस प्रकार की व्यवस्था है ।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस विषय पर ज्यादा नहीं कहना । हम कोई विषय आ जाता है तो प्यास लगती है तब कुआं खोदने का प्रयास करते हैं । घटना हो गयी, चर्चा हो गयी, समय निकला और समाप्त । इसलिए इसके ऊपर जैसा अभी हमारे साथी [illegible] से आने वाले फरमा रहे थे, मेरा भी उसमें अनुरोध है कि जिस प्रकार से लोक सभा में, राज्य सभा में देश की परिस्थितियां जैसी हैं, क्या हम चाहते हैं उसके ऊपर सदन में अलग से तीन-चार दिन की चर्चा हो । इन सारे विषयों के ऊपर हम जाए तो निश्चित तौर पर एक कदम हम आगे बढ़ सकते हैं । मुझे बहुत तकलीफ हुई कि इस राजस्थान यूनिवर्सिटी में जैसा अभी हाल है वह, और, पूरे समाज में भी ऐसा हो रहा है, एक

(श्री देवीसिंह भाटी)

यूनिवर्सिटी ही विशेष स्थल नहीं है लेकिन कल टीवी पर मैंने देखा, एक महिला प्रोफेसर बोल रही थी कि हम इस यूनिवर्सिटी के क्षेत्र में जिन्दा लाशें हैं, हम अपनी बात कह नहीं सकते, अगर कहते हैं तो हमारे साथ अन्याय होगा, चाहे वह जान से मार दें या हमारी बेइज्जती कर दें। यह ऐसा हम क्यों महसूस कर रहे हैं? अगर महसूस कर रहे हैं तो उसके लिए क्या परिणाम लाना चाहते हैं? इस दिशा में हमारे माननीय गृह मंत्रीजी, मुख्य मंत्रीजी और हम सब जो यहां सदन में बैठे हैं इसके ऊपर चर्चा करके अगर किसी नतीजे पर पहुंचेंगे तो लाभ होगा। आपका वक्तव्य आएगा, निश्चित तौर पर आपकी भी इच्छा होगी कि इसके अन्दर जो भी गलत काम हुआ है दोषियों के खिलाफ कार्यवाही हो लेकिन जो समाज में दोष है वह हम कैसे दूर कर सकते हैं इसके लिए प्रयास होना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री किसनाराम नाई : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सिंचाई मंत्री....

श्री उपाध्यक्ष : किस विषय पर बोल रहे हैं आप?

श्री किसनाराम नाई : बस थोड़ों सो ही विषय है एक सुझाव है।

श्री उपाध्यक्ष : सब्जेक्ट क्या है? मैटर क्या है?

श्री किसनाराम नाई (डूंगरगढ़) : इसी विषय पर है कि जब तक इयान का कुकृत्य करनहाला रो सामाजिक बहिष्कार नहीं करस्यों और घृणा री दृष्टि सूं नहीं देखस्यो जित्तर तक ये जुर्म बंद कोनी होवे। आ बात तो ठीक है राजस्थान री पुलिस में नहीं हिन्दुस्तान री पुलिस में ही शिथिलता है कि इस्या कृत्य करन हाला चाय वे डकैत हो, चाय चोर हो, चाय जार हो, चाय बदमाश हो वाने मारपीट कोनी कर सके और यदि मारापीटी कर दे तो चाय मुल्जिम बीमार भी हो और बीमारी से ग्रसित हो, यदि वांरी कस्टडी मे मर जावे तो पूरा को पूरा थाणों बदल दे तो वाने के आवश्यकता है कि इयान का बदमाशां रे खिलाफ वे कार्यवाही करसी या कोई इस्यो इंस्ट्रूमेंट तैयार करयो है ताकि चोर रो, जार रो और बदमाश रो ठा पड़ जा। इन वास्तें ई में भी परिवर्तन करनों जरूरी है। तो बदमाशां न यदि थोड़ी प्रताड़ना नहीं देसी तो क्यों जुर्म स्वीकार करसी और क्यों इयान्का करन हाला ....

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजें। श्री जुबेर खान।

श्री जुबेर खान (रामगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 5 सितम्बर, 1997 को जो जयपुर में शर्मनाक वाकया हुआ उसके ऊपर हमारे बहुत साथियों ने, बहुत से माननीय सदस्यों ने अपने-अपने विचार रखे। मैं वह बात तो यहां नहीं कहना चाहूंगा, सदन के समय का अभाव देखते हुए, जो अन्य माननीय सदस्यों ने कह दी लेकिन इस मौके पर इतना जरूर कहना

(३२)

(श्री जुबेर खान)

चाहूंगा कि इस तरह के जिन्होंने कार्य किये उसकी जितनी घोर निन्दा की जाए उतनी कम है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमें इस परिप्रेक्ष्य में भी जाना होगा जैसा माननीय कोलायत से आने वाले सदस्य और चौमू से आने वाले सदस्य ने कहा कि आज समाज खड़ा कहां है, आज यह हालत कैसे हो गयी कि जो सरस्वती के मन्दिर कहलाते थे, आज गुण्डों की शरणास्थली बन गये। मुझे दुख होता है यह कहते हुए कि मैं भी 14 साल छात्रावास में रहा हूं और आज विधान सभा के प्रांगण में छात्र राजनीति के माध्यम से आया हूं, इसलिए तकलीफ होती है लेकिन सच्चाई कब तक छुपायी जाएगी। आज जिस तरह की कार्यवाही, जिस तरह की एक्टिविटीज राजस्थान विश्वविद्यालय के प्रांगण में हो रही हैं, अगर मैं आपके सामने खुलासा करूं तो हमारा सिर शर्म से झुक जाता है। बहुत से लोगों ने चीफ वार्डन के वक्तव्य की बात कही कि उन्होंने "आज तक" टी. वी. में क्या कहा लेकिन उनका एक दर्द नहीं समझा। उन्होंने यह कहा कि हम इतने असहाय हैं यहां, चीफ वार्डन होकर भी इतने असहाय हैं कि यहां कुछ नहीं हो सकता है, ऐसी कार्यवाहीयां चल रही हैं, यह चलती रहेंगी। हमें इसके पीछे देखना पड़ेगा। आज विश्वविद्यालयों में क्या हो रहा है? बहुत से माननीय सदस्य यहां विश्वविद्यालय की राजनीति से आये हैं, छात्रावास में रहकर आए हैं लेकिन ऐसा कभी नहीं होता था कि ब्वायज होस्टल में लड़कियों का आना जाना बेरोकटोक हो। यह व्यवस्था होती थी कि ब्वायज होस्टल में कोई लड़की प्रवेश नहीं करेगी, चाहे कोई गेस्ट भी आई हो, अलग से गेस्ट रूम होता था या अगर परिवार के सदस्य भी आते थे या कोई अतिथि आते थे, गेस्ट रूम में मिलते थे बूढ़ा चौकीदार बैठा रहता था। लेकिन आज विश्वविद्यालय में चले जाइये, न कोई चौकीदार मिलेगा, न वार्डन मिलेगा और दुःख की बात है कि शाम को छात्रावासों में जो गुण्डे रहते हैं, छात्रावास के वार्डन के साथ बैठकर दारू पीते हैं। यह स्थिति विश्वविद्यालय की है। आज विश्वविद्यालय में क्या हो रहा है? विश्वविद्यालय बन गये हैं अड्डा गुण्डों का, प्रापर्टी डीलर का, असामाजिक तत्वों का, हमारे जैसे राजनीतिक लोगों के संरक्षण में जो हमारा एक कॉल पर 10-15 लाठियां लेकर भी जाएं, ऐसे लोगों की स्थली बन गये हैं विश्वविद्यालय के छात्रावास। सवाल यह नहीं है कि किसके साथ बलात्कार हुआ या किसने किया। यह तो पुलिस कार्यवाही करेगी। राजस्थान विश्वविद्यालय में, मेरे ख्याल से पुराने लोग जानते है, कोई वर्ष ऐसा नहीं जाता था कि जब इस विश्वविद्यालय से एकाध लड़का आई. ए. एस. और आई. पी. एस. में नहीं आता था और आज आप उठाकर देख लीजिए, इस तरह की परम्परा इस विश्वविद्यालय से जाती रही है क्योंकि हमारा शैक्षणिक स्तर गिरता जा रहा है। आज क्या हो रहा है विश्वविद्यालय में? फर्जी नम्बरों से कैसे दाखिले कराये जाएं, फर्जी मार्कशीट सर्टिफिकेट लगाकर कैसे दाखिले

(श्री जुबेर खान)

कराये जाएं, यह कैसे पता किया जाए कि कौन पेपर सेट कर रहा है फिर उसके बाद यह कैसे पता करें कि कौन कापियां की जांच कर रहा है। अगर कोई उदयपुर में कर रहा है तो उदयपुर पहुंचेंगे। ऐसे लोगों का धंधा बन गया है और जो अभी पेपर लीक हुए हैं वह सब आपके सामने आया है। आप अपनी औलाद को छूट भी दे सकते हैं जब तक आपको लगेगा कि कोई गलत कार्य नही कर रहे हैं, गलत रास्ते पर नहीं भटक रहे हैं और जिस दिन आपको लग जाएगा आपकी औलाद गलत रास्ते पर है, आप उनको रोकना टोकना शुरू कर देंगे। जब तक हमारा देखना था कि विश्वविद्यालय एक अच्छा सरस्वती का मंदिर है, हमने कहा था यहां आटोनोमी होनी चाहिए, यहां दखल नहीं होना चाहिए, यहां पुलिस की एंट्री नही होनी चाहिए लेकिन जब हम यह सोचते हैं कि विश्वविद्यालयों में हर बुरा कार्य हो रहा है तो हमें इनकी स्वायत्तता खतम कर देनी चाहिए। आखिर किसकी जवाबदेही होगी? समाज प्रोफेसर से जवाबदेही नहीं मांगेगा, समाज शासन के अध्यक्ष से जवाबदेही नहीं मांगेगा, समाज कुलपति से जवाबदेही नहीं मांगेगा, समाज जो जनता के जनप्रतिनिधि हैं उनसे उत्तरदायित्व मांगेगा। आज क्या हो रहा है विश्वविद्यालय में? यह तो एक चर्चा आ गयी, यह 5 तारीख का बलात्कार सामने आ गया, शायद ही कोई दिन ऐसा जाता हो कि जब होस्टल्स में गलत काम नहीं होता हो। आज वार्डन यह कहते हैं, हमारी हिम्मत नहीं है कि किसी लड़के से हम यह कह दें कि तू गलत तरीके से रह रहा है, तुझे तीन साल पास किये हुए हो गये और तू आज यहां रह रहा है। आज विश्वविद्यालय से बी. ए., एम. ए. करने के बाद दूसरे एम. ए. में एडमिशन ले लिया क्योंकि होस्टल मिलना है और होस्टल में रहकर काला धंधा करना है। आज मैं कहता हूं अगर आप सर्वे करायें छात्रावासों के तो ज्यादातर छात्र ऐसे मिलेंगे जो या तो प्रापर्टी के धन्धे में लिप्त हैं या राजनीति कर रहे हैं या गुण्डागर्दी कर रहे हैं या ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं या दूसरी तरह के अपराध कर रहे हैं या ड्रग ट्रैफिकिंग का काम कर रहे हैं और दूसरी तरह के अत्याचार कर रहे हैं। आज हमको यह सोचना होगा कि हम किस तरह बढ़ रहे हैं। जैसा कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि विश्वविद्यालय के छात्रावासों में और यहां तक कि जो संस्थाएं छात्रावास चलाती हैं, सरकार को यह गाइडलाइंस बनानी होंगी कि किस तरह के छात्रों के दाखिले यहां कराने होंगे। यह पढ़ने के लिए हैं और, उपाध्यक्ष महोदय, कोई कानून इस दुनिया में हो नहीं सकता जिससे हम शत-प्रतिशत को फायदा पहुंचा दें। जहां दो प्रतिशत छात्रों की वजह से सारे विश्वविद्यालय का वातावरण गंदा हो रहा हो, उनको कठोर सजा देनी चाहिए और ऐसा माहौल हमें बनाना चाहिए विश्वविद्यालयों में कि हमारे भाई-बहन वहां इत्मीनान से पढ़ सकें, खुलकर जा सकें। आज स्थिति वहां यह हो रही है, कोई सच बात कहने को तैयार नहीं है। अच्छे लड़कों के नम्बर रह जाते हैं और गलत लोग फर्जी

134

(श्री कुंवर खान)

सर्टिफिकेट लगाकर दाखिला करा लेते हैं। यह स्थिति विश्वविद्यालय की हो रही है। क्या हुआ पिछले सत्र में चर्चा हुई थी कि किस तरह से नौकरियां वहां बांटी गयीं, किस तरह वहां फाइनेंशियल इर्रेगुलरिटीज हुईं ? हमने क्या किया ? इस सदन में दिन भर चर्चा हुई और यह कहकर समापन कर दिया कि आटोनोमस है, महामहिम की परिधि में आता है इसलिए हम कुछ नहीं करेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज हमको यह चिन्तन करना पड़ेगा। आज यह लड़के कहां से आए ? हम लोगों के ही परिवार से आते हैं, मेरे नहीं किसी के से आते होंगे या कहीं और से आते होंगे। क्या हमने कभी यह कोशिश की और वे लोग जो सरकार में आने से पहले भारतवर्ष बनाने की बात करते थे, समाज की रचना की बात करते थे, आज गलत तरीके से राज में बसाने की बात करने लगे। जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, कहां गये वे आपके साथी लोग जो राज में आने से पहले कहते थे, हमें भारतवर्ष बनाना है, हमको नैतिकता लानी है, हमको अराजकता खतम करनी है, हमारे समाज की बुराइयां हटानी हैं। आज आपके ही लोग बैठकर और आपके ही राज में इस तरह की बुराइयां हो रही हैं। मेरे ख्याल से 40 वर्ष में इतने क्राइम कभी राजस्थान में नहीं बढ़े। एक उदाहरण है यहीं का... (व्यवधान) पार्टी, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए बतानी पड़ेगी कि आज चर्चा हो रही है इसके ऊपर क्या कार्यवाही होगी ? यह लोग कहते हैं माफिया का आतंक नहीं है और इस्तीफा दे दें। हम पार्टियों की बात नहीं करते हैं, जो लोग कुर्सियों पर बैठे हैं, जो लोग कलम लेकर बैठे हैं, जो लोग पुलिस फोर्स लेकर बैठे हैं, जो अधिकारी लेकर बैठे हैं, जो विश्वविद्यालय के कुलपति लेकर बैठे हैं, अगर उनके खिलाफ नहीं बोला जाएगा तो इस सदन में किसके खिलाफ बोला जाएगा, आप मुझे बताइये ? नैतिक जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। मैं आज आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि हम लोगों को न सिर्फ राजस्थान विश्वविद्यालय बल्कि जितने भी बड़े बड़े शिक्षण संस्थान हैं, राजस्थान की एक छवि होती थी कि राजस्थान के बोर्ड से कोई लड़का पास करके आता था तो, अजमेर का बड़ा अच्छा लड़का होगा, राजस्थान विश्वविद्यालय की एक छवि थी क्योंकि हम दिल्ली में पढ़ते थे लेकिन आज उसको बचाना होगा क्योंकि हमारा अगर सबसे बड़ा कोई शिक्षण संस्थान है तो राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर है। मेरा आपसे यह निवेदन है कि सदन में एक समिति गठित होनी चाहिए जो इन विश्वविद्यालयों में इर्रेगुलरिटीज हो रही हैं, सरकार को और महामहिम को यह सुझाव दें कि विश्वविद्यालयों का स्तर कैसे सुधारा जाए, वहां से गुण्डे कैसे हटायें जाएं, वहां स्मोकिंग डीलर्स को कैसे हटाया जाए, वहां के होस्टल्स का दुरुपयोग कैसे रोका जाए, वहां की बहिनों के साथ जो अत्याचार होते हैं उनको कैसे रोका जाए। यह सभी है।

एक दो बात और, उपाध्यक्ष महोदय,

(श्री जुबेर खान)

निवेदन करूंगा। वह पुलिस क्या न्याय करेगी जिस पुलिस के अधिकारी शाम को छात्रों के साथ बैठकर होस्टल्स में दारू पीते हों। यह स्थिति है होस्टल्स की। बेरोक-टोक काम हो रहा है, कभी भी कोई आइये, कोई जाइये। इन मूलभूत समस्याओं के ऊपर विचार करना पड़ेगा क्योंकि बलात्कार की तो आज चर्चा हो गयी और खतम हो जाएगी, पुलिस अपनी कार्यवाही करेगी, अदालत अपनी कार्यवाही करेगी और कोई भी चाहे बलात्कार में या दूसरे में इन्वाल्व हो, मैं नहीं समझता हूं, कोई भी आदमी बचाने की कोशिश करेगा। सजा मिलनी चाहिए लेकिन जिस तरह की सजा गृह मंत्रीजी दिलाते आए हैं, वह हम लोगों को पता है जिसकी कि हमें कोई उम्मीद नहीं है लेकिन हमको विश्वविद्यालयों के ऊपर चर्चा करनी पड़ेगी क्योंकि हमारी आने वाली पीढ़ियां विश्वविद्यालयों के ऊपर निर्भर हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ज्यादा समय नहीं लेता हुआ मैं एक निवेदन करूंगा। एक वकील का नाम आया, बार कौंसिल ने अगले ही दिन मीटिंग करके उसको निलम्बित कर दिया और राज्य सरकार के एक डीवाई.एस.पी. का नाम आया और कोई कार्यवाही नहीं की, इससे बड़ी शर्म की बात और क्या हो सकती है। ठीक है, वह निर्दोष साबित हो जाएगा, अदालत कर देगी। कितने लोगों को आप सस्पैण्ड नहीं करते हैं। आपने बहुत लोगों को सस्पैण्ड किया है। आपने यहीं डीवाई.एस.पी., एस.एच.ओ. और कितने ही लोगों को सस्पैण्ड किया था जिन्होंने गलत गिरफ्तारी कर दी थी। आज इस डीवाई.एस.पी. में क्या बात है कि जब युवती उसके मुंह पर कह रही है यह भी है जिसने मेरे साथ काला मुंह किया है और उस डीवाई.एस.पी. के खिलाफ पुलिस कार्यवाही नहीं करे, इससे बड़ी दुःख की बात कोई हो नहीं सकती। सरोंसिंह जी यह कह दें कि मेरे परिवार का कोई भी हुआ तो उसको बख्शा नहीं जाएगा, यह कहना आसान है और वाहवाही ले लो अखबारों में छपवाकर। आज राजस्थान में मुलजिम पकड़े नहीं जाएं और राजस्थान पुलिस की यह स्थिति हो जाए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे जिले में क्या हुआ? दो महीने बाद वह रामस्वरूप मीणा जब आया तब लोगों ने कह दिया कि हम इसको तब सरण्डर करेंगे जब आप हमारी यह मांग मानेंगे। क्या कर लिया पुलिस ने? आप ये पुलिस से उम्मीद करते हैं....

श्री उपाध्यक्ष : बरामद हो गया।

श्री जुबेर खान : मेरा आपसे यह निवेदन है, माननीय सदस्य लाम्टे, माननीय गृह मंत्री जी, कि आप इसमें तो कार्यवाही कीजिए क्योंकि कोई भी घटना होगी पुलिस से जुड़ी होगी, आप विश्वविद्यालय के स्तर के ऊपर सोचिये कि कैसे इसकी व्यवस्था हो कि वहां गुण्डागर्दी नहीं हो, पढ़ने वाले लड़के रहें, अच्छा शैक्षणिक वातावरण हो। यह हम सबकी जिम्मेदारी है। इसके लिए जब तक पहल

(136)

(श्री जुबेर खान)

नहीं की जाएगी, मैं सोचता हूं आज ऐसे कितने ही कांड जयपुर में होते होंगे, यह तो पकड़ा गया, माननीय गृह मंत्री जी कितनी ही ऐसी होटलें होंगी जिनमें ऐसा कुकर्म होता होगा। क्या आपने कोई दफ्तर गठित कर रखा है कि कभी-कभी छापे मार कर होटलों को देखिए कैसे लोग रुके हुए है, क्या धन्धे हो रहे हैं? आस-पास बड़े-बड़े फार्म हाऊस हैं, देखिए आपको इस दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सभी माननीय सदस्यों को एक बात सोचनी होगी, अगर क्राइम को कम करना है, इस तरह की बुराइयों को हटाना है तो यह मानना पड़ेगा कि जिस तरह की भी ऐसी जगह है चाहे होटल हों, चाहे फार्म हाऊस हों, चाहे गेस्ट हाउस हों, चाहे छात्रावास हो सबके लिए निगरानी रखनी पड़ेगी, तभी लोगों में डर होगा वरना आज बुराई ऐसी है कि जिसको फायदा होता है वह हर आदमी बुरा काम करने को तैयार रहता है और हम लोग तो इसके जीते-जागते उदाहरण हैं। हमारे हित में जो अच्छा लगेगा वह राजनीति में हम करने से नहीं चूकेंगे। जिस आदमी को पैसा कमाना होगा होटल में सब धन्धे करवायेगा, जिस आदमी को लालच होगा वह होटल में सब धन्धे करवायेगा और करेगा। इसलिए इन सब चीजों से ऊपर उठकर, समाज जो पचासवीं वर्षगांठ मना रहा है, अगर सही मायने में कोई संकल्प ले सके इंसीडेंट की वजह से, जे. सी. बोस. की घटना की वजह से तो, मैं समझता हूं कि हमारा इस समाज के लिए कोई रचनात्मक सहयोग होगा। अगर हम वही राजनीति में फंसकर, वह इसका भतीजा है और वह उसका बेटा है और वह उसका रिश्तेदार है, उसकी जाति का है, इन चीजों में उलझ गये तो मैं मानता हूं कि हमारा जो एक कर्तव्य है उसका निर्वहन नहीं कर पाएंगे। किसी का भी भतीजा है उसको तो ईश्वर ने पैदा किया है, अगर गलत है तो उसे सजा दीजिए, इसमें मंत्री का क्या कसूर है। अगर मंत्री उसे संरक्षण देता है तो मंत्री का कसूर है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इसको व्यक्तिगत रूप से नहीं जोड़ें न कोई मंत्री से, कोई जाति से या कोई विशेष जाति से न जोड़ें, इसको मैरिट से लीजिए और जो कुछ हम कर सके, करिए। माननीय गृह मंत्री जी को सही सुझाव दिया था, इस समाज के लिए बहुत अच्छा रहेगा, पीड़ित महिलाओं के संरक्षक यहां मौजूद हैं, आपकी कोई औलाद नहीं है, आप कहिए कठोर दिल से, इसके साथ ज्यादती हुई है, मैं इस लड़की को गोद लेता हूं। अच्छा मैसेज जाएगा समाज में, राजस्थान में। करिए हिम्मत। क्या करना होगा आपको? ज्यादा से ज्यादा शादी करनी हो तो खर्चा करना पड़ेगा। आपको यह करना चाहिए। नहीं तो आगे कितनी ही बहिनों के साथ ऐसा हो रहा होगा, शोषण हो रहा होगा लेकिन डर से नहीं बोल पा रही होंगी कि समाज में हमारी बुराई होगी, समाज में हमें हीन भावना से देखा जाएगा, हमारी शादियां नहीं होंगी, जिन्दगी भर हमें ताने सहने पड़ेंगे। सामाजिक रूप से ऊपर उठिए

(श्री जुबेर खान)

और कुछ करिए। यही बात इस मौके पर कहना चाहता था। किसी को ठेस पहुंची हो, उसके लिए क्षमा चाहूंगा। धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री उपाध्यक्ष : श्री ज्ञानसिंह चौधरी, कृषि मंत्री।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इंटरफियर नहीं कर रहा हूं....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय कुछ स्पष्टीकरण देना चाहते हैं, कृपया बिराजें।

श्री रामनारायण मीणा : मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूं, इसमें स्थगन प्रस्ताव जिन माननीय सदस्यों ने दिया था क्या उनके भी नाम इसमें हैं, उनको भी बोलने का मौका दिया जाएगा या पार्टी की तरफ से जो लिस्ट आई है उन्हीं को ही बोलने दिया जाएगा ?

श्री टीकमचन्द कांत : यह बहस है। बहस दोनों तरफ से होती है, एक तरफ से नहीं।

श्री रामनारायण मीणा : यह नहीं है, मैं एक निवेदन कर रहा हूं कि उसके बारे में क्या है, उसकी भी व्यवस्था दे दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समय बरबाद न करें। आपको बुलाया जाएगा। आप बिराजें माननीय सदस्य। कृषि मंत्री जी।

श्री ज्ञानसिंह चौधरी (कृषि राज्य मंत्री,) : उपाध्यक्ष महोदय, इस 5 तारीख को जे. सी. बोस में जो बलात्कार की घटना हुई उसकी सारी सदन भर्त्सना कर रहा है, मैं भी व्यक्तिगत रूप से भर्त्सना करना चाहता हूं और इस बात के साथ कि इसको किसी व्यक्ति से, किसी जाति से न जोड़ कर इसकी गंभीरता को समाप्त न करें और निश्चित रूप से सरकार को, हमारे मुख्य मंत्री जी को चाहिए कि इस प्रकार की निष्पक्ष जांच करावें जिससे कि भविष्य में इन मामलों की पुनरावृत्ति न हो। जहां तक मेरे व्यक्तिगत स्पष्टीकरण का प्रश्न है, निश्चित रूप से जो हमारे नरेन्द्र कस्बा की बात कही गयी है, हमारे परिवार में हमारे बड़े भाई के लड़के हैं लेकिन पिछले 20-25 साल से हमारा कोई राजनैतिक और सामाजिक सम्बन्ध नहीं है। इस बात को बहुत सारे लोग जानते हैं। इसी संदर्भ में जैसा हमारे कई साथियों ने चर्चा कहा किसी व्यक्ति से नहीं जोड़कर इस प्रकार का वातावरण तैयार करें कि जिससे कि इस प्रकार के प्रकरणों की भविष्य में पुनरावृत्ति नहीं हो।

जहां तक हमारे विश्वविद्यालय का प्रश्न है, काफी अरसे तक मुझे भी राजस्थान विश्वविद्यालय में पढ़ने का, छात्रों का नेतृत्व करने का मौका मिला। राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष के रूप में भी और एक छात्र के रूप में

(श्री ज्ञानसिंह चौधरी)

भी हमने इस काम को देखा। लेकिन पिछले 10 साल से जिस प्रकार की परिस्थितियां बन रही हैं वह वास्तव ऐसी परिस्थितियां हैं कि लड़कियां वहां निश्चिंत रूप से निर्भीक होकर घूम नहीं सकती। यह दायित्व हमारी सरकार का भी है, विश्वविद्यालय प्रशासन का भी है कि कम से कम ऐसा वातावरण तो तैयार करें कि वहां आने वाली छात्राएं निर्भय होकर अपना अध्ययन कर सकें, हमारी खेलकूद की गतिविधियों में, सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग ले सकें। लेकिन इस प्रकार का पिछले 10 साल से वातावरण बन रहा है। एक समय था जब हम लोग साथ पढ़ते थे, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी एक साथ करते थे, साथ में खेलना-कूदना होता था लेकिन आज जिस प्रकार का वातावरण बन रहा है इसको हमें चाहिए कि इस घटना के बहाने हम देखें। चाहे समिति के जरिये देखें, चाहे अनुभव के आधार पर देखें लेकिन राजस्थान विश्वविद्यालय को निश्चित रूप से पवित्र करने की आवश्यकता है।

अंत में मैं यही कहना चाहता हूं कि जो घटना घटी है इसको गंभीरता से लें। किसी जाति की बात पर, किसी पार्टी की बात पर, व्यक्ति विशेष से इसकी गंभीरता को समाप्त नहीं करें और भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो, यह हमें संकल्प करना चाहिए हमें इस बारे में। जो यह विषय उठा है, निश्चित रूप से जनता के पास मैसेज जाएगा और उस मैसेज को हम किस प्रकार से विश्वविद्यालय के प्रांगण में, हमारे समाज में लोगों तक पहुंचा पाएं, यह हमारे जन प्रतिनिधियों का और शासन करने वालों का कर्तव्य है। धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती इन्दिरा मायाराम।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम (सांगानेर) : सम्माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज यह जो विषय हमारे सामने है और जिसके बारे में चर्चा हो रही है और जिसके लिए मैंने आग्रह भी किया था, मैं बहुत व्यथित हृदय से यहां एक बात निवेदन करना चाहती हूं कि यह जो कार्य हुआ है एक लड़की के साथ और हमारे गृह मंत्रीजी ने जिस तरह से यहां वक्तव्य दिया और यहां तक कि उस बच्ची का नाम भी नहीं रोक पाये जबकि शायद उनकी बच्ची होती तो वह ऐसा नहीं करते, मेरा एक निवेदन तो यह है कि इस बच्ची का नाम कम से कम प्रोसिडिंग्स में तो ना लिया जाए।

अनेक माननीय सदस्य : वह तो आ गया।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : मेरा निवेदन है, अब आ गया तो ठीक है लेकिन मैं बता रही हूं। मेरा कहना यह है कि जो यह दुष्कर्म हुआ है और जिस ढंग से हुआ है उससे ज्यादा गहन अपराध कोई नहीं हो सकता और यह बात भी सही है, जैसा माननीय सदस्य अभी तक भाषण दे रहे थे

(श्रीमती इन्दिरा मायाराम)

कि यह कर्म जो किया गया है यह करने की प्रवृत्ति कोई एक दिन में नहीं होती। पिछले कितने वर्षों से जब ऐसे काम होते रहते हैं उनमें सजा नहीं होती है, उनमें कोई कार्यवाही नहीं होती है तो लोगों के हौसले बुलंद हो जाते हैं। सबसे ज्यादा दुःख की बात यह है कि आज हम अपने देश की आजादी की पचासवीं वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं और उस आजादी के पचास साल बाद भी हमारे यहां की युवती की, हमारे यहां की महिलाओं की हालत ऐसी हो रही तो क्या हमारे देश का विकास हुआ, इसकी चर्चा आप क्या करेंगे, यह आप खुद सोच सकते हैं। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने आजादी की लड़ाई के साथ-साथ महिलाओं और बहिनों के ऊपर हो रहे अत्याचार और उनके उत्थान का काम भी साथ लिया था।

एक बात और हमें नहीं भूलनी चाहिए कि जिस वक्त हमारे देश का विधान बना था और हमारी महिलाओं को जब वोट का अधिकार दिया गया था तब बड़े-बड़े जो आगे बढ़े हुए मुल्क थे, बड़े-बड़े मुल्कों में भी सारी महिलाओं को वोट का अधिकार नहीं था, जो हमारी महिलाओं को हमारे नेताओं ने दिया था और वह इसीलिए दिया था कि हमारी महिलाएं हिम्मत से आत्मनिर्भर होकर रह सकें। पर उनको पता नहीं था कि इस देश में ऐसी राजनीति फैलने वाली है कि देश में पचासवीं वर्षगांठ के बाद भी लड़कियों के साथ इस प्रकार के कर्म किये जाएंगे।

मुझे बड़े दुःख के साथ यह कहना पड़ रहा है कि इस कांड को जिस ढंग से यहां पर बयान किया गया है, जैसे बिलकुल गम्भीरता है ही नहीं। 6 साल से थे सम्बन्ध। क्यों थे सम्बन्ध ? इसलिए थे कि हमारे यहां लड़कियों को डराया जाता है यह नहीं कि तुम्हारी बदनामी होगी। वह अपनी बदनामी सह लेगी लेकिन उसको डराया जाता है कि तेरे भाई को मार देंगे, तेरे बाप को जान से मार देंगे। कोई भी लड़की यह सहन नहीं कर सकती कि उसके बाप को या मां को मार दिया जाए। तो ऐसे डर की वजह से अगर वह रिपोर्ट दर्ज नहीं कराती है, यहां यह पूछा जाता है कि उसने रिपोर्ट दर्ज क्यों नहीं कराई। उस लड़की की मानसिक स्थिति देखिये। जिन लड़कियों के साथ में यह काण्ड हो रहा है चाहे वह बीकानेर में फोटो काण्ड हो, चाहे वह अजमेर में फोटो काण्ड हो, चाहे वह शालिनी काण्ड हो, चाहे शिवानी काण्ड में कितना शोर मचाना पड़ा था, कितने स्टेटमेंट देने पड़े थे, कितनी बार यहां महिलाओं को आन्दोलन करने पड़े थे तब जा करके उनको गिरफ्तार किया गया। अभी मेरे भाई कालीचरणजी ने, माननीय सदस्य ने सही कहा, मैं उनकी भूरि-भूरि तारीफ करती हूं, 2 बजे काण्ड हुआ था और 3 बजे गांधीनगर थाने में जब वह पहुंची थी, अगर उसी वक्त नाकाबंदी कर दी जाती तो क्या वह गाड़ी पकड़ी नहीं जाती। बड़ी-बड़ी जगह गाड़ियां पकड़ी जाती हैं लेकिन यहां ध्यान देने वाला कौन है, ऐसे काण्ड तो रोज ही होते रहे हैं।

(श्रीमती इन्दिरा मायाराम)

मैं आपको एक के बाद एक पढ़कर सुनाऊं, "जिन्दा महिलाओं की हत्या के मामले में पुलिसकर्मी दोषी पाये गये", "देह व्यापार में वृद्धि के लिए राजनेता व पुलिस जिम्मेदार", "बीकानेर में फोटो ब्लैक मेल काण्ड उजागर" "युवती से बलात्कार का प्रयास करने पर थानेदार की पिटाई", "देश में हर रोज 17 महिलाएं दहेज उत्पीड़न की शिकार"। मैं आपको कहूं ना, अभी एक के बाद एक बोलती जाऊंगी, "शोषण कर रहे कई लोगों के नाम उजागर" अभी आपको एक बात बताती हूं, जिससे आप सब लोगों को यह भी मालूम हो जाएगा कि राजस्थान में क्या है, "बलात्कार के बाद जंगल में छोड़ी गयी विधवा की लाश बरामद", "खरीदी हुई युवती की भूख-प्यास से तड़पते हुए मौत", "युवती को मुक्त कराने में...." (व्यवधान) बोल रही हूं, धारा-प्रवाह बोल रही हूं। एक बात बताने तो दीजिए, "सामूहिक बलात्कार की चौतरफा भर्त्सना।" मुझे अभी मिला नहीं, उसको बता दूंगी, आपको दे दूंगी, सदन की टेबल पर रख दूंगी कि राजस्थान में देह व्यापार कितनी आगे बढ़ गया है। इसका इसमें है। इसके साथ-साथ, "मुम्बई से देह व्यापार करने वाले 4 गिरोह के आदमी पकड़े गये।" वह भी मैं आपकी टेबल पर रख दूंगी। तो ये सारी चीजें जब हो रही हैं, यह मैं आपको पिछली घटनाएं, एक साल की क्या, 8 महीने की बता रही हूं। अगर आप पिछले 4 या 5 साल की उठाकर देखेंगे तब आपको यह अंदाज हो जाएगा कि इस घटना की नौबत क्यों आई। क्योंकि इतने काण्ड होने के बाद भी गिरफ्तार होकर जमानत पर छूट जाते हैं, किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता है। तो मैं माननीय सदस्यों की तरफ से हमारे उपाध्यक्षजी के द्वारा मुख्य मंत्रीजी और गृह मंत्रीजी को यह निवेदन करना चाहती हूं कि कानून व्यवस्था जिसके लिये राजस्थान में लोग आना चाहते थे, कहते थे कि कानून व्यवस्था राजस्थान की बड़ी अच्छी है इसलिए असम से, बिहार से, बंगाल से, महाराष्ट्र से लोग आते थे, उस कानून व्यवस्था का ऐसा सत्यानाश कैसे हो गया। इस कानून व्यवस्था पर तो अभी चर्चा होगी तब मैं आपको बताऊंगी। यह तो अभी महिलाओं की चर्चा चला रही हूं कि यह हालत कैसे हो गयी, हमारे देश की, इस हमारे राजस्थान की। इसलिए मुख्य मंत्रीजी, गृह मंत्रीजी और सरकार में बैठे हुए मंत्री महोदय इस बात पर ध्यान दें कि जो बहिनों के साथ हो रहा है, वह आपकी बहिन भी हो सकती है, आपकी बेटी भी हो सकती है। इसलिए इस प्रकार के कोई भी काम होते हैं, उनमें पुलिस को इमीजिएट एक्शन लेना चाहिए।

दूसरी बात यह है कि अभी किसी मुनिजी के ऊपर बहस हो रही थी, मैं सिर्फ यह कह रही हूं कि मुनि, स्वामी, चन्द्रास्वामी और कोई स्वामी का मतलब नहीं है, अगर कोई भी ऐसा काम करता है, मैं किसी खास आदमी के लिए नहीं कहती लेकिन कोई भी ऐसा काम करता है तो उसके खिलाफ एकदम एक्शन लेना चाहिए, चाहे वह कोई भी हो। मुनिजी*

(श्रीमती इन्दिरा मायाराम)

ने नहीं किया होगा, वे भले आदमी होंगे, मैं उनके बारे में जब जानती नहीं हूं तो मैं गलत नहीं पढ़ूं, अखबार की वजह से नहीं कहूं। लेकिन मैं इस बात को जानती हूं कि स्वामी बन करके कितने लोग इस तरह के काम आज कर रहे हैं। इसलिए सिर्फ स्वामी होने की वजह से उनको छोड़ दिया जाए, यह सही नहीं है। अभी आपने अखबार में 2-4 दिन पहले पढ़ा होगा कि अमरीका में, हमारे हिन्दुस्तान के ही स्वामी राम हैं, उन्होंने 19 साल की किसी लड़की के साथ कोई काम किया, रजामंदी से किया यह गलत काम, और उनके ऊपर 17 लाख रुपये का जुर्माना किया गया मरने के बाद में। मद्रास में भी हुआ, मरने के बाद किया गया। उनकी जो संस्था है, स्वामी के नाम से संस्था चलाते थे, साधु बन गये, उससे वह लिया जाएगा। इसलिए मैं आपको यह कह रही हूं कि यूनिवर्सिटी में जो यह काण्ड हुआ है, यह इन कारणों की वजह से हुआ है। अब मैं आपसे कहने जा रही हू कि यूनिवर्सिटी में होने के बाद, आज 5 दिन के बाद भी यह कहा जा रहा है कि हम गिरफ्तार नहीं कर सके। मैं यह बिलकुल भी नहीं मानती हूं कि सरकार की इच्छा होती तो ये लोग गिरफ्तार नहीं होते। क्योंकि जैसा हमारे एक सदस्य ने कहा कि जब किसी गरीब के साथ कोई छोटा-सा भी मामला हो जाता है, हमने रास्ता रोक कर आन्दोलन किया, उसमें तो उन्होंने केस दर्ज करके एक हफ्ते के अन्दर कोर्ट में भेजा दिया। एक हफ्ते के अन्दर। मैं जानना चाहती हूं, आज एक हफ्ते में उनका पता ही नहीं लग रहा है कि वे कहां पर चले गये हैं? क्योंकि इसके बारे में आप गम्भीर ही नहीं हैं।

दूसरी बात यह है कि विश्वविद्यालय में जो आज हो रहा है, जिस तरह से हो रहा है उसके ऊपर भी गम्भीरता से विचार होना चाहिए। मैं भी इसी विश्वविद्यालय की स्नातक हूं। मैंने भी एम. ए., एलएल. बी., सब इसी विश्वविद्यालय से किया है लेकिन मेरे काल में कभी किसी लड़की की कोई हिम्मत नहीं थी कि लड़कों के होस्टल की तरफ मुंह उठाकर भी देख ले। आज यह हो रहा है कि लड़कियों को ले जाते हैं और मोटर साइकिल पर ले जाते देखा। उसके बाद में उसको पुलिस थाने में लाए और जैसा भाई दीपेन्द्रसिंहजी कह रहे थे कि पुलिस थाने में 2-2, 4-4 जीपें हैं, उनको जीप नहीं मिले कि उनका केस दर्ज करे, गांधीनगर में वहां जाएं। उससे वार्डन कह रहा है कि वहां से वहां जाइए। उन सब चीजों की, तथ्यों की जब तक आप जांच नहीं करायेंगे, यह सरकार यहां पर रहने के काबिल नहीं है, सरकार को इस्तीफा देना चाहिए, मेरा यह मानना है। इसलिए मैं आपसे यह निवेदन कर रही हूं कि जो यह काण्ड हुआ है और जिसकी वजह से पूरा जयपुर दहल गया। आज तक नहीं सोचा होगा कि जनता का कर्फ्यू लगेगा। मुझे मेरी जिन्दगी में इतना समय हो गया, 15 साल की मैं आई थी, युवक कांग्रेस की मैम्बर बनी थी, 20 साल की मैं यूथ कांग्रेस की प्रेसीडेंट बनी थी लेकिन मेरी जिन्दगी में

142

(श्रीमती इन्दिरा मायाराम)

मैंने नहीं सुना कि जनता का कर्फ्यू लगा हो कभी। कल पहली बार जनता का कर्फ्यू लगा है, इसका मतलब जनता कितनी दहल गयी है। जयपुर की जनता की क्या हालत हो गयी है कि हमारी बच्चियां कैसे सुरक्षित रहेंगी। तो जहां सरकार से इतना भय हो जाए बच्चियों के रहने में, वहां की सरकार इतना निकम्मी हो जाए, इतनी कमजोर हो जाए, उस सरकार से कैसे आशा कर सकते हैं कि हमारी बच्चियों की जिन्दगी सुरक्षित रह सकेगी। इसलिए मेरा कहना है कि इनकी जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी की जाए।

गृह मंत्रीजी क्या करेंगे, यह तो उनके सोचने की बात है कि वे अपनी जिम्मेदारी मानते हैं कि नहीं मानते लेकिन इस मामले में जितना जल्दी हो सके, असेम्बली भंग होने से पहले-पहले गिरफ्तार करें। आगे के लिए आप स्पेशल थाने बनाएं, चाहे आप स्पेशल एस. पी. लगाएं, महिलाओं के जो मामले हैं उनमें उनको तब तक जमानत नहीं दी जाए जब तक कि जांच पूरी नहीं हो जाए। गिरफ्तार करने के लिए उनका अलग से आपको एक विभाग बनाना चाहिए, जिस विभाग के द्वारा उनको पकड़ने का काम किया जाए। महिला जांच व दहेज वाला नहीं कह रही हूं। सारी महिलाओं के जो इस तरह के केसेज हो रहे हैं उनके लिए, पकड़ने के लिए अलग से विभाग होते हैं, यह मेरा निवेदन है। आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं। जय हिन्द।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती तारा भण्डारी।

श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मेरा नाम पुकारा इसके लिए तो धन्यवाद, परन्तु, उपाध्यक्ष महोदय, मैं पूरे ला एण्ड आर्डर पर बोलना चाहती हूं और जैसी आज की व्यवस्था है कि इस विषय को डाइल्यूट नहीं किया जाय, उसमें मेरा आपसे विनम्र निवेदन कि जब ला एण्ड आर्डर पर चर्चा आए तब आप मेरा नाम पुकारियेगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राजेन्द्र पारीक।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां शिक्षक दिवस के रूप में शिक्षकों को सम्मानित किया जा रहा था, संयोग देखिये कि उस सम्मान के साथ-साथ एक ऐसा कृत्य भी किया जा रहा था, जिसकी निंदा या जो कुछ भी सजा या जो कुछ भी हम यहां पर चर्चा कर लेंगे, या राज्य सरकार अपराधियों को गिरफ्तार करके या कोर्ट के द्वारा सजा दे दी जाएगी, इन सबके बावजूद भी एक ऐसा प्रश्न अनुत्तरित रह जाएगा कि क्या ऐसी पीड़िताओं को हम सामाजिक प्रतिष्ठा दिलवा पाएंगे? क्या ऐसी पीड़िताओं को समाज में सिर उठाकर जीने का हक दिला पाएंगे? यह कुछ ऐसे अनुत्तरित प्रश्न हैं, जिनका जवाब मैं समझता हूं कि न तो विधान सभा के पास है और न राज्य सरकार के पास है। आज हम इस अहम् मुद्दे पर चर्चा कर

(143)

(श्री राजेन्द्र पारीक)

रहे हैं। इस चर्चा का यह मकसद भी नहीं है कि चर्चा करके हम गृह मंत्रीजी के इस्तीफे की बात करें या सरकार को हम कटघरे में खड़ा करने की बात करें। आज की चर्चा का उद्देश्य मात्र इतना होना चाहिए, जो घटित हो गया वह हो गया लेकिन भविष्य में इस विधान सभा के माध्यम से इस राजस्थान की जनता को एक मैसेज जाए कि इस राजस्थान में रहने वाली हर अबला, छात्रा, महिला महफूज है, सुरक्षित है, भले ही वह जंगल में रह रही है, भले ही वह शहर में रह रही है, भले ही वह एजूकेशन प्राप्त कर रही है या भले ही वह कहीं पर नौकरी प्राप्त कर रही है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सुप्रीम कोर्ट को यह अपने डायरेक्शन देने पड़े हैं कि महिलाओं पर जिस तरह के अत्याचार हो रहे हैं, वह चाहे कहीं पर नौकरी कर रही है या कहीं शिक्षा प्राप्त कर रही है, या कहीं पर वह कुछ भी कर रही है, उसके साथ इस तरह का एक वातावरण बना है, बरताव करने का जो वातावरण बना है उसके लिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सुप्रीम कोर्ट को अपने डायरेक्शन देने पड़े हैं कि यदि कोई ऐसा पाया जाता है तो दोषी व्यक्ति को जो ज्यादा से ज्यादा सजा का प्रावधान हो, वह दी जानी चाहिए। और यह तब हुआ है जब सुप्रीम कोर्ट ने यह महसूस किया है कि इन अबलाओं के साथ बड़ा-भारी अत्याचार हो रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, पिछली बार जब सैशन चला था तब भी यूनिवर्सिटी की चर्चा इस विधान सभा के प्रांगण में हुई थी तब मैंने बड़े दुःखी मन से और पीड़ित हृदय से कहा था कि राजस्थान विश्वविद्यालय की चर्चा हम जितनी कर रहे हैं, कहीं ऐसा नहीं हो कि बाकी के विश्वविद्यालय यह अपने नोटिस बोर्ड पर लिख दें कि राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र कृपया यहां पर एडमिशन के लिए एप्लाई नहीं करें। या जिन नौकरियों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाएं उनमें कहीं यह नहीं लिख दें कि राजस्थान विश्वविद्यालय के स्नातक या उससे डिग्री प्राप्त अभ्यर्थी हैं वे कृपया आवेदन नहीं करें। ऐसी स्थिति यूनिवर्सिटी की बनती जा रही थी।

मन में बड़ी पीड़ा थी लेकिन वह पीड़ा महज इतनी सी थी कि वहां का प्रशासन नाकारा साबित हो रहा था। जितनी भी आर्थिक अनियमितताएं हो सकती थीं, वह हो रही थीं। लोगों को अनियमित तरीके से नौकरियां दी जा रही थीं। लेकिन उसमें किसी की अस्मिता नहीं लूटी जा रही थी। उसमें केवल लैप्सेज थे तो इतने से थे कि सरकार, जिसका यह दायित्व बनता था, इन स्वायत्तशासी संस्थाओं को मूल स्वायत्तशासी मानते हुए भी इन पर अपना अंकुश रखे और वह उसमें विफल रही। तब भी मन में केवल इतनी सी पीड़ा थी कि खास इन विश्वविद्यालयों का स्तर सुधरता। लेकिन आज जिस मोड़ पर, जिस स्थिति में हम खड़े हैं, वह एक ऐसी चिन्ता का विषय है कि हम इसको कैसे रोकेंगे। जो घटना घट गयी वह घट गयी लेकिन

(श्री राजेन्द्र पारीक)

इसके पीछे कारण क्या है, इसके पीछे ऐसे कोनसे रीजन्स हैं जिन पर हमको विचार करना होगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बड़ा फोड़ा एक साथ नहीं बनता है। उससे पहले छोटी फुंसी होती है फिर वह अपना विस्तार लेकर एक बड़े फोड़े के रूप में बनती है और तब उसके नश्तर लगता है। आज विश्वविद्यालय की जो स्थिति बनी है, उस स्थिति के भी निश्चित रूप से वो के वो मानदण्ड हैं और वो की वो ही सारी बातें हैं। विश्वविद्यालय में रहने वाले तथाकथित विद्यार्थी सो-कॉल्ड स्टूडेंट्स, जिनको दस-दस साल हो गये, यूनिवर्सिटी में वे कहीं पर अध्ययनरत नहीं हैं, बावजूद इसके वे यूनिवर्सिटी कैम्पस में अपने उसी अधिकार से रह रहे हैं जैसे उन्होंने कल ही दाखिला लिया हो। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहते हुए कोई संकोच नहीं है कि आज हमारे यहां जो ठेकेदार की व्यवस्था है, खास तौर से शराब के ठेकेदारों की उनमें जो एक व्यवस्था उन्होंने कायम कर रखी है कि ठेकेदार के आदमी जाते हैं उन स्थानों पर, जहां पर उनको अवैध शराब पकड़नी होती है, वहां पर वे उन लोगों को साथ लेकर जाते हैं, अपनी एक पूरी टीम की टीम साथ लेकर जाते हैं, पुलिस और एक्साइज के जो अधिकारी हैं, उनसे तो कम कार्यवाही होती है बल्कि उनके जो पालतू गुण्डे होते हैं वे वहां पर ज्यादा कार्यवाही करते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज इन विश्वविद्यालयों के छात्रावासों में उन ठेकेदारों के लोग भी उसी तरह से रह रहे हैं। उनको पूरा का पूरा संरक्षण मिला हुआ है। दिन के उजाले में वे जिस तरह की अनियमितताएं यूनिवर्सिटी में करते हैं, कभी किसी प्रोफेसर की गर्दन नाप ली तो कभी किसी वार्डन को धमकाना, या कभी किसी महिला का चीरहरण करना, या कभी गुण्डागर्दी करके वहां पर हर तरह का अपना बल प्रयोग करना और रात के उजाले में, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वे ही विद्यार्थी इन ठेकेदारों की जीपों में और जिप्सियों में बैठ करके नंगा नाच और ताण्डव करते हैं। यह सोचने की बात है, सच्चाई की स्थिति है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपको यह तय करना होगा, एक्साइज डिपार्टमेंट को यह निर्देश देने होंगे कि आपको यदि कहीं पर अवैध शराब पकड़नी है, आपको कहीं अवैध शराब रखने वालों पर छापे मारने हैं तो आपको अपने डिपार्टमेंट के लोगों द्वारा पुलिस के साथ जाकर छापे मारने होंगे। इन गुण्डों की फौज पर जब तक आप अंकुश नहीं लगाएंगे, तब तक यह गुण्डे इसी तरह से करते रहेंगे। यूनिवर्सिटी में इसी तरह से घटनाओं की चीखें गूंजती रहेंगी और समाज में इसी प्रकार की विषमताएं नाना रूप में हमारे सामने आती रहेंगी। इसको हम रोक नहीं सकते।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार कहां-कहां पर अंकुश रखेगी? पुलिस हर किसी रस्ते चलती लड़की को तो प्रोटेक्शन नहीं दे सकती। लड़कियां शहर में घूमेंगी। लड़कियां समाज में रात में, दिन में,

(श्री राजेन्द्र पारीक)

उजाले में, अंधेरे में जहां कहीं उनका मन होगा, वे जाना चाहेंगी । हर किसी व्यक्ति को सरकार व्यक्तिशः प्रोटेक्शन नहीं दे सकती । हमें एक ऐसा वातावरण तैयार करना होगा, हमें समाज को एक ऐसा मैसेज देना होगा, हमें एक ऐसी चुस्त-दुरुस्त शासन प्रणाली लागू करनी होगी कि आज जो कुछ भी घटनाएं घट रही हैं, मैं यह तो नहीं कहता कि इसका व्यक्तिशः दोषी कौन है लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि जहां कहीं भी आपको यह लैप्सेज लगें, इनमें आपको ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति करनी चाहिए खास तौर से जयपुर शहर में तो, जो काम्पीटिटिव हों, जिनमें ऊर्जा हो, जो रात-दिन मेहनत और लगन से इस शहर की कानून और व्यवस्था से चिन्तित हों ।

उपाध्यक्ष महोदय, रात में, दिन में, हम इसी शहर में बसते हैं और इसी शहर में आते हैं और जाते हैं, कहीं कोई गश्त नहीं है, कहीं कोई रात में पुलिस की व्यवस्था नहीं है । कहीं कोई दुर्घटना घट जाए उसके छह-छह घंटे बाद तक पुलिस उसके बारे में कार्यवाही करती है । तो कुछ ऐसे प्रश्न हैं कि किसी व्यक्ति विशेष को दोषी ठहरा करके हम खुद बच जाएं, ऐसी व्यवस्था होना बड़ा मुश्किल है । समाज में जो कुछ भी घटित हो रहा है, सारा का सारा रिफ्लेक्शन इसका यूनिवर्सिटी

(14·59)

(श्री शांतिलाल चपलोत, अध्यक्ष, पदासीन)

में समझ लीजिए या नौकरियों में समझ लीजिए या पालिटिशियंस में समझ लीजिए उन सबका रिफ्लेक्शन हमें समाज की ओर से मिल रहा है । हमें ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि हम एक स्वच्छ और जागरूक प्रशासन दे सकें । वरना लोग यह कहेंगे, माननीय अध्यक्ष महोदय "रक्षक भक्षक जब बन जाय, राज्य रसातल में चल जाय" माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको मुखातिब होकर यह बात कह रहा हूं कि जो यह विसंगतियां हो रही हैं, इस तरह के जो कारनामे हो रहे हैं, यदि हमने इनको नहीं रोका तो समाज और यह जो पूरा का पूरा राजस्थान है उसमें आम आदमी के मन में यह भावना हो जाएगी, "रक्षक भक्षक जब बन जाए, राज्य रसातल में तब जाए ।" राज्य तो रसातल में जाएगा ही जाएगा लेकिन पूरी दुनिया में आज राजस्थान की आम आदमी जिस बात के लिए प्रशंसा करता है कि राजस्थान में हर तरह की सुरक्षा प्राप्त है, आसाम में हमारे कई रिश्तेदार रहते हैं, महाराष्ट्र में रहते हैं, कलकत्ता में रहते हैं, वह हमें आए दिन इस

(15.00)

बात के लिए मैसेज भेजते हैं कि हमें राजस्थान में व्यापार करना है, हमें राजस्थान में यह सम्पत्ति खरीदनी है, हमें राजस्थान में यह कुछ करना है, यदि धीरे-धीरे इस तरह के मैसेज राजस्थान के बाहर जाने लगेंगे तो वहां बैठे हुए वे पीड़ित लोग भी अपना माथा ठोकेंगे कि हम न यहां सुरक्षित हैं, न अपनी उस जन्म भूमि में, जहां जन्म लेकर हम यहां इतनी दूर आकर बैठे हुए हैं ।

(श्री राजेन्द्र पारीक)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से गृह मंत्रीजी को इतना सा ही निवेदन है कि आप और एक्साइज डिपार्टमेंट वाले बैठकर एक कोई ऐसी रूपरेखा तैयार करें, कोई ऐसा एक कार्यक्रम तैयार करें जिससे इन गुंडों पर अंकुश लगे अन्यथा यह गुंडे न आपको छोड़ेंगे, न समाज को छोड़ेंगे और न राजनीति को छोड़ेंगे और अबलाओं की चीखें इसी तरह से गूंजती रहेंगी।

अध्यक्ष महोदय, यदि हमें समाज को दिशा-निर्देश देना है, मात्र केवल एक तरीका है उसका कि हम स्वच्छ और जागरूक प्रकाशन दे सकें। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं एक निवेदन मीडिया को भी करना चाहूंगा कि मीडिया में जो यह बात छपी है कि जाति विशेष के लोगों द्वारा ऐसा किया गया, मेहरबानी करके जिस तरह से आप उस महिला का नाम उजागर नहीं कर रहे हैं उसी तरह से इस शब्द को भी उसमें से निकाल दें। अपराधियों की न जाति हुआ करती है, न अपराधियों का कोई समाज हुआ करता है, अपराधी अपराधी होता है। वह किसी भी जाति का, किसी भी समाज का हो सकता है, किसी भी पालिटिकल पार्टी का सदस्य हो सकता है। वह आपका रिश्तेदार हो सकता है, वह मेरा रिश्तेदार हो सकता है। इसलिए मेहरबानी करके जातियों में उस बात को नहीं बांटें और खास तौर से मैं अपने पत्रकार बंधुओं से निवेदन करूंगा कि इस शब्द को वो कम से कम ना लिखें कि एक जाति विशेष के लोगों द्वारा इस तरह का अत्याचार किया गया है। और उस महिला का नाम आप उजागर ना करें, आपकी बड़ी महती कृपा होगी।

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री अरुण सिंह।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, एक संक्षिप्त एक निवेदन करना चाहूंगा। उस वक्त आप विराजे नहीं रहे थे, मैंने एक निवेदन किया था आसन से, उसमें आपकी तरफ से थोड़ी कृपा चाहता हूं।

एफ.आई.आर. में उस अबला का, उसके पिता का नाम अंकित हो गया था, वह सदन में रिकार्ड पर आया है जिससे कि प्रेस में न आ पावे और वह चर्चा यहीं रहे, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि वह नाम डिलीट करवाने की कृपा करा दें। बेटर होगा। वह नाम यदि डिलीट करा दें तो आपकी मेहरबानी होगी जिससे प्रेस में वो ना छप पाये।

श्री अध्यक्ष : वह प्रेस के लिए नहीं जाएगा। यह आदेश दिये जा रहे हैं।

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रही हूं कि मेरा नाम इस लिस्ट में है या नहीं?

श्री अध्यक्ष : है न, आप बिराजें।

श्रीमती कमला : बड़ी कृपा है आपकी।

श्री अध्यक्ष : एक मिनट, अरुण सिंह जी बोल लें फिर आप।

श्रीमती कमला : उस लिस्ट में है क्या ?

श्री अध्यक्ष : सब को बुला रहा हूं मैं तो।

एक माननीय सदस्य : मेरा भी नाम है कि नहीं ?

श्री अध्यक्ष : सब का लिख लेंगे, नहीं होगा तो अपन।

श्री रामनारायण मीणा : अध्यक्ष महोदय, मेरा ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सब बोलेंगे अभी, विराजो तो सही आप। (व्यवधान) अभी नहीं है आपका। अभी बुलाता हूं, बिराजें आप। (व्यवधान)

श्री अरुण सिंह (डीग) : अध्यक्ष महोदय, इस मामले में बहुत ज्यादा चर्चा हो चुकी है। समाज को आज यह प्रतिज्ञा करनी चाहिए, समाज को आज एक महत्वपूर्ण फैसला करना चाहिए कि ऐसी घटनाएं आइन्दा से नहीं हों। अध्यक्ष महोदय, इसमें मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप माननीय मुख्य मंत्रीजी, माननीय प्रतिपक्ष के नेता और पांच और सदस्यों की एक कमेटी फार्म करवाओ जो इस मामले का अध्ययन करे और सही तथ्य निकाले।

अध्यक्ष महोदय, अब राजनीति इतनी गंदी हो गयी है और छात्रों की राजनीति तो और भी गंदी हो गयी है। छात्रों की राजनीति जातिवाद पर जाकर बंट गयी है। इसके लिए आप और हम सब मिलकर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर....

श्री हरिसिंह (महुआ) : आप तो ऊपर ही हैं।

श्री अरुण सिंह : हम तो ऊपर ही हैं।

दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इस समस्या का एक समाधान निकालें। इस मामले की सही तफतीश होनी चाहिए। मैं एक यह भी सुझाव देऊं, हमारी राजस्थान की पुलिस जो है, और जगह और प्रांतों की तुलना में राजस्थान एक शांत प्रांत है पर इसमें सही तफतीश के लिए, अध्यक्ष महोदय, जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए क्योंकि प्रश्न यह है कि दोषी कौन है ? महिला दोषी है या पुरुष दोषी है ? और इस चीज का मैं पत्रकारों को भी अनुरोध करूंगा कि मुल्जिम एक जाति के हैं, पूरी जाति इसमें कलंकित नहीं हो, असली मुल्जिम हाथ आने चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि ऐसी घटना जो जयपुर में यूनिवर्सिटी में हुई है इसके लिए पुलिस

(श्री प्रवण सिंह)

दोषी नहीं है, समाज दोषी है। इसके लिए आप दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इस समस्या का समाधान निकालें। क्योंकि हम लोग जन प्रतिनिधि हैं, हमारा कर्तव्य है कि ऐसी घटनाएं आइन्दा से नहीं हों इसके लिए हम प्रयास करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री अर्जुनदासजी मदान।

श्री टीकमचन्द कान्त : अध्यक्ष महोदय, पहले मेरा नाम था।

श्री अध्यक्ष : अभी आ रहा है, सब का आ रहा है।

श्री रामस्वरूप मीणा : हमारा नाम है क्या

श्री अध्यक्ष : अभी आ रहा है। (व्यवधान) अपने यहां कोई दिक्कत हो नहीं है।

श्री अर्जुनदास मदान (शाहपुरा) : अध्यक्ष महोदय, आज सदन जिस विषय पर परिचर्चा कर रहा है वह निश्चित रूप से काफी गम्भीर है लेकिन जब मैं प्रतिपक्ष के लोगों की बात सुन रहा था तो मन कई बार झटका। उन्होंने यहां कहा कि आज वर्तमान सरकार के अन्दर इस प्रकार की गतिविधियां ज्यादा हो रही हैं, इस प्रकार के अनाचार, दुराचार ज्यादा हो रहे हैं। उन्होंने और भी कई प्रकार के दोषारोपण किये। यहां तक कह दिया कि मंत्री महोदय को अपना पद त्याग देना चाहिए। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि संसार जब से बना है, सृष्टि का निर्माण जिस घड़ी से भी हुआ है तब से लेकर आज तक चाहे हम सतयुग में देखें, त्रेता युग में देखें, द्वापर युग में देखें, कलयुग में देखें, इस प्रकार की घटनाएं कोई समाज में आज पहली बार हुई हैं, ऐसी स्थिति नहीं है। और अगर हम यह कल्पना करें कि यह सारी परिस्थितियां, इस प्रकार के बलात्कार के कांड आगे आने वाले समाज में नहीं होंगे तो मैं समझता हूं कि वह भी हमारा एक दिवास्वप्न होगा, हम किसी सच्चाई की ओर आगे नहीं बढ़ रहे हैं क्योंकि संसार में चाहे किसी को भी ले लें, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, शास्त्रों में जो कहा गया है उसमें भी काम को पहले दर्जे पर माना गया और ऐसी कभी कल्पना कर नहीं सकते। समाज का जो भी व्यक्ति इस धरती पर आया है, कुछ उसकी फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उसकी कुछ यह कल्पनी आवश्यकताएं होती हैं। आप यह कल्पना करें कि समाज में जीने वाला आदमी बिलकुल साधु बन जाएगा, सात्विक बन जाएगा तो ऐसा कभी संभव नहीं है। हम यह नहीं सोच सकते कि सभी महात्मा बुद्ध हो जाएंगे जो काम के इस प्रभाव से सदैव सदैव के लिए निजात पा लेंगे या सभी दयानन्द हो जाएंगे जो किसी वेश्या के घर पहुंचा दिये जाने पर भी उसको मां का सम्बोधन देने लगें, या सभी रामकृष्ण परमहंस हो जाएंगे जो किसी देवी के शरीर से अपने शरीर का स्पर्श हो जाने के बाद अपने मनोविकारों की सम्भावित आंधी से अपनी साधना की रक्षा के लिए घोर प्रायश्चित करने लग जाएंगे। या ऐसे

(श्री अर्जुनदास मदान)

लोग हम को दिखेंगे जो किसी सुन्दरी के रूप में परमात्मा की केवल मात्र सुघड़ रचना के दर्शन करेंगे। कई प्रकार की वासनाएं संसार में आती हैं, हर व्यक्ति में आती हैं लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि इनके ऊपर नियंत्रण किस प्रकार किया जाए।

मान्यवर, मेरी ऐसी परिकल्पना है कि समाज के वातावरण को निश्चित रूप से बदलना पड़ेगा। मैंने अपने जीवन का पूरा काल, हाई स्कूल के बाद जितनी भी शिक्षा मैंने प्राप्त की, मैं कहना नहीं चाहता कि मैंने कितनी शिक्षा प्राप्त की पर प्रभु की कृपा से ठीक-ठाक शिक्षा प्राप्त की और तीन दिन महाविद्यालय में छात्रसंघ का अध्यक्ष भी रहने का मुझे मौका प्राप्त हुआ, तीन-तीन विद्यालयों में पढ़ा और हमेशा अपना जीवन छात्रावासों में काटा लेकिन ऐसा देखता भी नहीं था, ऐसी कल्पना भी नहीं करता था। जो स्थितियां आज समाज में बनीं हैं अगर वह बनी तो बनी क्यों? कारण केवल मात्र इतना है कि आज वातावरण को हमने नहीं बदला। मान्यवर, मैं निवेदन कर दूं, आज हम प्रश्रय देते हैं राजनीति के क्षेत्र में रहने वाले लोग, इसे दोषारोपण न मानें, सदन में बिराजे हुए लोग इसे कृपया मेरा दोषारोपण न लें, आत्म विवेचन में लेंगे तो निश्चित रूप से भीतर की आत्मा उन्हें कचोटेगी कि हम भी गलत काम करने वालों को कितना प्रश्रय देते हैं। कोई आदमी मेरा गलत काम करके आता है, क्या मैं उसको सहारा नहीं देता? इसलिए देता हूं क्योंकि वह मेरा है, मैं अपनेपन में देता हूं- और मैं मानता हूं कि जब तक मेरापन रहेगा, तब तक समाज में सही स्थिति हो नहीं सकती। मान्यवर, मैं मरूंगा तो मेरी जायदाद मेरे बेवकूफ बेटे को देकर मरूंगा, पड़ोसी के समझदार बेटे को मैं नहीं देने वाला। मैं जानता हूं कि मेरा बेटा नालायक है, बरबाद कर देगा, सत्यानाश कर देगा लेकिन दूंगा तो अपने बेटे को क्योंकि वह मेरा है। पराये और अपने में अन्तर समाज में रहा है और रहा हुआ है और जिसको मैं अपना समझता हूं तो उसकी गलत बात को भी मैं दबाता हूं, उसको प्रश्रय देता हूं। यही कारण है कि समाज में आगे स्थितियां बदलती जा रही हैं और इस स्थिति का यदि मैं विवेचन करूं, मान्यवर, आज आदमी का जो कुछ भी व्यवहार है, चाहे मेरा हो, आपका हो, चाहे सदन में बैठे हुए जितने भी महानुभाव हैं, उन सबका हो, दो चीजों पर आश्रित करता है, एक उसका स्वयं का व्यक्तित्व और एक वातावरण। जो भी आदमी का व्यवहार है उसके व्यक्तित्व और वातावरण पर आश्रित करता है। मैं मानता हूं कि मैं व्यक्तित्व को तो बदल नहीं सकता, जीवन के 60 वर्ष बिताने के उपरान्त जो स्वभाव मैंने बनाया है, उसे 60 मिनट में बदले देगा, ऐसी कल्पना यदि कोई करता है तो गलत सोचता है। लेकिन यदि वातावरण में हम तबदीली लाने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से व्यवहार में बदलाव आएगा।

मैं मनुष्य की बात तो क्या करूं, मान्यवर, जानवर भी यदि वातावरण को

(श्री अर्जुनदास मदान)

बदला हुआ देखता है तो उसके व्यवहार में भी अन्तर आ जाता है। यदि बकरी शेर को जंगल में मिल जाए तो फाड़ खाए। लेकिन आज चले जाइएगा, ज्योति नगर में एक सर्कस चल रहा है वहां पर शेर बकरी को अपनी पीठ पर बिठा लेता है। वहीं शेर यहां पर बकरी को अपनी पीठ पर बिठा लेता है और जंगल में वह मिल जाए तो उसको फाड़ खाता है। चाहे वह हंटर की वजह से समझो, चाहे सर्कस की वजह से समझो, चाहे मास्टर की वजह से वह इतना भयभीत रहता है कि वह वहां नहीं कर पाता जो कि जंगल में कर पाता है। जब वातावरण की तब-दीली देखकर छोटा-सा जानवर होते हुए भी अपने व्यवहार में अन्तर ला देता है तो हम क्या मनुष्य होकर नहीं ला सकते ? लेकिन प्रश्न केवल मात्र इतना आता है कि हम किस चीज को कितना गलत कहने की जुर्रत रखते हैं।

दुर्भाग्य है कि कई बार जिन्दगी के फैसले हम लोगों की आंखों के तेवर देखकर करते हैं। मान्यवर, अभी एक सवाल आया कि यहां पर मंत्री महोदय त्याग-पत्र दे दें। अगर मंत्री महोदय के त्यागपत्र देने से समस्या का समाधान होता हो तो सोच लीजिए। मैं तो समझता हूं, घोड़े को कतल कर देने के बाद तांगा चल सकता हो तो काट दीजिए + + + घोड़े को, उसमें दिक्कत क्या पड़ रही है। लेकिन प्रश्न यह है, मान्यवर अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा हूं कि इस प्रकार की परिस्थितियां लाने के बाद यह चीज चलेगी नहीं। (व्यवधान) घोड़े को कतल करने के बाद (व्यवधान) हां, मान्यवर, मैं क्षमा चाहूं, मैं सदन से क्षमा चाहूं, आप इसको हटा दीजिये। (व्यवधान)

श्री भीमराज भाटी (पाली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो + + + शब्द बोला है, इसको एक्सपंज कर दीजिए।

श्री अध्यक्ष : एक्सपंज कर दीजिए। कर दिया।

श्री अर्जुनदास मदान : वह कट गया, मैं क्षमा चाहूं। खैर, आवेश में देखिये.... (व्यवधान) मैं एक निवेदन करूं.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विराजें-विराजें। एक्स-पंज कर दिया।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : (व्यवधान) लेकिन होश बता दें।

श्री अर्जुनदास मदान : देखिये, होश बता दें। मैंने आपसे यह कह दिया कि यह एक एक्जाम्पल दिया है। मैं जो बोल रहा हूं, मान्यवर, वही पढ़ लो भगवान के नाम पर। मैंने पहले भी यह कहा था, एक अध्यापक ने लिखा था कि कल स्कूल बंद रखा जाएगा। कोई आप जैसे सज्जन थे,

+ + + शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री अर्जुनदास मदान)

उन्होंने जाकर पढ़ा कल स्कूल बंदर खा जाएगा। कौन से शब्द कहां मिला रहे हो, यह आपके ऊपर है। मैं तो पढ़ रहा हूं, मैं जो भाषा लिख रहा हूं अगर आप उसको सही पढ़ रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो आप अंदर मन में सोचें।

मान्यवर, मैं एक निवेदन करूं, आज स्थितियां यहां तक बदल गयीं कि सही को सही कहने वाले और गलत को गलत कहने वाले, सही काम करने वाले की पीठ थपथपाने वाले लोगों की कमी आ गयी आज समाज में। हमने अपनी सुविधाओं में रह कर अपने जीवन को ऐसा बना लिया, गर्म गद्दों पर सो-सोकर हमने अपनी चमड़ी को ऐसा बना लिया कि मानो बाण की खटिया पर हमको नींद ही नहीं आएगी। क्योंकि हम गलत को गलत ही नहीं कहते। आज उस स्थिति में चाहे कोई भी हो, अपनी भाषा में, अपने शब्दों में हमें अपनी बात रखनी चाहिए।

मान्यवर, जब आदमी भाव प्रधान हो जाता है तो कई बार अपनी भावनाओं को शब्दों की परिधि में नहीं बांध पाता। सोचता है कि मैं किस परिधि में बांधूं। लेकिन शब्द संयमित हो जाते हैं, नीयती हो जाती है, एक लक्ष्मण रेखा आ जाती है उसके बाहर जाने की। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इस प्रकार की घटनाएं, जो यह कहा गया कि अभी हुई है, ऐसा नहीं है। मान्यवर, मैंने जैसा आपसे निवेदन किया कि शास्त्रों में भी काम को सबसे ऊपर रखा है। हम क्रोधी हैं। क्या मुझे क्रोध नहीं आता, क्या लोभ मेरे को नहीं है, क्या मैं नहीं चाहता कि मेरे एक मकान है, कल दो हो जाएं। आज मैं एम.एल.ए. हूं, कल मंत्री बन जाऊं। किसके मन में लोभ नहीं आता? कौन लोभी नहीं है? कौन कामी नहीं है? और शास्त्रों में सबसे ऊपर काम की सज़ा रखी है। इसलिए हम यह सोचें कि हमारे भाषणों से यह स्थिति समाप्त होने वाली है तो हम, मान्यवर, ऐसा न सोचें। यह परिस्थितियां आएंगी। सवाल यह है कि हम दृढ़-संकल्प लेकर गलत को गलत, मेरे और पराये का ध्यान न रखते हुए यदि मेरा बेटा भी है तो मैं कहूंगा, यदि उसने दोष किया है तो निश्चित रूप से जितनी भी सजा पाता है तो पाये। लेकिन, मान्यवर, आज नहीं कर पाते और यह दुर्भाग्य है कि समाज में उच्छृंखलता आती जा रही है और जितने भी अत्याचार, जितने भी दुराचार, जितने भी अनाचार, जितने भी व्यभिचार आज संसार में आप देखते हैं, यह हो क्यों रहे हैं?

छात्रावासों की वह स्थिति हुआ करती थी, जैसा मैंने आपसे निवेदन किया कि जीवन के निरन्तर आठ वर्ष मैं छात्रावासों में रहा हूं और अच्छे से अच्छे और बड़े से बड़े विद्यार्थी के साथ मुझे मिलने और पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, यह मैं जानता हूं उस समय नियन्त्रण होता था। वार्डन के मारे भी डरते थे। लेकिन आज समाज में इतनी उच्छृंखलता आ गयी कि ईश्वर से कोई डरता नहीं है। समाज के हुक्के-पानी का किसी को भय नहीं है।

(श्री अर्जुनदास मदान)

मां-बाप का डर उतना रहा नहीं जितना पहले था। जितना हम अपने मां-बाप से डरते थे। एक पुलिस का थोड़ा बहुत डर जरूर बचा हुआ है।

मैं यह निवेदन करूंगा, मैं यह नहीं कहता कि पुलिस की मैं कोई पैरवी कर रहा हूं, उनमें भी बहुत कमियां हैं और उसके लिए भी निश्चित रूप से उनको विचार करना चाहिये। लेकिन आज अगर सदन इसके ऊपर विचार कर रहा है तो मैं सदन के सारे सदस्यों से चाहे वह मेरी दांयी तरफ बैठे हों, चाहे मेरी बायीं तरफ बैठे हों, मैं याचना करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि इस प्रकार के जो कांड होते हैं समाज में, हम उसकी भर्त्सना करें और ऐसे लोगों को प्रताड़ित करें। चाहे वह मेरे स्वयं का बेटा ही क्यों न हो उसको प्रताड़ित करें ताकि वह इस प्रकार की समाज में गलत चीज पैदा नहीं कर सके। इन्हीं शब्दों के साथ ज्यादा समय न लेता हुआ आपको धन्यवाद देता हूं। जय भारत।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती कमला जी। (व्यवधान) क्या हुआ ?

श्रीमती कमला (बैराठ) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस घटना को लेकर.... (व्यवधान) क्या तकलीफ है ?

श्री अध्यक्ष : कृपया शांति बनाये रखिये। सबको अधिकार है। फरमाएं आप कमला जी। (व्यवधान)

श्री टीकमचन्द कान्त : रामस्वरूप जी, आप चुप रहो, यह गंभीर मामला है।

श्रीमती कमला : जिस घटना को लेकर पिछले दो-तीन दिन से पूरा राजस्थान अप्रत्यक्ष रूप से और जयपुर शहर प्रत्यक्ष रूप से जिस प्रकार से उद्वेलित रहा है और है और जिस प्रकार की प्रतिक्रियाएं और लोगों की मानसिक वेदना और तनाव आज प्रत्येक परिवार में बने हुए हैं, इस शर्मनाक, घृणित कुकृत्य के बाबत माननीय गृह मंत्रीजी ने....(व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, इधर यह क्या हो रहा है ? (व्यवधान) थोड़ा बैठकर बात करें लें, खड़े न रहें, बैठ जाएं। हरेन्द्रजी मिर्धा, आप विराज जाएं। आप भी विराज जाएं (व्यवधान)

माननीय गृह मंत्रीजी ने इस पूरी घटना का बयान के रूप में जिस तरह का वर्णन किया, किस तरह वह कर पाये और किस तरह हम उसको सुन रहे थे, वह आप और हम अपनी स्थितियां जान रहे हैं, न वह सुनने लायक बात थी, न वह कहने लायक बात थी। लेकिन जो घटना हुई है वह कितनी भयानक है, कितना एक कहना चाहिए राक्षसी वृत्ति का, जिस तरह एक नग्न प्रदर्शन समाज को झेलना पड़ा, एक लड़की को झेलना पड़ा, यह सोचकर ही एकदम से रोंगटे खड़े होते हैं। कुछ दिमाग काम नहीं करता कि आखिर हम कहां जा रहे हैं। माननीय मंत्री महोदय ने आज तो

(श्रीमती कमला)

पढ़ गये लेकिन किया क्या, उसके नाम पर कुछ समझ में नहीं आया। इतना भयानक कांड, इतनी शर्मनाक घटना और वह भी एक विश्वविद्यालय में और वह भी एक फर्लांग पर बने हुए पुलिस स्टेशन के पास में और वह भी दिन के अन्दर और वह भी सैकड़ों लोगों के होते हुए घट गयी। मात्र लड़की का बयान पढ़कर आखिर में दो लाइन यह बोलकर कि इसकी जांच की जा रही है, पकड़-धकड़ की जा रही है, कार्यवाही सख्ती से की जाएगी, खतम हो गया। माननीय मंत्री महोदय, यहां पर बयान देने से पहले, स्टेटमेंट देने से पहले कम से कम ऐसे काम तो आप कर सकते थे, जो आपके तुरन्त करने लायक थे। माननीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी से सलाह करके, साथ बैठकर उनके द्वारा की जाने वाली कार्यवाही तो वह करें, यहां पर सदन में कम से कम कुछ बताते। सारा सदन इस बात से अजीब पशोपेश में है कि जो पुलिसकर्मी उसमें सम्मिलित थे, उनको सस्पैण्ड करने या बरखास्त करने से आपका हाथ किसने रोका था ? वह तो कर सकते थे। जिस पुलिस स्टेशन के आफिसर ने लड़की को स्कूटर पर बैठाकर दो घंटे तक, तीन घंटे तक बदतमीजी के साथ, बिना किसी जिम्मेदारी के साथ एक नाटक बनाकर, खिलौना बनाकर घुमाया है, उसको तो आप सस्पैण्ड कर सकते थे कि यह कौनसा तरीका है, यह कौनसी व्यवस्था है, उसको स्कूटर पर बैठाकर घुमाया। कहां-कहां, क्या-क्या घटना घटी, यह तो आप पीछे भी पूछ सकते थे। व्यवस्था करके ढंग से, शालीनता से भी पता कर सकते थे। सबसे पहले तो आप करते कि जिनके नाम सामने आए हैं, उनको दण्ड देते। कितनी देर में जाकर तो वह रिपोर्ट दर्ज हुई है इतने से कदम के ऊपर और जब वह रिपोर्ट दर्ज करवाने आई है और पुलिस स्टेशन का आफिसर उसको साथ ले जाना चाह रहा है तो विश्वविद्यालय के अन्दर रूसा की आर्गेनाइजेशन मौजूद है, पुलिस स्टेशन से लगा हुआ उनका दफ्तर मौजूद है, शक्ति स्थल, आप कम से कम उस महिला को साथ में बिठाकर जो पूछताछ करनी थी, करते। उसको ले जाना था तो उसको साथ में ले जाते। आप कम से कम उस पुलिस आफिसर को तो दण्ड स्वरूप निलम्बित कर सकते थे, यह कौनसा तरीका हुआ। दूसरी तरफ आपने बैठ कर के इस बात का ब्यौरा नहीं लिया कि जिन अधिकारियों ने तुरत-फुरत नाकाबंदी नहीं की, उसके लिए कौन-कौन जिम्मेदार अधिकारी हैं, उनको आप सस्पैण्ड करके बता सकते थे कि इन्होंने अपनी जिम्मेदारी में, कर्त्तव्य में कोताही बरती है इसलिए उनको सस्पैण्ड किया गया है। ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो आपके हाथ में थे। ठीक है, वह कैसे भागे और क्यों भागे तथा किस तरह से भाग-छूट लिये, वह तो आपको एक बहाना भी है, एक रास्ता भी है जबकि लोग कह रहे हैं कि गाड़ी पुलिस स्टेशन के बाहर छोड़कर अगला भागा है और फिर पुलिस उसको नहीं पकड़ पायी। वह तो दूसरी बात है लेकिन जिनके खिलाफ आप कार्यवाही कर सकते थे, वह तो आपको करके आना चाहिए था।

(श्रीमती कमला)

दूसरी तरफ जो टी. वी. के अन्दर कल मुख्य वार्डन महोदय ने स्टेटमेंट दिया, क्या उसकी जांच नहीं की जा सकती थी, उसके बारे में आप कुछ नहीं बता सकते थे? उन्होंने दो मुद्दे उठाये हैं। टी. वी. के अन्दर जो बोला है कि यह तो कब से ही होता चला आ रहा है और दूसरा यह कि कार्यवाही कहां करें, इसमें राजनीतिक नेताओं का संरक्षण है। तो क्या यह जिम्मेदारी नहीं बनती थी? आपने भी टी. वी. सुना होगा; नहीं सुना तो आपको सुनना चाहिए और नहीं सुनना चाहिए था तो भी आपको सुनी हुई मानी जाएगी। जैसे गजट नोटिफिकेशन हो जाता है और उसको पढ़ें चाहे नहीं पढ़ें, लेकिन वह पढ़ा हुआ और जाना हुआ माना जाता है। इस तरह पुलिस के जिम्मेदार अधिकारियों को और डिपार्टमेंट को, इस तरह की जो टी. वी. और प्रेस की खबरें आती हैं, वह मैंने नहीं देखी, यह कहने से कुछ नहीं होगा। आपने देख भी ली तो उसके बाद में क्या आपने पूछताछ की कि तुम यह क्या बता रहे हो उसकी डिटेल बताओ, कौन जिम्मेदार है, कौन तुम पर दबाव डालता रहा है इतने वर्षों में, जिससे कि तुम कार्यवाही नहीं कर पाये। अगर उसने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई तो, माननीय मंत्रीजी, आप स्वयं बात करके उसको सस्पेंड करते। दूसरे जो लोग इसमें इन्वाल्व पाये जाते हैं उनके बयान के मुताबिक, उनके ऊपर कार्यवाही करते और जिन राजनेताओं का वह नाम लेते हैं या जिस प्रभावशाली समाज और नेताओं का नाम लेते हैं, उनसे पूछताछ करके आप कार्यवाही कर सकते थे लेकिन वह कार्य भी नहीं किया। मैं तो यही निवेदन करना चाहूंगी कि आपने बयान तो क्या दिया है, कुछ भी नहीं है। उसका जो वर्णन दिया है, जो उसने रिपोर्ट दर्ज करायी है, क्योंकि यह विश्वविद्यालय प्रांगण का मामला है, विश्वविद्यालय के वार्डन का बयान है, विश्वविद्यालय के छात्रों की घटना है और उसमें हो रही पिछले दस वर्षों की घटनाओं से सम्बन्धित बहुत सारे मुद्दे हैं इसलिए माननीय शिक्षा मंत्रीजी इस बारे में अपना बयान दें, बहस समाप्त होने से पहले। इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जानी है, क्या कर रहे हैं और क्या कर चुके हैं उसका कुछ पता नहीं है, उसका पता होना चाहिए। इसलिए मेरा यह निवेदन है, माननीय मंत्री महोदय, कि इस तरह की गंभीर घटना में जो कुछ आपके प्रभाव क्षेत्र से तुरत-फुरत करने की क्षमता थी वह भी आपने नहीं किया है अभी तक। उसके बारे में क्या सोचा जाए? क्या सिर्फ उसका बयान पढ़कर, जो कि पढ़ने लायक नहीं था, जो सुनने लायक नहीं था, उसको रखकर आपने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली? यह बहुत अफसोसजनक बात है।

दूसरी बात जो सोचने की है वह यह है कि इस विश्वविद्यालय में आम तौर पर सब लोग इस बात को जानते हैं कि वहां के छात्रावास किस तरह के अड्डे बने हुए हैं और उसके बाद भी इतने वर्षों से कोई इस प्रकार की कार्यवाही नहीं की गयी कि उन छात्रावासों में कौन रह पाएंगे और उसकी निगरानी कैसे रखी जाएगी। जिम्मेदार अधिकारी अगर कहीं नरमीजैसी बरत रहे

(श्रीमती कमला)

हैं तो पिछले सालों में उनके खिलाफ क्यों कार्यवाही नहीं की गयी ? सारा का सारा इतना सोचनीय विषय है कि यह विश्व-विद्यालय न सिर्फ अपनी प्रशासनिक अक्षमता के कारण बदनाम हो चुका है, न सिर्फ वित्तीय घोटालों के कारण बदनाम हो चुका है, न सिर्फ छात्रों की उद्दण्डता के कारण और जो अध्यापकगण हैं उनके द्वारा न पढ़ाने की व्यवस्था के कारण से बदनाम हो चुका है बल्कि आज तो इस स्थिति में पहुंच गया है कि इसको विश्व-विद्यालय कहना भी शर्मनाक बात है। इसलिए जो यह बात है, यह छोटी सी नहीं है, यह बहुत बड़ी बात है और बड़ी लम्बी बात है। इसको हम सिर्फ कुछ कहकर और सुनकर टाल दें, यह बहुत अफसोस की बात है। अगर हम यह नहीं सोचेंगे कि यह हो क्यों रहा है, यह हालात बन क्यों रहे हैं, हालात इसलिए बन रहे हैं कि एक वक्त ऐसा था कि जब आजादी की जंग में लड़ने वाले लोग न सिर्फ आजादी की जंग लड़ते थे बल्कि समाज सुधार की जंग साथ की साथ लड़ते थे, कार्यकर्ताओं का निर्माण करने का काम भी साथ का साथ करते थे, सादा जीवन जीते थे लेकिन ऊंचे से ऊंचा बलिदान देने के लिए तैयार रहते थे, आजादी के बाद जिस तरह का माहौल धीरे-धीरे इस देश में पनपा, कुछ वर्षों तक अपने देश को निर्माण करने में, उसको हमने बनाने में अपना परिश्रम, अपना ज्ञान और अपनी क्षमता लगायी और यह देश अपने आप में एक बड़े राष्ट्र की नींव पर खड़ा हो गया लेकिन पिछले कुछ वर्षों में क्या देख रहे हैं कि जिन लोगों के हाथ में राष्ट्र है, समाज है, प्रदेश है, देश है, वह धीरे-धीरे सिर्फ इस बात तक सिमट कर रह गये कि मुझे वोट लेने के लिए क्या करना है, मुझे अपना घर बनाने के लिए क्या करना है और मुझे सत्ता प्राप्त करने के लिए क्या करना बाकी है उसका न तो अपने जीवन के मूल्यों से कोई ताल्लुक है, न सामाजिक मूल्यों से कोई ताल्लुक है और न समाज के उत्कर्ष से मतलब है, न सामाजिक भाईचारा और परम्परा को बनाये रखने से मतलब है। एक व्यक्ति सिर्फ अपने तक सिमट कर रह गया है। ज्यादा से ज्यादा दूरी तक जाता है तो वह अपनी छाया तक जाता है जहां उसकी पत्नी हो सकती है, उसका बेटा हो सकता है, उसका दामाद हो सकता है, उसका भाई-बन्धु हो सकता है। इससे आगे हमारे आज के समाज के कर्णधार दूर तक देखने का मन ही नहीं रखते। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि आज आप इस बात को एक लाउड थिंकिंग के तौर पर लें। जब हम आजादी की पचास वर्ष की चर्चा में आएं तो हमें यह सोचना पड़ेगा कि आज राष्ट्र के कर्णधारों की, राष्ट्र के समाज के मुख्य लोगों की, चाहे वह व्यवसायी हों, चाहे वह ब्यूरोक्रेसी के लोग हों, चाहे वह राजनेता हों और चाहे वह किसी भी वर्ग के हों उन लोगों के जीवन की जो शैली है, वह जीवन शैली आज कहीं जाकर सिमट कर रह गयी है और उसी का परिणाम है कि 21वीं सदी में जाते-जाते हम इन्सान बनने की बजाय हैवान बनने की तरफ वापस जा रहे हैं। इन्सान को भगवान ने सब वृत्तियां दी हैं। भगवान ने उसमें

(श्रीमती कमला)

राक्षसी वृत्ति भी डाली है, इन्सानी वृत्ति भी डाली है और देवत्व भी डाला है लेकिन यह समाज के कर्णधारों का, मुखिया लोगों का धर्म बनता है, दायित्व बनता है कि ऐसा वातावरण, इस तरह की जीवन शैली, इस तरह के विचार, इस तरह का जीवन यापन उनके सामने प्रस्तुत करें और उनको मजबूर करें अपनाने के लिए कि उनका राक्षसतत्व न पनपे, उनमें इन्सानियत और देवत्व पनपे। यह आज कोई नहीं कर रहा है और इसलिए आज इन्सान का देवत्व तो है ही नहीं, इन्सानियत भी नहीं है। उसकी राक्षस वृत्ति इतनी पनप गयी है कि वह कुछ नहीं देख पाता। जहां पर उसको भोग करना है, सत्ता पानी है, पैसा पाना है और जो कुछ भी कुचक्र किये जा सकते हैं वह दुनिया में किये जा रहे हैं।

इसलिए आज मुख्य मुद्दा यह है कि इस यूनिवर्सिटी की स्थिति को सुधारने के लिए आप किस तरह के कड़े कदम उठाते हैं। कुछ समय पहले जब मेरे पास यह महकमा था तो मैंने यह सोचा था, हालांकि उस वक्त इस तरह का वातावरण नहीं था कि उसको कर पाते लेकिन आज ऐसा वातावरण है, माननीय चतुर्वेदी जी, कि यह जो यूनियन्स के चुनाव होते हैं स्कूल्स में और कालेजेज में, जिस तरह से यह चुनाव होते हैं और जिस माध्यम से चुनाव होते हैं, यह बहुत ही विचारणीय और शोचनीय स्थितियां हैं। मैं यह चाहती हूं कि आप इस बात पर सोचें या दूसरे और भी अल्टरनेटिव्ज सोचें कि जो टापर्स हैं, मैरिट होल्डर्स बच्चे हैं, सिर्फ उन्हीं की यूनियन बननी चाहिए और उन्हीं में से उनके पदाधिकारी बनने चाहिए। जो टापर्स नहीं हैं उनको चुनाव लड़ाने की या इनको भी चुनाव लड़ाने की जरूरत नहीं है। इसलिए यह जो स्थितियां हैं कि चुनाव लड़ने के लिए आ गये इकट्ठे होकर के गुण्डा तत्व, पैसा इकट्ठा कर लिया, मार-पीट कर दी, तलवारें दिखा दीं और लूट लिये पैट्रोल पम्प और दुकानें बन्द करा दी, तो क्या हो रहा है समाज में, हमने ध्यान ही नहीं दिया, यह हमारी पालिटिकल पार्टी का उम्मीदवार है, वह हमारी पालिटिकल पार्टी का उम्मीदवार है और हम उसका बचाव कर रहे हैं चाहे वह कितने ही घिनौने तरीके अपना रहा है चाहे कितना ही भ्रष्ट हुआ पड़ा है, यह आज हमारी इन शैक्षणिक संस्थाओं के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुका है, बहुत बड़ी बीमारी बन चुकी है। उसको खतम करने के लिए हमें काम करना चाहिए। आज जितने लोगों ने यह पाप किया है, न सिर्फ वह जिन्होंने उस लड़की के साथ किया है बल्कि जो बाहर खड़े थे वह भी कम अपराधी नहीं हैं। जो गुण्डे और इस तरह के डिस्टर्बिंग लोग थे, इस तरह के धर्महीन लोग थे कि बाहर इस तरह के नाच-गान और इस तरह की बकवास कर रहे थे कि उसकी चीख चिल्लाहट बाहर नहीं पहुंचे, वह भी उनसे कम अपराधी नहीं हैं। इसलिए जो अपराधी है उसकी कोई जात-बिरादरी नहीं होती। न वह हिन्दू है, न वह मुसलमान है, न वह जाट है, न वह पण्डित है, न वह बनिया है, कुछ नहीं है, वह अपराधी है,

(श्रीमती कमला)

वह दुष्ट है। समाज के सामने उसको रगड़ जाने लायक बात है।

मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि इसको इतना सहज में, इतना मामूली ढंग से मत लीजिए। जो गिरावट आज समाज में आती जा रही है उसकी यह पराकाष्ठा है और इस पराकाष्ठा से ऊपर और पराकाष्ठाएं आप देखना चाहते हैं तो मत संभालिये, आपकी मर्जी है लेकिन अगर सचमुच में आप इससे भयभीत हैं और आपको इस तरह से एक घबराहट सी और एक तरह से अजीब हरकत होती है इस तरह की चीजों को सुनकर, देखकर तो मेहरबानी करके फार्मल वे में राजतंत्र की जो गतिविधियां हैं उसको लागू करने की बात मत करिये। आप इसको एक एक्सेप्शनल मुद्दा और घटना मानकर आगे आने वाले समय के लिए एक ऐहतियात के तौर पर उठा करके चलेंगे तो मैं समझती हूं हम आगे इन कुकर्मों को, इस तरह की घृणित घटनाओं को और समाज में गिरता हुआ जो पतन है उससे हम उसको बचा पाएंगे, नहीं तो सामान्य तौर पर आप करके छोड़ दीजिए। मैं माननीय चतुर्वेदी जी से, माननीय गृह मंत्री जी से भी निवेदन करती हूं कि इसको एक सामान्य घटना न लेकर बहुत महत्वपूर्ण घटना, बहुत ही गम्भीर घटना के तौर पर लेकर तत्परता से कार्यवाही करिये और उस कार्यवाही का असर होना चाहिए और आगे तक इसका अंजाम देखने को मिलना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : अब मैं सबसे प्रार्थना करूंगा कि थोड़ा संक्षिप्त करें जिससे कई माननीय सदस्यों के विचार आ सकें। श्रीमती शशीदत्ता जी, सात-आठ मिनट में कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्रीमती शशीदत्ता (टीबी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जिस विषय पर चर्चा हो रही है वह इतना गम्भीर मुद्दा है कि इस पर जितनी चर्चा की जाए, मैं समझती हूं, कम है और समय सीमा में इसे न बांधा जाए ताकि सभी माननीय सदस्यों के विचार इस विषय पर आ सकें।

सबसे पहले मैं माननीय देवीसिंहजी को इस बात के लिए बधाई दूंगी कि उन्होंने अपनी मर्यादाओं में रहते हुए भी, सरकार में रहते हुए भी इस विषय पर बोलने की हिम्मत की। दूसरे सहयोग के लिए आभारी हैं हम प्रेस के, जो लगातार चार दिन से डेली इस विषय पर हमें अवगत कराती रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझसे पूर्व में बहुत से माननीय सदस्य बोल चुके हैं। एक माननीय सदस्या की सोच थी कि यह कन्सेन्टेड मामला है। सात वर्षों से महिला क्यों नहीं बोली? बीना जी भी बोलीं इस पर लेकिन, माननीय अध्यक्ष महोदय, सभी माननीय सदस्यों को और मुझे दुःख व पीड़ा इस बात की है कि हर मामले में दोषी महिला को ही क्यों ठहराया जाता है। मैं क्योंकि खुद इस विषय से सम्बन्धित रही हूं। सबसे पहले मैं माननीय सदस्या की जो सोच है उसे थोड़ा-सा साफ करना चाहूंगी, आप भी वकील रहे हैं इसलिए आप मेरे से

(श्रीमती सुमीदत्ता)

ज्यादा परिचित हैं कि कानून में यह आता है कि अगर पत्नी की कन्सेन्ट के बगैर अगर पति भी बलात्कार करता है तो वह दोषी है। यहां तो बलात्कार का मामला नहीं, अध्यक्ष महोदय, क्रूरता, अत्याचार, व्यभिचार, मैं यह सोचूं कि सारी बाधाओं को लांघ दिया इन लोगों ने और उसके बाद यह कहते हैं कि यह किसी पार्टी विशेष का, यह किसी जाति विशेष का या किसी दलगत राजनीति का मामला है तो मैं यह कहती हूं कि इस सदन में बैठने का हमें कोई फर्ज नहीं बनता, कोई हक नहीं बनता कि हम इस सदन में बैठें। हम लोग भी पढ़कर आए हैं, विश्वविद्यालय में भी पढ़े, यूनिवर्सिटीज में भी पढ़े, बाईतों से भी हम लोगों की मुलाकातें हुई, को-एजूकेशन में भी पढ़े, हमारे भी साथी हुआ करते थे, को-एजूकेशन में साथ-साथ पढ़ने का मौका भी मिला लेकिन इतनी दूषित मानसिकता कभी हमारे समय में नहीं थी। एक समय था, माननीय अध्यक्ष महोदय, जब गांव की बेटियों को अगर शादी की बात आती थी तो यह पूछा जाता था कि हमारे गांव की लड़की यहां कौन-कौन हैं और उसको इज्जत वहां दी जाती थी, चाहे वह किसी भी समाज की बेटी हो, किसी भी धर्म की, जाति की हो उसको सबसे पहले आदर की दृष्टि से सम्मानित किया जाता था। आज हमारी मानसिकता इतनी दूषित हो गयी है कि इस सदन में बैठे हुए जन प्रतिनिधि यह कहते हैं कि यह तो एक जाति विशेष का मामला है। एक जाति विशेष के व्यक्तियों के ऊपर लांछन लगाया जा रहा है और दल के प्रतिनिधियों पर आरोप लगाया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन में यह कहना चाहूंगी कि जितना दोषी हमारा समाज है, जितनी दोषी हमारी मनुष्यता है उतनी ही दोषी हमारी पुलिस और प्रशासन भी है। अध्यक्ष महोदय, एक समय था जब पुलिस का एक सिपाही भी गांव में चला जाता था तो लोग डर के मारे भाग जाया करते थे। आज आई. जी. और डी. जी. भी आ जाए तो शायद किसी को डर नहीं लगे। यह क्यों है? अध्यक्ष महोदय, यह सिर्फ इसलिए है मैं स्पष्ट करना चाहूंगी, कल के अखबार में एक स्टेटमेंट था उस पीड़ित बच्ची का जिसमें उसने यह लिखा था कि अण्डर ट्रेनिंग, प्रोबेशनर जो डीवाई. एस. पी. है, वह भी है, उसने चिन्ह तक बता दिया, इससे ज्यादा एविडेंस क्या चाहते हैं गृह मंत्री जी? उसको क्यों नहीं सस्पैण्ड किया? हमें शर्म आती है जो पत्नी नहीं बता सकती कि मेरे पति के कहां चिन्ह है उस बच्ची ने बता दिया कि इस प्रोबेशनर, अण्डर ट्रेनिंग के यहां निशान है। तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, कौनसी एविडेंस बाकी रह गयी उसको सस्पैण्ड करते थे? He is under training only. ऐसे व्यक्ति को तुरन्त सस्पैण्ड करना चाहिए ताकि भविष्य में ऐसे गलत लोग ऐसे व्यभिचारी और दुराचारी व्यक्ति ऐसी हिम्मत ना कर सके।

दूसरी बात अध्यक्ष महोदय, आपको याद होगा पिछले दिनों एक मुद्दा उठा था मल्ली मीणा का जिसमें एक पुलिस उच्चाधिकारी इन्वाल्व थे उनके खिलाफ भी

(श्रीमती शशीदत्ता)

तफतीश हुई, उनको पकड़ने की कोशिश की गयी और वह कितने दिनों तक बचे रहे। आज तक उनका कुछ नहीं बिगड़ा इसलिए अण्डर ट्रेनिंग वालों का क्या बिगड़े।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से, इस सदन के माध्यम से कहना चाहती हूं कि आज जो हम मजाक का विषय बन गये, अपनी पीड़ा को उजागर करते हैं तो उस पीड़ा में भी लोगों को यह लगता है कि शायद यह हमसे मजाक कर रहे हैं। मैं खुद भुक्तभोगी हूं। मैंने खुद ने यह भुगता है। माननीय गृह मंत्रीजी, यहां विराजमान हैं, मुझे एक टेलीफोन आता था, कोई लड़का मुझे यूनिवर्सिटी से टेलीफोन करता था, मैं बार बार माननीय गृह मंत्रीजी के यहां जाकर रोई, मैंने कहा, गृह मंत्रीजी, मुझे कोई बच्चा टेलीफोन करता है कि शशीदत्ताजी आपने एफ. आई. आर. वापस नहीं ली तो आपकी बच्ची का अपहरण कर लूंगा। मुझे लगा कि शायद गृह मंत्रीजी यकीन नहीं करें, मैं पालिटिशिन हूं लेकिन उसके साथ मैं एक मां भी हूं, एक औरत भी हूं, मैंने गृह मंत्रीजी का नम्बर दिया और मेरे पी.ए. को कहा, उन दिनों में मिनिस्टर थी, कि अबकी बार यह लड़का फोन करे तो इसको कहना कि इस नम्बर पर बात करे। मैंने गृह मंत्रीजी से कहा कि साहब, अभी फोन आएगा, आप इसे सुनिएगा। माननीय गृह मंत्रीजी ने फोन सुना और फोन पर गाली भी दी। डी.आई.जी. चले गये, जैन साहब, उनको बुलाकर भी कहा लेकिन क्या हुआ? मुझे नहीं लगा कि आज तक भी कोई दोषी गिरफ्तार हुआ... (व्यवधान)

श्रीमती बीना काक : तत्कालीन मंत्री यह कह रही हैं आपसे, आपने क्या किया।

श्री अध्यक्ष : बिराजिए, बिराजिए। यह सीरियस मैटर है। सुनते जाइए।

श्रीमती शशीदत्ता : माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई मुल्जिम गिरफ्तार नहीं हुआ। मैंने नामजद एफ.आई.आर. उनको दी। मेरे सहयोगी मंत्री भी मेरी सिफारिश करने गये। माननीय मुख्य मंत्रीजी भी बिराजमान होंगे और वह भी मेरी बात सुन रहे होंगे। मुझे बड़ी पीड़ा हुई। एक तरफ तो आप कहते हैं संवेदनशील सरकार है, कहां गयी संवेदना? माननीय गृह मंत्रीजी, कहां गयी? माननीय अध्यक्षजी, जब हमारे प्रति संवेदना नहीं है, तो मैं मानती हूं कि यह सरकार संवेदनशील नहीं, बिलकुल असंवेदनशील है और कतई संवेदना नहीं है। इसीलिए लोगों को सड़कों पर आना पड़ा। आज महिलाएं सड़कों पर आ गयीं, बच्चियां सड़कों पर आ गयीं, पूरा शहर सड़कों पर आ गया। तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी संवेदनशीलता को जागृत करने के लिए हमें इस सदन में दुहाई देनी पड़ती है। इस सदन में आपको भी जागृत करना पड़ता है। गृह मंत्रीजी की आरती उतारेंगे कि आप जागृत होइए। ताकि लोगों को, जैसे यह जाति विशेष पर कह रहे हैं, मैं भी उसी जाति की हूं, इस जाति

(श्रीमती शशीदत्ता)

विशेष को आप कलंकित नहीं करिए। गृह मंत्रीजी, आप अपनी हिम्मत से काम करिए। गिरफ्तार कीजिए दोषी व्यक्तियों को। चाहे वह किसी भी बड़े अधिकारी हों, चाहे वह किसी भी बड़े नेता के हों, गृह मंत्रीजी, आप पर दायित्व बनता है, आप उन्हें गिरफ्तार कीजिए। आप उनको सजा दिलवाइये।

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्रीमती शशीदत्ता : एक मिनट। दूसरी बात, गृह मंत्रीजी, एविडेंस का जहां तक सवाल है, महानिदेशक भी बैठे हैं, होम सेक्रेटरी साहब भी बैठे हैं, इस एफ. आई. आर. में जो इन्होंने पढ़ा, नामदज मुल्जिमान हैं, सारे जितने भी एविडेंस चाहिए थे वह एविडेंस वह बच्ची दे रही है और नये कानून के मुताबिक burden of proof lies upon the same lady who has to lodge an F. I. R. इसलिए दूसरे एविडेंस की जरूरत नहीं है क्योंकि उस युवती का बयान सफिशिएंट है। तो मैं मानती हूं उस एविडेंस पर आप करिए गिरफ्तार।

दूसरी बात, गृह मंत्री महोदय परिचित होंगे, वकील रहे हैं, अगर मुल्जिम सरण्डर नहीं करते, प्रभावशाली हैं, मुल्जिम हमारी पहुंच से बाहर हैं, हमारी प्रशासन, हमारी पुलिस असक्षम हो गयी है उन्हें गिरफ्तार करने में तो उनकी सम्पत्ति कुर्क कीजिए, उनके रिश्तेदारों के गिरफ्तार कीजिए वह नाक रगड़ते हुए आपके जुडिशियल लाक-अप में आ जायेंगे। मुख्य मंत्रीजी से भी निवेदन करूंगी कि आज जो हालात बन गये हैं, उन हालात में मेरे आपसे दो ही निवेदन हैं कि जो गम्भीर प्रकृति के मामले हैं, चाहे वह बलात्कार के हों चाहे किसी भी महिला से सम्बन्धित हों, इन मामलों में जहां तक सवाल उठता है वह महिलाओं पर उठता है कि महिला करप्ट थी। चाहे शिवानी काण्ड हो या अलवर में काण्ड हुआ था, वह काण्ड हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह देखना कोर्ट का काम है कि महिला कितनी ज्यादा दोषी है। महिला पर दोषारोपण करना पुलिस का काम नहीं है। पुलिस उसको मजाक नहीं बनाए। पुलिस का काम यह देखना है कि आफेन्स हुआ है, अगर आफेन्स हुआ है तो किस कैटेगरी का है। न कि पुलिस यह आरोप लगाये कि पहले से ही बदमाश महिला थी, वह लड़की करप्ट थी। यह पुलिस का काम नहीं है।

श्री अध्यक्ष : विराजिए। श्री टीकम चन्द जी।

श्रीमती शशीदत्ता : मैं गृह मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहती हूं कि गृह मंत्री महोदय, आप थोड़ा सा संवेदनशील बनें। आपने मुझे समय दिया उसके लिए आभारी हूं। धन्यवाद।

श्रीमती मनोरमा सिंह (राजाखेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, आपने मेरा नाम नहीं पुकारा है। माननीय सदस्या ने मेरा नाम

(श्रीमती मनोरमा सिंह)

लिया है । आज जो बातें मैंने कही हैं शायद वह हाउस को अच्छी नहीं लगी, यह मैं समझ रही हूं परन्तु मैं इन बातों को नहीं समझती हूं । वैसे मैं समझती हूं कि गृह मंत्रीजी के बस का कोई रोग नहीं है इस मामले में इस हाउस में + + + कराने के सिवाय । उस महिला का कुछ भी वर्चस्व नहीं है, केवल महिला की + + + हो रही है हाउस में । पहले अलवर काण्ड चला था । मैं जब से हाउस में आई हूं तब से हर बार इस हाउस में काण्ड चलते रहते हैं । एक भी काण्ड में कोई कार्यवाही नहीं हुई हैं । अध्यक्ष महोदय, मैं समझती हूं इन बातों में, जब तक बच्चों में अच्छे पारिवारिक संस्कार नहीं पड़ेंगे तब तक हमारे समाज का सुधार नहीं होगा । जब एक बच्ची का 9 बजे का स्कूल है और 7 बजे से जा रही है, 5 बजे छुट्टी हो रही है और 8 बजे घर वापस लौटकर आ रही है तो मां-बाप यह नहीं पूछते हैं कि आपने इतना टाइम कहां गुजारा । अध्यक्ष महोदय, मैं समझती हूं, मैंने जो शब्द कहे हैं वह इसलिए नहीं कहे हैं कि किसी मुल्जिम को बख्शा जाए परन्तु मैं यह भी समझती हूं कि सिवाय उस महिला की थू-थू के इस हाउस में कुछ होना जाना नहीं है । केवल उनको संरक्षण देना न गृह मंत्रीजी के बस का कोई रोग है, न गृह मंत्री उसको सम्भाल पाएंगे । इन्हीं बातों के साथ मैं आपको धन्यवाद देती हूं । मैं बिना आज्ञा बोली । जय हिन्द, जय भारत ।

श्री अध्यक्ष : टीकमचन्दजी ।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक नया वर्ड सुनने को मिला आज + + + मैं आपसे निवेदन करता हूं कि क्या आप इसे संसदीय शब्द मानेंगे ?

श्री हरिसिंह (महुआ) : नहीं, यह असंसदीय शब्द नहीं है । (व्यवधान) बहुत पुराना है ।

श्री अध्यक्ष : देख लेंगे ।

श्री चन्दनमल बैद : ब्रज भाषा का शब्द है ।

श्री अध्यक्ष : हमने इसको एक्सपंज कर दिया ।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : अध्यक्ष महोदय, अर्थ का अनर्थ नहीं निकालें । माननीय सदस्या का कहने का मतलब यह नहीं है । जो भावना थी वह प्रकट की है यह उस बात को तूल दे रहे हैं बेमतलब की । आप यह देखें कि किस भावना से कहा है । उनके दिल के अन्दर पीड़ा है । इस बात को मजाक कर रहे हैं । (व्यवधान)

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया ।

(162)

श्री अध्यक्ष : टीकमचन्दजी । अभी कई माननीय सदस्यों को बोलना है ।

श्री रामनारायण मीणा : अध्यक्ष महोदय, गृह मंत्रीजी तो + + + शब्द से नाराज होकर बाहर चले गये ।

श्री अध्यक्ष : आप विराजें । टीकमचन्दजी बोलें ।

श्री रामनारायण मीणा : गृह मंत्रीजी नहीं हैं, उच्च शिक्षा मंत्रीजी की हालत बहुत बदतर है, आप चर्चा करवा रहे हो । मुख्य मंत्रीजी नहीं है । बहुत सीरियस मामला है ।

श्री अध्यक्ष : आप विराजिए । सीरियस मामला है तो सीरियस लीजिए ।

श्री टीकमचन्द कान्त (सिवाना) : अध्यक्ष महोदय, हाउस जिस प्रकार की, जिस घटना की चर्चा कर रहा है, 6 तारीख से राजस्थान प्रदेश के सारे लोग ··· (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया शांति बनाये रखें । शांति रखें ····(व्यवधान) कृपया शांति रखें ।

श्री टीकमचन्द कान्त : चर्चा कर रहे हैं, दोषारोपण भी किया जा रहा है कि इस प्रकरण के लिए कौन दोषी है और इस प्रदेश का यह शीर्ष सदन है इसी कारण से हम भी इस पर चर्चा कर रहे हैं । अध्यक्ष महोदय, एक चीज सामने आई और सबने यह चाहा था कि हम आत्म चिन्तन करें, आत्म विवेचन करें, आत्मलोचन करें कि यह घटना क्यों घट रही है, यह परिस्थितियां क्यों पैदा हो रही हैं । तीन-चार दिन का जो भी सत्र होगा उसके अन्दर शायद मेरा ख्याल है यह सारी बातें घूम-फिरकर सामने आएंगी । इस पर अब तक जो चर्चा हुई है इसके अन्दर राजनीतिक तौर से भाषण भी हुए हैं, नैतिक तौर से भी भाषण हुए हैं, सुझाव देने के लायक भी भाषण हुए हैं और प्रथम भाषण माननीय मीणाजी का जो हुआ, पूर्णतः राजनीतिक था और उसके बाद जो भाषण प्रारम्भ हुए उसके अन्दर नैतिकता का पुट ज्यादा था कि समाज में ऐसा क्यों हो रहा है ।

अध्यक्ष महोदय, वह घटना उस प्रांगण में घटी है, सरस्वती का मंदिर जिसे कहते हैं, विद्या का मंदिर जिसे कहते हैं । उस प्रांगण में घटी है । यह बिलकुल सामने स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रहा है उसके अन्दर छात्र नहीं रहते, कुछ स्वेच्छाचारी लोग रहते हैं, निरंकुश नागरिक उसके अन्दर रहते हैं और जो स्वच्छन्दता के अन्दर विचरण करना चाहते हैं वह लोग उसके अन्दर रहते हैं । मर्यादा पूर्णतः समाप्त हो गयी है ऐसा लगता है । अध्यक्ष महोदय, इन्हीं लोगों के लिए यह छात्रावास बने हैं ? मुझे लगता है कोई अंकुश नहीं रह गया और वास्तव में अब यह मांग उठ रही

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अप्रलोपित किया गया ।

(श्री टीकमचन्द कान्त)

है और यह मांग होनी चाहिए कि उन छात्रों पर अंकुश लगे। प्रशासनिक कार्यों पर अंकुश लगे और सीधी बात है, अब वास्तव में पुलिस को सीधी कार्यवाही के लिए अन्दर भेजा जाना चाहिए तब कहीं जाकर यह घटनाएं रुकेंगी, नहीं तो घटनाएं रुकने वाली नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं मानता हूं, इस घटना के अन्दर पुलिस को भी जितनी तत्परता बरतनी चाहिए थी शायद वह नहीं बरती। संवेदनशीलता जितनी दृष्टिगोचर होनी चाहिए थी वह नहीं हो पायी। कुल मिलाकर मुझे लगता है कि हम सारे लोग इसमें दोषी हैं। पुलिस ने अगर समय रहते तत्परता से कार्यवाही की होती, व्यर्थ समय नहीं गंवाया होता तो उन दोषियों को पकड़ा जा सकता था, दोषी बाहर निकलकर नहीं जा सकते थे लेकिन शायद वह तत्परता हम नहीं बरत सके।

अध्यक्ष महोदय, मेरा तो एक ही निवेदन है और सबसे बड़ी बात एक ही है कि उन लोगों के फोटोज तो होंगे, उन लोगों के चित्र तो होंगे, सारे अखबारों में वह चित्र पुलिस दे, जिस-जिसके नाम लड़की ने बताए हैं, इस युवती ने जिसे-जिसके नाम बताए हैं उन सारों के चित्र प्राप्त कर लें, अखबारों के अन्दर दे दें और 2-2, 3-3, 4-4 दिन तक अखबारों के अन्दर इस प्रकार दिया जाए यह अपराधी है और एक-एक व्यक्ति का जो भी नाम बताए उसके लिए दस-दस हजार रुपये का इनाम घोषित कर दिया जाए तब कहीं जाकर यह लोग बाहर आएंगे, समाज के सामने आएंगे और पकड़े जाएंगे उसके अन्दर मेरा ख्याल है कई सारे साक्षियों की आवश्यकता रहेगी। सजा तो पता क्या कितनी हो पाएगी लेकिन अगर यह अनुमति दे कानून, विधान यह अनुमति दे कि उनके काले मुंह करके पूरे प्रदेश के अन्दर ही नहीं पूरे शहर के अन्दर उनको घुमाना चाहिऐ, और लोगों से +++ करवानी चाहिए उन पर, यह किया जा सकता है। बहुत कुछ लोगों ने कहा है, बहुत सारे प्रश्न पूछे हैं गृह मंत्रीजी से, आपने यह नहीं किया, वह नहीं किया लेकिन कुल मिलाकर हमने पुरातन छोड़ दिया है। अध्यक्ष महोदय, बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं, यह प्रगतिशीलता हमने अपनाई, इस पर चिन्तन करने की आवश्यकता है। यह आपकी प्रगतिशीलता इस समाज को कहां लेकर जा रही है? अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं तो ज्यादा नहीं कहकर इतना ही कहकर अपनी बात को पूर्ण करना चाहूंगा कि इस पर चिन्तन हो। चिन्तन के साथ मैंने जो व्यवहार बताया है वह इस प्रकार का अपराधियों के साथ हो तब कहीं जाकर थोड़ा बहुत मरहम लगाया जा सकता है, नहीं तो यह संभव नहीं है। धन्यवाद। जय हिन्द।

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(164)

श्री अध्यक्ष : श्री रामस्वरूप जी। सात मिनट में अपनी बात कहें। आपके बाद राजेन्द्रजी को ट्रेन पकड़नी है। कृपया स्टार्ट करें।

श्री रामस्वरूप मीणा : सात मिनट मेरे लिए लागू हुए हैं क्या ?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : विश्व-विद्यालय वाला मामला कब तक चलेगा ?

श्री अध्यक्ष : अब कई माननीय सदस्यों के नाम हैं और मैं उन्हें यह नहीं कह सकता कि आप अपने नाम विद्ड्रा कर लें।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आप नहीं कहें लेकिन एक अंदाजन तो बता दें कि एक घण्टा तो और चलेगा।

श्री रूपाराम : मैं तो कभी-कभी बोलता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे भी बोलने दें। मुझे भी थोड़ा मौका दिया जाए।

श्री अध्यक्ष : नाम तो अभी काफी बाकी हैं। कम से कम बीस नाम और हैं। आप बिराजिये। बोलिये रामस्वरूपजी।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं माननीय अध्यक्ष महोदय को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने मुझे समय दिया। इस पवित्र सदन के अन्दर मेरे टोडाभीम विधान सभा क्षेत्र की जनता ने जब मुझे भेजा था तो उन्होंने यह कहा था, राजस्थान के पवित्र सदन में जाओ, हमारे क्षेत्र के विकास कार्यों को रखना। और मैं भी यही सोचता था, जब उस पवित्र सदन में जा करके मुझे मात्र विकास कार्यों पर बोलने की जरूरत पड़ेगी लेकिन जब मैं यहां आया, एक नहीं दो बार आया तो इसी पवित्र सदन के अन्दर आज नैतिकता तो बिलकुल समाप्त हो चुकी है, विकास कार्यों का कहीं नामोनिशान नहीं बचा है। जब-जब भी यह सदन चला है एक भी सत्र ऐसा नहीं गया जिसमें कि बलात्कार की चर्चा नहीं हुई हो।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज सरस्वती मां के पवित्र मंदिर में जो बलात्कार हुआ है इस सबके दोषी हम सब लोग हैं। इसी राजस्थान के सदन के अन्दर कितने केस आए ? अलवर काण्ड हुआ, शिवानी का काण्ड हुआ, शालिनी का काण्ड हुआ और जुगताराम का काण्ड भी इसी सदन के अन्दर आया था। ऐसे जघन्य अपराध हमारे सदन के अन्दर उठे लेकिन राजस्थान की सरकार के कानों पर जूं नहीं रेंगी और अत्याचारों को नहीं रोका। आज पवित्र स्थान पर जो कार्य हुआ है, हमारी बहन की जो इज्जत लूटी गयी है, माननीय गृह मंत्रीजी, लोग कहते हैं इस बहन को गोद ले लो। मैं तो कह दूंगा बहन है ही आपकी राजस्थान के गृह मंत्री हो आप राजस्थान की प्रत्येक लड़की आपकी बहन है। आज एक नारी हमारी मां भी होती है, वही हमारी बहन होती है, वही पत्नी के रूप में होती है, आज नारी का इतना अपमान हो रहा है। हमारे शास्त्रों में लिखा

(श्री रामस्वरूप मीणा)

है, "यत्र नार्यास्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता" जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता रमण करते हैं, क्या यह नारी की पूजा हो रही है ? जिस समय द्रोपदी की लाज लूटी थी वहां पर सारे लोग बैठे हुए थे । आज मेरी बहन की लाज यूनिवर्सिटी में, सरस्वती मां के पवित्र मंदिर में लुटी है, उस द्रोपदी की लाज को बचाने वाला कोई नजर नहीं आता है । माननीय गृह मंत्रीजी चुप बैठे हैं । मुख्य मंत्रीजी नजर नहीं आते, दर्शन ही नहीं हुए आज मुख्य मंत्रीजी के । गृह मंत्रीजी तो कुछ भी नहीं कर सकते । मुझे पता है कि इनकी मर्यादा है । उप मुख्य मंत्रीजी विराजमान हैं, वह भी कुछ नहीं कर सकते ।

माननीय मुख्य मंत्रीजी से मैं निवेदन करना चाहूंगा, मुख्य मंत्रीजी, आप जहां भी हमारी बात सुन रहे हो, आप कुछ कर सकते हैं । लेकिन मुझे विश्वास है आपने किसी काण्ड में कुछ भी नहीं किया । आप एक ही बात कहते हैं आखिर में, देखस्यूं, जानस्यूं, करस्यां । यही शब्द मुख्य मंत्रीजी के मुंह से हमेशा निकलते रहते हैं । आज तक कुछ नहीं हुआ । मत करो । आज एक बहन की इज्जत लूटी है, सात भाइयों ने उसके साथ बलात्कार किया है । तो यह स्थिति हो रही है । आपको और हमको इस सदन में बैठने का कोई अधिकार नहीं है .. (व्यवधान) आप मजाक कर रहे हो । इनको मजाक सूझ रहा है । आज आपकी बहन के साथ ऐसा होता घर के अन्दर तो आप क्या कर जाते, क्या आपके साथ गुजरती और आज आपको मजाक याद आ रहा है ? कर लो मजाक । आज हमारी सरस्वती मां के मंदिर में सब कुछ हुआ है, कल आपके घर में भी होगा वह दिन दूर नहीं है । यह अपराधी कौन हैं ? यह अपराधी वह हैं जिनको हमने पनपाया है, राजनीति में शरण जिनको हमने दी है । जिस समय चुनाव लड़ते हैं इनके जरिये बूथ कैप्चर किये जाते हैं । यह रात-दिन हमारे बाडीगार्ड बनकर रहते हैं । इसलिए जब हमारी रक्षा करते हैं, आज वह लोग इज्जत नहीं लूटेंगे ? आपकी इज्जत तो उन्होंने बनवायी है, इज्जत तो लूटने वाले बलात्कारियों ने । इसलिए आपको यहां बैठने का क्या अधिकार है ? आज सब यह कसम लें, अब इस प्रकार के बलात्कारी और बदमाश लोगों को कोई संरक्षण नहीं देगा, कोई भी उनका सहयोग नहीं लेगा, सब लोग नैतिकता की ओर ध्यान देंगे ।

राजस्थान की यूनिवर्सिटी के अन्दर कोई चुनाव होता है तो उसके अन्दर उन व्यक्तियों को खड़ा किया जाए जिनके सबसे ज्यादा पर्सेंटेज हों, जिनका एक चरित्र हो ऐसे बच्चे यूनिवर्सिटी के अन्दर आएंगे तो हमारा यह कार्य सिद्ध हो सकता है वरना यह अपराध तो बढ़ते ही चले जाएंगे ।

आज इस पवित्र सदन के जरिये मैं आप सबसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूं, माननीय गृह मंत्रीजी, ठीक है, आप गिरफ्तार कर लोगे, कोई गवाह नहीं मिलेंगे

(श्री रामस्वरूप मीणा)

उनके खिलाफ आगे जाकर कोर्ट के अन्दर और वह बरी हो जाएंगे। डकैत बरी हो जाते हैं इनकी तो क्या बात है। वह तो बरी होंगे निश्चित। माननीय शिक्षा

(16.00)

मंत्री जी यहां विराजमान हैं, आज सरस्वती के मंदिर में जो कुछ हुआ है, आप इसको गंभीरता से लेवें। वहां की कानून व्यवस्था कमजोर थी। वहां की व्यवस्था कमजोर हो चुकी थी। वहां पर आने-जाने पर कोई पाबंदी नहीं थी। वह जो कुछ हुआ है उस सबके दोषी आप हैं अगर आपने रोक नहीं लगायी तो। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सुधार करिये इसके अंदर। मैं कोई इस्तीफा नहीं मांग रहा हूं। नहीं तो वह दिन दूर नहीं जब आपका और हमारा सुधार हो जाएगा। लोग हमको गांवों में घुसने नहीं देंगे। यह बहनों की इज्जत लुटती रही, सही कह रही थी मेरी बहन। आज हम चुप बैठ जाए? हमको चुप नहीं बैठना है। मेरा विनम्र निवेदन है कि जो कुछ लोगों ने किया है यह उनका दोष नहीं, यह प्रशासन का दोष है। प्रशासन कमजोर हो चुका है इसलिए कांड हुआ है। इस पर गहराई से सोचना पड़ेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आखिर में मैं आपसे विनम्र निवेदन करना चाहूंगा कि आज राजस्थान के सदन में हम कसम लें इस बात की कि कोई भी राजनीतिक नेता ऐसे लोगों को कोई संरक्षण नहीं देगा, जो इस प्रकार के अपराध करते हैं उनको अपराधी कहा जाएगा, इनके फोटू छपाये जायेंगे, जो उस बहन के साथ बलात्कार हुआ है वह हमारे साथ बलात्कार हुआ है, हमारी बहन के साथ बलात्कार हुआ है, यह मानकर चलेंगे। आपने मुझे जो समय दिया उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री कृपारामजी।

श्री कृपाराम (मकराना) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यूनिवर्सिटी में 5 तारीख को जो कृत्य हुआ, जो शर्मनाक घटना घटी, मैं भी इस कृत्य की, शर्मनाक घटना की पुरजोर भर्त्सना कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय, आज जगह-जगह पर सामाजिक स्तर पर हो, छोटे-मोटे फंक्शन हों, ज्यादातर लोग नेताओं को जिम्मेदार ठहराते हैं। राजनीतिज्ञों को जिम्मेदार ठहराते हैं। मैं मानता हूं कि काफी हद तक उनकी बातें सही हैं लेकिन जो सबसे सच बात मैं मेरे विचार से मानता हूं वह यह है कि हमारे मनुष्य जीवन में जीने के तरीके में गिरावट आ रही है, हमारे संस्कारों में कमी आ रही है। इस व्यवस्था के गुणों में कमी और दुर्गुणों में जो बढ़ोतरी हुई है उसी का परिणाम मैं मानता हूं कि यूनिवर्सिटी में यह कृत्य हुआ है।

आज सभी लोग यह कहते हैं कि राजनीतिज्ञ यह कर रहे हैं। मैं जगह-जगह पर अब भी जिस मीटिंग में जाता हूं, कहता हूं कि सारे कुओं का पानी ही बदल गया।

(श्री रूपाराम)

आज सबसे बड़ी जिम्मेदारी है फिल्मी दुनिया की टलीविजन की, नाटककार की या गीत लिखने वालों की। उन्होंने हमारी संस्कृति पर इतना कुठाराघात किया है, इतना हमला किया है कि आने वाले समय में मेरे विचार से कानून व्यवस्था में कितनी ही सख्ती कर दी जाए, चाहे कितनी न्यायपूर्ण जांच हो, जब तक मनुष्य का वह सोच नहीं बदलेगा तो इस तरह की घटनाएं घटित होती रहेंगी।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपको उदाहरण के तौर पर 2-3 बातें बताऊंगा। औरत जो हमारी मां, बहन, बेटी है, आज हम टेलीविजन या रेडियो या फिल्म एक साथ मां, बेटी, बहन बल्कि मैं तो कहता हूं कि हम दो दोस्त भी एक एक साथ बैठकर, फिल्म नहीं देखते आज जिस तरह से औरत को टेलीविजन पर या सिनेमा पर दिखाया जाता है। उसी की देन है। मनुष्य की प्रवृत्ति में है औरत के प्रति आकर्षित होना। मनुष्य की प्रवृत्ति में है सुन्दरता के प्रति आकर्षित होना। जब उसकी प्रवृत्ति में है और प्रवृत्ति को और तेज किया जा रहा है, प्रवृत्ति को भड़काया जा रहा है, इस तरह के मौके आते हैं तो मनुष्य निश्चित रूप से गुणों के बजाय दुर्गणों की ओर आकर्षित होता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, उदाहरण के तौर पर मैं बताऊं, किसी गीतकार ने पहले कितने अच्छे गीत लिखे, उस समय, वह गीतकार कभी यह नहीं सोचता था कि इसमें मुझे कैसे दुगुने पैसे मिलेंगे। वह अपनी सृष्टि के बारे में, अपने देश के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में, अपनी आने वाली पीढ़ियों के बारे में चिंतित रहा करता था। वह सोचता था कि मेरे गीत से कोई अच्छा सबक सीखे, न कि उसमे कोई बुराई हो। लिखने वाले ने लिखा, "अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं"। यह भी लिखा "हम लाये हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के" धीरे-धीरे लिखते-लिखते उसने क्या लिखा? तब भी आजादी पर लिखा, आज लिखा, अभी लिखा कि "मैं शादी में न जाऊं मेरी मर्जी, मैं सड़क पर सो जाऊं मेरी मर्जी" इन्हीं चीजों की देन है। खुद की शादी में खुद नहीं जाए, सड़क पर सो जाए, ट्रैफिक रुकवा दे। वह भी आजादी पर लिखा, इसने भी आजादी पर लिखा। हम कितने राजनीतिज्ञों ने, कितने हमारे युवा नेताओं ने, कितने हमारी जनता के लोगों ने उस गीत लिखने वाले को उलाहना दिया या दोष दिया कि आपने तो हमारी सारी संस्कृति पर ही प्रभाव डाल दिया। अध्यक्ष महोदय, मैं अब औरत के बारे में बता रहा हूं....

बैठबा की (घंटी) बोल गयी कांई।

श्री अध्यक्ष : कृपया इस तरह से नहीं।

श्री रूपाराम : अध्यक्ष महोदय, औरत जो हमारी मां, बहन, बेटी होती है, उसके बारे में किसी ने लिखा, "चौदहवीं का चांद

(श्री [illegible])

हो", ज्यों-ज्यों पर्दे पर औरत के कपड़े होते थे, सुंदर दिखती थी। धीरे-धीरे औरतों के पर्दे पर कपड़े कम हो गये, शब्दों में नंगापन आ गया, यह जीती-जागती जोत है। रोज टेलीविजन पर बच्चे देखते हैं। हम मां-बाप आंख मूंद लें, आंखें बंद कर ले, लेकिन देखने वाले देखते हैं। उन्हीं का नतीजा है यूनिवर्सिटी की घटना। एक यूनिवर्सिटी में इस तरह की घटना नहीं घटने वाली है। कई घटना घटेंगी। यह मेरा दावा है कि जिस तरह से समाज चल रहा है, जिस तरह से व्यवस्था चल रही है, जिस तरह से कानून व्यवस्था चल रही है, कोई पार्टी का, बीजेपी का और न कांग्रेस का दोष है, किसी का दोष नहीं है, यह दोष हमारी व्यवस्था का है, अगर इसी तरह से व्यवस्था चलती रही तो आने वाले समय में हर जगह यह घटना घटेगी, घट रही है, आप घटने की बात करते हो।

स्त्री के बारे में वह शब्द लिखे, स्त्री की सुंदरता का बखान करते थे। बखान करना चाहिये, बखान प्रभु भी करते थे, ईश्वर भी करते थे। नारद मुनि खुद भी स्त्री की सुंदरता के चक्कर में फंस गये, 13-14 साल की तपस्या करवा ली। तो आज के तो नवयुवक हैं, मर जाएंगे, ये भी, हम तो साधारण मनुष्य हैं। हम तो दोषी हैं। मुनि ने 14 साल तपस्या करके औरत की सुंदरता देखकर कहा कि "हे राम मने सुंदर बना दे, शादी करादे" वह भी बिग गये। तो प्रलोभन किया। आज व्यवस्था क्यों हो रही है ऐसी ? माननीय अध्यक्ष महोदय, एक वह गीत लिखे, "जाने बहार हुस्न तेरा बेमिसाल है" वह भी औरत के बारे में है। आज क्या लिखते हैं ? आज लिखते हैं, "तू चीज बड़ी है मस्त-मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त-मस्त" हम सुनकर भी हो जाते हैं मस्त। कभी नहीं बोलते हैं। औरत जो हमारी मां, बहन, बेटी है उसके बारे में हम आराम से सुनते देखते जा रहे हैं। मैं खुद आत्मा से चिंतित हूं। आज कहने को सभी लोग कहते हैं कि भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार है।

मेरा एक उदाहरण है कि एक हजार आदमियों की एक देश की पापुलेशन है, संख्या है, आप सबसे अलग-अलग स्टेज पर भाषण दिलवायें। हजार के हजार यही कहेंगे, मेरे विचार से एक दो को छोड़कर के कि सब चोर हैं। सब चोर हैं तो फिर चोर है कहाँ ? हजार के हजार ही बोल गये सब चोर हैं। हममें से ही तो हैं कुछ। इसके लिए हमें सबसे पहले अपने आपको टटोलना होगा, अपना जमीर टटोलना होगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आप इस तरह की बात करते हो। एक रोचक घटना मेरे सामने आई 20 दिन पहले। दो युवा लड़के आए, एक डाक्टर था। मैंने पूछा कि भाई, किस काम से आए, इतनी मोटी फाइल लिए आए हैं ? उन्होंने कहा कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। मैं इसी से सम्बन्धित यह बातें कह रहा हूं कि आने वाले समय में एक दो घटना और आने वाली हैं। आज कितने इस तरह के

(श्री रूपाराम)

अनैतिक कार्य चल रहे हैं जिसको पकड़े जाने के बाद में हम तरह-तरह के रूप दे देते हैं। उन्होंने कहा कि मैंने एडवरटाइजमेंट के हिसाब से शादी कर ली। सवर्ण घरों का है, अच्छे घर का लड़का है, डाक्टर है। मुझे लड़की कहती है कि मैं तो कालगर्ल हूं, तुझे नाम देना है तो दे और तू मेरा बिचावला बन सकता है, मैं धंधा यही करूंगी। रोज-रोज के नये पैसे ला रही हूं। अच्छी नौकरी करता है और आप मुझे इसकी जिम्मेदारी दें मेरी जान बख्शने की या मेरी जान की रक्षा की तो मैं यह कल ही भंडाफोड़ कर दूं। मैंने कहा कि इसके पीछे कितने हैं कि 40 औरतें हैं। 40 औरतें हैं तो 100-200 बड़े अफसर भी होंगे ? मुझे आश्चर्यजनक बात बताने को यह मिली कि साहब, जिन-जिन लोगों से, जिन नेताओं से, जिन अधिकारियों से बात की, उन्होंने मेरी पत्नी का एड्रेस लिया और तीसरे-चौथे दिन वहां पहुंचे गये। मैं देखता रह गया। ढाई साल हो गये मुझे। मैं सदन के सामने कह रहा हूं, आपके सामने कह रहा हूं कि आप मुझे मेरी गारंटी दें, कहने को तो बहुत सरलता से कह देते हैं कि सच की जीत होती है, लेकिन सच और झूठ की लड़ाई में झूठ के कुप्रभाव से, झूठ की ताकत से कितने सच सदा के लिए दफना दिये गये हैं, यह किसी को पता नहीं है।

विधायक बनने के बाद मैंने भी सोचा कि मकराना की जनता को न्याय दिला दूंगा लेकिन बार-बार मुझे यहां से मदद, गृह मंत्री जी या मुख्य मंत्री जी से मदद मिलने के बाद में भी भू-माफिया, भ्रष्ट अधिकारी और चोर–उचक्के मुझे मारने की साजिश रच रहे हैं। मैंने कहा, मेरे मरने से सरकार या एम. एल. एज. में कोई कमी नहीं होने वाली है इनके तो 14 के बजाय 13 आदमी रह जाएंगे, मेरा परिवार रोएगा इसलिए मैंने सोचा कि केवल सिर पत्थर से फोड़ने से न्याय नहीं मिलता। तो मैंने उन दो बच्चों को समझाया कि आप बड़े साहब के पास, डी. जी. साहब के पास जाइए, सी. एम. साहब के पास जाइए, मुझे मरवाने क्यों आ रहे हैं ? मैं अगर मामला उठाऊंगा तो कल को चार गुण्डे मुझे मारेंगे, मेरे को बच्चे पालने हैं। उन्होंने कहा, कहां जाएंगे? रोने लगे। मैं आज भी कह रहा हूं, कल, आज परसों, कब भी मुझे आश्वासन दीजिए, मैं पूरी फाइल लाकर बता दूंगा कि जुल्म किस पर हो रहा है।

नारी को हमने अबला माना है, उस पर जुल्म होता है। नारी मां, बहन, बेटी होती है उस पर जुल्म होता है लेकिन मैं मानता हूं कि कुछ कानून ऐसे भी बन गये हैं जिनसे नारी ही नहीं मनुष्य का भी शोषण होता है। उस लड़के की जीती-जागती नौकरी छूट गयी, जूते लग रहे हैं।

इस मामले में जो कृत्य हुआ, जो यह घटना घटी, शिक्षा के क्षेत्र में ऐसी घटना, मैं समझता हूं कि बहुत निम्न स्तर की बात है। उन लड़कों ने जिन्होंने ऐसा कृत्य किया है, अपने मां-बाप का नाम, अपने

(श्री रूपाराम)

परिवार का नाम और अपने बच्चों का नाम, आने वाली पीढ़ियों तक कलंकित किया है। शर्म की बात है, उनके लिए डूब मरने की बात है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बीच में दो शब्द और कहूंगा। मुझे इस मामले में कुछ शक है, जिन लड़कों ने, 6-7-8 ने यह कृत्य किया, मैं उनको शतप्रतिशत दोषी मानता हूं। चाहे सहमति हो, चाहे बलात्कार हो, यह पुलिस का मामला है, सरकार का मामला है, मेरा नहीं, क्योंकि मैं कभी यह नहीं कहता कि दोषी कौन थे लेकिन 91 की बात बता रही है, 91-90 के नाम गिना दिये, कहीं ऐसा न हो कि एक व्यभिचारी औरत भी कहीं अगर गलत नाम लिखा दे तो लोग जो अच्छे पद पर पहुंच चुके हैं उनको, जो दोषी नहीं हैं, बिना दोष वालों को, इसकी बात नहीं बता रहा हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, इसको छोड़ दें, आज अगर कोई रेड लाइट एरिया की औरत अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए आने वालों को फोटो खींचती रहे और आने वाले दस साल बाद में कहे कि इन लोगों ने मेरा शोषण किया, इस तरह की घटना न हो जाए कहीं, अन्याय वाले तो बच जाएं और जो दोषी नहीं हैं वह मर जाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया, धन्यवाद। नमस्कार।

श्री अध्यक्ष : माननीय गंगाराम जी।

समिति का प्रतिवेदन

राजस्थान भू-राजस्व विधेयक, 1996 पर गठित प्रवर समिति का प्रतिवेदन

श्री गंगाराम चौधरी (राजस्व मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान भू-राजस्व विधेयक, 1996 पर गठित प्रवर समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं।

राजस्थान अभिधृति विधेयक, 1996 पर गठित प्रवर समिति का प्रतिवेदन

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान अभिधृति विधेयक, 1996 पर गठित प्रवर समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं।

घोषणा

अनुपूरक अनुदान की मांगों पर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने की समय सीमा

श्री अध्यक्ष : आपने मांगों के बारे में पूछा था। (व्यवधान) मांग संख्या 19, लोक निर्माण, मांग संख्या 27, पेयजल योजना, मांग संख्या 46 सिंचाई इंदिरा गांधी नहर सहित, मांग संख्या 34प्राकृतिक आपदाओं के बारे में कल एक बजे तक आप अपने कट मोशन्स दे दें। (व्यवधान) रात को पहुंच जाएंगे। अब जितना समय है उतना ही मैं निवेदन करूं।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : हम आपके, आसन के वफादार हैं लेकिन यह कोई तरीका नहीं है कि मंत्रीजी ने, डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब ने चिट पकड़ा दी और आपने पढ़कर सुना दी।

श्री अध्यक्ष : डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब ने नहीं पकड़ाई, मैंने तो पता लगाया है। बी.ए.सी. में तय हुआ है।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : वहीं बी.ए.सी. में तय हुआ है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में तय हुआ है। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : इस आगस्ट हाउस का एक मायने में अपमान है। मान्यवर, यह तो कोई चीज नहीं हुई।

श्री हरिशंकर भाभड़ा (उप मुख्य मंत्री): यह सारा कल बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में तय हुआ वही है।

श्री अध्यक्ष : बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में सभी जने थे, मैं अकेला नहीं था।

श्री रामनारायण चौधरी : वह ठीक है लेकिन, आप हमें कायदे से दिलवाइए। कल पूरा दिन दीजिये हमें।

श्री अध्यक्ष : कल और परसों, दो दिन है बहस के लिए।

श्री रामनारायण चौधरी : बहस में नहीं अमेंडमेंट के लिए।

श्री अध्यक्ष : अमेंडमेंट के लिए आप चाहे जब दे दें।

श्री महावीर प्रसाद जैन : कट मोशन्स के लिए, अमेंडमेंट के लिए नहीं।

श्री अध्यक्ष : कट मोशन्स के लिए। चलिए; श्रीमती सूर्यकान्ताजी।

श्री परसराम मदेरणा (नेता, प्रतिपक्ष) : माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्व में भी जब एक्सेस डिमांड या सप्लीमेंट्री डिमांड आई हैं तो इस सदन में आसन की तरफ से यह व्यवस्था दी गयी है कि जिन डिमांड को आप वहां डिस्कस करने के लिए तय कर देते हैं, अनाउंस कर देते हैं उसमें अगर समय पर कट मोशन्स नहीं भी हैं तो भी आपने माननीय सदस्यों को यहां बोलने की इजाजत दी है।

श्री अध्यक्ष : दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : अभी मण्डावा से आने वाले रामनारायण साहब ने प्रश्न उठाया, एक बजे तक हम दे सकेंगे या नहीं दे सकेंगे तो नहीं भी दे सकते हैं तो....

श्री अध्यक्ष : तो भी बोलें। उसमें कोई मनाही नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : पूर्व में यह व्यवस्था रही है और यह बात सही है।

श्री अध्यक्ष : बोलने की सबको छूट है, जो चाहेंगे उन सबको बुलवाऊंगा।

श्री रामनारायण चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, लेकिन हम कटौती जो प्रस्ताव देंगे उसका उत्तर हमको मिलेगा ? मंत्री महोदय, हाथों हाथ तो देंगे नहीं क्योंकि यह परम्परा तो समाप्त हो गयी। वरना हाथों हाथ देते थे। ये भेजेंगे, एक महीने बाद उसका उत्तर आएगा हमारे पास इसलिए कट मोशंस जो हमारे हैं उसमें आप हमें सफिशिएंट टाइम दीजिए। बोलने की अनुमति आपने दे दी लेकिन प्रतिपक्ष के नेता ने जैसा कहा, उत्तर जो हम चाहेंगे वह हमको नहीं मिलेगा।

श्री अध्यक्ष : आप फरमा दें, पांच बजे तक दे दें, हमको क्या एतराज है ? कल पांच बजे तक दे दें, अपने को क्या है ?

शासकीय वक्तव्य

जे. सी. बोस. छात्रावास में बलात्कार की घटना

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस बात पर आज चर्चा हो रही है, विश्वविद्यालय में जो इस तरीके से कांड हुआ है, उसके बारे में मैं कुछ कहना चाहती हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो कांड हुआ है वह वास्तव में बहुत जघन्य अपराध हुआ है। इस तरीके से विश्वविद्यालय में कांड होने से मेरी समझ में ऐसा आता है कि कभी ऐसी स्थिति आ जाएगी कि इस विश्वविद्यालय का नाम भी बदला जाएगा और इसका नाम बलात्कार विश्वविद्यालय रखा जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, विपक्ष वाले और पक्ष वाले, सबका एक मत है और एक ही बात पर अपन चर्चा कर रहे हैं। यह कोई राजनीतिक प्रश्न नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस तरीके से माननीय सदस्य ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर इस तरीके से बलात्कार होते हैं, चाहे कोई भी सरकार हो, बलात्कारी होता है वह बलात्कारी होता है, उसकी कोई जात नहीं होती है, कोई पांत नहीं होती है। बदमाश होता है वह बदमाश ही कहा जाएगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ दो बातें कहना चाहूंगी। इस तरीके से जो अपराध हुआ है, आपके माध्यम से यह मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगी कि क्या पुलिस अधिकारियों ने, जो कोई भी कार्यवाही हुई है, उनके परिवार वालों को पकड़ा ? मैं उदाहरण के तौर पर, माननीय अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन करना चाहूंगी कि एक मकान में अगर चोरी हो जाती है तो पास वालों से पूछताछ की जाती है। मगर इतना बड़ा कांड होने के बावजूद, उनके कोई भी घरवालों को आज तक पुलिस ने थाने के अंदर लाकर के नहीं बैठाया। यह बहुत बड़ी शर्मनाक बात है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात मैं और निवेदन करना चाहती हूं कि क्या उस लड़की को स्कूटर पर बैठा कर ले गये थे ? जो व्यक्ति ले गया था, उसने अपनी आमद करवाई या अपनी रवानगी रोज-नामचे में दर्ज की ? अगर की हो तो वह सदन के पटल पर लाई जाए क्योंकि वह महत्वपूर्ण बात है। अगर कोई व्यक्ति थाने

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

से रवाना होता है तो उसकी रवानगी की थाने में एंट्री होती है और जब वापस आता है तो उसकी आमदगी की जाती है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसे बलात्कार कांड के अंदर अपन इस बात को बहुत गहराई से लें। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह भी चाहते हैं और अपन भी चाहते हैं। मैं यह बात कहना चाहूंगी कि मेरी बहन ने, सही बात कही थी माननीय विधायका ने कि वास्तव में होना जाना कुछ नहीं है। मगर इस बात में होना जाना करके बताना पड़ेगा अपन लोगों को। इस तरीके से महिलाओं के साथ अत्याचार को कोई महिला बरदाश्त नहीं करेगी।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और निवेदन करना चाहूंगी कि इस तरीके से अपन बैठ करके चर्चा कर लें उससे कोई हल आना जाना नहीं है। मैं यह चाहूंगी कि उन व्यक्तियों को गिरफ्तार करे और उनका काला मुंह करके गधे पर बैठा कर उनको पूरे जयपुर शहर के अंदर घुमाया जाए तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ऐसे व्यक्तियों को तुरन्त गिरफ्तार करना चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात भी सही है कि कोई पुलिस वाले से छिपा हुआ नहीं है कि कौन व्यक्ति कहां है। अगर पुलिस वाले हरकत के अंदर आ जाएं तो एक मिनट का काम है कि शाम को सबको लाकर थाने के अंदर खड़ा कर सकते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे को भी इस बात का भारी अनुभव है। मैं भी स्वयं पुलिस वालों की लड़की हूं। मैं जानती हूं कि पुलिस वाले चाहेंगे तो उसको एक मिनट के अंदर ला देंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं 1992-93 का किस्सा बता रही हूं। मेरे सामने जैन साहब यहां विराजमान हैं, जैन साहब उस समय जोधपुर के अंदर एस. पी. थे, मेरे ही रिश्तेदारों ने आपस के अंदर मर्डर कर दिया था। एस. पी. साहब को मैं इस बारे में धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने दस मिनट के अंदर जिसने मर्डर किया था उसको तुरन्त लाकर के थाने के अंदर बैठा दिया। इससे ज्यादा यह मानकर चलिए कि अगर पुलिस वाले चाहेंगे तो एक मिनट का काम है, तुरन्त उसको लाकर थाने में पेश कर देंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसे जघन्य अपराध पर अगर अपन बैठ करके सभी एक मत होकर चर्चा करें, इनका भी यही मत है, अपना भी यही मत है, वास्तव में निंदा प्रस्ताव भी लाना चाहिए, निंदा करनी चाहिए और अपन एक होकर कर रहे हैं तो इसमें कोई बहस का तो कोई तरीका ही नहीं होता है। अपनी जो भावना होती है, उस भावना के साथ अपने को यह सब कार्य करना है। वास्तव में इस बात के लिए सोचें कि अपने को कहां तक पहुंचना चाहिए। यह कोई मामूली बात नहीं है, लड़की के साथ बलात्कार हुआ है, हर तरीके से बात उठ रही है, इस बात के अंदर झांककर देखें, सबके बहन-बेटी है,

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

उनकी इज्जत को इस तरह से लूट लिया जाए तो अपन इस बात को बरदाश्त नहीं कर सकते। हम एक होकर इस बात को ज़ोरदार ढंग से उठाएं और उनको तुरन्त गिरफ्तार करने की मांग करें। उनको गिरफ्तार करने से भी कुछ नहीं होगा, उसका कुछ हल निकलना चाहिए, ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। मुझे आपने जो बोलने का अवसर दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री राजेन्द्र जी।

श्री राजेन्द्र चौधरी (बिलाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, सदन आज इस बहुत ही शर्मनाक और गंभीर मुद्दे पर चर्चा कर रहा है। पूरा सदन आज चिन्तित है, चाहे सत्ता पक्ष है, चाहे प्रतिपक्ष है। मैं समझता हूं कि आज यह सदन इस नतीजे पर पहुंचेगा कि ऐसी शर्मनाक घटना पर, ऐसी हृदय-विदारक वारदात पर एकमत से इस घटना की निन्दा करें।

अपराधी की कोई जाति नहीं होती है, न कोई धर्म होता है, न कोई राजनैतिक दल होता है। अपराधी की एक ही जाति होती है कि वह अपराधी है। जिस तरह की एफ. आई. आर. गृह मंत्री महोदय ने यहां पढ़कर सुनाई, हमने भी उस एफ. आई. आर. की जानकारी पहले ले ली थी। अध्यक्ष महोदय, उसमें सबसे बड़ी दुःख की बात यह है कि आज पांच दिन बाद गृह मंत्री जी ने केवल उस एफ. आई. आर. के बारे में जानकारी दी और यह कहा कि सरकार कार्यवाही कर रही है तथा हमने टाटा सुमो को पकड़ लिया है।

अध्यक्ष महोदय, आपने देखा होगा कि एफ. आई. आर. कितने बजे दर्ज हुई। वह पारसिंह नाम का पुलिस पर्सन था, जो उसके साथ में वहां पर आया, उसके बाद में वह वापस पुलिस स्टेशन पर वह लड़की गयी और उस समय भी उसके पेरेंट्स को इन्फार्म नहीं किया गया। उसके बाद में उस लड़की को लेकर कौनसे पुलिस अधिकारी मौके पर आए? उसके बाद मानसरोवर वगैरह, पता नहीं कितनी जगह पर उस लड़की को लेकर घूमते रहे, मेडिकल के लिए काल नहीं किया गया, उस लड़की को हास्पिटल नहीं ले जाया गया, इसके लिए कौन दोषी है? क्या उस समय पुलिस प्रशासन के अधिकारी वहां मौके पर मौजूद थे? क्या उनको यह बात समझ में नहीं आई? रात को 12 बजे उसका मेडिकल मुआयना हुआ है। गृह मंत्रीजी, क्या यह बात गलत है? कितने बजे की एफ. आई. आर. है और कितने बजे जाकर उसका मेडिकल मुआयना कराया? उसके बाद में जो महत्वपूर्ण बात है, लड़की ने यह भी बताया है कि इतने अरसे से, इतने वर्षों से ये मेरा शोषण कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा और, गृह मंत्रीजी, आपसे भी अनुरोध करूंगा, आपने मेरे ख्याल से पीड़िता से घर जाकर संपर्क नहीं किया?

(श्री राजेन्द्र चौधरी)

मुझे इस बात का बहुत दुःख है कि आज सारा सदन चिन्तित है, गृह मंत्री जी, मैं अभी भी उम्मीद करूंगा, आज सदन की कार्यवाही के बाद में आप वहां जाकर व्यक्तिगत रूप से मिलिए और पीड़िता से आप स्वयं पूछताछ कीजिए। मुख्य मंत्रीजी से भी मेरा अनुरोध है, वैसे तो वे सब जगह जाते हैं, पूरे हिन्दुस्तान में घूमते हैं, जयपुर के अन्दर इस तरह की घटना हुई है लेकिन उन्होंने इस बात की सुध नहीं ली है। कल जरूर मुख्य मंत्रीजी ने यह बात कही थी कि मेरे परिवार का कोई सदस्य होगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा और कुछ माननीय सदस्यों ने ताली बजायी।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस, अंशुमान सिंह जयपुर के अंदर किसी क्लब में कोई स्पीच देने गए, स्पीच के बाद में प्रश्नोत्तरकाल के बाद में उन्होंने कहा कि मेरे से आप प्रश्न कीजिए। माननीय उप मुख्य मंत्री महोदय, एक प्रश्न के उत्तर में अंशुमान सिंह जी ने यह बात कही कि राजस्थान के मुख्य मंत्री भैरोंसिंह जी शेखावत मेरे पास आए थे 18 तारीख को और उन्होंने मुझे यह कहा कि मैं मुख्य मंत्री के रूप में नहीं आया हूं, मैं भैरोंसिंह के रूप में आपके पास आया हूं। पर मैंने मेरे विवेक से 19 तारीख को फैसला किया। यह बात हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज, अंशुमान सिंह ने वहां पर प्रश्नोत्तरकाल में कही। कौनसी बात को और कौनसे फैसले को प्रभावित करने के लिए अंशुमान सिंह के पास में मुख्य मंत्रीजी 18 तारीख को गए थे, जो मुख्य मंत्रीजी यहां पर इस बात की घोषणा करते हैं कि मेरा रिश्तेदार होगा उसको भी नहीं बख्शा जाएगा। यह गंभीर बात है। इससे आज सदन चिन्तित हो रहा है।

गृह मंत्री महोदय, कुछ लोगों ने आपको यह सलाह दी कि आप किसी की पुत्री को गोद ले लीजिए, आप शादी कर लीजिए। पर आप इन्सान हैं, कोई शादी या पुत्री का सवाल नहीं है....

श्री चन्दनमल बैद : कंवारे भी हैं।

श्री राजेन्द्र चौधरी : यह इस बात का सवाल नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप इन्सान हैं और इन्सानियत के नाते आपका पहला धर्म और फर्ज बनना चाहिए था, इस घटना की जानकारी होते ही आप पीड़िता के वहां जाते। सारा सदन इस बात के लिए चिन्तित है। अध्यक्ष महोदय, कल जब जयपुर बंद था, किसी के भय से बंद नहीं था। किसी ने बंद नहीं कराया। जनता के मन के अंदर पीड़ा थी, जनता दुःखी थी इसलिए वह बंद हुआ। आज जब यहां पर सत्ता पक्ष और सरकार के प्रतिनिधि देवीसिंह जी भाटी और शान्तिसिंह जी, ने विचार व्यक्त किये, उन्होंने स्थिति का खुलासा किया। हम किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहते, हम किसी के परिवार के सदस्य के ऊपर आरोप नहीं लगाना चाहते, हम केवल अपराधी के विरुद्ध कार्यवाही करने की बात करते हैं। अध्यक्ष महोदय, अपराधी मेरा भाई हो, मेरी जाति का हो,

(श्री राजेन्द्र चौधरी)

मेरे परिवार का सदस्य हो, उसको किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा कि आज जब सदन कल तक की कार्यवाही के लिए स्थगित हो तो निश्चित रूप से इस तरह की घटना के, इस तरह की वारदात के खिलाफ निन्दा का प्रस्ताव पारित होना चाहिए। ऐसी शर्मनाक घटना की पुनरावृत्ति न हो।

उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, केवल जे. सी. बोस छात्रावास की घटना का सवाल नहीं है। राजस्थान के अंदर जितने भी छात्रावास हैं, चाहे वे स्कूल एजूकेशन के हों, चाहे एजूकेशन की प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के छात्रावास हों, चाहे महिला आवासनी छात्रावास हों, जिस तरह की बात पिछली बार आई थी कि किसी तरह से शराब पीकर लोग घुस गये थे, उसके अंदर जयपुर के निर्वाचित पार्षद घुस गये थे, आज जब इसके ऊपर कड़ाई से पालना नहीं करेंगे, जैसा कि जोहरी बाजार से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि चीफ वार्डन कल एक टी वी. इंटरव्यू में यह बात कह रहे थे कि ऐसी घटनाएं रोज होती हैं, उन्होंने एक बात और कही थी, जोहरी बाजार से आने वाले माननीय सदस्य ने नहीं कही, उन्होंने यह कहा था कि ऐसी घटनाएं रोज होती हैं और हमने विश्वविद्यालय प्रशासन को समय-समय पर इसकी जानकारी दी है पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि आज यूनिवर्सिटी का एक लेक्चरार बड़ा असहाय है, एक चपरासी बड़ा असहाय है। जो शक्तिशाली लोग हैं, विश्वविद्यालय के बारे में जब यहां चर्चा करते हैं तो उच्च शिक्षा मंत्री महोदय कहते हैं कि हम मजबूर हैं, यह चांसलर का मामला है, महामहिम का मामला है। अध्यक्ष महोदय, हमको इस बारे में चिन्ता करनी पड़ेगी। विश्वविद्यालय को, उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, हम स्वतंत्र नहीं छोड़ सकते। उसके छात्रावासों के अंदर वाइस चांसलर की परमिशन के बिना पुलिस जा नहीं सकती। आप मुझे बताइए कि क्या इस तरह की उनको गुण्डागर्दी की परमिशन दी जा सकती है? कोई भी अपराध करके, जिस तरह से धार्मिक स्थलों मे लोग छिपते थे, क्या वे छात्रावास भी उनके सुरक्षा के स्थल बन गये हैं? चाहे हथियार हों या ड्रग्स हों हमें उसके बारे में सख्त कार्यवाही करनी चाहिए और सर्वसम्मति से यहां यह प्रस्ताव पारित करना चाहिए कि सभी छात्रावासों की चैकिंग होगी और वह सरप्राइज चैकिंग होगी। चाहे कलक्टर, एस. पी. संयुक्त रूप से जाकर चैकिंग करेंगे। आपको इस तरह का निर्णय लेना पड़ेगा, हर जिले के अंदर कोई भी सरप्राइज चैकिंग में एस.पी. और कलक्टर जाएंगे। अगर वहां पर डी. आई. जी. या कमिश्नर होंगे तो वे जाएंगे और बिना जानकारी के जाएंगे, तभी मैं समझता हूं कि हम इस राजस्थान की जनता के प्रतिनिधि हैं और यह सदन सर्वोच्च है उसकी भावना सही रूप से जनता के बीच में जाएगी और तभी जनता सुरक्षित महसूस करेगी। अदरवाइज वही बात होगी कि केवल हम चर्चा करेंगे, एक-दूसरे राजनैतिक

(श्री राजेन्द्र चौधरी)

दलों पर आरोप लगाने से इस समस्या का समाधान नहीं होगा। आज मैं यह कह दूं कि मैं इस दल का सदस्य हूं, इस जाति का सदस्य हूं, यह बात कहने से काम नहीं चलेगा। जब तक इस सर्वोच्च सदन से यह मैसेज नहीं जाएगा कि सदन के सारे सदस्य इस बात के लिए चिन्तित हैं और पीड़ित हैं कि इसके खिलाफ एक त्वरित और सक्रिय कार्यवाही होनी चाहिए, मैं चाहूंगा उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, उप मुख्य मंत्री महोदय, गृह मंत्री महोदय और मुख्य मंत्रीजी, जहां कहीं भी बैठे हों, सुन रहे हैं, इस बारे में जरूर कैबिनेट में आप निर्णय लीजिए और तमाम छात्रावासों की सरपराइज चैकिंग का स्पेसिफिक प्रावधान कीजिए, बाउंड कीजिए, तभी कार्यवाही हो सकेगी। जो स्टूडेन्ट्स नहीं हैं वे किसी भी कीमत पर होस्टल में रहते पाये जाएंगे उनके खिलाफ एफ. आई. आर. दर्ज कराने का प्रावधान कीजिए। उनके खिलाफ पुलिस की कार्यवाही होनी चाहिए। कोई गेस्ट का प्रोविजन नहीं होता है सिंगल बैडरूम के अन्दर कि इस तरह से कोई लोग आकर रह जाएं। हमको कड़ी कार्यवाही जनरल करनी पड़ेगी, हम किसी स्पेसिफिक की बात नहीं करते। एक घटना ने हमारी आंखें खोली हैं, हमको सोते से जगाया है। आज गुलाबी नगरी के अन्दर हमारा सब का मुंह काला हुआ है इसलिए हमारा सब का सिर शर्म से नीचे झुक गया है। कोई किसी को ऊंचा और नीचा दिखाने की बात नहीं है। मैं यही बात कहना चाहता हूं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री भंवरलाल शर्मा।

श्री भंवरलाल शर्मा (सरदारशहर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज पूरा प्रदेश जिस प्रकरण को लेकर चिन्तित है और पूरा सदन चिन्तित है, उस पर पिछले चार घंटे से बहस चल रही है। गृह मंत्रीजी विराज रहे हैं, गृह मंत्रीजी ने जो एफ. आई. आर. पढ़ी, मैं गृह मंत्रीजी से दो ही सवाल करूंगा। यह घटना कितने बजे घटी? उसके बाद एफ. आई. आर. कितने बजे दर्ज हुई? घटना घटी और एफ. आई. आर. दर्ज हुई उसमें दो-तीन घण्टे का जो अन्तर है, पहले पुलिस अधिकारी उस बच्ची को लेकर जगह-जगह घुमाते रहे और उसके बाद में आकर एफ. आई. आर. दर्ज की। मुल्जिम तुरन्त गिरफ्तार हो सकते थे अगर नाकेबन्दी की हुई होती तो।

मेरे पूर्व वक्ताओं ने सारी बात बता दी। मुल्जिम कितने प्रभावशाली हो सकते हैं? जैसे टीबी से आने वाली माननीय सदस्या शशीदत्ताजी ने बताया कि मुल्जिम कितने ही प्रभावशाली हों, उस समय अगर नाकेबन्दी की हुई होती तो तुरन्त उनको गिरफ्तार किया जा सकता था। क्या मुल्जिम लालू यादव और चन्द्रास्वामी से भी ज्यादा प्रभावशाली है? जब लालू यादव और चन्द्रास्वामी जेल के सींखचों में रह सकते हैं तो क्या मुल्जिमों का इतना दबाव है? कानून से ऊपर कोई नहीं है। अभी कानून और व्यवस्था पर चर्चा हो रही है, यहां कानून के बहुत ही विद्वान बैठे हुए हैं, कितने ही वकील हैं, मैं समझता हूं कि कानून सिर्फ

(श्री भंवरलाल शर्मा)

किताबों तक ही सीमित रह गया है। कानून और व्यवस्था के विषय पर मैं थोड़ा बोलूंगा। आज ऐसे हालात पैदा हो गये हैं कि एक गरीब आदमी को न्याय नहीं मिल सकता। आपका पुलिस प्रशासन हर तरीके से मौन है। जिन्दा व्यक्तियों को मृत दिखाकर उनका चालान कर दिया जाता है, मुल्जिमों का। इससे शर्मनाक घटना क्या हो सकती है। आपकी पुलिस इतनी सचेत है कि व्यक्ति जिन्दा है और उसके कत्ल में उसके पति का आप चालान कर देते हो या उसके परिवार वाले 5-7 व्यक्तियों का संदेह में आपकी पुलिस चालान कर देती है। मैं सोचता हूं, गृह मंत्रीजी, आप काफी सचेत हैं पर सचेत होने के बावजूद भी आपकी स्थिति बड़ी दयनीय है, आपकी चलती नहीं है। आपकी चलती नहीं है या आप चला नहीं पाते, कोई भी कारण होगा।

अभी पिछले दिनों ग्राम बूचावास पुलिस थाना बालेरी की जो घटना है, माननीय चन्दनमल जी का निर्वाचन क्षेत्र है, चन्दनमल जी साहब भी चिन्तित हैं, इन्होंने भी एस. पी., कलक्टर को फोन किया था बूचावास की घटना को लेकर, माननीय राजेन्द्र जी राठौड़ ने भी एस. पी. और डी. आई. जी. को टेलीफोन किया था, दो व्यापारी एक लाख 87 हजार रुपये निकाल ले गये। हम लोग पार्टीबाजी से ऊपर उठ गये। मैं जनता दल से हूं, मंत्रीजी भारतीय जनता पार्टी से हैं, चंदजी कांग्रेस से हैं। दोषी व्यक्ति की न कोई जात होती है, न कोई पार्टी होती है और न कोई समाज होता है पर जिस प्रकार से हम सब ने पैरवी की, सब ने अधिकारियों को कहा, जो गरीब लोग दिल्ली से चना बेचकर अपनी बोरियां लेकर, थैले में पैसे डालकर ला रहे थे उनकी सुबह पांच बजे पिटाई की और उनको पकड़कर उनके गांव से, उनके घर के आगे से पैसे निकाल लिये। ....

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, हमें एक विषय तक बांधा गया था। अभी हमारे साथी शिवनाथ सिंह जी बोल रहे थे उस समय उनको रोका गया कि कैलां मीनमाल का मामला है इसको अलग रखो ... (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (सरदारशहर) : कानून व्यवस्था पर बोलें तो मैं कानून व्यवस्था पर बोल रहा हूं। मैंने कानून व्यवस्था पर दी है। (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : कानून व्यवस्था का नहीं है, इस पर आपने अलग समय दिया है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नहीं, आपने तो इसमें दिया था।

श्री देवीसिंह भाटी : जो भी माननीय सदस्य अपनी भावना प्रकट करें। लेकिन जैसे लॉ एण्ड ऑर्डर पर आपने समय दिया उसमें उस समय चर्चा हो।

श्री भंवरलाल शर्मा (सरदारशहर) : मैंने मेरी पार्टी में कानून व्यवस्था पर लिखकर दिया है। (व्यवधान)

श्री देवीसिह भाटी : इस विषय की गम्भीरता को देखते हुए ... (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (सरदारशहर) : ला एण्ड आर्डर पर आता हूं।

श्री चन्दनमल बैद : यह तो पार्टी से ऊपर उठकर बात करने का उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे घटना हुई, पार्टी से ऊपर उठकर बी. जे. पी. ने भी, जनता दल ने भी, कांग्रेस ने भी, तीनों ने एस. पी. को कहा। उसी तरीके से इस केस में भी पार्टी से ऊपर उठकर हमको सोचना चाहिए, इस बात का उदाहरण दे रहे हैं ये तो आप नाराज मत हो।

श्री देवीसिंह भाटी : यही मेरा निवेदन है कि जब माननीय सदस्य बोल रहे थे, उन्होंने यह कहा कि दोहरी नीति नहीं होनी चाहिए, एक विषय यह है, एक विषय भीनमाल का है। उस समय सहमति हो गयी थी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अभी इसी पर बोलें। शर्माजी, अभी इसी पर बोलें।

श्री भंवरलाल शर्मा (सरदारशहर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी पार्टी से मैं ही आज हूं, ले-देकर चार तो हम हैं ही और उनमें से मैं ही बोल रहा हूं। हमारे नेता ने लिखकर दिया है। मैं कानून व्यवस्था पर बोलूंगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अभी तो इसी पर बोलें।

श्री भंवरलाल शर्मा (सरदारशहर) । यह कोई अलग विषय नहीं है।

श्री इन्द्रसिंह पूनिया : भंवरलाल जी, बाद में बोल लेना। यह तो उदाहरण दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (सरदारशहर) : यह भी कानून से जुड़ा हुआ मामला है। माननीय अध्यक्ष महोदय, उसके बाद उन मुल्जिमों को...

श्री राजेन्द्र पारीक : इनको बोलने दें नहीं तो फिर कोई परेशानी खड़ी कर देंगे।

श्री अध्यक्ष : कृपया विराजें।

श्री भंवरलाल शर्मा (सरदारशहर) : जब इतना दबाव था तो उसके बाद गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके एक-एक दिन, दो-दो दिन अलग-अलग पुलिस अधिकारियों को फाइलें देकर हर दिन ऐसा समय निकाला ताकि बरामदगी नहीं हो पाए। मेरे पास जो सूचना है, एक लाख 87 हजार रुपये जो उन लोगों से लूटा गया था गांव में घर के अन्दर से, उन्हीं में से 50 हजार रुपये पुलिस के एक अधिकारी को दे दिये।

श्री अध्यक्ष : बिराजे-बिराजे।

श्री भंवरलाल शर्मा (सरदारशहर) । माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी पूरी बात करूंगा, मैंने पूरी बात नहीं की है। क्या

(श्री भंवरलाल शर्मा)

एतराज हो सकता है किसी को ? (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है""(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : भंवरलालजी, आपको अलग से मौका मिलेगा। (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : आप ला एण्ड आर्डर पर बोलिये। (व्यवधान) विषय की गम्भीरता को कम मत करिये। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (सरदारशहर) : आप पढ़िये, मेरी स्लिप पड़ी है। माननीय देवीसिंह जी बलात्कार-बलात्कार कहेंगे तो मैं उन्हीं पर बोल दूंगा, बहुत सारे मसले हैं। कितनी बहनों की इज्जत लूटी गयी है। एक बच्ची की नहीं बल्कि ऐसी दर्जनों हैं। शराब के ठेकेदारों ने पिछले दिनों जो दारू छोड़ने गये थे सरदारशहर तहसील में लाखसरा गांव के अन्दर, एक हरिजन महिला के साथ, माननीय गृह मंत्रीजी गौर से सुनिये, थाने का घेराव किया, पुलिस प्रशासन""(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अभी जो विषय है, अभी तक इसी में यह जो पर्टिकूलर है इस पर है। आपने मुझे कहा वहां"" । (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (सरदारशहर) : मेरी स्लिप पड़ी है। मैं दुबारा नहीं बोलूंगा। मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर देता हूं।

श्री अध्यक्ष : आप और बोलना कोई दिक्कत नहीं है। ला एण्ड आर्डर पर अभी चालू नहीं किया है।

श्री भंवरलाल शर्मा (सरदारशहर) : दो मिनट बिराज जाएं। (व्यवधान) उसी पुलिस अधिकारी ने, एक एडिशनल एस. पी. ने 50 हजार रुपये उन एक लाख 87 हजार में से लेकर ऐसा समय निकाल दिया कि रिमांड नहीं ले पाएं। (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : आप दूसरे माननीय सदस्यों को कैसे रोकेंगे ? दूसरे माननीय सदस्य भी इस प्रकार से बोलेंगे तो उनको कैसे रोकेंगे ?

श्री अध्यक्ष : यह अलग विषय है, आप बिराज जाएं। आप बाद में बोलना। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (सरदारशहर) : ला एण्ड आर्डर पर मैं बाद में बोलूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, इतने चिन्तित हैं, मैं यह पूछना चाहता हूं कि सरदारशहर तहसील में एक बलात्कार की क्या, वहां कोई घटना घटती है तो बोलूंगा

(श्री भंवरलाल शर्मा)

नहीं क्या ? सरकार इतनी + + + है, सुनने की क्षमता नहीं है। + + +।

श्री रामेश्वर लाल भाटी (सुजानगढ़) : ग्राप बोलना क्या चाह रहे है ? (व्यवधान) आपका विषय क्या है ? आप किस विषय पर बोल रहे हैं ? मामला क्या है, विषय क्या है ? (व्यवधान) ग्राप विषयान्तर क्यों हो रहे हैं ? कम से कम ग्राप विषयान्तर तो नहीं हों। (व्यवधान) आपका कोई विषय होगा। ग्राप विषय पर ग्राइये। (व्यवधान)

श्री इन्द्रसिंह पूनिया : रामेश्वरजी, यह तो उदाहरण दे रहे थे। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (सरदारशहर) : सदन में पोल खोल दूंगा, बैठ जाइये ग्राप। (व्यवधान) मैं पोल खोलूंगा।

श्री रामेश्वर लाल भाटी : सदन की गम्भीरता को देखते हुए ग्राप ग्रपने विषय पर ग्राइये। विषयान्तर मत होइये ग्राप। ग्राप विषयान्तर हो रहे हैं। (व्यवधान) किस विषय पर बोलना चाहते हैं ग्राप ?

श्री देवीसिंह भाटी : क्या पोल खोलोगे ग्राप ? (व्यवधान)

श्री रामेश्वर लाल भाटी : ग्राप ग्रपने विषय पर बोलें। (व्यवधान)

श्री ग्रध्यक्ष : यह विषय ग्रभी तक केवल छात्रावास में बलात्कार कांड हुग्रा है, उस तक ही सीमित है इसलिए उसके सम्बन्ध में ग्रापको ग्रौर कुछ कहना हो तो बोलें। ला एण्ड आर्डर पर जब भी चर्चा होगी तब ग्राप खुल कर बोल लेना, कोई दिक्कत नहीं है। कृपया समाप्त करें। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (सरदारशहर) : ग्रध्यक्ष महोदय, मैं कानून ग्रौर व्यवस्था पर दुबारा बोलूंगा, मैं कोई ग्रबोल नहीं हूं ग्रौर न कोई ऐसी बात है। इनके किसी कहने से, उकसाने से या प्रेरित करने से न बोलूं। जो कानून व्यवस्था की स्थिति है उस पर बाद में बोलूंगा। बलात्कार के मामले में जिस लड़की के साथ बलात्कार हुग्रा है (व्यवधान) एफ. ग्राई.ग्रार. में मुल्जिम नामजद है। जैसा ग्रभी माननीय सदस्यों ने बोला कि ग्रपराधी की न कोई जाति होती है, न कोई उसकी पार्टी होती है, न ग्रपराधी का कुछ होता है। इसलिए जो भी ग्रपराधी हैं, बहुत लम्बा प्रकरण है, इसमें कई जाति के ग्रपराधी हैं पर मुल्जिम की, ग्रपराधी की कोई जाति नहीं होती है। इसलिए गृह मन्त्रीजी या मुख्य मन्त्रीजी जब जवाब दें उस समय यह स्थिति जरूर हाउस के सामने स्पष्ट करें, 4-5 घंटे की बहस के बाद 'खोदा पहाड़ ग्रौर निकली चूहिया' वाली बात न हो। जैसा कि माननीय सदस्या मनोरमा सिंह जी ने कहा, + + + होगी, होना जाना कुछ नहीं है। तो यह बात साफ तौर पर कह दें कि इतने

+ + + शब्द ग्रध्यक्षपीठ के ग्रादेशानुसार ग्रपलोपित किया गया।

(श्री भंवरलाल शर्मा)

दिनों में मुलिजमों की गिरफ्तारी हो जाएगी और उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। इस बात का आश्वासन दे दें ताकि हमारी दिन भर की बहस सार्थक रहेगी। यह कहते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। कानून व्यवस्था पर दुबारा बोलूंगा।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती उजला जी।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : अध्यक्ष महोदय, जो नामजद मुलिजम सामने आए हैं उनकी गिरफ्तारी निश्चित रूप से होनी चाहिए। यह सुबह से सभी माननीय सदस्यों ने जो चर्चा की है, सभी ने चिन्ता व्यक्त की है कि अपराधी कहीं छिपा नहीं रहे। एक मेरी चिन्ता और है, अध्यक्ष महोदय, जिस लड़की ने यह सारी घटना को उजागर किया, उसकी सुरक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। ये लोग जो अपराधी हैं वे उसको आघात पहुंचा सकते हैं, उसको जान से मार सकते हैं। उसके माता-पिता की और उसकी जान की भी सुरक्षा की व्यवस्था आपको करनी चाहिए और अपराधियों को तत्काल पकड़ें। मेरा तो कहना है, हम जहां बैठे हैं, हम असहाय नहीं हैं हम कानून कड़ा से कड़ा बना सकते हैं। यह ऐसे अपराध दुबारा नहीं हो। दण्डनीय अपराधों की जो धाराएं हैं, उसमें हम परिवर्तन करें। ऐसे लोगों को सरे आम फांसी दी जानी चाहिए जिससे भविष्य में कोई ऐसा कदम नहीं उठाए और ऐसी गलत राह पर न चलें। मैं यही सुझाव देकर अपनी बात को समाप्त करती हूं। (व्यवधान)

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, "मैं प्रस्ताव करता हूं कि जिस विषय पर चर्चा हो रही है, उसका उत्तर और कानून और व्यवस्था की स्थिति पर वक्तव्य और उसका उत्तर, तब तक के लिए सदन का समय....(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : कल रख लेना, कल, कल। (व्यवधान)

श्री शिवनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, आज तो कानून व्यवस्था की स्थिति पर चर्चा नहीं हो पाएगी। (व्यवधान)

श्री परसादी लाल मीणा : कानून व्यवस्था पर कल होगी। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : कानून व्यवस्था कल (व्यवधान) आप मामले को डाइल्यूट करना चाहते हैं। इतना गम्भीर मामला है। इस मामले को आप एसेलासेट मत कीजिए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इस मामले में, बलात्कार वाले मामले में सरकार जवाब दे, कानून और व्यवस्था की स्थिति, वक्तव्य तक सदन का समय बढ़ाया जाता है।

श्री परसादी लाल मीणा : कानून व्यवस्था आज नहीं, कल रखें। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : कानून व्यवस्था कल, आज नहीं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अभी यह जो हैं वह तो लेवें, अभी इसमें ही 7 बज जाएगी। इसमें भी 7 बजने वाली है। (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : मेरी तो तैयारी नहीं है कानून व्यवस्था पर, आप कल ले लें। (व्यवधना)

एक माननीय सदस्य : कानून व्यवस्था पर कल बोलेंगे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : शैलेन्द्र जी।

श्री राजेन्द्र पारीक : आज कानून व्यवस्था बिगड़ गई। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अभी तो इसमें ही दो घंटे और लगने हैं। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : लग जाने दीजिए।

श्रीमती कमला : अभी तो इस पर बहस है, उसके बाद उसका जवाब होगा।

श्री अध्यक्ष : आप जैसा कहेंगे, वैसा कर लेंगे। आप बोलने तो दें।

श्री हरिसिंह (महुआ) : अध्यक्ष महोदय, अभी तो पूरा सदन... (व्यवधान) कानून व्यवस्था पर कल चर्चा करवा लें अलग से। वह निश्चित रूप से आरोप-प्रत्यारोप का वातावरण बना है, वह पूरा का पूरा वातावरण... (व्यवधान) इसके लिए दूसरा दिन तय कर दीजिए।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : कानून व्यवस्था के ऊपर आज तैयारी करके नहीं आए। कानून व्यवस्था पर चर्चा कल रख लें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री शैलेन्द्र जी।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : आज इस विषय पर जो बोलना चाहें उनको बोल लेने दें।

श्रीमती कमला : आज तो सिर्फ यह निपटेगा, बाकी काट दें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : पहले इसी को निपटा लिया जाएगा फिर समय होगा तो, और बैठ लेंगे। शैलेन्द्र जी।

श्री महावीर प्रसाद जैन : लोक सभा तो सुबह तक चली है।

श्री अध्यक्ष : शैलेन्द्र जी।

श्रीमती कमला : आप तो कल ही नहीं चला रहे थे, आज का क्यों कह रहे हैं?

श्री अध्यक्ष : कृपया बोलने दें। शैलेन्द्र जी को बोलने दें।

श्री शैलेन्द्र जोशी : अध्यक्ष महोदय....

श्री पूनमचन्द विश्नोई (फलोदी) : अध्यक्ष महोदय, जो मुख्य विषय था, सुबह

(184)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

ही निवेदन किया था, यह जो चर्चा हो रही थी उसको नियंत्रित करते हुए कि बात तो इतनी सी थी कि अपराधियों को सजा देनी है और उनको गिरफ्तार करके कानून के सक्षम लाना है। इतनी सी बात तो थी। तो यह दिन भर भागवत यूं ही + + + बचाई + + + मैं क्यों बोल रहा हूं, यह बिलकुल + + + आपने किया और जिस परिवार की लड़की के साथ बलात्कार हुआ, उसकी बेइज्जती हुई है उन अपराधियों ने तो बेइज्जती की और हमने उस परिवार और उस लड़की को समाप्त कर दिया। समाज में वह मुंह दिखाने लायक नहीं रही। मेरा निवेदन है कि यह चर्चा 5 बजे समाप्त हो जाए और ला एण्ड आर्डर की समस्या है तो सुबह से हम बैठे हैं, हम लोहे के और स्टील के तो हैं नहीं कि सुबह से बैठे हैं और अब नया विषय, मुख्य विषय अब आप लेंगे। वह कब होगा? उसको आप कल लें। इसमें और जिनको बोलना है, उनको बोलने दीजिए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : शैलेन्द्र जी बोलें।

श्रीमती कमला : एक निवेदन मेरा जरूर है। माननीय विश्नोई साहब किस भावावेश में बोल गये लेकिन वह + + + शब्द इसमें से निकाला जाए।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : वह निकाल देंगे लेकिन तय क्या किया है, साहब? आपका आदेश क्या है?

श्री अध्यक्ष : अभी इस पर बहस तो करने दें।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : बहस नहीं, आज सिर्फ विश्वविद्यालय में बलात्कार पर ही चलेगी ना? फिर जवाब आएगा।

श्री अध्यक्ष : अभी कोई भी माननीय सदस्य इस बात के लिए तैयार नहीं है कि वह नहीं बोले। कम से कम 15-16 नाम और हैं विश्वविद्यालय में बलात्कार के मुद्दे पर, मैं उनको मना नहीं कर रहा हूं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : जितने भी स्पीकर्स हैं जब वे विश्वविद्यालय में बलात्कार के मुद्दे के बाहर जाकर बोलते हैं तो उन्हें टोका जाता है....

श्री अध्यक्ष : उसी समय टोक रहे हैं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : तो उसका अर्थ यह है कि जो कुछ चर्चा आज हो रही है वह सिर्फ विश्वविद्यालय में बलात्कार की घटना को लेकर हो रही है।

श्री अध्यक्ष : जी हां।

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : ला एण्ड ग्राडंर बिलकुल अलग चीज है। तो ला एण्ड ग्राडंर की बहस के लिए कल का दिन मुकर्रर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, यह फरमाएं आप तो। ग्रापका हुक्म ही बहुत है। (व्यवधान)

श्री ग्रध्यक्ष : वह ग्रपन बैठकर तय करेंगे। ग्रभी इस पर तो बहस चलने दें।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : इसमें तो बहस हो जाएगी। ला एण्ड ग्राडंर की बतायें ग्राप। हम तो उसकी तैयारी करके नहीं ग्राए हैं।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : ग्रध्यक्ष महोदय, ग्रापको ग्रधिकार है कि ग्राप समय सीमा निश्चित करें। ग्रौर यह चर्चा का समय ग्रब, यह क्या मतलब हुग्रा....

श्रीमती मनोरमा सिंह : इस चर्चा को समाप्त किया जाए। जो व्यवस्था देनी है, दे दें।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मोटे तौर पर यह चर्चा सिर्फ एक घंटे के लिए तय थी।

श्रीमती मनोरमा सिंह : बार बार उस घटना का नाम लेकर, उस लड़की का नाम लेकर, बलात्कार का नाम लेकर.... (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : उसको आपने बढ़ाकर पूरे दिन करवा दी। चलिये, कोई बात नहीं। लेकिन कम से कम ला एण्ड ग्रार्डर, जो इतना वाइड सब्जेक्ट है, उसके लिए ग्रापको दो रोज रखने पड़ेंगे। जब एक इश्यू पर ग्राप एक घंटे से चार घंटे तक जा सकते हैं तो ला एण्ड ग्राडंर पर कितना समय लगेगा, यह भी देखिये। हर तरफ से ग्रपनी ग्रपनी समस्या है। (व्यवधान)

श्री ग्रध्यक्ष : यह एक इश्यू का सवाल नहीं था। इसमें माननीय सदस्य कल भी ग्रौर आज भी बहुत उत्तेजित थे।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : बिलकुल थे, हां, बिलकुल थे ग्रौर कैसे जिस तरह की चर्चा हुई है....

श्री ग्रध्यक्ष : ग्राप स्वयं जान रहे हैं कि यह मामला कितना गम्भीर है। उस पर यदि किसी माननीय सदस्य को बोलने से रोका जाता है तो मैं यह समझता हूं कि यह ठीक नहीं है। इसलिए मैंने इसकी ग्रनुमति दी ग्रौर ग्रभी यह....

श्री शांतिकुमार धारीवाल : तो सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, यह ग्रनुचित कार्य तो ग्राप हमेशा करते रहते हैं। ग्राप हमेशा टोकते हैं बोलने के लिए तो....

श्री ग्रध्यक्ष : ग्रनुचित कब कहा।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : ग्रापने कहा कि यह उचित नहीं है कि मैं किसी को रोकूं और ग्राप हमेशा रोकते है ग्रौर वह ग्रनुचित कार्य आपकी तरह से होता है। मेरा ग्रर्ज करना है ....

186

श्री अध्यक्ष : अब आपकी मर्जी आए जो समझें। आप नहीं चाहते तो मैं अभी समाप्त कर देता हूं। मुझे कोई दिक्कत नहीं है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : सवाल यह है कि चर्चा हुई है, चर्चा बहुत अच्छी तरह हुई है....

श्री अध्यक्ष : जिस बात के लिए सारा राजस्थान उत्तेजित है, जिस बात के लिए आप कहेंगे कि हड़ताल हुई है, जयपुर बन्द रहा है तो यह किसी न किसी कंक्लूजन पर पहुंचना चाहिए कि नहीं?

श्री रामनारायण चौधरी : अच्छा किया।

श्री अध्यक्ष : शैलेन्द्र जी।

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, मेरा यह सुझाव है कि कल अगर आप कानून-व्यवस्था को ले लेते हैं तो माननीय सदस्यों को कट मोशन देने में सुविधा रहेगी, जो आप सप्लीमेंट्री ग्रांट और अतिरिक्त मांग लाए हैं। इसलिए कल रखने में.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अभी देख लेते हैं। जो आप कहेंगे वह कर लेंगे। शैलेन्द्रजी। (व्यवधान)

श्रीमती बीना अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, यह जयपुर शहर है, अगर यह गांव होता तो गांव वाले, अब तक सारा मामला, निबट जाता है। न सदन में आता और न पुलिस की ही कोई जरूरत होती। पुलिस की जरूरत नहीं होती।

श्री अध्यक्ष : कृपया बिराजें।

श्रीमती बीना अग्रवाल : आप इस बात को गहराई से सोचिये। चार घंटे हो गये चर्चा चलते हुए, मैं आपसे निवेदन करूंगी, इसको यहीं समाप्त कर दीजिए। कानून इसमें आने दीजिए।

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप। (व्यवधान)

श्रीमती मनोरमा सिंह : क्या व्यवस्था देंगे आप?

श्री अध्यक्ष : हां, मैंने सुना है। आपकी बात सुन ली है। उसको कल आउट किया। चलिये, बोलिये आप।

शासकीय वक्तव्य

जे. सी. बोस छात्रावास में बलात्कार की घटना

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांसीकुई) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन करना यह है कि आज इस घटना पर चर्चा ही नहीं होती। आज से दो महीने पहले राजस्थान विश्वविद्यालय के बोस होस्टल में एक लड़की के साथ बलात्कार किया चार लड़कों ने, उस लड़की ने वार्डन को कहा, वार्डन ने उसके पिता को बुलाया और पुलिस में रिपोर्ट होने से भी बचाया और रिपोर्ट भी की गई, उसके बाद भी रिपोर्ट को दबाया।

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

आज से दो महीने पहले हूज होस्टल में जिस लड़की के साथ में बलात्कार हुआ, तीन लड़कों को पकड़ लिया वार्डन ने और छात्रों ने, यदि उसके साथ पुलिस में रिपोर्ट करवायी होती, पुलिस से एफ. आई. आर. वापस नहीं मंगवाई होती तो आज यह काण्ड नहीं होता। वह लोग, जिन्होंने हूज होस्टल में बलात्कार किया दो महीने पहले और जिनकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई, उन सारे लोगों को सस्पैण्ड किया जाय, उनको टर्मिनेट किया जाय, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाय, मेरा यह कहना है। आज भी यदि यह नहीं होगा तो फिर यही होगा। मेरा निवेदन करना यह है कि हूज होस्टल....

श्रीमती कमला : हूज क्या है ?

श्री शैलेन्द्र जोशी : हूज होस्टल है जो सबसे आखिर में पहाड़ियों के नीचे है। मेरा निवेदन करना यह है, अध्यक्ष महोदय, कि आज यह कहा जा रहा है कि बार एसोसिएशन ने भारत भूषण पारीक को सस्पैण्ड कर दिया, आज कहा जा रहा है कि मीडिया ने सुप्रीम कोर्ट के डाइरेक्शन पर उस विक्टिम का नाम नहीं लिया। आज कहा जा रहा है कि जयपुर शहर पूरा बंद रहा और स्तब्ध रहा। मैं पूछना चाहता हूं कि आज सरकार ने अभी तक क्या किया ?.... (व्यवधान) आज केवल दो शब्द कहे गये हैं। चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि पुख्ता इंतजाम किये जायेंगे और बख्शा नहीं जायेगा। मैं पूछना चाहता हूं कि इसके अलावा आपने क्या किया ? अब मैं वह बात बताना चाहता हूं ...

श्री राजेन्द्र पारीक : वह बात बताओ।

श्री शैलेन्द्र जोशी : आज शिक्षा मंत्रीजी का दायित्व है। माननीय शिक्षा मंत्रीजी, इस मुकदमे में आपको चाहिए कि जिस वार्डन ने, वह विक्टिम सबसे पहले भग के चपरासी के पास आई दरवाजे के बाहर निकल करके, चपरासी से कहा कि वार्डन साहब किधर हैं, वार्डन साहब के पास गई और वार्डन ने जब यह कहा कि आज फ्राइडे है, कल सेटर डे, सन्डे की छुट्टी है .... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया बोलने दें।

श्री शैलेन्द्र जोशी : देखिये, आप मन्डे को आइये। उस वार्डन को आप सस्पैण्ड कीजिये, जो कि वहां पर पुलिस स्टेशन तक नहीं ले गया।

श्री सांवरलाल जाट : यह बात तो आ चुकी।

श्री अध्यक्ष : कृपया बोलने दें। शैलेन्द्र जी, वह बात कहें जो नहीं कही गई है। आपका समय बहुत अमूल्य है।

श्री कालीचरण सराफ : यहां पर ऐसी बात मत बोलें। अजी, वार्डन को सस्पैण्ड कर दिया, शैलेन्द्रजी, चपरासी को सस्पैण्ड कर दिया ....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया बोलने दें।

श्री शैलेन्द्र जोशी : मेरा यह कहना है, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह व्यक्ति जिसने कि हरमाड़ा में चौकी से वाहन जाने दिया, वह पुलिस अधिकारी, जिसने कि कल रात तक अन्डर गारमेंट, यदि रेप केस में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट सबूत है तो वह है अण्डर गारमेंट, जिनको आज तक भी खोज नहीं किया गया है, वह पुलिस अधिकारी, जिनकी कि उपस्थिति में विक्टिम ने यह कहा कि माननीय उच्च पुलिस अधिकारी महोदय, अपराधी तो पुलिस की वर्दी पहने हुए यह उच्च अधिकारी है, तब कहा गया कि आप सबूत बताइये। सबूत के तौर पर उस विक्टिम ने कहा कि इसके जेनिटल ओरगन पर स्टिचेज के इम्प्रेशन हैं और उन इम्प्रेशन के कारण मैं सबूत बताती हूं। तो कहा कि यह झूंठ बोलती है। इतना ज्यादा नंगा सबूत बता दिया, न्यूड ट्रूथ बता दिया जो कि एक पत्नी नहीं बता सकती जब तक कि कोई माइक्रोस्कोपिक वीजन से नहीं देखे। ऐसी स्थिति में भी यदि उस पुलिस के अधिकारी ने उस सबोर्डिनेट पुलिस अधिकारी को सस्पेण्ड करने की सिफारिश नहीं की, तो प्रशासन क्या खाक है, पुलिस तंत्र क्या खाक है? मैं कहता हूं कि यह जगल का राज है, न कोई पुलिस तंत्र है और न कोई गृह विभाग है। तो मेरा निवेदन करना यह है कि ऐसे ठोस सबूत आपके पास हैं और इसके अतिरिक्त मैं यह भी कहना चाहूंगा कि उसको स्कूटर पर घुमाया गया। एक विक्टिम जो गांधी नगर पहुंची, उसको स्कूटर पर प्यारा सिंह, ए. एस. आई. वापस होस्टल ले गया और होस्टर लाकर पूछा कि कहां तेरे साथ बलात्कार हुआ। तो मतलब क्या यह स्थिति थी? मेरा यह भी कहना है कि जिन पुलिस अधिकारियों ने मेडिकल के लिए भी विक्टिम को देर से भेजा और जिन्होंने पिता से बात नहीं करने दी, उन सारे पुलिस अधिकारियों को सजा दी जाय।

इसके अतिरिक्त माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि साढ़े आठ बजे विक्टिम को एस. एम. एस. अस्पताल ले जाया गया, साढ़े ग्यारह बजे तक आपको गायनिकी एक्सपर्ट नहीं मिली और आपको एक्सपर्ट नहीं मिली इसलिए मेडिकल नहीं हुआ। वहां पर एस. एम. एस. अस्पताल में सुनीता सत्यर्थी एडवोकेट ने टेलीफोन किया माननीय मुख्य मंत्रीजी को, और माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इन्टरवीन किया, तब मेडिकल बोर्ड साढ़े ग्यारह बजे कांस्टीट्यूट हुआ। आपने क्या मदद की? ऐसे मेडिकल ज्युरिस्टों को, जिनके कारण साढ़े तीन घंटे अबला विक्टिम वहां बैठी रही और मेडिकल बोर्ड कांस्टीट्यूट नहीं हुआ और गायनिकी एक्सपर्ट नहीं मिली, उनको आप सस्पेण्ड कराइये माननीय मंत्री महोदय और उनकी जांच करवाइये। इसके अतिरिक्त मेरा यह भी कहना है, आज जयपुर में करीब छह-सात जातियों के होस्टल हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जयपुर में छह-सात जातियों के अलग अलग होस्टल हैं.... (व्यवधान) देखिये, मुझे मालूम है कि आप क्यों बोल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : कृपया बोलने दें।

श्री शैलेन्द्र जोशी : उन होस्टलों में आप जाइये, आपको उन होस्टलों में अवैध सामग्री मिलेगी, स्टिक्स मिलेगी, आपको हथियार मिलेंगे और राजस्थान यूनिवर्सिटी के जो होस्टल हैं उनमें ब्लू फिल्में मिलेंगी, ब्लू फिल्म की कैसेट्स मिलेंगी, अवैध पदार्थ मिलेंगे, मादक द्रव्य मिलेंगे। मेरा यह कहना है शिक्षा मंत्री महोदय, हर महीने हर होस्टल में एक सरप्राइज विजिट आपकी यूनिवर्सिटी करेगी, पुलिस करेगी, इस तरीके का प्रावधान बनाइये आगे के लिए, जिससे कि एक वातावरण का निर्माण हो सके। इसके अलावा मेरे को यह भी कहना है कि....

श्री अध्यक्ष : कृपया संक्षिप्त करें।

श्री शैलेन्द्र जोशी : जिस तरीके की इस पूरे एक्ट में कार्यवाही की गई है, निश्चित तौर पर यह बहुत ही एक ऐसा विषय है कि जिस पर, क्योंकि अपराधी की कोई जाति नहीं होती है, धर्म नहीं होता है, मुल्क नहीं होता, वतन नहीं होता, गांव नहीं होता, देश नहीं होता, उसकी कोई सराउण्डिंग नहीं होती है, वह तो मात्र अपराधी मनोवृत्ति का अपराधी होता है। जब कभी इस सदन में यह बात होती है कि कोई ब्राह्मण अपराधी है, मैं चुप हो जाऊं, कोई दूसरी जाति का है, इस तरह का आरोप लगाना भी गलत है, शर्मनाक है। मैं चाहता हूं कि हम सब राजस्थान विधान सभा के विधायक, सारी जाति के लोग ऐसी घटना की भर्त्सना करें।

अंत में, मैं एक निवेदन और भी करना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, सुबह से यह बात कही गई कि पांच साल पहले, छह साल पहले लड़की के साथ हुआ। अरे, आप लोगों में से कितने लोगों की मानसिकता है ? जब किसी लड़की को, छोटी उम्र की; बीस साल की होती है, और शुरू शुरू में उसको ट्रैप में लाया जाता है, उसके फोटो खींचे जाते हैं; उसके लैटर रख लिये जाते हैं, उसको ब्लैकमेल किया जाता है। ब्लैकमेल करते टाइम उस लड़की की मनोवृत्ति कैसी होती है, इसको जब तक हम साइक्लोजी में नहीं जा सकते, क्योंकि हम उस एज ग्रुप के नहीं हैं, तब हम यही कहेंगे कि लड़की कंसेन्ट थी। जो लोग कहते हैं कि लड़की की कंसेन्ट थी, जो लोग यह कहते हैं कि लड़की की गलती थी, उनको शर्म आनी चाहिए। अगर उनकी बच्ची के साथ ऐसा हो और ब्लैकमेल हो, आज अजमेर के अन्दर पुलिस ने कहा-चार अपराधी हैं और सोलह अपराधी पकड़े गये। आज ब्यावर में अपराधी....

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री शैलेन्द्र जोशी : पकड़े गये, देवली में अपराधी पकड़े गये, कोटा में, यह सारे ब्लैकमेल फोटो कांड देखते हैं, जब मालूम पड़ा सात साल से हो रहा है ...

श्री अध्यक्ष : शैलेन्द्रजी, समाप्त करें। श्री अमरारामजी।

श्री शैलेन्द्र जोशी : तो मेरा निवेदन करना यह है कि आप इन लोगों को

(190)

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

सस्पैण्ड कीजिये, जब तक आप गृह मंत्री महोदय, सस्पैण्ड की मांग पूरी नहीं करते हैं, मैं सदन में धरना देता हूं। (व्यवधान)

(17.00)

(श्री समर्थलाल मीणा, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री अमराराम (धोद) : उपाध्यक्ष महोदय, जिस राजस्थान विश्वविद्यालय में यह सामूहिक कुकृत्य एक महिला के साथ, युवती के साथ में हुआ है वह घोर निंदनीय है। लेकिन इस घटना के पूर्व राजस्थान में जो घटनाएं हुई हैं, चाहे वह अजमेर की घटना हो, चाहे वह अलवर की घटना हो और चाहे वह जयपुर में शिवानी जड़ेजा का काण्ड हो, चाहे वह शालिनी तंवर का काण्ड हो, यह तमाम कांडों जो बढ़ते जा रहे हैं, पूरे देश में महिला आयोग ने बाल व्यभिचार के बारे में इस देश के प्रदेशों का जो सर्वे किया, उसमें राजस्थान का पहला नम्बर बताया है। ये जो घटनाएं, जो परिवेश पूरे राजस्थान में बनता जा रहा है, यह बहुत ही दुखद है। इसके लिए आज गृह मंत्री जी ने जो वक्तव्य रखा है, जो एफ. आई. आर. यहां पढ़कर सुनाई है, किस पर विश्वास किया जाए, जिस राम राज्य में पहले तो कहीं पढ़ते थे कि थाने में बलात्कार, पर इस राम राज्य में तो न जेल बची, चाहे जेल झुन्झुनूं की हो, चाहे नीम का थाना की हो, चाहे वह थाने में ही हो। आज 8 महीने से हमारी पुलिस का डी. आई. जी. बलात्कार करके फरार है और राजस्थान की सरकार और पुलिस उसको नहीं पकड़ पायी, तो किस आधार पर राजस्थान की जनता यह विश्वास करेगी कि इन अपराधियों को पकड़ लिया जाएगा। जिस घटना की यहां चर्चा की जा रही है उस पीड़ित लड़की के उस थाने में जाने के बाद तब तक उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई जब तक उसने अपने पिता श्री का नाम नहीं बताया। पिताश्री का नाम बताने के बाद पुलिस ने यह सोचा कि ऐसे व्यक्ति की लड़की की अगर रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई तो इसका बवंडर उठेगा। दो-तीन घंटे तक जब तक उसने अपने पिताश्री का नाम नहीं बताया जब तक पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की। उसको डरा रहे थे, उससे इन्वेस्टीगेशन किया जा रहा था कि तूने एतराज किस तरह से किया, क्या किया। एक नहीं, यही शालिनी तंवर के साथ हुआ जब तीन दफे इसी राजधानी से उसका अपहरण कर लिया गया। उससे बलात्कार किया गया तो पुलिस केवल उसी को दोषी ठहराने की कार्यवाही करती रही। हर घटना में ऐसा किया जा रहा है।

एक माननीय सदस्य : आप तो कानून-व्यवस्था पर बोलें।

श्री अमराराम (धोद) : हां, इसी पर बोल रहा हूं।

जिस राज्य में सरकार के, पुलिस के डी.आई.जी. नहीं मिलें, जिस सरकार के पुलिस के कांस्टेबल वेश्यावृत्ति में औरतों

(श्री ग्रमराराम)

को शामिल करने के लिए कोशिश करते हुए पकड़े जाएं तो केवल मात्र छोटे अधिकारियों पर कार्यवाही होती है, बड़े अधिकारियों पर कहीं कोई कार्यवाही नहीं होती है। इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो हमारी राजनीति जिम्मेदार है। ग्राज हम चाहे दोष छात्रों के चुनावों को दें लेकिन 50 साल में जिस समाज को चलाने के लिए नेतृत्व देने के लिए जो राजनीति है उसी का दखल, चाहे वह विश्वविद्यालय में हो, चाहे वह थानों में हो, चाहे कोर्ट्स में हो, ग्राज इसी राजनीतिक दखल के कारण हमारे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी यह कहते हैं कि अपराधियों के लिए हमें धमकियां मिलती हैं। राजस्थान के चीफ जस्टिस भी यह कहते हैं कि हमें धमकियां मिलती हैं। इस बात का दोष केवल हम विद्यार्थियों को दें यह नामुमकिन है। हमारी राजनीति इसके लिए सबसे बड़ी दोषी है। ग्राज जो हमारी पुरुष प्रधान मानसिकता है, ग्राज जिस भी जाति का नाम ग्राता है, जहां राजस्थान में बलात्कार की बात चलती है, ग्राज जब मीनमाल का नाम लिया गया, जब उनकी जाति के लोग उसमें शामिल होते हैं तो उनको व्यभिचार करने वालों में ग्रच्छाइयां दिखती हैं ग्रौर ग्रौरत में दुर्गुण दिखते हैं। उनके लिए तो यह कहा जा रहा है कि मुनिजी साफ सुथरे हैं। जो कार्यवाही कर रहे हैं उन पुलिस ग्रधिकारियों से पूछताछ की जा रही है ग्रौर उनको वहां से हटा दिया जाता है, लेकिन दूसरी तरफ जो नहीं करते उनके खिलाफ कुछ नहीं होता है। इसलिए जो यह कांड हुग्रा है निश्चित रूप से इसमें विद्यार्थियों का दोष नहीं है। सबसे बड़ा कोई दोषी है तो वह राजनीतिक पार्टियां हैं ग्रौर ग्राज जो सरकार चला रहे हैं वे राजनीति से ऊपर उठकर बात करें, ग्राज उन पर कार्यवाही करने के लिए कोई जिम्मेदार है तो वह राजस्थान की सरकार ग्रौर सत्ता में बैठे हुए लोग हैं ग्रौर जिनके हुक्म से पुलिस चलती है। क्या कारण है कि रिपोर्ट तीन घंटे तक दर्ज नहीं हो ग्रौर ग्रत्याचारी पुलिस को देख करके भाग जाएं ग्रौर हम फिर भी कहें कि हमारी पुलिस बड़ी सक्षम है? वह ग्रातंकवादियों को पकड़ लेती है। ग्रातंकवादी तो किसी तरह पकड़े जाते हैं।

मैं यह नहीं कहता कि सब ग्रधिकारी ऐसे हैं, लेकिन जिन ग्रधिकारियों का हौसला बढ़ाना चाहिए उनका हौसला न बढ़ाकर यह देखा गया कि उनके वोटर उस जाति के हैं। इन नीतियों के लिए उनको ही दोष ग्राज दिया जा रहा है जो 50 साल में राजनीति में काबिज रहे हैं। उन्होंने राजनीति में जातिवाद ग्रौर धर्म को बढ़ावा दिया है। केवल इसलिए धर्म को बढ़ावा दिया गया है कि उनके वोट ग्रा जाएं ग्रौर उनकी सरकार बन जाए, इसीलिए जाति को बढ़ावा दिया जाता है। ग्रत्याचारी चाहे वह पुलिस ग्रधिकारी हो, चाहे जनता का कोई व्यक्ति हो, उसे सजा मिलनी चाहिए। ग्राज विद्यार्थियों को दोष दिया जा रहा है, ग्राज पुलिस ग्रधिकारियों को दोष दिया जा रहा है, बहुत से मेरे भाइयों ने यहां भी रखा कि वे राजनेता भी निश्चित रूप से दोषी हैं। ग्राज

(श्री ग्रमराराम)

राजस्थान में तो हालत यह है कि चाहे वह बड़े राजनेता हो चाहे वे बड़े ग्रधिकारी हो चाहे वह पुलिस के ग्रधिकारी हों उन पर कभी कार्यवाही नहीं होती। जो मुलिजम कमजोर वर्ग से होगा, जो गरीब होगा, उन पर तो कोई केस बनेगा तो उनके परिवार वालों को लाकर पुलिस थाने में ग्रवैध रूप से बिठा दिया जाएगा ग्रौर छोड़ा नहीं जाएगा। ग्रापने देखा होगा 36-36 घंटे तक बिना किसी एफ. ग्रार. ग्राई. के भी बिठा लेते हैं। लेकिन प्रभावशाली हैं, एम. एम.ए. के बेटे हैं, मंत्री के नजदीकी हैं, इसलिए उनको नहीं पकड़ सकते। जब एक डी.ग्राई.जी. को यह सरकार ग्रौर पुलिस नहीं पकड़ सकती तो यूनिवर्सिटी के बलात्कारियों को पकड़ लेगी ? मुझे तो विश्वास नहीं है, ग्रौर मैं नहीं पूरे राजस्थान की जनता विश्वास नहीं कर रही है। ग्रगर इन पर रोक नहीं लगायी गई तो जिस महिला ग्रायोग ने जो रिपोर्ट दी है राजस्थान की पुलिस के बारे में, मैं समझता हूं उससे शर्मनाक बात और कोई हो नहीं सकती। मैं नहीं कहता कि राजस्थान के तमाम ग्रधिकारी ऐसे हैं, लेकिन ग्राज जिस तरह से पुलिस के बारे में ग्रा रहा है, निश्चित रूप से इस घटना में जिन पुलिस ग्रधिकारियों ने रिपोर्ट दर्ज नहीं करके उस लड़की को दोषी ठहराने के लिए जो इन्वेस्टीगेशन किया है, जिन ग्रपराधियों को भाग कर जाने से छूट दी है, जिस सूमो गाड़ी को पकड़ने की बात कही गई है उसके ग्रन्दर ग्रपराधियों के जूते रह गये ग्रौर ग्रपराधी भाग कर चले गये। क्या हमारी पुलिस सक्षम है ? जयपुर में कभी एक एस पी था, उसके बाद दो किये, चार किये लेकिन जब से एस. पी. बढ़ाये गये तबसे क्राइम ग्रौर व्यभिचार उतना ही बढ़ा है। यह बढ़ाने के बाद यह घटना सामने ग्रायी है। हो सकता है कि किसी को दर्द भी हो, या निश्चित ही चिन्ता भी हो कि इस तरह की घटना के चित्रण करने से उस लड़की के जीवन पर बहुत बुरा ग्रसर पड़ेगा, लेकिन निश्चित रूप से एक घटना सामने ग्रायी है। ऐसी हजारों घटनाएं मेरी बहन जो सच कह रही हैं कि चाहे वह गांव में हो, ग्रपनी इज्जत ग्रौर समाज की इज्जत के लिए बहुत सी ऐसी घटनाएं पुलिस तक नहीं पहुंचती हैं। ग्राज भी इस बात पर चर्चा हुई है कि हमारे पुलिस प्रशासनिक ग्रधिकारी सख्त कार्यवाही करें तो निश्चित रूप से ऐसी घटनाएं घट सकती हैं। इस सरकार से हम क्या उम्मीद करें, महिलाग्रों के बारे में राजस्थान सबसे घृणित काम, चाहे महिला उत्पीड़न हो, चाहे वह सती प्रथा का कांड हो, चाहे वह भवरी देवी का कांड हो, इन दो कांडों ने पूरी दुनिया में राजस्थान के माथे पर कलंक का टीका लगाया है। उन महिलाग्रों पर जो सुरक्षित रह सकती हों, मैं समझता हूं कि उसी सरकार में उनको ग्लोरीफाई करने वाला ग्राज जिस सरकार में शामिल हो वह सरकार महिलाग्रों की इज्जत सुरक्षित रख पाएगी ? मुझे विश्वास नहीं है, न राजस्थान की जनता को विश्वास है।

इसलिए मैं ग्रापसे यही कहना चाहूंगा गृह मंत्री जी, जो रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई,

(श्री ग्रमराराम)

जिस उत्पीड़ित महिला को उलटा उत्पीड़ित किया, उन अधिकारियों को, जो पुलिस के बड़े अधिकारी भी उसमें शामिल हैं, निश्चित रूप से उनको आप सस्पेंड करेंगे और आइन्दा इस तरह के पुलिस अधिकारी जहां भी राजस्थान में कोई पीड़ित महिला थाने में इमदाद मांगने के लिए जाए तो सबसे पहले अगर दर्ज कराना चाहती है तो उसकी एफ. आई. आर दर्ज हो। अगर उसमें असत्य पाया जाए तो निश्चित रूप से पुलिस इन्क्वायरी करे। यह नहीं कि जितनी भी एफ. आई. आर. दर्ज हों सब सच्ची हों, लेकिन कम से कम सबसे पहले एफ. आई. आर. दर्ज करते वक्त केवल पुलिस के ऑफिसर यह इन्वेस्टीगेशन नहीं करें कि महिला का चरित्र किस तरह का है। सब थानों में हालत यह है केवल महिला एस. एच. ओ. वाले थानों को छोड़कर, पुरुष एस. एच. ओ. हैं जो पुरुष प्रधान समाज है उसमें यही इन्वेस्टीगेशन किया जाता है, जो भी पीड़ित महिला, जो बलात्कार से पीड़ित होकर जाती है उससे यही इन्वेस्टीगेशन करने की कोशिश की जाती है कि इसका चाल चलन कैसा है। पिछले दो-तीन साल में जो भी मैंने देखा है इस तरह की घटनाएं आई हैं, सबसे पहले रिपोर्ट दर्ज होने के दूसरे दिन पुलिस की तरफ से जो भी स्टेटमेंट आता है उसमें यही सबसे प्रमुख आती है कि इस युवती का चाल चलन इस तरह का है। तो उसको नहीं देख करके, कभी भी पुरुष को इसमें अत्याचारी घोषित नहीं किया जाता है। इसलिए मेरा तो यही निवेदन है कि जो राजस्थान की जनता में, राजस्थान की महिलाओं में अपनी अस्मिता के बारे में जो खतरा हुआ है और विद्यार्थी, छात्राएं आज नहीं पढ़ पा रही हैं, जो पढ़ने का एक

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माहौल बना था, निश्चित रूप से विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, आज जहां सीकर के कल्याण कालेज से एक लड़की को छेड़ने वाले को वहां के प्रिंसिपल ने रेस्टीकेट किया उसने राजस्थान विश्वविद्यालय के राजस्थान कालेज में आकर एडमिशन ले लिया। इसी सत्र की बात है। तो आज लड़कियों की शिक्षा के बारे में जो माहौल बना था निश्चित रूप से अगर महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों में इस तरह की घटनाएं होंगी और अगर नहीं रोक पायेंगे तो राजस्थान में महिला शिक्षा जो हिन्दुस्तान में सबसे नीचे है, मैं समझता हूं कि अगर हम इस माहौल में राजस्थान को नहीं ले जा पाये तो हिन्दुस्तान में राजस्थान फिर पिछड़ा रहेगा और हम आने वाली पीढ़ियों के साथ सबसे बड़ा विश्वासघात करेंगे। यही बात कहते हुए, आपने समय दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं। धन्यवाद।

श्री पराक्रम सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा सजेशन है कि इतनी लम्बी चर्चा हो चुकी, सभी लोग बोल चुके हैं, मुद्दे की बात आ चुकी है, मेरे ख्याल से अब सरकार से जवाब मांगा जाए तो बेहतर रहेगा। जो भी बोल रहा है वही रिपीट

(194)

(श्री पराक्रम सिंह)

कर रहा है, नई बात तो कोई कह नहीं रहा है।

श्री चैनसिंह राठौड़ : ला-एण्ड-आर्डर के बारे में क्या तय हुआ ?

श्री पराक्रम सिंह : ला-एण्ड आर्डर पर तो कल होगा या अभी कर लेंगे इसके बाद।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बड़ी लम्बी चर्चा हो गयी है, अब समाप्त करें इस चर्चा को।

श्री उपाध्यक्ष : गृह मंत्री महोदय।

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, काफी लम्बे समय से इन्तजार कर रहे हैं कि समय मिलेगा तब बोलेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : कानून व्यवस्था भी रही है।

श्री जगदीप धनखड़ : नहीं, नहीं, इसी पर बोलना है।

श्री कालीचरण सराफ : रिपीटिशन हो रहा है।

श्री जगदीप धनखड़ : कैसे अंदाजा लगा रहे हो कि रिपीटिशन होगा.... (व्यवधान).... हो सकता है सत्ता पक्ष में थकान आ गयी हो।

श्री रामनारायण चौधरी : कालीचरण जी सराफ बोल चुके हैं इसलिए इनको रिपीटिशन लग रहा है, लेकिन हमारे माननीय सदस्य बोलने वाले बाकी हैं।

श्री जगदीप धनखड़ : पूरे राजस्थान विश्वविद्यालय के परिवर्तन की आप एक भूमिका दे चुके। अध्यक्ष महोदय ने कहा, मैं समझता हूं उनके द्वारा लिया गया निर्णय जब तक वे स्वयं नहीं बदल दें या सदन इस पर कोई निर्णय नहीं ले ले तब तक कायम रहना चाहिए। अचानक उन्होंने कह दिया कि बात हो गयी, खतम कर दें।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर और किसी माननीय सदस्य को बोलने के लिए अगर अनुमति देंगे तो मैं होम मिनिस्टर से पहले बोलने के लिए खड़ा हूं और किसी को आप बोलने का अवसर नहीं दे रहे हैं ? सब को बुलवा लें।

श्री उपाध्यक्ष : हां, बोलिये।

श्री जगदीप धनखड़ : समय दे रहे हैं, दे रहे हैं।

श्री पराक्रम सिंह : वही बातें आ रही हैं। केवल रिपीटिशन हो रहा है, अब क्या बोलेंगे।

श्री कालीचरण सराफ : अब विपक्षी दल के नेता महोदय, केवल रिपीटिशन हो रहा है, बाकी सारे तथ्य आ गये हैं। अब इस पर गृह मंत्रीजी का जवाब होना चाहिए ....(व्यवधान)....

श्री पराक्रम सिंह : Let us hear Leader of Opposition view on this also.

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अभी तक तो रिपीटिशन हुआ होगा, अब आप हमारी सुनो। देखो रिपीटिशन होता है कि नहीं होता है।

श्री पराक्रम सिंह : नयी बात कहें।

श्री विष्णु मोदी : हां, नयी बात ही कहेंगे। ... (व्यवधान) ... नहीं, नहीं, नेता महोदय, अपनी बात कहेंगे, हम अपनी कहेंगे।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : नयी बात सुनने का शौक है क्या ... (व्यवधान) जब एक ही रेकार्ड चढ़ रही थी तब तो आप बोले नहीं।

श्री कालीचरण सराफ : अब आप नयी बात कहें।

श्री पराक्रम सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, नयी बात के लिये इनको इन्स्ट्रक्ट कीजिये।

श्री रामनारायण मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, स्थगन देने का जो तरीका है, नियम है उसके तहत जिन लोगों ने स्थगन दिया है उनको बोलने का मौका नहीं दिया गया और हमें तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि जिन्होंने स्थगन दिया था उनको प्रायोरिटी में नहीं लिया गया है। आश्चर्यजनक है। मैं तो आपसे निवेदन करना चाहूंगा, मैं लम्बी बात नहीं करना चाहता हूं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो कुछ पाइंट्स पर माननीय गृह मंत्री जी से पूछना चाहूंगा आपके माध्यम से, यह राजस्थान के सदन में गृह मंत्री हैं, हमारा परिचय करवाया गया, मानते हैं लेकिन ईमानदारी की बात है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि राजस्थान में गृह मंत्री नाम की कोई शख्सियत ही नहीं है जिसका नाम ही नहीं आ रहा है, इतने बड़े-बड़े काण्ड हो रहे हैं। चीफ मिनिस्टर जी ने कह दिया, बहुत बुरी हालत है। मैं दूसरी बात कहना चाहूंगा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, रिपीटिशन की बात सही है कि तीन घण्टे एफ. आई. आर. नहीं हुई, दो घण्टे एफ. आई. आर. नहीं हुई। यह बात तो प्रोसीक्यूशन और डिफेंस वाले जानें। मैं कहना चाहूंगा कि यह बात जब आ गयी तो पुलिस के वे कौन अधिकारी हैं जिन्होंने आज दिन तक उन लोगों के खिलाफ कार्यवाही नहीं की, जो तीन घण्टे की डिले के लिए जिम्मेदार हैं।

श्री किशन गोपाल कोगटा : यह बात भी आ गयी।

श्री रामनारायण मीणा : हां, सुनिए। उस अधिकारी के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी। बनेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य, मुझे माफ करना, अखबारों में आपकी जान को खतरा था। आप कुछ मत कीजिए, मेरी मंत्री जी को बात सुन लेने दो।

श्री पराक्रम सिंह : मुझे कभी कोई खतरा नहीं रहा है, मैंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया है।

श्री रामनारायण मीणा : मैंने पढ़ा है, आप बैठिये।

श्री पराक्रम सिंह : और मैं स्वयं भी सुरक्षा करना जानता हूं।

श्री रामनारायण मीणा : मैं आपके माध्यम से एक तीसरी बात पूछना चाहता हूं माननीय गृह मंत्री जी से, इसके लिए जिम्मेदार शासन वाली बात नहीं करता क्योंकि उस टाइम भी आप गृह मंत्री थे जब अलवर में काण्ड हुआ। कोई कार्यवाही नहीं हुई, उसको दबा दिया गया। शिवानी जडेजा काण्ड हुआ, उसको दबा दिया गया। सारे काण्डों को दबाने की खातिर एक काण्ड हुआ है, जे.सी. बोस होस्टल की बात हमारे सामने आयी है। सदन में तो आपने देख लिया। इसको किस स्थिति में मानते हैं आप ? ईश्वर की खातिर इन काण्डों के ऊपर पर्दा मत डालिये, कुछ न कुछ कीजिए। यह पता चले राजस्थान में जनता को, राजस्थान का सिर पूरे हिन्दुस्तान में ही नहीं, पूरे विश्व में आज नीचा हुआ है, यह पता चले हमारे को कि राजस्थान में सरकार नाम की कोई चीज है।

मैं इसी के साथ आपसे एक दो सजेशन वाली बात भी कहना चाहूंगा क्योंकि राजस्थान के इस सदन में हम बोल रहे हैं। माननीय गृह मंत्री महोदय, बदमाश क्यों पनपते हैं राजस्थान में। मैं राजस्थान की बात नहीं करता, कोटा से आपने 32 मुकदमे विदड्रा किये हैं, 32 मुकदमों में माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 29 मुकदमे बी.जे.पी. वाले लोगों के है और किस तरह के मुकदमे हैं, इस अफसर की पिटाई की, डी.आई.जी. को रोका, कलक्टर को थप्पड़ मारा, तहसीलदार के गुप्तांगों में लात मारी। ऐसे केस आपने विदड्रा किये हैं। यही कारण है कि इसमें आने वाले लोग अलवर काण्ड में... (व्यवधान)

श्री किशन गोपाल कोगटा : यह सब केस तो जन-आन्दोलन के थे।

श्री रामनारायण मीणा : सुनिये, सुनिये। सुनने का मादा रखिये, कोगटा जी।

अलवर के काण्ड में मंत्री का कोई रिश्तेदार या कोई मंत्री शामिल, शिवानी जडेजा के केस में मंत्री का भाई-भतीजा शामिल। ज्ञानसिंह जी चौधरी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, उन्होंने स्पष्टीकरण दिया, लेकिन यहां भी कोई न कोई अधिकारी, मंत्री लोग शामिल हैं और राजस्थान के मंत्रिमण्डल के सदस्यों की जांच होनी चाहिए। माननीय घनश्याम जी तिवाड़ी हैं कि नहीं हैं। इनकी जांच होनी चाहिए कि कौन-कौन क्रिमिनल हैं, किसने क्या-क्या किया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ज्यादा समय नहीं लेते हुए निवेदन करूंगा कि यह कलंक का टीका है। माननीय गृह मंत्री जी, हम आपकी व्यक्तिगत रूप से इज्जत करते हैं, लेकिन प्रशासनिक दृष्टि से आप इतने ज्यादा असक्षम साबित हो चुके हैं इस सदन के सामने कि हमें खुद को शर्म आती है आपको गृह मंत्री कहते हुए। धन्यवाद। जयहिन्द।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जगदीप धनखड़।

श्री खेतसिंह राठौड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन था कि सवेरे यह तय हुआ था कि पहले अपन इस काण्ड पर चर्चा कर लेंगे और उसके बाद में लॉ-एण्ड-आर्डर पर विस्तार से विचार-विमर्श होगा। तो उसके बारे में क्या निर्णय लिया आपने? क्या लॉ-एण्ड-आर्डर आज ही लिया जाएगा या इस काण्ड को ही लेकर उसका जवाब देकर लॉ-एण्ड-आर्डर के लिए आगे दूसरी तारीख रखेंगे।

श्री हरिशंकर भामड़ा : जो निर्णय बिजनैस एडवाइजरी कमेटी में हुआ है उसी की अनुपालना की जाएगी। उसमें यह हुआ था कि जब यह समाप्त होगा तो लॉ-एण्ड-आर्डर पर बहस शुरू हो जाएगी और आप जब तक चाहेंगे तब तक चलेगी।

श्री हरिसिंह (महुआ) : यह सदन में संशोधन हुआ है। विश्वविद्यालय पर आज बहस हो जाएगी, यह बिजनैस एडवाइजरी कमेटी में नहीं था। यह सदन में तय हुआ था।

श्री हरिशंकर भामड़ा : हां, यही हुआ था। (व्यवधान)....

श्रीमती कमला : बिजनैस एडवाइजरी कमेटी में यह मुद्दा आया ही नहीं था और यह मुद्दा अभी सुबह जब आया है तब यह निर्णय किया गया है कि....

श्री हरिसिंह (महुआ) : यह नहीं था कि आज पहले इस पर बहस आ जाएगी।

श्रीमती कमला : यह क्वेश्चन आवर के बाद में लिया जाएगा और आज जब सारे दिन भर यह बहस हुई है और अभी रिप्लाई होगा उसके बाद में आज ही लॉ-एण्ड-आर्डर पर बहस होना सम्भव नहीं है इसलिए कल जब आप प्रतिरिक्त मांगों, एक्सेस मांगों और सप्लीमेंट्री मांगों के कट-मोशंस ले रहे हैं पांच बजे तक, तो मेरा यह सुझाव है कि कल आप दिन में लॉ-एण्ड-आर्डर ले लें, जिससे माननीय सदस्य अपने कट-मोशंस भी शाम तक दे दें और उसके ऊपर बहस भी हो जाए। आज लॉ-एण्ड-आर्डर की बहस कराना उचित नहीं होगा और न यह उस वक्त तय हुआ था।

श्री हरिशंकर भामड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, सप्लीमेंट्री डिमाण्ड्स पर, एक्सेस डिमाण्ड्स पर बहस करने के लिए समय फिर नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका जवाब और उसका पारण 12 तारीख तक होना है जैसा आज आपने संशोधन किया है। अब आप उसको सेक्रिफाइस करना चाहें तो आज शुरू कर दीजिए और आप कंटीन्युअस रखना चाहें तो रखिए फिर उसमें आपको बोलने का कम समय मिलेगा? यह तो आप तय करें, हमें कोई आपत्ति नहीं है.... (व्यवधान)... आप अपना निर्णय ले लीजिए। आज शुरू कर दीजिए और उसके बाद में कल सुबह आपको यह लगे कि पहले वह लेकर फिर सप्ली... पर चर्चा करेंगे ... है लेकिन 12 ... दिया जाएगा ... होगा।

श्री [illegible] सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, अभी आपके आसन पर विराजमान होने से पहले चर्चा आयी थी और यह निर्णय हुआ था कि शासन की तरफ से आज इस मामले में चर्चा होगी, चर्चा होने के बाद में सरकार की तरफ से जवाब दिया जाएगा और लॉ-एण्ड-आर्डर कब लिया जाये इसके लिए बाद में तय कर लिया जाएगा। अब माननीय उप मुख्य मंत्री जी कह रहे हैं कि 12 तारीख को पास होना जरूरी है, हम इसमें एग्री करते हैं, लॉ-एण्ड-आर्डर को आप उसके बाद में रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यह कहीं भी नहीं है कि 12 तारीख के बाद में असेम्बली नहीं चल सकती। यह कहीं पाबन्दी नहीं है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इसको बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में दुबारा रख लीजिए, लॉ-एण्ड-आर्डर कब करना है इसकी आप तारीख तय कर लीजिए। अब तक 11, 12 और 1 तक का जो प्रोग्राम आपका है उसके हिसाब से एडजियर कीजिए। इस लॉ एण्ड आर्डर को आप 15 को या उसके बाद मे जब भी आप ठीक समझें उस वक्त लीजिए। आज इस वक्त जब दिन भर यह चर्चा चली है, इस चर्चा की गम्भीरता को देखते हुए इसके लिए अलग टाइम दिया गया था। उसके साथ में यदि लॉ-एण्ड-आर्डर आप रखते हैं तो आप बहुमत में कुछ भी कर सकते हैं लेकिन सदन का मानस तो ऐसा नहीं है और सदन लॉ एण्ड आर्डर को बहुत गम्भीरता से लेना चाहता है। उसमें बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे आने वाले हैं। उस पर पूरा डिस्कशन होना चाहिए। इसलिए, माननीय उप मुख्य मंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि लॉ एण्ड आर्डर को इतना बाई-पास मत होने दीजिए। रात को 12 बजे बिठाओ, 10 बजे बिठाओ, हम चले जाएंगे तो भी आप कर लोगे। इसलिए वह ठीक ढंग से डिस्कस हो। इसलिए यही मेरा आपसे निवेदन है कि लॉ एण्ड आर्डर के लिए आप प्रतिपक्ष के नेता महोदय से राय करके और कोई दूसरी तारीख रख सकते हैं।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, अभी यह तो समाप्त करिए उसके बाद में बात कर लेंगे।

श्री [illegible] सिंह रावत : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय उप मुख्य मंत्री जी इन बातों से परिचित हैं कि ऐसी कभी यहां परम्परा नहीं रही है कि आप साढ़े पांच बजे या सात बजे इतने महत्वपूर्ण विषय को प्रारम्भ करें। महत्वपूर्ण विषय आप एक बजे प्रारम्भ करके 12 बजे तक कर सकते हैं, ऐसी परम्परा रही है। लेकिन इतने महत्वपूर्ण विषय को उप मुख्य मंत्री जी, आप सात बजे प्रारम्भ करें उसके कारण जो इश्यू हमने डिस्कस किया है वह डाइल्यूट हो जाएगा, उसका कोई महत्व नहीं रहेगा।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : मैंने कह दिया आप इस विषय को समाप्त करिए.... (व्यवधान) मैं कह रहा हूं प्रतिपक्ष के नेता महोदय से मिलकर तय कर लेंगे, आप इस विषय को तो पूरा कीजिए। इसी में टाइम लगा रहे हैं आप।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जगदीप धनखड़। .... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : आपको ध्यान नहीं है, क्या कहा उन्होंने ... (व्यवधान) वे यह कह रहे हैं पहले यह हो जाने दीजिए उसके बाद देखेंगे, तो आपकी व्यवस्था आनी चाहिये इसके बारे में।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : इसकी व्यवस्था तो आ चुकी पहले।

श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विश्वविद्यालय के एक होस्टल में हुए घटनाक्रम से मन दुःखी है। काफी चिंता का विषय है और मैं समझता हूं कि इस घटना की जितनी निन्दा की जाए वह कम है। इस प्रकार की घटनाएं न हों इस ओर हमारा ध्यान आवश्यक रूप से जाना चाहिए। इस प्रकार की घटना विश्वविद्यालय के किसी होस्टल में हो, मैं समझता हूं कोई इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। शैक्षणिक संस्था में इस प्रकार की गतिविधि होना समाज के भविष्य के लिये भी चिन्ता का विषय है, चिंतन का विषय है। पर क्या हम विधान सभा में बैठकर मामले को पूरी तरह नही देखेंगे। जो प्रथम सूचना रिपोर्ट है उसमें पीड़ित महिला ने अपनी उम्र 26 वर्ष दिखाई है। कुछ अखबारों में आया है कि 28 वर्ष की है। 26 वर्ष की एक लड़की, पढ़ी-लिखी, अच्छे परिवार की। उनके पिता लेखक हैं, सबको राय देते हैं अखबार के अन्दर।

श्री शैलेन्द्र जोशी : आप डिस्क्लोज क्यों कर रहे हैं ?

श्री जगदीप धनखड़ : आप मुझे कहने दीजिए। आपको आपत्ति है क्या कोई ?

श्री शैलेन्द्र जोशी : जब आज तक नाम नहीं आया तो क्यों डिस्क्लोज कर रहे हैं। जब मीडिया ने ही इतना सब्र रखा है तो आप ही क्यों....

श्री जगदीप धनखड़ : ऐसा लगता है कि काफी उद्वेलित हैं।

श्री शैलेन्द्र जोशी : जब मीडिया ने ही इतना सब्र रखा है तो आप भी सब्र रखिए, नाम मत लीजिए।

श्री जगदीप धनखड़ : दिन में, दोपहर में घटनाक्रम शुरू होता है। एक लड़की बुलट मोटर साइकिल के ऊपर आती है, होस्टल में जाती है, ब्वायज होस्टल है, उम्र 26 वर्ष है। वहां कमरे की चाबी उपलब्ध नहीं है, चाबी को तलाशा जाता है, इन्तजार कर रही है। फिर एक घटनाक्रम होता है। वार्डन से सम्पर्क किया जाता है। शिकायत करती है कि मेरा चश्मा नहीं दिया गया, मेरी चैन नहीं दी गयी। वार्डन पूछता है तुम यहां क्यों आई ? फिफाइंग मूड में कहती है तुम कौन होते हो मुझ से पूछने वाले ? I came to see my boy-friend. ऐसी परिस्थिति के अन्दर क्या कह दें, बलात्कार हुआ है। जो हुआ सो गलत हुआ है। कोई उसको स्वीकृति नहीं दे सकता। पर इसको बलात्कार कहना, कल

(200)

(श्री जगदीप धनखड़)

सड़क पर गाड़ी चलाते समय कोई एक्सीडेंट से डेथ हो जाय तो क्या उसको मर्डर कहेंगे ? इस घटनाक्रम को यदि देखा जाए तो इस घटनाक्रम के अन्दर जो बातें लिखी गयी हैं मैं समझता हूं उस पीड़ित महिला के ऊपर एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है और फिर आगे कहती क्या है–8 वर्ष से यह घटनाक्रम चल रहा था। किसी को कोई शिकायत नहीं की ?

श्री राजेन्द्र पारीक : जब वह नाबालिग थी तब से ब्लैकमेल की जा रही थी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह और भी संगीन मामला है कि एक महिला को आप 8 साल से ब्लैकमेल करते रहे। 8 वर्ष तक उस महिला को ब्लैकमेल करते रहे, जब उसकी उम्र 18 वर्ष से भी कम थी। (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : एक लड़का जाकर आठ लड़कों को लेकर आया इससे ज्यादा संगीन मामला और क्या होगा और आप उसको यहां जस्टीफाई कर रहे हैं। एक लड़का उसको दोस्त बनाकर लेकर गया और वहां दस लड़कों को लेकर आया और उसको यहां खड़े होकर आप जस्टीफाई कर रहे हैं।

श्री शैलेन्द्र जोशी : इस तरह से महिला को ब्लैकमेल किया जाता है। (व्यवधान) आज यह कहा जाता है, बिलकुल गलत बात है।

श्रीमती बीना काक : अजमेर का फोटो कांड कितने सालों से चल रहा था, क्या उसे भी जस्टीफाई करेंगे, आप ? (व्यवधान) किस-किस चीज को जस्टीफाई करेंगे आप ?

श्री राजेन्द्र पारीक : लगातार आठ वर्ष तक आपने उस महिला को ब्लैकमेल किया। (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : उसने 8 लड़के वहां खड़े कर रखे थे, उस लड़की को पता था कि ये ताला खोलकर...... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजें, माननीय सदस्य, कृपया व्यवधान उपस्थित नहीं करें, आप बिराजें, आप सुनें।

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अहम प्रश्न उत्पन्न होता है और वह अहम प्रश्न यह है कि 8 वर्ष के बाद अचानक यदि घटनाक्रम में कुछ लोगों के नाम उजागर होते हैं तो क्या उनका निर्णय विधान सभा करेगी ? क्यों नहीं मामला राजस्थान पुलिस प्रशासन पर... (व्यवधान)

श्रीमती कमला : चर्चा का सवाल है कि इस तरह की गंभीर घटना की भर्त्सना करें, एक्ट की कन्डेम करें और सरकार से कहें कि इस तरह की कार्यवाही की जाए। आप इस प्रकार किस दृष्टिकोण से अपना पक्ष प्रस्तुत कर रहे हो ? (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : हम किसी को दूध का धुला साबित करने नहीं आये हैं यहां पर। हमें किसी को दूध का धुला साबित नहीं करना है। (व्यवधान)

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी : इस प्रकार की घृणित घटना को सही बता रहे हैं आप। विचित्र बात है। (व्यवधान)....

एक माननीय सदस्य : यह बात कोर्ट में बोलें आप (व्यवधान) कोर्ट की भाषा मत बोलो।

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी : कोर्ट में पैरवी करना आप। उनके वकील बन जाना आप।

एक माननीय सदस्य : यह तो हाई-कोर्ट लग रहा है, साहब, हाई-कोर्ट।

श्री शैलेन्द्र जोशी : जिसकी अस्मिता लुटी है उसकी बात न करके...., अपराधी हैं, अपराधी हैं। (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : आप जस्टीफाई करें कि एक लड़की को ले जाकर, बहका कर... (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : अपराधी तो अपराधी है चाहे वह 10 साल से हो या 7 साल से कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय जोशी जी, आप विराजें। कृपया विराजें, व्यवधान नहीं। आप माननीय सदस्य को बोलने दें। (व्यवधान)

श्री आर.पी.शर्मा : आज सवाल इस बात का है कि आप समाज को सुधारें। अपराधी और गलत आदमी को संरक्षण देकर....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजें। व्यवधान अंकित नहीं होगा। आप विराजें, माननीय सदस्य।

श्री आर.पी.शर्मा : XXX

श्री उपाध्यक्ष : गृह मंत्री जी जवाब दे देंगे, आप विराजें।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : XXX

श्री उपाध्यक्ष : श्री जगदीप धनखड़। माननीय सदस्य व्यवधान नहीं।

श्री आर.पी.शर्मा : XXX
(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : यह अंकित नहीं होगा। व्यवधान अंकित नहीं होगा। आप विराजें।

श्री आर. पी शर्मा : XXX

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप आसन की अवहेलना कर रहे हैं।

श्री जगदीप धनखड़ : उपाध्यक्ष महोदय, जो गंभीर बात मैं सदन के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं वह यह है कि क्या विधान सभा में चर्चा के जरिये हम इस बात का निर्णय करेंगे कि कौन दोषी है या कौन दोषी नहीं हैं। (व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य : XXX

श्री कालीचरण सराफ : XXX

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री बनवारीलाल बैरवा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कल सारा जयपुर बंद रहा है। (व्यवधान) इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि... (व्यवधान)

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी : अपराधियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं आप। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : राजस्थान का सबसे बड़ा कोर्ट है, यह कोर्ट से ऊपर है। क्या कहना चाह रहे हैं आप ?

श्री शैलेन्द्र जोशी : महिला का चरित्र हनन कर दो, जिससे कोई कार्यवाही न हो। (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : पूरा जयपुर जनता कर्फ्यू में बंद हुआ है। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय वकालत नामा कोर्ट में लग सकता है, विधान सभा में किसी का वकालतनामा नहीं लगता है। ....(व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : सम्माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह कार्य उस कानून ने जो भारत की संसद ने बनाया है, एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का डोमेन है और इसमें कोई भी संस्था अगर दखलंदाजी करती है तो वह लोगों का, आदमी पर कितना भी गम्भीर आरोप हो....(व्यवधान)

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह क्या कोर्ट में पैरवी हो रही है ? क्या कहना चाहते हो ?....(व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : दखलंदाजी नहीं करें, विधान सभा में हमारा अधिकार है, कोई भी ऐसा काण्ड होता है तो.... (व्यवधान)....

एक माननीय सदस्य : पाइण्ट आफ आर्डर... (व्यवधान)....

श्री हरिनारायण : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे नहीं होना चाहिए...(व्यवधान)

श्री हरिश्चन्द्र पालीवाल : आपको भर्त्सना करनी चाहिए ऐसे काण्ड की, जिससे पुनरावृत्ति न हो। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ : आप मामले को डाइल्यूट करना चाहते हैं ....(व्यवधान). आप बैठ जाइए।

श्री जगदीप धनखड़ : मैं कहना यह चाहता हूं कि आज यदि ...(व्यवधान).... शिवानी जैसा के मामले में, जब वह मुख्य मंत्रीजी के समक्ष गयी, कई बार चन्द्रशेखर जी मिले, मेनकाजी मिलीं और कहा, अरे तुम इतनी कम गयीं.... और इस मामले में 2 घण्टे में चले गये। क्या जयपुर शहर तब नहीं जागा था, जब शिवानी जैसा का मामला हुआ।

श्री कालीचरण सराफ : आपको नहीं पूछा जयपुर शहर ने...(व्यवधान)....

श्री जगदीप धनखड़ : तंवर का मामला हुआ... (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ : यह कोर्ट नहीं है...(व्यवधान) आप पैरवी मत करिये अपराधियों की।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : क्यों नहीं बोलूं....(व्यवधान)....

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी : आप संवेदनहीन मत बनिये ....(व्यवधान) आप संवेदनहीन मत बनिये। इस घृणित घटना के पक्षकार बनकर मत खड़े होइये।(व्यवधान)

श्रीमती बीना काक : यूनिवर्सिटी के एक हास्टल के कमरे में यह जघन्य अपराध हुआ है....(व्यवधान) ..

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी : घृणित घटना के पक्षकार बनकर मत खड़े होइए आप।

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मेरे मित्रों की पीड़ा समझ सकता हूं....(व्यवधान)....

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी : (व्यवधान).... माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह पीड़ा का सवाल नहीं है। सवाल यह है कि घटना सही थी या गलत थी। (व्यवधान) आज यह सारा सदन, सारा शहर, पूरे प्रदेश की जनता उद्वेलित है और ये उनके पक्षकार बनकर खड़े हैं। (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : राजस्थान विश्वविद्यालय के चुनाव लड़ने हैं....(व्यवधान) एक विशेष वर्ग के प्रति भावना जागृत करने का क्या....(व्यवधान)....

एक माननीय सदस्य : पाइण्ट आफ आर्डर,... (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ : आप बैठिये, पैरवी मत करिए।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : (व्यवधान) मामला रफा-दफा करने की बात होगी तो हम नहीं बोलने देंगे... (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ : ये उनके वकील लगते हैं अपराधियों के, इनसे पहले यह पूछा जाए कि ये अपराधियों के वकील तो नहीं हैं। (व्यवधान) यहां पैरवी कर रहे हैं, + + + ?

श्री उपाध्यक्ष : कृपया + + + निकाला जाए। आप बार बार व्यवधान न करें, माननीय सदस्य।

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा के सदस्य होने का सबसे बड़ा सौभाग्य अभिव्यक्ति... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : जब आप इस तरह की बात कर रहे हैं तो इससे ज्यादा शर्मनाक स्थिति और क्या हो सकती है। सुबह से अब तक जो कार्यवाही हुई, सारी की सारी एक्सपंज करवाइये, मामला समाप्त। इतना संजीदा, इतना अहम मसला था। हमने यह कभी मांग नहीं की कि कौन अपराधी है, हमने सिर्फ यह कहा है....

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री उपाध्यक्ष : यह अंकित नहीं किया जाए।

श्री राजेन्द्र पारीक : X X

श्री उपाध्यक्ष : श्री राजेन्द्रजी पारीक, कृपया विराजें, व्यवधान न डालें।

श्री राजेन्द्र पारीक : X X X

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप विराजें। आप बोल चुके हैं, आप विराजें।

श्री राजेन्द्र पारीक : X X X

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया विराजें।

श्री राजेन्द्र पारीक : X X X

श्री कालीचरण सराफ : X X X

श्री उपाध्यक्ष : थोड़ी शालीनता का भी परिचय दें। आप कृपया विराजें। माननीय पारीक साहब, थोड़ी शालीनता का भी परिचय दें, विराजें।

श्री राजेन्द्र पारीक : X X X

श्री उपाध्यक्ष : डाक्टर श्री राजेन्द्रजी पारीक, विराजें।

श्री राजेन्द्र पारीक : X X X

श्री उपाध्यक्ष : श्री राजेन्द्रजी पारीक, कृपया विराजें।

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो बात अत्यन्त गम्भीरता से मैं सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं, वही बात सदन के नेता ने... (व्यवधान)

श्री रमाकान्त मीणा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पाइण्ट ऑफ आर्डर।

माननीय सदस्य से ऑब्जेक्टिवली यह पूछ लिया जाए कि ये वकील तो नहीं हैं और यदि ये वकील होने वाले हैं तो यहां बोल नहीं सकते हैं।

श्रीमती बीना अग्रवाल : अगर ये वकील हैं तो सदन में नहीं बोल सकते हैं। (व्यवधान)

श्री रमाकान्त मीणा : यह ऑब्जेक्टिवली पूछकर के रिकार्ड करवा लिया जाए कि ये वकील तो नहीं है उसमें। (व्यवधान)

श्रीमती बीना अग्रवाल : अगर ये वकील हैं तो सदन में नहीं बोल सकते हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : यह कोई पाइण्ट ऑफ आर्डर नहीं है, मैं इसको निरस्त करता हूं। श्री जगदीप धनखड़ साहब।

श्री जगदीप धनखड़ : मैं अनुभवी सदस्य हूं, क्या पाइण्ट ऑफ आर्डर है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो बात सदन के समक्ष अत्यन्त गम्भीरता से मैं कर रहा हूं वही बात इसी सदन में सदन के

X X X अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री जगदीप धनखड़)

नेता माननीय मुख्य मंत्रीजी ने तब कही जब उनकी काउंसिल प्राफ मिनिस्टर्स के एक मंत्री, नसरू खां के सम्बन्ध में एक जानकार, एक रिश्तेदार के कत्ल के मामले की चर्चा यहां हुई प्रौर मैंने तब कहा था.... (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ : ये मंत्री का नाम ले रहे हैं, गलत है। उपाध्यक्ष महोदय ये बिना नोटिस के मंत्रीजी का नाम ले रहे हैं। बिना नोटिस के चर्चा यहां कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री प्रमराराम (धोद) : गलत क्या है इसमें, विधान सभा में चर्चा हुई है।

श्री जगदीप धनखड़ : कालीचरणजी, आप इतने वरिष्ठ आदमी हैं, धावस रखो, प्रजी बिराजो, बैठो। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ : प्रजी क्या बिराजो। प्राप प्रपराधियों की पैरवी कर रहे हो प्रौर प्रपराधियों की पैरवी नहीं चलने दी जाएगी। (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : उपाध्यक्ष महोदय, पुलिस प्रशासन के प्रनुसंधान में किसी प्रकार की भी दखलंदाजी न्यायिक व्यवस्था के मूल सिद्धान्त के विपरीत है और जब तक कोई व्यक्ति न्यायालय से दण्डित नहीं हो जाता तो कैसे भावना व्यक्त की जा सकती है। मैं इस बात से प्रचम्भित हूं कि जयपुर शहर में प्रचानक जब यह घटनाक्रम हुआ, शिवानी जडेजा के समय क्यों नहीं हुआ, शालिनी काण्ड में क्यों नहीं हुआ, तंवर में क्यों नहीं हुआ ? इसलिए नहीं हुआ, मैं समझता हूं मेरे मित्र कालीचरणजी की पीड़ा, विश्वविद्यालय के चुनाव इनको दिखते हैं। एक घटनाक्रम है, योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया गया है। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ : वाह-वाह, क्या बात कही है। (व्यवधान) जातिवाद से ऊपर उठो। (व्यवधान)

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी : प्रापने प्रपनी संकीर्ण मानसिकता बता दी। (व्यवधान) प्रापने प्रपनी संकीर्ण मानसिकता बता दी।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : यह बिलकुल गलत बात है। (व्यवधान) इतना गम्भीर मानवीय प्रत्याचार हुआ है, इतने गम्भीर मामले पर इस तरह से जोड़ा नहीं जाये। (व्यवधान)....

श्री प्रर्जुनदास मदान : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक निवेदन है(व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, देखिये निर्णय मात्र.... (व्यवधान) ...

श्रीमती बीना काक : इतने गम्भीर मामले को चुनावों की तरफ ले जा रहे हैं (व्यवधान) कभी जातिवाद बता देते हैं (व्यवधान) कभी चुनाव बता देते है। जनता के साथ प्राप इस तरह से...., (व्यवधान)....

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बड़ी विचित्र बात हो रही है।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : महिला चाहे किसी जाति की हो....

श्री शैलेन्द्र जोशी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसका चुनावों से कोई लेना देना नहीं है....(व्यवधान)

श्री अर्जुनदास मदान : जो विषय आपने सदन में दर्शाया है...(व्यवधान)....

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी : यह जो दलगत राजनीति की बात यहां कर रहे हैं, इनको इस भावना से ऊपर उठकर बात करनी चाहिए....(व्यवधान)....

श्री अर्जुनदास मदान : जो विषय आपने सदन के सामने विचार करने के लिए रखा है, केवल मात्र....(व्यवधान)

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी : यहां कोई चुनाव का मसला नहीं है। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : यहां कोई चुनाव का मुद्दा नहीं है। (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार को मेरा सुझाव है कि इस पूरे घटनाक्रम और विशेषकर राजस्थान विश्वविद्यालय में हो रहे इस घटनाक्रम को लेकर कमीशन आफ इंक्वायरी एक्ट, 1956....(व्यवधान)

श्रीमती बीना काक : इनसे माफी मंगवाइये। (व्यवधान)

श्रीमती बीना काक : महिला के साथ उत्पीड़न को कभी जातिवाद का नाम दिया जाता है, (व्यवधान) कभी पार्टी का, कभी चुनावों का कहकर महिलाओं के साथ उत्पीड़न किया जाता है। ... (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : यह सारा मामला जानबूझकर के डाइल्यूट किया जा रहा है, यह सुनियोजित षड्यंत्र है, साहब (व्यवधान) यह एक शर्म की बात है कि मामले को डाइल्यूट किया जा रहा है। (व्यवधान)....

श्री परसादीलाल मीणा : यह क्या तरीका है ? उपाध्यक्ष महोदय, सदन का तरीका होता है।

श्री शैलेन्द्र जोशी : यह शर्म की बात है। (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : उपाध्यक्ष महोदय, इधर-उधर की बातों से इस गम्भीर मसले को मत उलझाइये। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया विराजें।

श्री परसादीलाल मीणा : नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, आप इनसे कहलवा दीजिए कि यह सारे निर्दोष हैं। (व्यवधान) कहिये आप निर्दोष हैं....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया विराजें।

श्री शैलेन्द्र जोशी : हम कोई यहां अपराधियों को बचाने नहीं आए। (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : ठीक नहीं है आपका यह पैरवी करना। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बिराजें।

श्री शैलेन्द्र जोशी : अपराधियों को बचाने के लिए स्थान नहीं है यह (व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष : कृपया आप बिराजें।

श्री परसादीलाल मीणा : जघन्य अपराधियों को बचाने का +++ नहीं है यह। यह निन्दा करने का +++ है। आप अपराधियों को बचा रहे हैं। (व्यवधान)... ठीक नहीं है, यह।

श्री शैलेन्द्र जोशी : छात्र राजनीति का बहाना न करें। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री जगदीपजी धनखड़, आप समाप्त करें। (व्यवधान) अब आप समाप्त करें। (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : अच्छा नहीं है धनखड़ साहब, आपके लिये। (व्यवधान) आप जैसे सीनियर मेम्बर के लिये अच्छा नहीं है यह। आप जातिगत आधार पर अपराधियों को बांट रहे हैं। (व्यवधान) दोषी-निर्दोषी का काम जांच एजेंसी का है, आपका काम नहीं है। (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : इसकी अभिव्यक्ति नहीं करूंगा। (व्यवधान)....

श्री परसादीलाल मीणा : जांच एजेंसी दोषी-निर्दोषी साबित करेगी। धनखड़ साहब, यह काम आपका नहीं है। (व्यवधान)....

श्री जगदीप धनखड़ : मेरा क्या काम है यह मुझे अच्छी तरह मालूम है। (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : यह आपका काम नहीं है। नहीं बोलेंगे आप, नहीं बोलेंगे आप।

श्री इन्द्रसिंह पूनिया : बोलेंगे, अपनी बात कहेंगे यह। (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : इतना जघन्य अपराध हो गया, आप उसकी पैरवी कर रहे हैं। इससे पार्टी की इमेज खराब होती है। (व्यवधान)

श्री इन्द्रसिंह पूनिया : बोलेंगे, अपनी बात कहेंगे यह।

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री प्रभुण सिंह : पूरा अधिकार है बोलने का। (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : नहीं-नहीं, यह ऐसे नहीं करेंगे। यह इसलिए नहीं बैठे हैं यहां पर (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : इसके लिये एक जुडिशियरी जांच हो, जो कमीशन आफ इन्क्वायरी एक्ट के तहत हो, पूरी बात की आप जांच करें। (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : अच्छा नहीं है, इससे पार्टी की इमेज खराब होती है।

श्री शैलेन्द्र जोशी : अपराधी तो अपराधी ही होता है (व्यवधान) वह कोई साधारण इन्सान नहीं होता। (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : आप पार्टी की इमेज खराब कर रहे हैं। नहीं, ऐसे नहीं बोल सकते हैं यह, जाकर बाहर बोलिये। यहां पर नहीं बोल सकते। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : बचाने का प्रयास नहीं किया जाएगा। (व्यवधान)

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : आप बोलने से नहीं रोक सकते। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : अपराधी को बचाने पर ...(व्यवधान) ...

श्री परसादीलाल मीणा : आप बाहर जाकर बोलिये। यहां पर नहीं बोल सकते। आप अपराधियों को बचाने की बात कर रहे हैं और सरकार को उलाहना दे रहे हैं। आप बाहर जाकर पैरवी करिये। आप पैरवी करिये बाहर जाकर। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : आज अपराधियों को बचाने का प्रयास नहीं किया जाएगा। यह अपराधियों को बचाने की (व्यवधान) ...

श्री परसादीलाल मीणा : आप हाई कोर्ट में पैरवी करिये, वहां पर बचाइये। यह बचाने का मंच नहीं है। यह निंदा का मंच है। (व्यवधान)

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो व्यवधान कर रहे हैं आप रोकिये उनको। सब माननीय सदस्यों ने अपनी-अपनी बात कही है, यह भी अपनी बात कहेंगे। अपने विचार देंगे।

श्री परसादीलाल मीणा : विचार दें, हाई कोर्ट में जाकर अपने विचार दें। यहां पर नहीं दे सकते।

श्री जगदीप धनखड़ : I would have my say, at any cost.

श्री जीतराम : इनका अधिकार है बोलने का ...(व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : यदि ये कोई बात कहें ...(व्यवधान)

श्री जीतराम : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बोलने का सबको मौका दिया जाय (व्यवधान) बोलने का अधिकार सबका है। आप अपनी बात रखिये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपसे करबद्ध निवेदन है कि इनको बोलने दीजिये।

एक माननीय सदस्य : बोलने का अधिकार तो है, बोलेंगे नहीं क्या।

श्री भंवरसिंह डांगावास : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के बोलने के अधिकार पर बाधा पहुंचा रहे है, आप अपने (व्यवधान)

श्री जीतराम : माननीय सदस्य को के बोलने का अधिकार है, बोलने दिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री जीतराम : बोलने से कोई रोकेगा नहीं।

श्री शैलेन्द्र जोशी : यह दूध का धुला साबित करने का कोई स्थान नहीं है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आदरणीय जोशीजी, श्री जगदीप जी धनखड़, कृपया विराजिये। श्री जगदीपजी धनखड़, आप जल्दी समाप्त करिये।

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी घड़ी से मैं दस मिनट का समय लूंगा और मैं आशा करता हूं कि मेरी बात को ध्यान से सुना जाएगा।

श्री टीकमचन्द कान्त : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं विरोध नहीं करता हूं, दूसरी बात पूछना चाहता हूं। मैं दूसरी बात पूछना चाहता हूं।

श्री भंवरसिंह डांगावास : बीच में कोई व्यवधान नहीं। (व्यवधान)

श्री टीकमचन्द कान्त : उपाध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार के तर्क आ रहे हैं, क्या उससे यह साबित होगा कि कोई भी घटना यदि इस प्रदेश में घट गयी तो उस पर किसी भी प्रकार की चर्चा विधान सभा में नहीं होगी। क्या यह सिद्ध करना चाहते हैं?

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह कार्य (व्यवधान)

श्री टीकमचन्द कान्त : उपाध्यक्ष महोदय, एक दूसरी बात और है अगर ये वकील बनने वाले हैं या ये उनके वकील हैं तो इस सदन का उपयोग किया जाता है तो यह भी कहीं न कहीं निर्देश हैं कि उस व्यक्ति को इस सदन का उपयोग नहीं करना चाहिये, ऐसे तर्कों के द्वारा।

श्री भंवरसिंह डांगावास : आप बोल चुके, बैठ जाएं।

श्री इन्द्रसिंह पूनिया : सदन में यह वकील हैं क्या किसी पार्टी के? ये तो विचार हैं, आप अपने विचार दीजिये, यह अपने विचार दे रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया आप बिराजिये। माननीय सदस्य, सुनिये दो मिनट।

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मेरा सरकार को सुझाव है। चूंकि विश्वविद्यालय में घटनाक्रम अत्यन्त चिन्ता का विषय रहा है। एक न्यायिक कमीशन के जरिए, कमीशन आफ एन्क्वायरीज एक्ट, 1952 के तहत हो और ऐसे कमीशन सरकार ने किये हैं, इस सरकार ने किये हैं। जे. डी. ए. की बिल्डिंग से सम्बन्धित किये हैं। बेरी कमीशन हुआ है, वैसा एक कमीशन किया जाए ताकि पूरे घटनाक्रम की सच्चाई आये। हमारा यहां पर सबसे बड़ा उत्तरदायित्व क्या है कि सच्चाई पर पर्दा नहीं पड़े। यदि सच्चाई पर पर्दा पड़ता है, हो सकता है कि सबके सब लोग मिलकर पता नहीं क्या बात कहें। एक विचार उत्पन्न हो सकता है, परन्तु जो दूसरा पक्ष है वह भी काफी मजबूत हो सकता है। इस विधान सभा में बैठकर पांच करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग यदि अगर संयम से दूसरा पक्ष सुनना ही पसन्द नहीं करेंगे तो मैं नहीं समझता कि हमारी नैतिकता का क्या तकाजा है। मैं कहना चाहता हूं सरकार को कि आपने दोहरे मापदण्ड किये। मीनमाल का प्रकरण एक वरिष्ठ सदस्य ने उठाया।

श्रीमती तारा भण्डारी : उपाध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ आर्डर।

उपाध्यक्ष महोदय, मीनमाल की चर्चा को पहले भी रोका गया कि इसको दूसरी चर्चाओं में नहीं डाला जाकर एक ही चर्चा पर ध्यान केन्द्रित किया जाय। और बार-बार उसका उपयोग कर रहे हैं। हमको फिर बोलने क्यों नहीं दिया जाता। इनको मीनमाल की चर्चा क्या है, यह मैं इनको समझा देती हूं। यह क्या तरीका हुआ कि जब मर्जी आये मीनमाल की चर्चा। जब हम संयम रखकर बैठे हैं कि इसको डाइल्यूट नहीं करना है, शर्मनाक काण्ड हुआ है। सारा सदन इस बात पर सहमत है, संवेदनशील है कि इस काण्ड की निंदा की जाय, अपराधियों को पकड़ा जाय तो उसमें फिर मीनमाल की चर्चा कहां से आ गयी? (व्यवधान) यह मेरा पाइंट आफ आर्डर है, माननीय सदस्यों को उस घटना तक सीमित रखने का आदेश करें। (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं दोहरे मापदण्ड की बात कर रहा हूं। यदि यह सदन कह देता कि एक पर्टिकूलर मामले में तो प्रोसीक्यूटरी ड्यूटी है और दूसरे में सही है नहीं, यह नहीं होना चाहिए। मैं नहीं कहता कि गलत हुआ है, सही हुआ होगा। किसी भी धार्मिक आदमी को गलत लिप्त करना गलत है, उस पर हर प्रकार का अंकुश होना चाहिये।

श्री देवीसिंह भाटी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी आसन से आपने व्यवस्था दी थी, जब माननीय शिवनाथसिंहजी बोल रहे थे कि आप इसी विषय तक सीमित रहिये। मीनमाल की चर्चा यहां नहीं करेंगे। वही दोहरे मापदण्ड की वे बात कर रहे थे, उस समय आपने यह व्यवस्था दी कि उस विषय पर आप नहीं

(श्री देवीसिंह भाटी)

जायें। मैं आपसे आशा करता हूं कि वही निर्देश आपके इसमें भी लागू रहेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : बोलने तो दीजिये आप, क्या कह रहे हैं, सुनिये आप।

श्री देवीसिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, वही बात माननीय शिवनाथसिंहजी फरमा रहे थे, उस समय रोका गया इसलिए हमें यह महसूस हो रहा है ...(व्यवधान)... समय-समय पर यह निर्देश न बदले जाय।

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, यह लोग काहे को मिक्सअप कर रहे हैं इन दो बातों को ?

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : यह इस सदन का दुरुपयोग कर रहे हैं इसलिए आसन को व्यवस्था देनी चाहिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : उपाध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ आर्डर। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा पाइंट आफ आर्डर यह है कि आपकी जो अध्यक्षीय व्यवस्था है और जो नियम और प्रक्रियाएं हैं और अभी जैसा थानागाजी से आने वाले माननीय सदस्य ने पाइंट आफ आर्डर उठाया था (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : इनका तो पाइंट आफ आर्डर ओवर रूल हो गया।

श्री महावीर प्रसाद जैन : वह ओवर रूल हो गया तो मैं दुबारा नियम से बता रहा हूं। यह हाउस और यह आसन नियम और परम्परा से बंधा हुआ है और उसी नियम और परम्पराओं के आधार पर इस आसन से जो नियम हुए उसके बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं। जिस प्रकार थानागाजी से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि इस सदन की यह परम्परा रही है कि कोई भी मामला, जिसमें व्यक्तिगत इण्ट्रेस्ट हो, रूचि हो, डाइरेक्ट और इनडाइरेक्ट, तो थानागाजी से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि केवल आप इतना पूछ लीजिये कि किसी प्रकार का उनका सम्बन्ध तो नहीं है, या इस केस में पैरवी तो नहीं कर रहे हैं या नहीं करेंगे ? यदि इस प्रकार का कोई मामला है तो आज तक इस सदन में यह परम्परा रही है कि उनको रोका गया है और उनको अनुमति नहीं दी गयी है। इस सदन का दुरुपयोग व्यक्तिगत मामलों में नहीं कर सकते। यह मेरा निवेदन है। मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। अध्यक्षीय व्यवस्था "एक' में जो 209 संसदीय ... (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : अब छोड़िये न।

श्री हरिसिंह (महुआ) : हमें पता चल गया कि आप विद्वान आदमी हैं।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया, आप समाप्त करिये। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि विरोधी दल के नेता भी बोलना चाहते हैं। आप समाप्त करिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आप पढ़े हुए हैं तो पढ़िये। (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे दस मिनट का समय लिया और मेरे को दो मिनट का ही समय मिला है। यदि अगर राजस्थान विश्वविद्यालय के भूतपूर्व अध्यक्ष अपने उसी तेवर में मेरे को रोकते रहेंगे तो मुझे उम्मीद है कि एक घंटे में भी मुझे तीन मिनट का और समय नहीं मिलेगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नम्बर एक अनुसंधान में किसी भी संस्था की दखलन्दाजी नहीं होनी चाहिये।

नम्बर दो-इस पूरे घटनाक्रम की जांच न्यायिक कमीशन के द्वारा होनी चाहिए। इस सरकार ने साधारण मामले में दवे कमीशन और एक गम्भीर मामले में बेरी कमीशन का गठन किया है। कमीशन आफ एन्क्वायरीज एक्ट, 1952 के तहत यदि अगर ऐसा किया जाता है तो पूरे घटनाक्रम के बारे में और विश्वविद्यालय की एक अच्छी सफाई के बारे में, क्यों, इस बात पर मैं सहमति व्यक्त नहीं करता कि पुलिस को एक लाइसेंस दे दिया जाय कि जब चाहे तब विश्वविद्यालय में चली जाय। क्योंकि आप एक अच्छा वाइस चांसलर नहीं रख सकते। आप प्रशासन को सुदृढ़ नहीं कर सकते, तो इनको लाइसेंस दे दिया जाय? नहीं। यह मेरा विचार है, कोई इसे एग्री नहीं करे। तीसरी बात....(व्यवधान)...

श्री महावीर प्रसाद जैन : किस बात का लाइसेंस दें कि (व्यवधान)....

श्री जगदीप धनखड़ : आप मुख्य सचेतक हैं, सरकारी मुख्य सचेतक हैं। आप तो कम से कम चुप रहिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मेरा कर्तव्य है कि इस सदन से गलत मैसेज लोगों तक नहीं जाय।

श्री जगदीप धनखड़ : उपाध्यक्ष महोदय, दोहरे मापदंड की बात जो है, आज के दिन यदि यह देश का कानून है कि कोई प्रोसिक्यूटर जो भी कहे, 9 साल के बाद क्यों, 19 साल के बाद कहे तो क्या सही है?

अंत में, मान्यवर, मैं आपसे यह कहूंगा कि माननीय गृह मंत्रीजी ने गृह विभाग को एक नयी दिशा दी है। डी.आई.जी. मधुकर टंडन इनकी गिरफ्त में नहीं आ सका। इनका उद्देश्य है जो भी उच्च पदों पर हैं उनको तो संरक्षण देना आपके गृह विभाग का कार्य है। राजस्थान उच्च न्यायालय में आपके गृह विभाग ने जवाब दिया है कि वायरलैस सैट जब खो गये तो हमने कांस्टेबल के खिलाफ इंक्वायरी चालू कर दी, हैड-कांस्टेबल के खिलाफ चालू कर दी, असिस्टेंट सब-इन्स्पैक्टर के खिलाफ कर दी बाकी का मामला होम मिनिस्टरी में है। तो क्या इसी तरीके से किसी अनुसंधान में जो इनकी समझ में आये और मनमर्जी से कार्य करेंगे? तो मैं समझता हूं न्याय का तकाजा है, जनप्रतिनिधि का ओब्लिगेशन है कि इस प्रकार के अन्याय को रोकें।

मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। मैं मेरी बात कह चुका हूं पर मैं यह जरूर

(श्री जगदीप धनखड़)

कहूंगा कि सभी सदस्यगण आत्मचिंतन करें कि जयपुर जैसे शहर में यह बंद किन कारणो से हुआ ? जयपुर शहर की बदनामी पहले बहुत हो चुकी है। यह घटनाक्रम ऐसा नहीं था, यह राजनीति से प्रेरित था, एक विशेष वर्ग के खिलाफ सुनियोजित षड्यंत्र से कार्यवाही करने का नतीजा है और इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : विरोधी दल के नेता महोदय ।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो दोहरे मापदंड की बात दो-तीन बार रखी है, मैं एक ही बात कहना चाहता हूं....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये ।

श्री देवीसिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि यह पवित्र सदन है इसको जातियों और वर्गों में मत बटने दीजिये । उपाध्यक्ष महोदय, हम बहुत गलत रास्ता अपना रहे हैं। इसके लिए मैं आसन से अपेक्षा करूंगा कि इस प्रकार की जो यह जाति और वर्ग की बात, पक्ष और प्रतिपक्ष की बात सुबह से सारे सदन के माननीय सदस्य चिंतित थे कि इस प्रकार की जो घटना हुई है उसकी निन्दा की जाए, आम राय से निन्दा प्रस्ताव पास किया जाए, यहां तक भावना प्रकट की गयी और अगर दूसरे तरीके से पेश किया जा रहा है तो बहुत गलत हो रहा है, उपाध्यक्ष महोदय ।

श्री जगदीप धनखड़ : यही बात तो मैं कह रहा हूं । उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय वही बात कह रहे हैं ।

श्री देवीसिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से किशनगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य से पूछना चाहता हूं कि यदि हमारी बहन होती और उसको किसी दबाव में गलत रास्ते पर ले जाते तो क्या थाने में हम यह रपट लिखाते और छाती खोलकर कहते कि मेरी बहन सात वर्ष से इस प्रकार के कृत्य कर रही है ? यह भी एफ.आई.आर. में लिखो, कोई ऐसा कह सकता था ? ऐसा मत होने दीजिये, उपाध्यक्ष महोदय, देखिये यह बहुत गलत हो रहा है। मैं किस प्रकार मेरी भावना प्रकट करूं ? इसमें, उपाध्यक्ष महोदय, देखिये निजी मामला किसी का नहीं है ।

श्री जगदीप धनखड़ : भावना एक है।

श्री देवीसिंह भाटी : हम लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, हमारी भावना प्रकट कर रहे हैं।

श्री जगदीप धनखड़ : भावना एक है, दृष्टिकोण अलग-अलग हैं।

श्री देवीसिंह भाटी : यह न्यायिक प्रक्रिया है, कानून के तहत जो कार्यवाही होनी है वह होनी है।

माननीय धनखड़जी, हमने हर विषयों

(श्री देवीसिंह भाटी)

को यहां पर उठाया है, चाहे कोई मर्डर केस हुआ है, चाहे अन्य कोई हुआ है, केस अलग हुआ, एफ.आई.आर. वहां भी थाने के अन्दर दर्ज हुई है, लेकिन हर विषय के ऊपर हमने यहां चर्चा की है। इतने छुई-मुई मत होइये कि कोई विषय यहां छेड़ दें तो वह प्रभावित हो जायेगा, जांच प्रभावित हो जाएगी। नहीं, नहीं ऐसा मत होने दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया आप विराजें, मंत्री महोदय, प्रतिपक्ष के नेता महोदय बोल रहे हैं।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट लेऊंगा।

जो दोहरे मापदंड की बात कही है.... (व्यवधान).... उसके लिए एक मिनट मैं लेना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रतिपक्ष के नेता महोदय बोल रहे हैं।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : इन्होंने दो-तीन बार कह दिया, दोहरे मापदंड की जो बात कही है इसमें मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि अपने को....

श्री हरिसिंह (महुआ) : उपाध्यक्ष महोदय, यह तो नेशनल मामला है इन्टरनेशनल नहीं है।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : एक बार मेरे को कहने तो दो। आप मेरी बात तो सुन लो।

दोहरे मापदंड की दो-तीन बार इन्होंने बात कह दी। मैं तो दोहरे मापदंड पर एक ही बात कहूंगा कि अपन को समाज से और अपने कास्ट फैक्टर से ऊपर उठकर काम करना चाहिए। इसके लिए एक उदाहरण माननीय मुख्य मंत्रीजी ने दिया कि शिवानी जडेजा अपने समाज की होते हुए भी, उन्होंने आरोप भी लगाये समाज के कि आप उनसे मिलने नहीं गये, फिर भी वो मिलने नहीं गये। उन्होंने कहा कि पुलिस को कार्यवाही करने दो, मैं जाकर नहीं मिलूंगा। यह बात मैं कहना चाहता हूं। दोहरे मापदंड की बात करते हैं आप।....(व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष : प्रतिपक्ष के नेता महोदय। माननीय सदस्य, विराजिये।

श्री विष्णु मोदी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट बोलना है मुझे। एक ही बात पूछनी है, कोई रिपिटेशन नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रतिपक्ष के नेता महोदय।

श्री विष्णु मोदी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सुबह से इस इन्तजार में हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रतिपक्ष के नेता महोदय।

श्री विष्णु मोदी : एक ही बात पूछनी है। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने एडजोर्नमेंट मोशन भी रखा है।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया आप विराजें।

श्री विष्णु मोदी : मैं अब तक संयम से बैठा हुआ हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे को एक ही बात पूछना है कि 164 के बयान भीनमाल में तो हो गये, वह घटना 6 तारीख की थी वह घटना 5 तारीख की है, इसमें आज तक 164 के बयान क्यों नहीं लिये ?

श्री उपाध्यक्ष : प्रतिपक्ष के नेता महोदय।

श्री परसराम मदेरणा (नेता, प्रतिपक्ष) : माननीय उपाध्यक्ष जी, जे.सी.बोस होस्टल में एक युवती के साथ जो कुकृत्य और कुकर्म हुआ इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण, शर्मनाक, जघन्य और वीभत्स घटना हो नहीं सकती। इस प्रकरण ने राज्य सरकार, राजस्थान राज्य, राजस्थान का विश्वविद्यालय और हमारे राज्य की राजधानी इस गुलाबी नगर पर और पूरे समाज के मुख पर कालिख पोती है।

यहां पर वक्तव्य गृह मंत्रीजी ने दिया, फर्स्ट इन्फोर्मेशन रिपोर्ट पढ़ी और उसके बाद में जो कार्यवाही तथाकथित अपराधियों को गिरफ्तार करने की है, उसके सम्बन्ध में भी उन्होंने सदन को अवगत कराया। मैं इस प्रकरण, इस घटना के उन पहलुओं पर नहीं जाना चाहता कि एफ.आई.आर. कब लाज हुई घटना कितने बजे हुई, उसमें मेडिकल एक्जामिनेशन में देरी क्यों हुई, और नाकेबंदी के कब आदेश दिये। यह सब बातें यहां पर कई माननीय सदस्यों ने, दर्जनों सदस्यों ने कही हैं। मैं उसको रिपीट करना नहीं चाहता।

बहुत गम्भीर और अहम् मसला है। इन छात्रावासों में जिस तरह के लोग रहते हैं, निवास करते हैं, जाते हैं और जो उनका चरित्र है उस पर बहुत प्रश्नचिन्ह लगाए, बहुत शंकाएं जाहिर की गयीं। उपाध्यक्ष महोदय, उस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो यह राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में सोचने की बात है। यह कोई यहां की बलात्कार की एक घटना नहीं है, यहां राजस्थान में छोटी-छोटी बच्चियों के साथ में बलात्कार हुआ है। कोटा के अन्दर एक बच्ची के साथ बलात्कार करके उसको कत्ल कर दिया, सात वर्ष की बच्ची थी। यह जो हमारे चरित्र में गिरावट आई है, हमारे जीवन के जो शाश्वत मूल्य हैं उनका बहुत ज्यादा पतन हुआ है और कई माननीय सदस्यों ने उस ओर इशारा भी किया है। जो नयी संस्कृति है भौतिकवाद की ओर भोग की, इसमें इन्सान इतना अंधा हो गया है कि येन-केन-प्रकारेण रातों-रात ही करोड़पति बनना चाहता है। कई माफिया गैंग यहां पर पैदा हो गये हैं। बढ़ती हुई आबादी के साथ में एंटी सोशल एलीमेंट्स का नम्बर भी बढ़ गया है और क्राइम का वेव जो है, क्राइम की संख्या है, इसका आकार है वह पूरे राष्ट्रभर में फैल रहा है। इसलिए सबसे बड़ी दुखद घटना तो यह है और हमारे सबके लिए है, राजनीतिकों के लिए विशेष तौर से है। अभी जो स्वर्ण जयंती पर पार्लियामेंट में डिबेट हुई, क्रिमिनलाइजेशन आफ पालिटिक्स के बारे में सभी पार्टियों के लोगों ने उस ओर राष्ट्र का ध्यान आकर्षित किया और

(18.00)

(216)

(श्री परसराम मदेरणा)

अंत में प्रस्ताव पारित हुआ लोक सभा में, उसमें इस बात का उल्लेख किया गया है कि राजनैतिक पार्टियां अपराधी लोगों को कभी भी अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं करेंगी। यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पूरे सदन ने पास किया।

आज जो गिरावट आई है, संयुक्त परिवार की मर्यादाएं टूट रही हैं। आज किसी के भाई की और दूसरे की बात कर रहे हो, कोई किसी के कहने में नहीं है। बाप कह रहे हैं कि बेटा नहीं है और श्वसुर जी कह रहे हैं कि बहू उनका सम्मान नहीं करती है। परिवार टूट रहे हैं। समाज में जो विसंगतियां और विकृति आ रही है वह इस जघन्य घटनाक्रम में परिलक्षित हुई है, इसको निश्चित तौर पर देखा जा सकता है।

सब माननीय सदस्यों ने अपने-अपने विचार रखें, मामले की पुलिस तफतीश करेगी, एक आफेंस हुआ है, उस सम्बन्ध में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। मैं इतना ही निवेदन करूंगा, यहां पर पूरे माननीय सदस्यों के जो विचार आए हैं और उन्होंने जो अभिव्यक्ति दी है, जो उनको शंकाएं हैं या उन्होंने जो आरोप लगाए हैं उससे एक बात निश्चित तौर पर आई कि पुलिस को जिस तत्परता से कार्यवाही करनी चाहिए थी, उसका नितांत अभाव रहा है। इन्वेस्टीगेशन के लिए यहां पर यह भी प्रस्ताव आया, धनखड़ साहब भी कह रहे थे कि ज्यूडिशियल कमीशन बिठाया जाए। यहां पर एक सजेशन आया कि इस सदन के माननीय सदस्यों की एक कमेटी कांस्टीट्यूट की जाए। मैं ऐसा समझता हूं कि क्रिमिनल, फौजदारी मामले में इन्वेस्टीगेटिंग एजेंसी ही निश्चित तौर पर अपराधियों का कोर्ट आफ ला में चालान कर सकती है, बाकी उसके मैरिट-डिमेरिट में जाने वाली बात दूसरी है। इसलिए मेरी सबसे पहले तो आपसे यह मांग है कि इस प्रकरण का इन्वेस्टीगेशन आपके विभाग में जो सबसे निष्पक्ष सीनियर आफिसर है, उससे करवाया जाए ताकि किसी को भी शंका नहीं रहे। जो अपराधी है उसको कोई बचाना नहीं चाहता और न उसकी कोई जाति है, न उसका कोई धर्म है। जिन्होंने अपराध किया है वह भी किसी के लड़के होंगे, किसी के भाई होंगे, किसी के रिश्तेदार होंगे, उन्होंने अपने परिवार को और अपने खानदान को कलंकित किया है।

राजस्थान में चरित्र का जो पतन हुआ है, जो गिरावट आई है उस गिरावट की वजह से हम लोगों की विश्वसनीयता, पालिटीशियन की जो क्रेडिबिलिटी है वह लोएस्ट एब पर चल रही है। क्यों चल रही है, मुझे मालूम है, सभी क्लासं की, सभी पार्टियों की। यह गिरावट, हमारे नैतिक मूल्य, क्योंकि सब संस्कार बदलने हैं। हम एक बहुत ही ट्रांजिशनल पीरियड में चल रहे हैं, उथल-पुथल में चल रहे हैं। यह जो मीडिया आया है, इसने आने वाली पीढ़ी के दिमाग में बहुत परिवर्तन ला दिया है। आने वाले समय के अंदर, यह

(श्री परसराम मदेरणा)

घटना घटी है, इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो।

आज से दस साल पहले या पन्द्रह साल पहले या बीस साल पहले या तीस साल पहले या चालीस साल पहले कालेज में पढ़ते थे उस वक्त वहां की मान्यताएं, वहां का डिसिप्लीन, वहां का अनुशासन दूसरी तरह का था। आज स्थिति यह है कि यूनिवर्सिटीज के कुछ लड़के इतने उच्छृंखल हो गये हैं, इतने आजाद हो गये हैं और इतनी गुंडागर्दी पर आ गये हैं कि किसी भी लेक्चरार या प्रोफेसर या हैड आफ दी डिपार्टमेंट की थोड़ी-सी बात पर पिटाई कर देते हैं। वह डरते हैं। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है।

यह सदन के सोचने की बात इसलिए है कि यह सदन राजस्थान की जनता की सोवेरेनिटी को रिप्रजेंट करता है। हमें इस बात पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। चाहे शैक्षणिक संस्थाएं हों, चाहे यूनिवर्सिटीज हों, चाहे स्कूल्स हों, कई दफा यह चर्चा हुई है कि नैतिक शिक्षा का भी पाठ्यक्रम बराबर चलाया जाना चाहिए।

बैराठ से आने वाली माननीय सदस्या बिलकुल ठीक कह रहीं थीं कि आजादी के वक्त में समाज सुधार की, समाज में जो कुरीति है उसको हटाने की बात और लोगों के चरित्र बनाने की बात सबसे पहले थी। आप गांधीजी का पूरा इतिहास देखिये, जो कोई भी आन्दोलन उन्होंने चलाया है, चाहे वह सिविल डिसओबिडिएंस हो, चाहे नान-को-आपरेशन का हो, चाहे वह इंडिविजुअल सत्याग्रह का हो, चाहे क्विट इंडिया का हो, क्विट इंडिया का तो इनका नारा था, अन्तहीन गुलामी को देखने के लिये हम जिंदा नहीं रहना चाहते, "करो या मरो" का नारा दिया था लेकिन उससे पहले आंदोलन के अन्दर जहां भी कुछ विकृति आई, उन्होंने पूरे आन्दोलन को बिना कांग्रेस कमेटी की राय के वर्किंग कमेटी की राय के विरुद्ध कराया और लोगों को रचनात्मक काम में लगा दिया। आज हमारा तरीका है, वह सकारात्मक सोचने का नहीं है और आने वाली जो पीढ़ी है, इसकी ख्वाहिशें, इसकी महत्वाकांक्षाएं, इसकी इच्छाएं, आज कंजूमर संस्कृति में इस प्रकार की बनती हुई चली जा रही हैं कि लोगों ने येन-केन-प्रकारेण किसी तरह से धन इकट्ठा कर लिया है, उनके पास मसल पावर भी है और मनी पावर भी है और वह समाज के लोगों पर, राजनीति पर और हमारी संस्थाओं पर डायरेक्टली और इन-डायरेक्टली, प्रभाव डाल रहे हैं। मैं यह मांग करता हूं कि आप किसी भी सीनियर आफिसर को लगाइए मुख्य मंत्री जी से कहकर, ताकि पूरे इन्वेस्टीगेशन में, आज बहुत से लोग सी. बी. आई. की बात इसलिए कहते हैं कि सी. बी. आई. इंडिपेंडेंट रहेगी, निष्पक्ष रहेगी, जो इन्नोसेंट है वह फंसना नहीं चाहिए और जो कलप्रिट है वह बचना नहीं चाहिए। क्योंकि कल पूरी राजधानी बंद थी, लोग उद्वेलित हैं और हम चाहते हैं कि इस मामले में न्याय हो।

(श्री परसराम मदेरणा)

अगर सरकार ऐसा चाहती है तो मैं पहले इसकी मांग जोर से नहीं कर रहा हूं। मैं जो मांग करूंगा वह तो सरकार मानने वाली है नहीं। इस क्रिमिनल केस को आप सी.बी.आई. को क्यों नहीं दे देते हो? कहीं पर कोई शंका ही नहीं रहेगी। आप इस केस को सी. बी. आई. को सुपुर्द कर दीजिए।

यूनिवर्सिटीज में होस्टल्स के अन्दर, इस होस्टल की ही बात नहीं है, आज कालेज के परिसर में जो भी होस्टल्स हैं डिस्ट्रिक्ट में, उनमें कुछ व्यवस्था करने की बात वाइस चांसलर ने कही है और शायद सरकार भी सोच रही होगी और शिक्षा मंत्रीजी भी उनको कोई परामर्श देंगे। इसमें कोई न कोई फुलप्रूफ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि एन्टीसोशल एलीमेंट इन होस्टल्स में जा ही नहीं सकें। नहीं तो हमेशा एनसोशल एक्टीविटीज के डेन्स बनते चले जाएंगे। और होस्टल्स भी हैं दूसरे भी, उनका तो कोई ट्रैक रिकार्ड ज्यादा अच्छा नहीं रहा है, अलग-अलग जातियों के भी हैं। उनमें भी बहुत अन डिजायरेबल लोग रहते हैं जो विद्यार्थी नहीं हैं। मेरा खुद का यह अनुभव है। इसलिए यह जिम्मेवारी इस सदन के सभी माननीय सदस्यों की है, समाज के जो अग्रणी लोग हैं, उनकी है और छात्रों के जो पेरेन्ट्स हैं, अभिभावक हैं, उनकी भी है, इस सम्बन्ध में निश्चित तौर पर वातावरण और परिस्थितियों को बदलना चाहिए। परिस्थितियां हमारे हाथ में से निकल रही हैं। अपन चाहें या नहीं चाहें और सबसे बड़ा अगर कोई कारण है मूल में, तो वह है बेकार लोगों की करोड़ों की फौज इस देश में है। वह करोड़ों की जो फौज है, रोजगार उनको मिल नहीं सकता, छोटे-मोटे रोजगार को वह पसंद नहीं करती, येन-केन-प्रकारेण रातों-रात लखपति और करोड़पति बनना चाहते हैं, इसके लिए वह जो तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं वह बहुत गलत हैं। इसके पीछे इकानामिक कारण भी है। इस देश में एक लाख करोड़ से ऊपर पैरेलल ब्लैक मनी सरक्युलेट हो रही है। इस क्राइम्स को बढ़ाने में उनका भी हाथ है। आज जो कुछ बाम्बे में हो रहा है, यह बात निश्चित है कि वह जो बड़े-बड़े बैंक हैं, उनसे पैसा लेकर ब्लैक मार्केट में दिया गया है। वे अब कहें या नहीं कहें लेकिन डायरेक्टली और इन-डायरेक्टली उस पर उनका असर है इसलिए मैं तो···

श्रीमती कमला : टी. वी. में नये-नये रास्ते बताते रहते हैं।

श्री परसराम मदेरणा : टी. वी. वाले तो माननीय कृपारामजी ने अभी गाने-वाने सुना दिये थे न आपको। कई और भी हैं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : टी. वी. को बन्द करना या चालू करना अपने क्षेत्राधिकार में नहीं आता है।

श्री परसराम मदेरणा : नहीं-नहीं, गाने तो ऐसे ऐसे हैं कि कई बातें अच्छी भी सुनायी हैं और दूसरी भी सुनायी हैं लेकिन अब कामर्शियलाइज हो गयी है और जो गाना, जिसमें उनको ज्यादा आमदनी

(श्री परसराम मदेरणा)

हो सकती है, इस प्रकार की फीचर्स बन रही है। मैं आपसे यह निवेदन कर रहा था कि यह शर्मनाक घटना है। यौन शोषण की ओर उत्पीड़न की घटना जो एक महिला के साथ हुई है, मैं इसकी घोर भर्त्सना करता हूं। इस घिनौने और घृणित कुकृत्य की घोर निन्दा करता हूं। यह बड़ा निन्दनीय कार्य हुआ है। इस सदन को बहुत गम्भीरता से यह बात सोचने की है। और जैसा कि इन सभी पहलुओं पर, आल आस्पेक्ट्स पर विचार करने के लिए अपन एक सेशन बुलाना चाहते हैं, मैं समझता हूं, उसमें चर्चा होनी चाहिए। उसका निश्चित तौर पर लोगों की सोच के ऊपर प्रभाव पड़ेगा।

गृह मंत्रीजी, आपके ऊपर जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी के निर्वहन में आपसे यह उम्मीद करते हैं कि आप कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। चुस्त और दुरुस्त, तमाम चीज, वह और यह बातें बहुत पीछे रह गयी हैं। कुछ बातें बहुत आगे निकल गयी हैं। अब समय ऐसा आ गया है कि we are at such a critical stage in our national and states life. "करो या मरो" पतन की पराकाष्ठा में कदम गड्ढे में गिरते ही चले जायेंगे। यह बहुत गम्भीर प्रश्न है। समाज के सामने भी है। और हम सबके सामने भी है। यह अकेला राजस्थान इसमें क्या कर सकेगा। जब तक पूरे देश के अन्दर यह वातावरण बदलेगा नहीं, व्यवस्थाएं बदलेंगी नहीं और परिस्थितियां बदलेंगी नहीं, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। पार्लियामेंट ने शुरू किया है, प्रारम्भ की है बात को। मैं समझता हूं, क्रिमिनलाइजेशन के खिलाफ, अपराधी लोगों के खिलाफ, वहां पर यह कहा है कि उनका बहिष्कार किया जाना चाहिए और हमारे इस सदन का यह रिजाल्व होना चाहिए कि बढ़ते हुए क्राइम, खास तौर से कमजोर वर्ग की ओर, खास तौर से महिलाओं की ओर, जिनका अत्याचार और शोषण हो रहा है और खास तौर से बच्चों की ओर हमें ज्यादा गम्भीरता से इस मामले को लेकर के इफेक्टिव कदम उठाने चाहिए। पुलिस का जैसा प्रशासन आपके पास है, जिस प्रकार की ट्रेनिंग और प्रशिक्षण आप उनको दे रहे हैं, डायरेक्टली और इन-डायरेक्टली कई दफा दखलंदाजी और इन्टरफियरेंस भी हो जाता है इन्वेस्टीगेशंस में, उसकी वजह से पुलिस के अमले को कुछ बहाना मिल जाता है। एकाध केस में कहते हैं तो वे एक जनरल बात ले लेते हैं। अपराधी की तो जाति नहीं होती पर पुलिस की एक अलग ही जाति है। इस पर जातियों का कोई असर नहीं है। पुलिस अपने आप में एक कास्ट है और बड़ी अजीब कास्ट है यह। आप उधर डी. जी. की तरफ क्या देख रहे हैं। D. G. is an honest man. मैं जानता हूं। लेकिन एक डी. जी. क्या करेगा, यहां बहुत बड़ा अमला है।

श्री शिवनाथ सिंह : पुलिस जाति के मुखिया तो हैं।

श्री परसराम मदेरणा : हैं, लेकिन वह अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। पुलिस

(श्री परसराम मदेरणा)

एक से नहीं होती। कांस्टेबल से लेकर डी. जी. तक, जब तक उसके अन्दर पूरा परिवर्तन नहीं होगा, उनके सोच में, उनके व्यवहार में, उनके इन्वेस्टीगेशन में तब तक सुधार नहीं होगा। नहीं तो सभी जगहों पर ये सेवा कर ही रहे हैं। पुलिस हिरासत के अन्दर मौतें हो रही हैं, यह सेवा ही हो रही है और क्या हो रही है? मेरी पीड़ा है इसलिए मैंने आपसे यह बात कही। आप तो इसका इन्वेस्टीगेशन ठीक तरह से हो और अबूव-बोर्ड हो, सस्पीशन के ऊपर थे, उस तरह के इन्वेस्टीगेशन की यह सदन आपसे उम्मीद करता है। Culprits should be brought to book.

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय ...

श्री खेतसिंह राठौड़ : गृह मंत्री ...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : गृह मंत्री गृह मंत्री की जगह है, मुख्य मंत्री, मुख्य मंत्री की जगह है (व्यवधान) वह आप करें या नहीं करें।

श्री परसराम मदेरणा : उनका अभी ग्रह खराब हैं। मुख्य मंत्री बोल लें। कोई जरूरी नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : तबीयत इनकी भी ठीक है, तबीयत मेरी भी ठीक है।

श्री परसराम मदेरणा : नहीं-नहीं आप बोल ले। कोई जरूरत नहीं है किसी के बोलने की। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (सरदारशहर): गृह मंत्री आपकी मेहरबानी से ही तो हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, विपक्ष के नेता ने जो भावनाएं व्यक्त की हैं वह बहुत कुछ वास्तविक हैं। आज माननीय सदस्यों ने इस विषय की चर्चा के सम्बन्ध में जो आलोचना की है, जो अपनी भावनाएं प्रकट की हैं और प्रशासन व्यवस्था में सुधार करने के लिए जो सुझाव दिये हैं उन सभी माननीय सदस्यों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं।

जहां तक इस घटना का प्रश्न है, मैं कल ही कह चुका था कि वह बहुत ही निंदनीय है, इसकी जितनी भर्त्सना हो सकती है, वह की जानी चाहिए और यह भी मैं कह चुका था कि अपराधी चाहे कोई भी हो उस अपराधी को निश्चित रूप से पकड़ा जाएगा और कानून के हवाले किया जाएगा। अभी कुछ माननीय सदस्यों ने इस सम्बन्ध में कई तरह की बातें कहीं। आप और हम इस समाज में से ही आ रहे हैं। इसी समाज से पुलिस आ रही है, इसी समाज से अपराधी आ रहे हैं। समाज तो वही है जो अपने को चुनता है। समाज तो वही है, जिससे पुलिस के अन्दर नौकरी के लिए आकर, पुलिस की सर्विस में, पुलिस के माध्यम से काम करता है और यह वही समाज है जिसमें अपराधी पैदा होते हैं

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

और अपराध करते हैं। समाज में गिरावट आई है इसमें कोई संदेह नहीं है।

1947 का जिक्र किया गया. एक पुलिस का सिपाही जाता था तो लोग उससे डरते थे। अगर किसी महिला के साथ या पुरुष के साथ कोई दुर्घटना हो जाए तो परिवार के ही नहीं, आस-पड़ोस के लोग उसको सांत्वना देने भी आते थे, चिन्ता भी करते थे और इस बात की कोशिश करते थे कि अपराधियों के साथ सख्त से सख्त कार्यवाही हो। अब 1947 से लेकर आज 1997 में, पचास वर्षों में क्या परिवर्तन आया जिससे समाज अपनी जिम्मेदारी छोड़ बैठा और हम लोग भी उसी समाज के प्रतिनिधि होकर उस समाज को किस प्रकार से मार्ग दर्शन कर सकते हैं, उसमें हम भी पीछे रह रहे हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय, कोई बुरा न माने मैं कहना चाहूंगा कि 1947 के बाद चाहे आर्थिक सुधार हो, चाहे सामाजिक सुधार हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में कोई प्रगति हो, उसका असर नहीं हुआ लेकिन सारा समाज वोट की राजनीति में फंस गया। वह चाहे हमने चुनाव लड़ा हो, चाहे लोक सभा के सदस्यों ने चुनाव लड़ा हो, चाहे ग्राम पंचायत, पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी का चुनाव लड़ा हो और चाहे छात्रों में कालेज में और यूनिवर्सिटीज में चुनाव होते हों, हम वोट की राजनीति में फस गये। जो समाज सामाजिक मूल्यों से ऊपर वोट की राजनीति को समझेगा उस समाज में निश्चित रूप से गिरावट आएगी और वह गिरावट विधान सभा, लोक सभा और हर निर्वाचित जो भी स्तर है वह चाहे प्रशासन हो, चाहे कुछ भी हो उसके अन्दर परिलक्षित होगी। अब वोट की राजनीति के कारण से इस देश में जातियता भड़क आई है। पहले जातियों में जिस प्रकार का समन्वय और सामजस्य था वह आज इस प्रकार की स्थिति में नहीं है। वोट की राजनीति में जब जातियां आई उसके साथ-साथ अपराधीकरण भी आया और उस अपराधीकरण के कारण से आज हम सब समझ रहे है कि इस अपराधीकरण को किस प्रकार से दूर किया जाए, इस अपराधीकरण को किस प्रकार से समाप्त किया जाए।

विपक्ष के नेता ने लोक सभा का रेफरेंस देते हुए कहा कि वहां पर इस बात की चर्चा हुई कि अपराधीकरण को किस प्रकार से खतम किया जाए। मैं समझता हूं इस सदन का कोई माननीय सदस्य उसका विरोध करने वाला नहीं होगा कि अपराधीकरण राजनीति से निकलना चाहिए। लेकिन निकले कैसे ? किस प्रकार से निकाला जाए ? पहले जब हम चुनाव लड़ते थे तो हमारी कोशिश होती थी कि लोग हमारा समर्थन करें और उस समर्थन में अपराधी भी समर्थन करते थे। मैं समझता हूं, विधान सभा में 200 सदस्य यहां बैठे हैं किसी ने उस समय यह नहीं कहा होगा कि हम इस अपराधी का समर्थन लेना नहीं चाहते। अगर उसने अपनी इच्छा से दिया तो

(२२२)

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

मना नहीं किया और हमारी इच्छा से दिया तो मना करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अपराधियों के कारण से जब लोक सभा और विधान सभा के सदस्य जीतने लग गये, धीरे-धीरे अपराधी खुद सोचने लग गये कि हमारे प्रभाव से ही जीतते हैं तो हम इनको जिताकर क्यों नुकसान कर रहे हैं, स्वयं ही खड़े क्यों नहीं हो जाए।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : मुख्य मंत्री जी....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अब देखिये साहब, यह टोका-टाकी नहीं।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : एक सैकण्ड में ही।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक ही मिनट भी नहीं है। अब ऐसे जब अपराधियों ने यह सोचा कि मेरे समर्थन के कारण से कोई व्यक्ति जीत रहा है, मेरे साधनों के बल पर कोई आदमी जीत रहा है तो मैं उसका लाभ क्यों नहीं उठाऊं, मैं इनका समर्थन क्यों करूं और मैं स्वयं चुनाव क्यों नहीं लडूं। वह चुनाव लड़ने लग गये। और लड़ने लग गये उसका असर आज हम देख रहे हैं। अब अपराधीकरण से राजनीति को कैसे अलग किया जाए, यह प्रश्न कोई मामूली नहीं है और जैसा परसराम जी ने कहा है, एक राजस्थान की विधान सभा या राजस्थान की जनता इस सारे मसले के ऊपर कोई इस प्रकार की कार्यवाही कर सके जिससे अपराधीकरण को हम दूर करें और राजनीति को बिलकुल शुद्ध करें, ऐसा नहीं है। अब राजनीति शुद्ध नहीं होगी तो निश्चित रूप से आप मानकर चलिये कि लोकतन्त्र में एक व्यवस्था है कि कोई पार्टी जीतेगी उसकी सरकार बनेगी और उस सरकार बनने के साथ जो राजनीतिक बीमारियां हैं वह सब पार्टियों में आएंगी। और सब पार्टियों में जब यह बीमारियां आती हैं तो निश्चित रूप से इसका असर प्रशासन पर पड़े बिना नहीं रह सकता। इसमें कोई भी रोकना चाहे, वह रुकेगा भी नहीं। उपाध्यक्ष महोदय, ऐसी स्थिति में हम समाज में परिवर्तन किस प्रकार से कर सकते हैं इस पर गम्भीरता से चिन्तन करने की आवश्यकता है। राजनीति से अपराधीकरण मिटे, इस गम्भीर मसले पर हम क्या सुझाव दे सकते हैं इसके ऊपर विचार किया जाय और इसीलिए कल मैंने निवेदन किया था कि लोक सभा में जिस प्रकार की चर्चा हुई है वह चर्चा यहां भी करायी जाय। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का मत यह था कि अलग से इसी विषय पर चर्चा हो। मुझे उस पर कोई आपत्ति नहीं होगी, उस समय इस सारे विषय पर हम चर्चा कर लेंगे।

अब जहां तक यूनिवर्सिटीज का प्रश्न है, लड़के पढ़ने के लिए आते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। मां-बाप उनके ऊपर खर्चा करते हैं, लड़कों का समय जाता है और मां-बाप इस बात की कोशिश करते हैं कि हमारे लड़के पढ़े-लिखें, अच्छे इन्सान बनें और अच्छे इन्सान बनकर कोई न कोई इस

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

प्रकार की हमारी सेवा करें जिससे परिवार का नाम बड़ा हो, गांव का नाम बड़ा हो और साथ ही उस सोसायटी का नाम बड़ा हो जिस सोसायटी के अन्दर इस प्रकार के लड़कों ने जन्म लिया है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यहां कहना चाहता हूं, राजस्थान हो चाहे हिन्दुस्तान हो, इसकी प्रतिभा में कोई कमी नहीं है। आज यहीं के निकले हुए विद्यार्थी, चाहे एस. एम. एस. मेडिकल कालेज के निकले हों, चाहे इस यूनिवर्सिटी के निकले हों, जो विदेश में गये और जिनको अपनी प्रतिभा दिखाने का पूरा अवसर मिला उन्होंने हिन्दुस्तान का नाम रोशन किया है, हिन्दुस्तान के नाम को कलंकित नहीं किया। चाहे यूनिवर्सिटी हो, चाहे कालेज हो, आखिर दो प्रकार के तत्व निश्चित रूप से रहते हैं कुछ ऐसे तत्व हैं जो इन्सान बनना चाहते हैं और कुछ ऐसे तत्व हैं जो इन्सान बनने के रास्ते में भटक जाते हैं और अपराध करने की प्रवृत्ति उनके मन में शनैः शनैः पैदा होती है। इसलिए सारे समाज को इस दृष्टि से देखेंगे तो उचित नहीं होगा। आज हिन्दुस्तान में जितने लोग थे, डाक्टर हों, इन्जीनियर हों, लैक्चरर हों, जो विदेशों में गये हैं वहां विदेशों में अपनी प्रतिष्ठा उन्होंने बनायी है। और यह सिद्ध किया है कि हिन्दुस्तान की शिक्षा, चिकित्सा किसी भी प्रकार की व्यवस्था में जो लोग प्रशिक्षित होकर आए हैं वह किसी से कम नहीं है। अब उसमें जो दूसरा सैक्शन है, जो केवल पढ़ने के नाम से आए हैं और पढ़ने के नाम से और होस्टल में जा रहे हैं। यह सारी व्यवस्थाएं हैं। मैं कहना चाहता हूं कि यहां बहुत आरोप लगाये गये कि इस मामले में यह नहीं हुआ, यह नहीं हुआ और यह पहली घटना हुई। मैं इस सदन की जानकारी में लाना चाहता हूं कि यूनिवर्सिटी में घटनाएं, होस्टल्स में घटनाएं पहले भी हुई हैं। इस सदन में कई बार चर्चा भी हुई है। मेरा स्वयं का भांजा वहीं पर होस्टल के अन्दर मारा गया था। छुरे घोंप-घोंप कर उसको मार दिया। लेकिन आज मैं यह इस रूप में नहीं कहना चाहता। आज जो घटना हुई है इस प्रकार की घटनाएं पहले भी हुई हैं, रिपोर्ट भी हुई है, सदन में चर्चा भी हुई है। आज का जो अपराध है, जिसके ऊपर चर्चा हुई है, यह वास्तव में बहुत निन्दनीय है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, आज देवीसिंहजी भाटी भी बोले, मुझे वह दिन भी याद आता है; खेतसिंहजी, जिस समय एक मेहतर की लड़की को मुख्य मंत्री की बेटी बना कर तख्ती लगा ली थी। उस समय सदन का रिएक्शन क्या था। आपका रिएक्शन क्या था, वह तो देवीसिंहजी ने बता दिया। आपने स्वयं ने भी बता दिया। उस सरकार का उस समय रिएक्शन क्या था? वह रिएक्शन यह था कि देवीसिंहजी ने तख्ती लगा ली, तख्ती का ज्यादा विरोध नहीं था, शिवचरणजी की बेटी कैसे लिख दिया, इसका ज्यादा विरोध था। मैं समझता हूं, मैं उस विरोध की स्थिति में नहीं हूं। उस समय जिस प्रकार का आचरण हुआ कि देवीसिंहजी की सदन से सदस्यता निलम्बित कर दी जाए। केवल सजा इस बात की कि शिवचरणजी की बेटी क्यों बता दी।

श्री खेतसिंह राठौड़ : इन्होंने बूट बताया था। उस पर इनको फिर सदन से....

श्री देवीसिंह भाटी : आप भूल रहे हैं, वह दूसरी बात थी।

श्री खेतसिंह राठौड़ : बात तो यही थी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : उस जगह बैठते थे वह आपको दिखाया था। वह दूसरा मामला था। जूता जो आपको दिखाया था वह दूसरा मामला था।

श्री परसराम मदेरणा : आप गैलेरी में बैठे होंगे तो मुझे मालूम नहीं है। उस दिन जो तख्ती लगाकर आए थे और उसी दिन खेतसिंहजी ने कुछ एतराज किया, मैं खुद देख रहा था। मैं आयु में तो कुछ बड़ा हो गया हूं लेकिन मैमोरी ने अभी तक मुझे डिसीव नहीं किया है। और किसी मामले में नहीं था, इसी मामले में आपने थोड़ा सा पैर ऊपर किया था, क्यों किया, नहीं किया मुझे मालूम नहीं है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : इस मामले में पैर ऊपर नहीं किया था, साहब।

श्री देवीसिंह भाटी : वह विषय था, मैंने सूचना दी थी कि शिवचरणजी माथुर ने इस्तीफा दे दिया है। आपकी बुद्धि और याददाश्त बिलकुल सही है। आपके पड़ोस वाले बुद्धि या याददाश्त में थोड़े कमजोर हो गये। (व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : राठौड़ साहब और आपके बीच थोड़ी सी बात हुई थी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं, मुझे संकोच नहीं है, मैं राजस्थान का मुख्य मंत्री हूं और मैं कह सकता हूं कि बहुत पुराना इस विधान सभा का सदस्य हूं, किसी लड़की के साथ इस प्रकार की घटना हो, उस लड़की को मैं कोई परायी लड़की समझकर नहीं, अपनी लड़की समझकर उसकी वेदना का अहसास करता हूं। मुझे इसमें संकोच नहीं है।

यहां पर यह भी चर्चा हुई कि उस लड़की की एफ आई. आर. उन्होंने बतायी। एफ. आई. आर नहीं बताते तो सदस्यों की मांग होती कि एफ. आई. आर. हमको बतायी नहीं। बता दी तो यह कहा गया

(18.35)

(श्री शांतिलाल चपलोत, अध्यक्ष, पदासीन)

कि क्यों बतायी। मैं इस विवाद में नहीं पड़ना चाहता लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार का घटनाक्रम हुआ है उस घटनाक्रम में कम से कम एक बात निश्चित रूप से अनुसंधान की जानी चाहिए कि लड़की का कोर्शन हुआ है। लड़की को डरा-धमका कर इस प्रकार की स्थिति में रखा गया या नहीं, वह सबसे बड़ा एक टिक्लिश पाइन्ट है जिस टिक्लिश पाइन्ट के लिए अनुसंधान करना पड़ेगा कि 5 वर्ष या 6 वर्ष तक इस लड़की ने रिपोर्ट क्यों नहीं की। इसके दो कारण ही सकते हैं,

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

कई माननीय सदस्यों ने कहा भी है। एक तो सामाजिक कारण हो सकता है। अपने यहां समाज में जिस प्रकार की व्यवस्था है, जिस महिला के सम्बन्ध में थोड़ा बहुत भी कुप्रचार हो जाए, समाज उस महिला को अंगीकार करने को स्वीकार नहीं है बल्कि उस महिला का तिरस्कार करते हैं। यह हर महिला के फीलिंग होगी और उस लड़की को भी यही फीलिंग हुई होगी कि मेरा देह शोषण कर रहे हैं, करने के बावजूद भी मैं जब इस चीज को प्रकट करूंगी तो समाज मुझे किस दृष्टि से देखेगा, उस चिन्ता के कारण से सम्भव है कि वह लड़की इस बात की रिपोर्ट नहीं कर पायी हो। और यह सम्भव है या असम्भव है या जानबूझकर नहीं की लेकिन इसके पीछे निश्चित रूप से भूमिका यह रही है कि इस मामले की रिपोर्ट करूंगी तो निश्चित रूप से मैं समाज में तिरस्कृत हो जाऊंगी, मेरा भविष्य निश्चित रूप से खराब हो जाएगा। लेकिन यह मामला अनुसंधान का है और अनुसंधान से ही इस बात को सिद्ध किया जा सकता है, जो माननीय सदस्यों ने इस प्रकार की बात कही है।

मैं इस आधार पर इतना ही निवेदन करना चाहता हूं आज जिस प्रकार की व्यवस्थाएं चल रही हैं, अब पुलिस के बारे में आप चर्चा करें कि पुलिस के दो आदमी उसमें थे, तो दो आदमी थे तो पुलिस आफिसर के रूप में उनकी शिकायत नहीं की, जिस समय वे स्टूडेंट थे उस समय उन्होंने उसके साथ देह शोषण किया इस प्रकार की बात आई है। आज इस बात की भी जानकारी करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद में दोनों का सलेक्शन हुआ। एक सब इंस्पेक्टर बना, एक डीवाई. एस. पी. बना। डीवाई. एस.पी. बना और उसका इस अपराध के अन्दर किसी भी प्रकार का हाथ है, चाहे वह देह शोषण किया हो, चाहे उसकी जानकारी महिला ने नहीं दी हो, यह भी आप समझेंगे कि अनुसंधान किये बिना किसी आदमी को दण्ड देना कितना अनुचित है। कोई भी आदमी कोर्ट में जाकर, हम उसको सस्पेंड करेंगे वह कोर्ट में जाकर दूसरे दिन स्टे आर्डर लेकर आ जाएगा उस सारी स्थिति में। लेकिन इतना मैं विश्वास देता हूं कि चाहे पुलिस के आदमी हों, चाहे बाकी के आदमी हों, उन लोगों में किसी आदमी के साथ कोई रियायत नहीं की जाएगी। जो भी कानूनी अपराध बनता है उस अपराध की दृष्टि से उनको सजा मिलेगी।

यहां यूनिवर्सिटी का जिक्र आया। यूनिवर्सिटी का जिक्र आया और कहा कि यूनिवर्सिटी के अन्दर होस्टल्स में इस प्रकार की बातें हो रही हैं। मैंने दो दिन में सारे होस्टल्स के सम्बन्ध में जानकारी ली है कि होस्टल्स की व्यवस्था किस प्रकार की है। मुझे जानकारी मिली है कि एक मीणा छात्रावास है, उस मीणा छात्रावास में फर्स्ट क्लास स्टूडेंट ही प्रवेश ले सकते हैं बाकी किसी को प्रवेश नहीं दिया जा सकता है। यदि सदन की इच्छा है कि होस्टल्स के ऊपर निगरानी रखी जाए, होस्टल्स में इस प्रकार के व्यक्तियों को प्रवेश दिया जाए जो फर्स्ट क्लास स्टूडेंट हों तो मैं आज भी

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

आपकी बात मानने को तैयार हूं और यह कह सकता हूं कि भविष्य में जो होस्टल में एडमिशन होगा, जो स्टूडेंट्स फर्स्ट डिवीजन में पास होंगे या फर्स्ट डिवीजन के नहीं मिलते हैं तो मैरिट के आधार पर उनको एडमिशन दिया जाएगा। मैं ऐसा समझता हूं कि इसमें सदन का मुझे पूरी तरह से समर्थन प्राप्त है।

अध्यक्ष महोदय, इतना मैं निवेदन कर दूं कि मैंने परसों जिस समय यह घटना हुई उसके दूसरे दिन एक होस्टल को खाली करवाया बाकी के होस्टल्स के लिए वाइस चांसलर से चीफ सैक्रेटरी ने बात की और मैंने उनसे कहा कि होस्टल्स में कोई भर्ती आए जो आदमी प्रवेश नहीं लें, 5-5, 6-6 वर्ष से लोग बैठे रहें, फेल्योर्स उसमें बैठे रहें, थर्ड डिवीजनर्स बैठे रहें, होस्टल की सुविधा उन लोगों को नहीं मिलनी चाहिए इसलिए कोई मैरिट फार्मूला बना लें और उसी मैरिट फार्मूला के आधार पर अभी भी जो होस्टल में हैं उसकी स्क्रूटनी की जाए और उसमें जो भी हैं उन सबको निकाला जाए और बाकी के स्टूडेंट्स जो बहुत अच्छे हैं, होनहार स्टूडेंट्स हैं, जिनको होस्टल में जगह नहीं मिलती उनको उसमें प्रवेश दिलाया जाए।

दूसरी यहां चर्चा आई यूनिवर्सिटी की आटोनामी के बारे में। यहां एक क्वेश्चन खड़ा किया गया कि यूनिवर्सिटी के मामले में राज्य सरकार ने हस्तक्षेप क्यों नहीं किया? हमने हस्तक्षेप किया है। इस सदन में जब चर्चा हुई कि यूनिवर्सिटी में इस प्रकार के बंगलिंग चल रहे हैं, कभी और समय मौका आएगा तो यूनिवर्सिटी के सम्बन्ध में हमने क्या-क्या किया है, मैं आपको बताऊंगा लेकिन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर छुट्टी गये और उनकी जगह एक आई. ए. एस. आफिसर, बहुत ही अनुभवी रिटायर्ड आई. ए. एस. आफिसर को एडमिनिस्ट्रेटर बनाया और मुझे इस बात की खुशी है कि उन्होंने एज एन एडमिनिस्ट्रेटर इस यूनिवर्सिटी में काफी सुधार के काम किये हैं और मेरा विश्वास है कि आज जो सदन में यूनिवर्सिटी के बारे में चर्चा हुई है उस चर्चा की लाइट में यूनिवर्सिटी में और सुधार होंगे ताकि लोग पढ़ने वाले ही रहें, बाकी इस प्रकार के लोग नहीं रह सकें।

तीसरी बात मैं और कहना चाहता हूं। आज जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, मदेरणा साहब ने कहा कि बेकारों की संख्या बढ़ रही है, अब आज कहीं न कहीं आपको हायर एजूकेशन के बारे में निर्णय करना पड़ेगा कि क्या थर्ड डिवीजनर्स को हायर एजुकेशन के लिए यूनिवर्सिटी में और कालेज के अन्दर लें? यदि इसी प्रकार के एलीमेंट लेंगे जो हायर सैकण्डरी, सीनियर हायर सैकण्डरी में वह अच्छे मार्क्स से पास नहीं हुआ और फिर उसको एजूकेशन देने की व्यवस्था की जाए तो नान प्रोडेक्टिव होगी, अन प्रोडेक्टिव होगी और उसके कारण से समाज में किसी प्रकार का सुधार नहीं होगा। लेकिन एक हम निर्णय कर

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

लें कि यूनिवर्सिटी और कालेजेज में केवल प्रतिभावान छात्रों को मैरिट के आधार पर सलेक्ट किया जाएगा, एक झटका यहां से लगेगा तो प्राइमरी स्कूल से लेकर हायर सैकण्डरी स्कूल तक और हायर सैकण्डरी के बाद कालेज में लोग इस बात की कोशिश करेंगे हम फर्स्ट डिवीजन से पास हों, हम किसी भी प्रकार से मैरिट में लूज नहीं कर जाएं। नौकरी में भी वह मैरिट काम करेगी, समाज की व्यवस्थाओं में भी मैरिट काम करेगी और मेरा यह विश्वास है कि पढ़ने वाले प्रतिभावान छात्र इस प्रकार के अपराध से बचता है।

मैं कल ही की बात बता रहा हूं आपको। मुझे मालूम नहीं है, दो होस्टल्स को खाली कराने का नोटिस दिया, नोटिस दिया तो रात को लड़के मेरे पास आए कि हमारे होस्टल के अन्दर आप चलो और इस होस्टल में जाकर देख लो, एक लड़का ऐसा नहीं है, जो थर्ड डिवीजनर हो, हम सब पी. एच. डी. कर रहे हैं उसके हमारे कोर्सेज शुरू हो गये, एक्जामिनेशंस हमारे शुरू होने वाले हैं। लड़के मेरी जान पहचान के भी थे, मैंने एक-एक से पूछा कि ईमानदारी से बताओ कि आपके होस्टल में किस प्रकार के लड़के हैं। उन्होंने कहा, हम जितने खड़े हैं, हम सब डाक्टरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, रिसर्च वर्क में लगे हुए हैं, हमारा इस व्यवस्था से लेना-देना नहीं है। मैंने कहा, मैं आज तो खाली नहीं कराऊंगा लेकिन सबकी जांच करवाने के बाद अगर लड़के वास्तव में पी. एच.डी. कर रहे हैं, पढ़ना चाहते हैं, विद्वान होना चाहते हैं तो उन लोगों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी, लेकिन होस्टल्स मैं खाली कराऊंगा तो मैरिट का फार्मूला तय कर दूंगा और तय करने के बाद उस मैरिट के आधार पर जो प्रवेश ले सकते हैं, वह लेंगे।

आज के दो वर्ष पहले हमारे राजपूत बोर्डिंग हाउस में काफी झगड़े हुए और झगड़े हो गये तो जो लड़के रहते थे उनका तो नम्बर ही नहीं था और बाकी के लोग वहां पर अपना कब्जा करके बैठे थे, व्यवस्थापक मेरे पास आए कि हमारे हाथ की बात नहीं है। मैंने कहा, हाथ की बात आपके नहीं है, हाथ की बात तो मैं कर दूंगा लेकिन मुझे आपका सहयोग चाहिए, आप ही कल आकर यह कहो कि यह आदमी तो मेरा है और यह आदमी उसका है। दो दिन के अन्दर वहां पर व्यवस्था में परिवर्तन आया, व्यवस्था ठीक प्रकार से चली है। तो मैं इस सदन को यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि होस्टल के अन्दर अब मैरिट के आधार पर ही लोगों को प्रवेश मिलेगा और इस प्रवेश से सारी बीमारियां खतम होंगी।

मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं जो मैंने कहा कि मैरिट के आधार पर ही अगर हायर एजूकेशन के लिए हमने लोगों को चांस देने की बात की तो अच्छे नागरिक पैदा होंगे, मन में एक कम्पीटीशन की फीलिंग पैदा होगी, मैरिटोरियस स्टूडेंट्स बनने की उनको एक इच्छा पैदा होगी इसलिए इस व्यवस्था में भी

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

आपका समर्थन लेकर मैं शिक्षा मंत्रीजी को कहना चाहता हूं कि वह इस प्रकार की व्यवस्था करें कि जो बेकार इस प्रकार के स्टूडेंट्स केवल कालेज में जगह लेना चाहते हैं वे किसी प्रकार से जगह नहीं ले पाए।

श्रीमती कमला : मैरिट से ही होते हैं एडमिशन। बिना मैरिट तो एडमिशन नहीं होता है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, वह और सख्त कर देंगे कि बिना मैरिट के कालेज में कोई एडमिशन नहीं हो, मैरिट के आधार पर ही हों।

श्री अमराराम (धोद) : जयपुर में तो फर्स्ट डिवीजन वालों के भी नहीं हो रहे है। आप दिखवा लें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, ऐसी बात नहीं है। वह दिखवा लूंगा। फर्स्ट डिवीजन वाले भी मैरिट के आधार पर लेंगे। फर्स्ट डिवीजन से यदि कम नम्बर हैं तो वह अपने आप ही रह जाएगा, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। अध्यक्ष महोदय, अब मैं....

श्री शांतिकुमार धारीवाल : होस्टल की बात जो आपने फरमायी वह सिर्फ राजस्थान यूनिवर्सिटी के होस्टल्स के बाबत ही है या राजस्थान भर के सारे होस्टल्स के बाबत है ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं अभी बता रहा हूं। पूरे राजस्थान के लिए है यूनिवर्सिटीज् के लिए है, जिसमें कोटा भी शामिल है। मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि यह दो काम हमने कर लिये तो स्टूडेंटस के कारण स्टूडेंटस में जो वेंडेलिज्म आ रहा है उसको हम ठीक प्रकार से रोक पाएंगे।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि सारा यह जो वातावरण बना है, शिक्षा का स्तर, 40-50 वर्ष हो गये, मैं ऐसा समझता हूं कि शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन करने के लिए इस हिन्दुस्तान में जितने कमीशन बैठे हैं, न पुलिस के लिए कमीशन बैठे हैं, न एग्रीकल्चर के लिए कमीशन बैठे हैं, न बिजली के लिए कमीशन बैठे हैं, न ड्रिंकिंग वाटर और इरिगेशन के लिए कमीशन बैठे हैं, हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा कमीशन, शिक्षा में किस प्रकार से सुधार किया जाए इसके लिए बैठे हैं और मैं आज कह सकता हूं कि शिक्षा में रत्ती भर सुधार नहीं हुआ। रत्ती भर सुधार नहीं हुआ। जो मैकाले ने जो शिक्षा पद्धति चालू की थी कि हमें यूनिवर्सिटी और कालेजेज से केवल लैक्चरर्स नहीं, हमें वहां से क्लर्कस निकालने हैं वह क्लर्क्स की मनोभूमिका आज भी शिक्षा के क्षेत्र में चल रही है और जो पढ़ना चाहते हैं उनमें और जो नहीं पढ़ना चाहते हैं उनमें आपस में एक प्रकार का द्वंद्व चल रहा है।

जहां तक आप कानून और व्यवस्था की स्थिति बताते हैं, मैं इस सदन को यह विश्वास से कह सकता हूं कि सरकार

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

चाहे कांग्रेस पार्टी की हो, चाहे बी. जे पी. की हो, चाहे जनता दल की हो, कोई सरकार नहीं चाहती कि उनके राज में कानून-व्यवस्था खराब हो। उस व्यवस्था में सुधार करने के जितने प्रयत्न किये जाने हैं, किये जाते हैं। लेकिन हालत क्या है? अभी एक माननीय सदस्य बोल रहे थे कि पुलिस वालों को चाय पिलाते हैं। अपराधियों को चाय पिलाने से काम नहीं होगा अपराधियों को अपराधी की तरह से डील किया जाए।

मैं आज आपको बताता हूं इस सदन में कि पुलिस के पीछे ह्यूमन राइट्स कमीशन बना। आज कोई भी, किसी आदमी को बुलाकर यह भी कह दिया कि आप थाने में आकर यह बताओ कि अमुक घटना क्या है तो दूसरे दिन कम्पलेंट कर सकता है कि आपने बाकायदा सम्मन देकर मुझे बुलाया नहीं और थाने में बुलाया है उसकी रिपोर्ट ह्यूमन राइट्स कमीशन में जाएगी। किसी महिला के साथ कुछ बात हो जाए तो वूमेन कमीशन में जाएगी, किसी शिड्यूल्ड कास्ट के आदमी के साथ कुछ घटना हो जाए तो शिड्यूल्ड कास्ट कमीशन में जाएगा। यह कमीशंस इतने बन गये कि एक डुप्लीकेट आथोरिटी जहां आएगी, मैं आज आपको कहता हूं कि डुप्लीकेट आथोरिटी के अन्दर आप पुलिस वालों को सजा दें और सरकारी कर्मचारियों को सजा दें, सब कुछ करें, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन डुप्लीकेट आथोरिटी जहां बन गयी, जहां पावर आफ सेंटर्स अलग-अलग हो गये वहां लोगों में एक वहम भी पैदा होता है और वहम पैदा होता है खास तौर से पुलिस वालों में, उनको सब लोगों से डील करना पड़ता है, उनको डर यह लगता है कि हमने किसी को बुलाकर थाने में बैठा दिया तो क्या हालत होगी। कल उसने शिकायत कर दी और हाई कोर्ट में पब्लिक इण्टरेस्ट लग गयी तो हमारा कोई जवाब नहीं होगा। इसी दृष्टि से मैं कई दिनों से भारत सरकार से कहता आया हूं कि आप क्रिमिनल ला में अमेंडमेंट करिये। मैंने कई बार सुझाव भी दिये हैं। यह क्रिमिनल ला अभी जो हिन्दुस्तान में बना हुआ है, यह मैकाले का बना हुआ है। मैकाले का कानून आज हिन्दुस्तान में जो है उसी कानून के अन्दर चाहे आप ब्रिटेन में चले जाएं, कोई भी यूरोपियन कण्ट्री में चले जाएं, पुलिस का कांस्टेबल यदि किसी गाड़ी को पकड़कर कोर्ट में कह देता है कि मैंने पकड़ी, यह शराब पिये हुए था, वह मान लेंगे, लेकिन यहां पुलिस का बड़े से बड़ा भी अगर कोई स्टेटमेंट दे तो पुलिस का विश्वास कोर्ट्स नहीं करेगी, एविडेंस एक्ट में हमने इस प्रकार की व्यवस्था कर रखी है। क्रिमिनल प्रोसिजर कोड आज की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करता बल्कि आज की आवश्यकताओं के विपरीत उसका आचरण होता है। आज कानून जब इस प्रकार के बने हुए हैं तो अकेली पुलिस क्या करेगी और कानून के साथ आज अगर कोई बात हो अन्य प्रकार की और कोई पुलिस वाला कर ले तो आज उसकी शिकायत करने का मौका सब लोगों को मिला हुआ है। कोई

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

पब्लिक इण्टरेस्ट लिटिगेशन में जाएगा, कोई किसी कमीशन के पास जाएगा, कोई कहां जाएगा, कोई कहां नहीं जाएगा, उस आधार पर चिन्ता करनी चाहिए। आज मेरी जगह अगर परसरामजी बैठ जाएं तो कोई गारण्टी ले सकते हैं कि इस प्रकार का अपराध नहीं होगा ? या कोई गारण्टी यह ले सकते हैं कि...

श्री शांतिकुमार धारीवाल : कभी तो आएगी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप तो आ जाओगे, लेकिन मैं यूं आसानी से इधर आने नहीं देऊंगा।

मैं इतना ही निवेदन कर रहा हूं कि ऐसी स्थिति में इस सदन में, मैं समझता हूं, अगली बार जब पांच दिन अपन बैठें तो इन चीजों के ऊपर गहन अध्ययन करें और गहन अध्ययन करके राजस्थान विधान सभा की ओर से भारत सरकार और बाकी की विधान सभाओं को सुझाव दें कि केवल चर्चा करने से नहीं होगा, अपराधीकरण इस प्रकार से रुकेगा, क्रिमिनल ला में अमुक प्रकार के अमेंडमेंट होने चाहिये, यूनिवर्सिटी में इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए। प्रतिभावान छात्रों को मौका मिलने के लिए जो रद्दी एलीमेंट कालेजेज में आता है उससे छुट्टी लेनी चाहिए। ये सब प्रकार की बातें जब एक साथ होंगी तब जाकर, मैं समझता हूं, इस सारी व्यवस्था में हम कोई आमूलचूल परिवर्तन कर पाएंगे।

अध्यक्ष महोदय, यहां पर कुछ काण्ड के जिक्र किये गये। शिवानी काण्ड का जिक्र किया, मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता। यह सही है कि उस काण्ड की मुझे बड़ी वेदना हुई, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं आपको, मानें या नहीं मानें, मैं अपनी तरफ से कह सकता हूं, मेरे मंत्रिमंडल के साथियों की तरफ से कह सकता हूं और पुलिस के बड़े अफसरों के बल पर यह कह सकता हूं कि हमारा किसी अपराधी को बचाने का लक्ष्य कभी हो ही नहीं सकता। है भी नहीं और न हो सकता है। उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करता। यह सही है कि इन्वेस्टीगेशन गलत हो जाए, उस गलत इन्वेस्टीगेशन का लाभ मुल्जिम उठाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। इन्वेस्टीगेशन सही हो यह बात उचित है।

यहां कई माननीय सदस्यों ने प्रश्न उठाये कि उसको मोटर साइकिल पर बैठाकर क्यों ले गये ? उसको जीप में क्यों नहीं ले गये ? अब एक पुलिस अफसर का एक थिंकिंग हो सकता है। वह भी इन्सान है, वह भी पुलिस का एक कर्मचारी है, उसकी यह थिंकिंग हो सकती है कि मैं एफ. आई. आर. लिखने में टाइम लगाऊंगा तो हो सकता है मुल्जिम भाग जाए। एक बार जगह मुझे मालूम हो जाए तो मैं उसकी घेराबंदी करूं। कई कारण हो सकते हैं। लेकिन इसके पीछे यह कारण नहीं हो सकता कि उस अनुसंधान में कोई कमजोरी रखने की दृष्टि से किया गया।

मेरे पास टेलीफोन आया कि साहब, उस लड़की का मेडिकल एक्जामिनेशन हो

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

रहा है; यह बोर्ड बैठना चाहिए। मैं भी चाहता था कि बोर्ड बैठे ताकि कम से कम यह शिकायत नहीं हो कि एक डाक्टर ने पक्षपात करके कुछ लिख दिया। हमने मेडिकल बोर्ड उसका बिठा दिया, मेडिकल बोर्ड हो गया। अब मैं चाहता तो यह हूं कि और भी जो इस सम्बन्ध में जानकारियां मिलें, उन जानकारियों के आधार पर, चाहे आज की बात हो, चाहे पांच वर्ष पहले की बात हो, चाहे 10 वर्ष पहले की बात हो, सबका अनुसंधान बिलकुल निष्पक्ष रूप से किया जाएगा। लेकिन मैं शिवानी का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि शिवानी काण्ड में दो मुल्जिमों को हमने गिरफ्तार किया था और उस समय लगा कि इसको सी.बी.आई. में दे दिया जाए और देने के लिये कहा गया कि इसमें एक मंत्री का लड़का शामिल है। आप भी मंत्री बन सकते हैं, मैं भी मंत्री हूं, और भी बन सकते हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : हम तो वर्षों रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप तो वर्षों रहे हैं। आपके तो सौभाग्य से कोई लड़का नहीं हुआ। इसलिए आप तो निश्चित हैं। मैं इसलिए कह ...

श्री घनश्याम तिवाड़ी : जिनके कोई लड़का नहीं है वह सौभाग्यशाली है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आप रहे ना, आपका उनका एक ही मामला है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं तो सौभाग्यशाली हूं। मैं इस सदन में इतनी ही बात कहना चाहूंगा कि रोहिताश्व कुमार के लड़के का नाम लिया गया। मैंने पूछा रोहिताश्व जी से, रोहिताश्व जी के लड़के से बात की और लड़के से बात करके बाकी पुलिस का अनुसंधान देखा और देखने के बाद में विश्वास से कह सकता हूं कि लड़का उन तेजाब फेंकने वालों में नहीं है। लेकिन एक चर्चा चली कि रोहिताश्व जी के लड़के के कारण से अनुसधान नहीं हो रहा है। अब इस प्रकार से चर्चा चलाकर उस मामले को हाई कोर्ट ने सी. बी. आई. में दे दिया और आज मैं कहता हूं कि वह मामला सी. बी.आई. में नहीं जाता तो वह जो शिवानी का कांड हुआ था, इस कांड को लेकर इस प्रकार के अपराधियों के खिलाफ मैं सख्त कार्यवाही कर सकता था। लेकिन वह नहीं कर पाया। इसलिए नहीं कर पाया कि उस मामले में सी. बी. आई. अलग जांच कर रही है और मैं यदि बाकी के क्षेत्रों में प्रवेश करके उसको रोकने की कोशिश करूं उसका असर नहीं होगा। आज जब परसराम जी ने कहा, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी, लेकिन आपको निश्चित रूप से कह सकता हूं कि सी. बी. आई. में कोई विलायत से आए हुए नहीं हैं, कोई आसमान से आए हुए नहीं हैं। राजस्थान पुलिस के लोग भी सी. बी. आई. में हैं, अन्य राज्यों के लोग भी सी. बी. आई. में हैं। उनका इन्वेस्टीगेशन करने का तरीका और स्तर क्या है ? उस शिवानी कांड में आज तक चालान नहीं हुआ। मैं चालान नहीं करता तो खाते। कोई डिमांस्ट्रेशन होता, सब कुछ होता। यहां मेरे मुर्दाबाद के नारे

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

चलते, पुतले जलते, सब कुछ होता। आज कोई सी. बी. आई. में इन्वेस्टीगेशन चली गयी, सब यह समझते हैं कि अब तो धर्मराज जी आ गये, अब तो धर्मराज जी के पास अनुसंधान चला गया।

मैं आज इसी आधार पर विपक्ष के नेता से कहना चाहूंगा कि सी. बी. आई. में मामला चला गया तो सी. बी. आई. और राजस्थान की पुलिस अपराधियों के सम्बन्ध में एक ही तरह का व्यवहार करेगी लेकिन उसका फाल आउट बाकी की जगह पर होना चाहिए वह नहीं हो पाएगा और उससे हमको निश्चित रूप से नुकसान होगा।

यहां पर इस मामले में नाम ले लिया गया कि एक मंत्री का बेटा है, एक मंत्री का भतीजा है। अब बोलने वालों को यह पता नहीं कि बेटा है कि भतीजा है, लेकिन बोलना है। अब यह बोलने के कारण से असर क्या होता है? असर बहुत बुरा होता है। मंत्री का भतीजा शामिल है, इसलिए अपराधी नहीं पकड़े गये हैं। मैंने आपको कल भी कहा था कि यदि मंत्री दोषी हो तो उसको भी पकड़ने की मेरी हिम्मत है। मैं इस राज की चिन्ता नहीं करता। आप यह विश्वास रखकर चलिये कि मुख्य मंत्री का पद यह भाग्य से मिला है, जनता ने समर्थन दिया है और इस पद पर रहकर मैं किसी भी प्रकार का ऐसा पक्षपात नहीं कर सकता, ऐसी बात नहीं कर सकता जिससे मंत्री यह समझ ले या मंत्री के परिवार के लोग यह समझ लें कि हम तो मंत्री हैं और मंत्री के परिवार के लोग हैं, हमें किसी प्रकार की कोई चिन्ता नहीं है। मैं उस तरह का व्यक्ति हूं, इस विधान सभा में 50 वर्ष से, 40 वर्ष से बैठा हूं, मैंने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ सीखा है और मैं आपको कह सकता हूं कि आज राजस्थान में इस विधान सभा का कोई प्रोडक्ट है तो राजस्थान का मुख्य मंत्री है। यह मेरी खुद की काबलियत है, मैंने इस विधान सभा में यह सब कुछ सीखा है और सीखने के बाद में निष्ठापूर्वक काम करने की मेरी तीव्र इच्छा है। ज्ञानसिंह जी को रात को मैंने टेलीफोन किया। मुझे पहले मालूम हो गया था, रात को मिले नहीं, सुबह उनको बुलाया, मैंने कहा कि आपके भतीजे का नाम लिया जा रहा है तो कहने लगे कि भतीजे को नाम अब लें तो दूसरी बात है। मेरे और मेरे छोटे भाई के आपस में सामाजिक सम्बन्ध भी नहीं हैं। भाई है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन कोई सामाजिक संस्कारों में हम शामिल नहीं होते हैं, मेरे छोटे भाई का जंवाई मेरे खिलाफ चुनाव लड़ा है, पहले को-आपरेटिव का चुनाव लड़ा, पंचायत का चुनाव लड़ा है। आज उस लड़के ने कोई गड़बड़ कर दी और आप यह नाम लेवें कि मंत्री का भतीजा, मंत्री का भतीजा तो आप यह मत समझो कि आप इनको गाली दे रहे हैं, आप यह मत समझो कि आप इस सरकार को गाली दे रहे हैं, मंत्री का भतीजा और यह सब बातें आने लग गयीं तो कोई आदमी अपने गिरहबान में देख लें, किसी न किसी परिवार का आदमी किसी न किसी मामले में दोषी पाया जाएगा और पाया जाएगा तो

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

निश्चित रूप से उस समय जो कोई बोलेगा तो उनको दर्द होगा। इसलिए इस प्रास्पेक्ट के आधार पर जब भी आप आरोप लगाएं, यदि तथ्यपूर्ण आरोप हों तो निश्चित रूप से कहें, मुझे उसमें कोई गुरेज नहीं होगा, लेकिन अंदाज के आधार पर आप मंत्री को और किसी विधायक को दोषी बताते जाए, यह किसी भी प्रकार से उचित नहीं होगा। यह मैंने इसलिए बात कही है।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूं, अभी जिक्र किया जनसंख्या का यह बिलकुल सही है, मदेरणा साहब, हिन्दुस्तान में चाहे अपन कितनी ही व्यवस्था कर लें, कितना ही डवलपमेंट पर रुपया खर्च कर लें, कितने ही स्कूल और कालेज खुलवा दें, कितनी ही सड़कें बना लें, कितने ही बिजली घर बना लें, इस पापुलेशन पर नियंत्रण नहीं हुआ तो सब चीजें न्युट्रलाइज हो जाएंगी। मैं तो कई जगह गांवों में जाता हूं। पिछले वर्षों में स्कूल खोला और संयोग से इस बार चला गया तो प्राइमरी स्कूल वाले कहते हैं कि हमारा तो मिडल स्कूल किया जाए। मैंने कहा लड़कों की संख्या कितनी है? जिस समय प्राइमरी स्कूल खोला उससे दुगुनी है। मैं भी माथा ठोकता हूं कि इस प्रकार से जनसंख्या बढ़ती गयी तो कहां तक मैं स्कूल खोलूंगा, कहां तक दवाखाना खोलूंगा। यह एक समस्या है और इस समस्या का समाधान करने के लिए हमने भारत सरकार से भी निवेदन किया है कि कुछ इन्सेन्टिव, डिसइन्सेन्टिव इस प्रकार से किये जाए जिससे और पापुलेशन नहीं बढ़े, हम इसको कण्ट्रोल कर सकें।

आज चाहे दाऊद इब्राहिम कोई बम फेंके चाहे पाकिस्तान वाले कोई बम फेंके, हिन्दुस्तान के अन्दर तो पापुलेशन का एक्सप्लोसिव ऐसा होने वाला है कि समाज अगर नहीं संभला और सरकारें नहीं संभलीं तो उस एक्सप्लोसिव से बचने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। हम सब दबेंगे और सब इसी प्रकार की स्थिति में आ जाएंगे। आज ये मूल बातें हैं जिन मूल बातों के आधार पर हमें कुछ न कुछ चिंता करनी चाहिए।

यहां पर यह भी कहा गया कि देह व्यापार राजस्थान में बहुत होता है, देह शोषण राजस्थान में बहुत हो रहा है। मैं पूरे आंकड़ों सहित तो जिस समय ला एण्ड आर्डर पर सरकार जवाब देगी उस समय बताऊंगा लेकिन मैं एक बात बता देऊं....

श्री विष्णु मोदी : एक नम्बर पर है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्या है? कौनसी?

श्री विष्णु मोदी : राजस्थान की बात कर रहा हूं। एक नम्बर पर है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, नहीं; मैं सबकी गिनती करूं तो शायद पहले नम्बर पर आ जाएं। मैं सबकी गिनती

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

नहीं कर रहा हूं। लेकिन मैं आपको इतना""(व्यवधान) मैं इतना ही निवेदन कर दूं कि राजस्थान की कानून-व्यवस्था अन्य राज्यों की तुलना में आप देखें। मैं यह नहीं कहता कि जो 1947 में स्थिति थी वही आज स्थिति है। मैं नहीं कहता कि 1957 में अच्छी स्थिति थी वह आज भी है। मैं नहीं कहता कि 1962 में जितनी थी वह आज भी है। शनैः-शनैः डिटेरियोरेशन आया है, लेकिन डिटेरियोरेशन के उपरान्त भी मैं आपको यह विश्वास से कह सकता हूं, चाहे आंकड़ों के आधार पर ले लें, आल इंडिया कान्फ्रेंसेज में जो सारा विश्लेषण किया गया, उस विश्लेषण के आधार पर ले लें, हिन्दुस्तान में राजस्थान में ला एण्ड आर्डर की स्थिति अन्य राज्यों के मुकाबले में बहुत बढ़िया है। हमारे सामने एक प्राब्लम आ रही है कि राजस्थान के नागरिकों को तो हम डील कर ही रहे हैं, यह बाहर के अपराधी भी आ रहे हैं। बाहर के इतने अपराधी आ गये। अब जनता के सहयोग के लिए एक छोटी-सी बात कहता हूं। यहां मुझे नाम

(19.00)

नहीं बताना है। एक परिवार में रात में कुछ डकैत घुस गए, एक महिला को छुरा लगा है, सब कुछ किया है, मैं भी गया। जाकर के मैंने उनकी सारी स्थिति देखी। देखने के बाद में कम से कम मुझे यह अंदाज हो गया कि इस मकान में जो भी सर्वेन्ट था वह सर्वेन्ट के सहयोग के बिना यह मामला नहीं हो सकता। वह भी फरार हो गया। फरार होने के बाद में मैंने जनता से अपील की कि आप कोई भी डोमेस्टिक सर्वेन्ट रखें, मैं नहीं कहता कि आप उसका रजिस्ट्रेशन कराएं लेकिन आप नाम लिखकर भेज दें, कहां का है, वह लिखकर भेज दें, पुलिस वाले तस्दीक कर लें। आप रखिए, तस्दीक करने से वह अनुचित आदमी पाया जाता है, पुलिस वाले डील करेंगे। लेकिन आज कोई यह लिखकर देने को तैयार नहीं। इसलिए नहीं कि जहां दो हजार रुपए में एक डोमेस्टिक सर्वेन्ट मिले, वे इस प्रकार के अपराधी दो सौ रुपए में डोमेस्टिक सर्वेन्ट के रूप में काम करने को तैयार हो जाते हैं। सब काम करते हैं, बैल की तरह से काम करते हैं, उस परिवार का कांफिडेंस सीक कर लेते हैं और कांफिडेंस के बाद में जब भी मौका आया, कोई न कोई चोरी करके चले गये।

अभी भीलवाड़ा के माननीय सदस्य बैठे हैं, भीलवाड़ा में कई डकैतियां हुईं, कई हत्याएं हुईं, बाहर के लोग आए, गैंग के गैंग पकड़े गए, बाहर वालों के। अब कहीं बिहार से पकड़ कर ला रहे हैं, कहीं यू. पी. से पकड़ कर ला रहे हैं, दिल्ली से पकड़ कर ला रहे हैं। वह कच्छा वाले, जिनको कहते हैं, बनियान-कच्छा वाले, वह आन्ध्र प्रदेश से आते हैं और आन्ध्र प्रदेश से आकर अपराध करके चले जाते हैं। आप यदि अपराधों का सही विश्लेषण करें तो मैं राजस्थान की पब्लिक को इस बात के लिए क्रेडिट देना चाहूंगा कि राजस्थान में अपराध कम होते जा रहे हैं और यह बाहर

235

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

के अपराधी राजस्थान को परेशान कर रहे हैं लेकिन इनको डील करने की भी ताकत हम में है, डील करेंगे। बाहर से जितने लोगों को पकड़ कर लाए हैं, मैं तीन घटनाओं का जिक्र कर देना चाहता हूं। सवाई मानसिंह स्टेडियम में बम काण्ड हुआ, आपको मालूम है, कितने लोगों की जान को एक प्रकार का खतरा उत्पन्न हो गया। समलेटी बमकाण्ड हुआ, मैं पुलिस की प्रशंसा किये बिना नहीं रह सकता कि कश्मीर में एक व्यक्ति को पकड़कर धीरे-धीरे उसके जरिए से इस मामले को खोला और अंत में असली अपराधियों को दोनों मामलों में पकड़ कर अपने कब्जे में ले लिया। आज इस बात के लिए भी पुलिस की प्रशंसा करनी पड़ेगी कि राजेन्द्र मिर्धा अपहरण कांड का एक अभियुक्त अमेरिका चला गया, अमेरिका में उसको पकड़ा और पकड़ने के बाद हिन्दुस्तान में यह पहला एक्सट्रेडिशन का केस होगा जहां कागज भेजे और उस आधार पर मजिस्ट्रेट ने इसका एक्सट्रेडिशन कर दिया और आज वह अदालत में पड़ा है।

इसी के साथ पुलिस ने कोई कमी छोड़ी हो, यह मैं नहीं मानता। हो सकता है चोरी हुई हो, चोरी बरामद नहीं हुई हो। यह भी हो सकता है कि हुआ हो और मुल्जिम नहीं न पकड़ा गया हो। यह भी हो सकता है कि मर्डर हुआ हो और मर्डरर नहीं पकड़ा गया हो। लेकिन मैं आपको यह कह सकता हूं कि मर्डर खुले, रेप खुले, इस सम्बन्ध में जितनी कोशिश की जाए उसमें किसी प्रकार की कसर नहीं छोड़ी जाती।

अभी टण्डन का जिक्र किया गया डी. आई. जी. को गिरफ्तार करना चाहते हैं लेकिन डी. आई. जी. इस देश में ही नहीं हो और विदेश चला जाए, डी. आई. जी. के बारे में कुछ पता नहीं लगे लेकिन जिस दिन डी. आई. जी. मिलेगा उस दिन जेलखाने में ही जाएगा, इस डी. आई. जी. की रियायत करने वाला इस पुलिस में कोई आदमी नहीं है।

इसी प्रकार से कई अपराधी हैं जो बचे हुए हैं, पकड़ में नहीं आते हैं। पकड़ में नहीं आते हैं तो वह कितने दिन तक पकड़ में नहीं आएंगे और इसी प्रकार से इस काण्ड के जो अपराधी हैं वह अंतरिक्ष में तो जा नहीं सकते, पाताल में नहीं जा सकते, धरती पर रहेंगे और आपको विश्वास देता हूं निश्चित रूप से इनकी गिरफ्तारियां होंगी, निश्चित रूप से इनका चालान होगा, निश्चित रूप से इनको हर प्रकार की जो भी सजा हो सकती है, वह सजा होगी, इसमें किसी प्रकार का संदेह करने की आवश्यकता नहीं है।

मैं इन्हीं शब्दों के साथ माननीय सदस्यों ने जो भावनाएं व्यक्त की हैं उन भावनाओं में अपने आपको शामिल करते हुए। इतना राजस्थान की जनता को इस सदन के माध्यम से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यह राजस्थान अपराधियों की रंगस्थली नहीं हो सकता, यह राजस्थान अपराधियों की गिरफ्तारी का माध्यम बन सकता है।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

कोई भी बड़ा आदमी या छोटा आदमी किसी प्रकार का अपराध कर ले, वह बच-कर नहीं जाएगा, न बचकर जाने की उसको इजाजत दी जाएगी। हम सब मिलकर इस बात की कोशिश करें कि हमारे राजस्थान की बदनामी इस रूप में नहीं हो कि यहां कानून और व्यवस्था ठीक नहीं है। आज मैं आपको कहता हूं कि हिन्दुस्तान में कानून और व्यवस्था दूसरे राज्यों में जो बिगड़ी हुई है उससे डरकर लोग राजस्थान में आना चाहते हैं। राज-स्थान में काफी संख्या में आए हैं, आ रहे हैं। यदि हम सामूहिक रूप से एक बात कहते जाएं कि राजस्थान में कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ गयी तो बहुत समस्याएं अपने लिए खड़ी होंगी। मैं आज भी विश्वास के साथ कह सकता हूं, आप चाहे आंकड़े विधान सभा में देखें, चाहे बाहर देखें, मैं आंकड़ों से सिद्ध कर सकता हूं कि कितने मामलों में बरामदगी हुई, उसमें हमारा पर्सेन्टेज क्या है? कितने मामलों में चालान हुआ उसमें हमारा पर्सेन्टेज कितना है, कितने मामलों में केस रजिस्टर किए गये उनमें झूठे कितने पाए गए। वे सारे आंकड़े हैं, वह जिस दिन दूसरे विषय पर डिबेट होगी उस समय चर्चा कर दी जाएगी।

मैं आज सदन को यह विश्वास देता हूं कि इस मामले में जितनी भी कार्यवाही की जा सकती है, उस कार्यवाही में निष्पक्ष भाव से, यह नहीं होगा कि यह अमुक आदमी है और यह अमुक नहीं है, उसके सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, अपराधियों को पकड़ा जाएगा और राजस्थान में जो यह घटना हुई है यह घटना इस प्रकार से तफतीश की जाएगी कि भविष्य में अपराध करने वाला व्यक्ति डरे, समाज के ऊपर उसका असर पड़े और राजस्थान की प्रतिष्ठा बढ़ी हुई है, वह प्रतिष्ठा बढ़ी रहे। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़): ला एण्ड आर्डर के ऊपर कब डिबेट रखने का विचार है?

श्री भैरोंसिंह शेखावत: बिजनेस एड-वाइजरी कमेटी की मीटिंग में तय कर लेंगे।

अनुपस्थिति के लिए अनुमति

श्री गुलाबसिंह शक्तावत एवं श्री नरेन्द्र सिंह भाटी, सदस्य को दिनांक 8 सितम्बर, 97 से समाप्त तक विधान सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति

श्री अध्यक्ष: मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि श्री गुलाबसिंह शक्ता-वत, सदस्य, विधान सभा ने शारीरिक अस्वस्थता के कारण दिनांक 8 सितम्बर, 1997 से समाप्त तक सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति चाही है। क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की जाए?

(श्री अध्यक्ष)

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गयी।

श्रीमान् नरेन्द्रसिंहजी भाटी ने भी इसी तरीके से एक प्रार्थना पत्र दिया है। क्या सदन की अनुमति है ?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गयी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : और कोई भी हैं तो पूछ लें।

श्री अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 10 सितम्बर, 1997 के मध्यान्ह पूर्व 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही 19.07 बजे बुधवार, दिनांक 10 सितम्बर, 1997 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

परिशिष्ट-1

तारांकित प्रश्न संख्या 24 की सूची

ग्राम खपरिया, तहसील आमेर, जिला जयपुर के गैर खातेदार की सूची

क्र.सं.	नाम गैर खातेदार मय व्यक्तिगत कोम्मियत सकनत	खसरा नम्बर	क्षेत्रफल बीघा	क्षेत्रफल बिस्वा	किस्म भूमि	प्रावंटन तिथि
1	2	3	4	5	6	7
1.	गंगू गुडा, बंशी पि.चन्द्रा बलाई सा.देह गैर खातेदार	92	0	5	बारानी	18.2.72
2.	गोखली बेवा मूना बलाई सा.देह गैर खातेदार	221/2/1	2	15	बंजड़ पूला	12.6.81
3.	गुल्ली बेवा नारायण बलाई सा. देह गैर खातेदार	221/1/6	6	08	बारानी 2	10.5.73
4.	मांगू पुत्र लालाराम बलाई सा. देह गैर खातेदार	221/1/4	12	03	बारानी 2	,,

1	2	3	4	5	6	7
5.	रामला पुत्र मंगला बलाई सा. देह गैर खातेदार	221/1/7	5	00	बारानी 2	10-5-73
6.	सेवा पुत्र भूथा बलाई सा. देह गैर खातेदार	221/1/5	5	00	,,	,,
7.	सोहन पुत्र खांगा बलाई सा.देह गैर खातेदार	221/1/2	5	00	,,	,,
8.	बिरदी चन्द पुत्र खांगाराम बलाई सा.देह गैर खातेदार	221/	5	00	बारानी	,,
		योगः—	41	03		

ह.
तहसीलदार, आमेर ।

239

परिशिष्ट-2

तारांकित प्रश्न संख्या 25 का विवरण

क्र.सं.	स्वयं सेवी संस्था	स्वीकृति वर्ष	छात्रा संख्या		स्वीकृत राशि
1	2	3	4		5
1.	चेतना आरोग्य मंदिर एवं समाज सेवा समिति, पानरवा तहसील झाड़ोल जिला-उदयपुर	1994-95	30	1994-95 1995-96 1996-97	4,84,450/- 78,303/- —
					5,62,753/-
2.	राजस्थान बाल कल्याण समिति झाड़ोल, जिला उदयपुर	1995-96	30	1995-96 1996-97	5,89,950/- 2,45,683/-
					8,35,633/-

1	2	3	4		5
3.	अरावली वालिंटियर्स सोसायटी मुख्य कार्यालय खैरवाड़ा जिला-उदयपुर प्रस्तावित-प्रभावी संचालित-खैरवाड़ा।	1994-95	30	1994-95 1995-96	4,84,450/- 89,800/-
					5,74,250/-

परिशिष्ट–3

तारांकित प्रश्न संख्या 27 की सूची एवं विवरण

जिला – नागौर

क.सं.	पशु चिकित्सालय/औषधालय का नाम		तहसील	पंचायत समिति	नगरपालिका	विधान सभा क्षेत्र
1	2		3	4	5	6
1.	पशु चिकित्सालय,	नागौर	नागौर	नागौर	नागौर	नागौर
2.	" "	ग्रलाय	"	"	—	"
3.	" "	श्री बालाजी	"	"	—	"
4.	" "	गुढा भगवानदास	"	"	—	"
5.	" "	खिवसर	"	मूण्डवा	—	"
6.	" "	कुचेरा	"	"	कुचेरा	मूण्डवा

1	2		3	4	5	6
7.	पशु चिकित्सालय,	पांचोड़ी	नागौर	मूण्डवा	कुचेरा	नागौर
8.	,, ,,	खजवाना	,,	,,	—	मूण्डवा
9.	,, ,,	मूण्डवा	,,	,,	मूण्डवा	,,
10.	,, ,,	बासनी	,,	नागौर	—	,,
11.	,, ,,	मेड़तासिटी	मेड़तासिटी	मेड़तासिटी	मेड़तासिटी	मेड़तासिटी
12.	,, ,,	रेण	,,	,,	—	,,
13.	,, ,,	गोटन	,,	,,	—	मूण्डवा
14.	,, ,,	रियाबड़ी	,,	रियाबड़ी	—	मेड़तासिटी
15.	,, ,,	थावला	डेगाना	,,	—	डेगाना
16.	,, ,,	ईडवा	,,	डेगाना	—	,,
17.	,, ,,	सांजू	,,	,,	—	,,

243

1	2	3	4	5	6	7
18.	पशु चिकित्सालय,	हरसौर	डेगाना	डेगाना	मेड़तासिटी	डेगाना
19.	,, ,,	अलनियावास	,,	रियाबड़ी	—	,,
20.	,, ,,	डेगाना	,,	डेगाना	—	,,
21.	,, ,,	खुड़ीकलां	,,	,,	—	,,
22.	,, ,,	पालड़ीकलां	,,	,,	—	,,
23.	,, ,,	पुन्दलोता	,,	,,	—	,,
24.	,, ,,	जायल	जायल	जायल	—	जायल
25.	,, ,,	बड़ीखांटू	,,	,,	—	,,
26.	,, ,,	डेह	,,	,,	—	,,
27.	,, ,,	कारलू	नागौर	मूण्डवा	—	मूण्डवा
28.	,, ,,	सखगास	,,	,,	—	,,

1	2		3	4	5	6
29.	पशु चिकित्सालय,	फलोदी(मेड़तारोड)	मेड़तासिटी	मेड़तासिटी	—	मूण्डवा
30.	,, ,,	गगराना	,,	,,	—	मेड़ता
1.	पशु औषधालय,	करणु	नागौर	नागौर	—	नागौर
2.	,, ,,	कुड़छी	,,	मूण्डवा	—	,,
3.	,, ,,	माणकपुर	,,	,,	—	मूण्डवा
4.	,, ,,	गठीलासर	,,	नागौर	—	नागौर
5.	,, ,,	बगड़	मेड़तासिटी	रियावड़ी	—	मेड़तासिटी
6.	,, ,,	छापरी	,,	मेड़ता	—	मूण्डवा
7.	,, ,,	जालसूनानक	डेगाना	डेगाना	—	डेगाना
8.	,, ,,	झाड़ेली	जायल	जायल	—	जायल

जिला--कुचामनसिटी

क.सं.	पशु चिकित्सालय/औषधालय का नाम	तहसील	पंचायत समिति	नगरपालिका	विधान सभा क्षेत्र
1	2	3	4	5	6
1.	पशु चिकित्सालय, कुचामनसिटी	नावां	कुचामनसिटी	कुचामनसिटी	नावां
2.	,, ,, नावां	,,	,,	नावां	,,
3.	,, ,, मारोठ	,,	,,	....	,,
4.	,, ,, लिचाना	,,	,,	....	,,
5.	,, ,, मोहराना	,,	,,	....	,,
6.	,, ,, नालोट	,,	,,	....	,,
7.	,, ,, पांचवां	,,	,,	....	,,
8.	,, ,, मिठड़ी/नावां	,,	,,	....	मकराना
9.	,, ,, मकराना	परबतसर	मकराना	मकराना	मकराना

1	2	3	4	5	6
10.	पशु चिकित्सालय, बोरावड़	परबतसर	मकराना	मकराना	मकराना
11.	,, ,, गच्छीपुरा	,,	,,	....	परबतसर
12:	,, ,, भादवा	,,	परबतसर	....	,,
13.	,, ,, परबतसर	,,	,,	....	,,
14.	,, ,, मंकरी	,,	,,	....	,,
15.	,, ,, पीलवा	,,	,,	....	,,
16.	,, ,, जावला	,,	,,	....	,,
17.	,, ,, पीह	,,	,,	....	,,
18.	,, ,, डीडवाना	डीडवाना	डीडवाना	डीडवाना	डीडवाना
19.	,, ,, मौलासर	,,	,,	....	,,
20.	,, ,, निमोद	,,	,,	....	,,

1	2	3	4	5	6
21.	पशु चिकित्सालय, खुनखुना	डीडवाना	डीडवाना	....	डीडवाना
22.	,, ,, छोटीखाटू	,,	,,	....	,,
23.	,, ,, लाडनूं	लाडनूं	लाडनूं	लाडनूं	लाडनूं
24.	,, ,, सिलगवाद	,,	,,	....	,,
25.	,, ,, निम्बीजोधा	,,	,,	....	,,
26.	,, ,, मिठड़ी/लाडनूं	,,	,,	....	,,
27.	,, ,, रताऊ	,,	,,	....	,,
28.	,, ,, रोडू	,,	,,	....	,,
1.	पशु औषधालय, देवलीकलां	नावां	कुचामनसिटी	....	नावां
2.	,, ,, घाटंवा	,,	,,	....	,,
3.	,, ,, जिलिया	,,	,,	—	,,
4.	,, ,, तोषीना	डीडवाना	डीडवाना	—	डीडवाना

विभाग द्वारा खोले जाने वाली नई पशु चिकित्सा संस्था के लिऐ निम्न-लिखित बातों का ध्यान रखा जाता है:—

1. जिले एवं तहसीलों में उपलब्ध पशु संख्या (गोवंश इकाइयां)

2. पूर्व में कार्यरत एवं भविष्य में सम्भावित स्थापित किये जाने वाले पशु चिकित्सालय/औषधालयों की आपस में कम से कम 10 से 16 किलोमीटर की दूरी।

3. मरु क्षेत्र में गांवों की दूरी एवं आबादी वाले क्षेत्रों को ध्यान में रख कर स्थान चयन किया जाता है।

4. ग्रामीण क्षेत्रों में स्थान चयन हेतु भवन, डाक, आवागमन के साधन आदि न्यूनतम सुविधाओं एवं जनसंख्या का ध्यान रखा जाता है।

5. बड़े शहरों में प्रत्येक 60 हजार की आबादी पर एक पशु चिकित्सा संस्था उपलब्ध कराने का लक्ष्य ध्यान में रखा गया है।

6. जिले की पशु संख्या मुख्य आधार है।

परिशिष्ट-4

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर

विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ (अलवर) के ग्रामों का विद्युतीकरण

30. श्री कुबेर लाल (रामगढ़) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ (अलवर) में वर्ष 1996-97 एवं 1997-98 में कुछ ग्राम/ढाणियों का विद्युतीकरण करने के लिए स्वीकृति प्रदान की गयी है ? यदि हां, तो यह स्वीकृति किन-किन ग्रामों/ढाणियों हेतु कब-कब दी गयी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उपरोक्त ग्रामों/ढाणियों का विद्युतीकरण करने के लिए अब तक क्या कार्यवाही की जा चुकी है और कब तक इन स्थानों को विद्युतीकृत कर दिया जायेगा ?

(3) क्या यह भी सही है कि अभी तक इन ग्रामों/ढाणियों को विद्युतीकृत करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गयी है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ (अलवर) के सभी गांव विद्युतीकृत घोषित हैं। उक्त क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले विद्युतीकृत घोषित ग्रामों में से 21 ग्रामों की 35 ढाणियों को मार्च, 96 एवं मार्च, 97 में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा विद्युतीकरण हेतु स्वीकृति दी गई है, जिसका विवरण परिशिष्ट "अ" में सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) उपरोक्त बिन्दु एक में वर्णित 35 ढाणियों में से 3 ढाणियों को विद्युतीकृत घोषित किया जा चुका है। शेष/ढाणियों का विद्युतीकरण कार्य उपलब्ध वित्तीय प्रावधान व संसाधनों के अनुरूप शनैः-शनैः ही किया जाना संभव हो सकेगा।

(3) जी नहीं। उक्त वर्णित ढाणियों में से तीन ढाणियों का विद्युतीकरण किया जा चुका है तथा शेष विद्युतीकरण कार्य मांग आने पर आगामी वर्षों में विद्युतीकरण की नीति, आवंटित वित्त एवं वार्षिक लक्ष्यों के अनुरूप ही किया जाना संभव हो सकेगा।

विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ में वर्ष 1996-97 व 1997-98 में विद्युतीकरण हेतु स्वीकृत गांव/ढाणियों की सूची

क्र. सं.	गांव का नाम	गांव के अन्तर्गत ढाणियों के नाम	विद्युतीकरण की स्थिति
1.	2.	3.	4.
1.	मूनपुर करमाला	1. करमाला का बास	अविद्युतीकृत
		2. घोसी का बास	"
		3. मूनपुर बास	"
2.	अलावपुर	1. सेख्या बास	"
3.	रसगान	1. नख्या बास	"
		2. हुरिया बास	"
4.	गोलकी	1. मेवों का बास (उसमान बास)	"
			"
5.	शेरपुर	1. नारथला	"
		2. हरिजन बस्ती	"
6.	नौगांवों	1. भाचमान बास	"
7.	शेखपुर	1. मेवा बास	"
		2. रणवीर बास	"
8.	नौधव	1. ताज खां का बास	"
		2. मेदु का बास	"

1.	2.	3.	4.
9.	धोली	1. बुला का बास	अविद्युतीकृत
10.	मुकन्दबास	1. फूलसिंह का बास	”
		2. मीरासी का बास	”
11.	कोटाखुर्द	1. मनु का बास	”
		2. चुन्नी का बास	”
12.	चोरोटी इस्तमुरार	1. स्वामियों का बास	”
		2. मालों का बास	”
13.	नसोपुर	1. नसोपुर का बास	”
14.	तिसमर	1. हरिजन बस्ती	”
15.	मोहनबपुरा	1. हरिजनों का बास (मेघवालबास)	”

तहसील लक्ष्मणगढ़

1.	गोविन्दगढ़	1. मैदों की ढाणी	विद्युतीकृत
		2. मीणों का बास	अविद्युतीकृत
		3. बाजियों की ढाणी	”
2.	राम बास	1. सेवाराम की ढाणी	अविद्युतीकृत
		2. कृष्णा की ढाणी	”
		3. सेव की ढाणी	विद्युतीकृत

1.	2.	3.	4.
3.	ईटंका	1. मिठू का बास	अविद्युतीकृत
4.	नसवारी	1. बेंरवा की ढाणी	विद्युतीकृत
5.	मालपुर	1. मालियों की ढाणी	अविद्युतीकृत
6.	खरसन की	1. इस्माईल की ढाणी 2. मदी खां की ढाणी	"

औषधालयों में औषधि वितरण के मानदण्ड

31. श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) वर्ष 1997-98 में आयुर्वेदिक औषधालयों हेतु दवाइयों का कितना बजट प्रावधान रखा गया है ?

(2) सरकार द्वारा अब तक कितनी धनराशि की दवाइयां खरीद कर औषधालयों में भिजवा दी गई हैं ?

(3) क्या राज्य के सभी आयुर्वेदिक औषधालयों में दवाइयां समान रूप से वितरित की जाती है ? राज्य के प्रत्येक औषधालय में दवाइयां भेजने का क्या मानदण्ड है ?

(4) सरकार द्वारा राजकीय आयुर्वेदिक औषधालयों में कौन-कौन सी दवाइयां भेजी जाती हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या आयुर्वेदिक औषधालयों में उपलब्ध दवाइयों का विवरण सूचना पट्ट पर रखा जाता है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) वर्ष 1997-98 में विभागीय औषधालयों को औषधियों हेतु निम्नानुसार बजट स्वीकृत है:—

आयुर्वेद औषधालय हेतु	207.62 लाख रु.
होम्यो. औषधालय हेतु	24.00 लाख रु.
यूनानी औषधालय हेतु	9.60 लाख रु.
कुल	241.22 लाख रु.

(2) विभाग द्वारा आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषधालयों हेतु निर्मित औषधियां क्रय नहीं की जाती है, वरन कच्ची औषधियां/जड़ी बूटियां क्रय करके विभागीय रसायनशालाओं में आयुर्वेद औषधियां निर्मित की जाकर भेजी जाती है।

होमियोपैथी की निर्मित औषधियां क्रय कर वितरित की जाती है। वर्ष 97-98 में 20 अगस्त, 97 तक विभागीय औषधालयों को निम्नानुसार औषधि वितरित की गई—

1. आयुर्वेद औषधालयों को-95.35 लाख रु.

2. होम्यो. औषधालयों को-6.16 लाख रु.

3. यूनानी औषधालयों को-7.27 लाख रु.

योग 108.78 लाख रु.

(3) जी, हां। विभागीय आयुर्वेदिक औषधालयों को निम्न मापदण्ड के आधार पर औषधालयों के मांग पत्र एवं रसायनशालाओं में उपलब्ध

(राज्य मंत्री, आयुर्वेद)

निर्मित आयुर्वेदिक औषधियों की मात्रा को ध्यान में रखते हुए वितरित की जाती है-

अंतरंग विभाग हेतु-रु. 6.00 प्रतिदिन प्रतिरोगी।

बहिरंग विभाग हेतु-रु. 2.00 प्रतिदिन प्रतिरोगी।

(4) विभागीय आयुर्वेदिक औषधालयों को वितरित की गई औषधियों की सूची परिशिष्ट "क" सदन की मेज पर रख दी गई है।

(5) उपलब्ध औषधियों का विवरण सूचना पट्ट पर रखने का कोई प्रावधान नहीं है।

आयुर्वेद औषधियों की सूची जो वर्ष 1997-98 में आयुर्वेद औषधालयों को वितरित की गई

क्र. सं.	नाम औषधि	क्र. सं.	नाम औषधि
1.	तिन्दुक वटी	16.	स्मृति वर्धक योग
2.	कर्पूरधारा	17.	पुष्टिकर चूर्ण
3.	विषम ज्वरारि वटी	18.	वायुनाशक तेल
4.	च्यवनप्राश	19.	विषम ज्वरारि धूप
5.	आनन्द भैरव रस	20.	रस माणिक्य
6.	निशा तेल	21.	वेदना नाशक
7.	अर्क वटी	22.	अर्क विशुचिकान्तक
8.	अपराजित धूप	23.	कर्पूर रस
9.	शुद्ध गंधक	24.	लवंगादि वटी
10.	आरोग्य वर्धनी	25.	क्षारसूत्र
11.	करंजादि वटी	26.	गोजिह्वादि क्वाथ
12.	हरित की चूर्ण	27.	जात्यादि तेल
13.	नेत्र बिन्दु	28.	श्वास कुठार रस
14.	उदावर्तहर चूर्ण	29.	अमर सुन्दरी वटी
15.	बिल्वगिरी चूर्ण	30.	द्राक्षावलेह

क. सं.	नाम औषधि
31.	संजीवनी
32.	मरिच्यादि वटी
33.	शोथहर क्वाथ चूर्ण
34.	वेदना हर तेल
35.	द्रुव्य लेप
36.	आमल की चूर्ण
37.	तालिसादि चूर्ण
38.	लवणभास्कर चूर्ण
39.	अग्निसंदीपन चूर्ण
40.	जन्मघूटी क्वाथ
41.	अश्वगंधा चूर्ण
42.	बालातिसार चूर्ण
43.	रक्तप्रदरहर चूर्ण
44.	कुटज चूर्ण
45.	पुष्कर मूल चूर्ण
46.	प्रदरहर चूर्ण
47.	मूत्रकर चूर्ण
48.	दन्तशूल हर चूर्ण
49.	शतावरी चूर्ण
50.	गोदन्ती भस्म
51.	कृष्ण मरहम
52.	चन्द्रप्रभा वटी
53.	शुभ्रा भस्म
54.	बालसुधा
55.	विषाण भस्म
56.	अकीक भस्म
57.	शंख भस्म
58.	कसीस गोदन्ती भस्म
59.	फलत्रिकादि चूर्ण

उच्च प्राथमिक विद्यालय रतनपुरा (लाछोड़ा) में अध्यापकों का पदस्थापन

32. श्री विजयेन्द्रपाल सिंह (कासीन्द) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा रतनपुरा (लाछोड़ा) तहसील कासीन्द के कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालय को लड़कों के उच्च प्राथमिक विद्यालय में परिवर्तित किया गया है ? यदि हां, तो किस वर्ष ?

(2) क्या यह सही है कि विगत तीन वर्षों से उच्च प्राथमिक विद्यालय रतनपुरा (लाछोड़ा) में एक भी अध्यापक और प्रधानाध्यापक कार्यरत नहीं है ? यदि हां, तो क्यों तथा अब कब तक उक्त पदों पर अध्यापक पदस्थापित कर दिये जायेंगे ?

उत्तर

(1) जी हां । वर्ष 1994-95 में परिवर्तित किया गया ।

(2) जी नहीं । विद्यालय में एक प्रधानाध्यापक, दो अध्यापक एवं एक शारीरिक शिक्षक अन्य विद्यालय से पद-स्थापित किये हुए हैं ।

कृषि उपज मण्डी, भरतपुर द्वारा सड़क निर्माण

33. श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

257

(श्री हरिसिंह)

भरतपुर कृषि उपज मण्डी द्वारा वर्ष 1996-97 तथा 1997-98 में ग्रामों को सड़क से जोड़ने हेतु कितनी व कौन-कौन सी सड़कों के निर्माण किये जाने की स्वीकृति दी गई ? सूची मय स्वीकृत धनराशि के सदन की मेज पर रखें । यदि नहीं, तो अब कब तक स्वीकृति दे दी जायेगी ?

उत्तर

कृषि उपज मण्डी समिति, भरतपुर को वर्ष 1996-97 तथा 1997-98 में कोई नवीन सम्पर्क सड़कों के निर्माण की स्वीकृति नहीं दी गई है ।

राज्य सरकार को कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है । प्राप्त होने पर विचार किया जायेगा ।

तारांकित प्रश्न संख्या-34

(स्थगित)

लूनकरणसर (बीकानेर) में बारानी भूमि का आवंटन

35. श्री भीमसेन चौधरी (लूनकरणसर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पुरानी राजस्व तहसील लूनकरणसर में कुल कितनी सरकारी बारानी भूमि आवंटन हेतु उपलब्ध है ?

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त तहसील क्षेत्र में भू-आवंटन बन्द कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब से व क्यों ?

(3) क्या सरकार उक्त क्षेत्र के बेरोजगार युवकों को बारानी भूमि का आवंटन कर बेरोजगारी की समस्या को दूर करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) पुरानी राजस्व तहसील लूनकरणसर (वर्तमान तहसील लूनकरणसर व पूगल तहसील का महादेववाली भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र है) में कुल 161765 बीघा बारानी भूमि आवंटन योग्य उपलब्ध है ।

(2) राज्य सरकार के आदेश दिनांक 21.4.76 के द्वारा मरुस्थली जिलों में एक हैक्टेयर तक भूमि के टुकड़े के सिवाय बारानी भूमि के आवंटन पर रोक है ।

(3) मरुस्थलीय जिलों में विभागीय परिपत्र दिनांक 21-4-76 के द्वारा भूमि के आवंटन पर लगे प्रतिबन्ध को हटाने बाबत प्रकरण राज्य सरकार के विचाराधीन है ।

जन जाति उपयोजना क्षेत्रों के विभिन्न पदों पर आरक्षण

36. श्री रघुवीरसिंह (सराड़ा) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री रघुवीरसिंह)

(2) वर्ष 1996-97 व 1997-98 में जनजाति उप योजना क्षेत्र में वेतन शृंखला 1 से 6 तक किस-किस विभाग में भर्ती व साक्षात्कार हुए तथा कितने प्रतिशत जनजातियों को आरक्षण दिया गया ? विभागवार सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

वर्ष 1996-97 व 1997-98 में जनजाति उपयोजना क्षेत्र में वेतन शृंखला 1 से 6 तक विभिन्न विभागों में भर्ती एवं जनजातियों को दिये गये आरक्षण के प्रतिशत के विवरण की विभागवार सूची परिशिष्ट "म" (पृष्ठ 1-7) पर संलग्न है ।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

विकास कार्यों हेतु विधायकों को उपलब्ध राशि में वृद्धि

37. श्री भीखा भाई (सागवाड़ा) : क्या मुख्य (मंत्री मण्डल सचिवालय) मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विकास कार्यों हेतु विधायकों को दी जाने वाली दस लाख रुपये की राशि अपर्याप्त है ?

(2) क्या यह सही है कि विधायकों एवं सांसदों को दी जाने वाली राशि में अत्यधिक अन्तर है ?

(3) क्या सरकार के समक्ष इस अन्तर को दूर करने के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक इस पर निर्णय होगा ?

उत्तर

(1) जी नहीं ।

(2) एक सांसद के क्षेत्र में लगभग आठ विधान सभाओं का क्षेत्र होता है । सांसदों को केन्द्र प्रवर्तित योजनान्तर्गत प्रति सांसद एक करोड़ रुपये की लागत के विकास कार्य प्रस्तावित करने हेतु धनराशि आवंटित होती है तथा विधायकों को राज्य मद से प्रति विधायक दस लाख रुपये के विकास कार्य प्रस्तावित करने हेतु राशि आवंटित होती है । अतः तुलनात्मक रूप से अन्तर अत्यधिक नहीं है ।

(3) जी नहीं ।

आमडोली (जयपुर) स्थित पोल्ट्री एस्टेट में सुविधाएं

38. श्री आर. सी. शर्मा (भरतपुर) : क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पोल्ट्री एस्टेट आमडोली, आगरा रोड, जयपुर के लिए सरकार द्वारा मूल आधारभूत सुविधाएं मुहैया नहीं करवाई गई है ? यदि हां, तो क्यों व यदि नहीं, तो क्या-क्या आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(श्री ग्रार. पी. शर्मा)

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त योजनान्तर्गत स्थापित पोल्ट्री फार्म्स, विद्युत, जल आपूर्ति ग्रारक्षी सेवा, चिकित्सा सेवा एवं पोस्टमार्टम, मुर्गियों के लिए ग्राहार, मुर्गियों की दवाई, शिक्षा ग्रादि ग्रति ग्रावश्यक सेवाओं का भी ग्रभाव है ? क्या सरकार उक्त सभी सेवाएं एस्टेट में ही उपलब्ध हो सकें इस हेतु कोई चरणबद्ध योजना बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो इसे कब तक लागू कर दिया जावेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। पोल्ट्री एस्टेट जामडोली में कुक्कुट पालकों को मूल ग्राधारभूत सुविधाएं मुहैया करवाई जा रही है। इनमें पानी, बिजली, पक्षियों की चिकित्सा, सड़कों का निर्माण आदि मूल ग्राधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है।

(2) जी नहीं। मूल ग्राधारभूत सुविधाएं जैसे जल ग्रापूर्ति, विद्युत वितरण, सड़कों का निर्माण, मृत पक्षियों के शव परीक्षण कर रोग निदान की सुविधा, कुक्कुट आहार बनाने के उपकरण, भवन, भण्डार ग्रादि सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाई हुई है।

कुक्कुट उत्पादों के विपणन की सुविधा दी जयपुर पोल्ट्री एस्टेट सहकारी समिति के माध्यम से उपलब्ध करवाई हुई है।

सहकारी बाजार जोधपुर परिसर में उपकिरायेदार

39. श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपया करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सहकारी बाजार जोधपुर सार्वजनिक निर्माण विभाग का किरायेदार है ? यदि हां, तो क्या किरायेदार को ग्रपने परिसर में किसी ग्रौर को सबलेट करने का ग्रधिकार है ? यदि हां, तो ग्रनुबन्ध का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) ग्रधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर सहकारी बाजार द्वारा होजरी सेल को परिसर सबलेट करने में कौन ग्रधिकारी जिम्मेदार है ? इस प्रकार से सबलेट करने के ग्रनुबन्ध कब-कब हुए ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। जी नहीं।

(2) जी हां। संचालक मण्डल/उप समिति के प्रस्तावानुसार तत्कालीन महाप्रबन्धक द्वारा ग्रनुबन्ध किये गये हैं। ग्रनुबन्ध का विवरण परिशिष्ट 1 पर संलग्न हैं।

परिसर हेतु अनुबन्ध

1	2	3
1.	दिनांक 19-4-93 से 19-10-93	6 माह रु. 7000/-प्रतिमाह
2.	दिनांक 1-11-93 से 31-10-94	12 माह रु. 7000/-प्रतिमाह
3.	दिनांक 11-11-94 से 31-3-95	5 माह रु. 7000/-प्रतिमाह
4.	दिनांक 18-7-95 से 31-3-96	8½ माह रु. 10,000/-प्रतिमाह

पंचायत समिति बयाना व वैसेड़ी के ग्रामों का विद्युतीकरण

40. श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा (बयाना) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पंचायत समिति बयाना व वैसेड़ी के कौन-कौन से गांवों का डिमाण्ड नोटिस की राशि जमा होने के बाद भी विद्युतीकरण नहीं हुआ है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जिन गांवों में डिमाण्ड नोटिस की राशि जमा हो चुकी है और विद्युतीकरण नहीं हुआ है उनमें राशि जमा हुये कितना समय व्यतीत हो चुका है ?

(3) अब तक गांवों का विद्युतीकरण कब तक कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) पंचायत समिति, बयाना के 18 तथा पंचायत समिति वैसेड़ी के 10 ग्रामों में

(ऊर्जा मंत्री)

विभिन्न श्रेणियों के आवेदकों द्वारा डिमाण्ड नोटिस की राशि जमा है लेकिन कनेक्शन विभिन्न कारणों से नहीं दिये जा सके। पंचायत समितिवार ग्रामों का विवरण प्रपत्र "ब" सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) जिन ग्रामों में डिमाण्ड नोटिस की राशि जमा हो चुकी है उनका तिथि सहित विवरण उपरोक्त प्रपत्र "ब" में दर्शा दिया गया है।

(3) जिन प्रकरणों में आवेदकों द्वारा औपचारिकताएं पूर्ण कर दी गई हैं उन्हें कनेक्शन दिये जाने की कार्यवाही प्रगति पर है।

वं. स. बयाना के वे ग्राम जिनमें डिमाण्ड नोटिस की राशि जमा होने के बाद कनेक्शन नहीं दिये जा सके का विवरण

क्र. सं.	गांव का नाम	डिमाण्ड नोटिस जमा होने की तिथि	श्रेणी	आवेदन पत्रों की संख्या	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5	6
1.	धानाधांग	9-92	कृषि	2	लाइन चोरी होने से कनेक्शन जारी नहीं हो सके।
			,,		
2.	नावली	7-3-92	,,	1	कोर्ट स्टे, जाब आर्डर जारी अण्डर
3.	कपूरामलूका	30-7-97	,,	1	प्रोग्रेस
		1-8-97	,,	1	
4.	बरबर	10.7.97	नर्सरी कृषि	1	,,

1	2	3	4	5	6
5.	सरायमम्बू	2-5-97	कृषि	1	एल फार्म प्राप्त नहीं हुआ ।
6.	बागरैन	20-2-97	"	1	" "
7.	सानखेड़ा	18-2-97	"	2	जाँच आर्डर 14-3-97 को जारी
8.	डूमरिया	30-5-97	"	1	एल फार्म प्राप्त नहीं हुआ ।
9.	चौखरन	17-3-97	"	1	" "
10.	पीपरी	6-8-97	"	1	जाँच आर्डर जारी
		31-1-97	"	1	
		3-7-97	"	1	" "
11.	छाछरैन	3-2-97	"	3	" "
		20-2-97	"	1	एल फार्म प्राप्त नहीं हुआ ।
		28-3-97	"	1	" "
		11-2-97	"	1	" "

1	2	3	4	5	6
12.	बड्डा	9-3-92	कृषि	1	राजस्व प्रमाण पत्र कमी होने के कारण डम्पर डिस्पूट।
13.	सिघाड़ा	21-4-97	"	2	जाब आर्डर जारी।
14.	महुपीराखुर्द	17-3-97	"	1	एल फार्म प्राप्त नहीं हुआ।
				25	
15.	रहुनाव	19-2-91	घरेलू	9	जाब आर्डर 29-8-91 को जारी। गांव वालों ने लाइन नहीं खेंचने दी।
16.	कोठीखेड़ा	27-1-89	"	10	जाब आर्डर 9-2-89 को जारी लाइन नहीं खेंचने दी।
17.	कोटे	17-3-97	"	75	जाब आर्डर जारी।
18.	महुपीराकलां	23-4-97	"	3	"
				97	

पंचायत समिति बसेड़ी के जिन ग्रामों में डिमाण्ड नोटिस की राशि जमा है एवं जहां पर पत्रावलियों विद्युत कनेक्शन हेतु लम्बित है की सूची

क्र. सं.	पं. स.	गांव का नाम	विद्युतीकरण का दिनांक	पत्रावलियों की संख्या घरेलू श्रेणी	डिमाण्ड नोटिस की राशि जमा होने की दिनांक	वर्तमान स्थिति मय विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1.	बसेड़ी	रहूरई	31-3-83	29	1-11-95	9 पोल एलटी के लाइन खींचने हेतु पहुंचा दिये गये
	,,	,,	,,	30	22-2-97	11 पोल उलटी लाइन हेतु साइड पर पहुंचा दिये गये हैं ।
2.	,,	बरोली	31-3-82	98	29-1-97	11 कंवी व एलटी लाइन के पोल्स 27 नं. साइड पर पहुंचा दिये गये ।

1	2	3	4	5	6	7
3.	बसेड़ी	जिन्दापुरा	31-3-90	41	25-2-97	एलटी लाइन के पोल खड़े कर दिये गये हैं।
4.	,,	तरवा	31-3-83	13	27-12-96	एलटी लाइन के 4 पोल साइट पर पहुंचा दिये गये।
5.	,,	कमिला	27-2-84	65	4-1-97	26 पोल एलटी लाइन का सामान पहुंचा दिया है।
	,,	,,	,,	27	22-3-97	9 पोल एलटी लाइन का सामान पहुंचा दिया है।
6.	,,	आरगा	31-11-84	24	11-8-96	ग्राम वाले सामान नहीं ले जा रहे हैं।
7.	,,	बसेड़ी	12-12-63	18	5-5-97	कार्य पूर्णकर दिया गया है, कनेक्शन देना बाकी है।
				3	23-4-97	,, ,,
				36	9-5-97	,, ,,

1	2	3	4	5	6	7
				18	9-5-97	कार्य पूर्ण कर दिया गया है, कनेक्शन
				27	21-4-97	देना बाकी है।
8.	बसेड़ी	तिमासिया	3-3-90	18	5-5-97	,, ,,
				15	21-4-97	,, ,,
				26	2-5-97	,, ,,
9.	,,	मूड़िक	30-1-85	57	7-3-95	गांव वाले सामान नहीं ले जा रहे हैं।
10.	,,	वागयर	28-2-85	218	18-10-96	तीन केमी. 11 केवी लाइन टूटी हुई है।

प्रथम श्रेणी चिकित्सकों की पदोन्नति प्रकरण

41. श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

विभागीय पदोन्नति के प्रथम श्रेणी में चिकित्सकों के कितने पद रिक्त हैं ? इन पदों की डी. पी. सी. कितने वर्षों से अपेक्षित है ? सरकार अब कब तक डी. पी. सी. की बैठक कर चिकित्सकों की पदोन्नति करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

वर्तमान में विभाग में प्रथम श्रेणी चिकित्सकों के कोई पद रिक्त नहीं होने के कारण डी. पी. सी. करना संभव नहीं है।

राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा सेकण्डरी प्रधानाध्यापकों की चयनित सूची

42. श्री ओमप्रकाश शर्मा (बूंदी): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित अभ्यर्थियों की सूची व आरक्षित सूची की वैधता की अवधि मात्र 6 माह है ? यदि हां, तो किस नियम के तहत ?

(2) क्या यह सही है कि सेकण्डरी प्रधानाध्यापक पदों के लिए आयोग द्वारा जारी सूची 15 सितम्बर तक के लिए वैध है ? यदि हां, तो इस सूची में कितने अभ्यर्थी हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि वर्ष 1983 से अब तक आयोग द्वारा सेकण्डरी प्रधानाध्यापक पदों के लिए जारी आरक्षित सूची के सभी आशार्थियों को पदस्थापित किया गया है ? यदि नहीं, तो इतने पद रिक्त होने के बाद भी इस सूची के सदस्यों को पदस्थापित नहीं किये जाने के कारणों का विवरण सदन की मेज पर रखें। अब इन्हें कब तक पदस्थापित कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) राजस्थान शिक्षा सेवा नियम, 1970 के नियम-20 के तहत मुख्य सूची एवं आरक्षित सूची तैयार की जाती है। मुख्य सूची की कोई कालावधि नहीं है परन्तु आरक्षित सूची राजस्थान लोक सेवा आयोग से मूल अभिस्तावना दिनांक से नियम 20 के तहत छह माह तक ही वैध रहती है।

(2) जी नहीं। यह सूची 21-9-97 तक वैध है।

(3) जी हां। नियमों में 50 प्रतिशत पदोन्नति से तथा 50 प्रतिशत लोक सेवा आयोग से सीधी नियुक्ति आधार पर आशार्थी लिये जाने का प्रावधान है। आयोग से लिये जाने वाले आशार्थियों की पूर्ति शत-प्रतिशत होने के कारण आरक्षित सूची मांगी नहीं गई।

चम्बल बैराज (कोटा) नहर का रख रखाव

43. श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : क्या सिंचित क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि चम्बल बैराज, कोटा से निकलने वाली नहर से मध्यप्रदेश से अधिक राजस्थान की भूमि को सिंचाई सुविधा उपलब्ध होने के बावजूद भी अधिकारियों/कर्मचारियों तथा वाहनों की स्वीकृत संख्या अपर्याप्त है ? यदि हां, तो क्यों ? उक्त सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जाना प्रस्तावित है ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या नहरों की खराब स्थिति, वांछित साधन के अभाव तथा स्टाफ की कमी के कारण उचित देखरेख के अभाव में कैचमेन्ट, सीडा कार्यक्रम एवं वाराबन्दी कार्यक्रम पूर्ण सफल नहीं हो पा रहे हैं ? यदि हां, तो इस बाबत सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

(3) क्या यह भी सही कि टेल से पानी देने के सिद्धान्त की पालना करने के उद्देश्य से बून्दी ब्रांच कैनाल सहित विभिन्न नहरों के आधुनिकीकरण की योजना के प्रस्ताव तैयार किये जा रहे हैं ? यदि हां, तो कब तक तथा नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) चम्बल कमाण्ड क्षेत्र में स्टाफ मध्यप्रदेश चम्बल सिंचित क्षेत्र के अनुपात में कम हैं । वर्तमान में इस वृत के अधीन तीन खण्डों के विपरीत मध्यप्रदेश में चार खण्ड कार्यरत है । वर्ष 97-98 में एक नया उपखण्ड बाईं नहर खण्ड के अधीन लबान मुख्यालय पर सृजित किया गया हैं । वर्ष के दौरान चार जीपों का रिप्लेसमेन्ट भी किया गया है । एक जीप की कीमत को पूर्ण करने के प्रयास किए जा रहे हैं । रेग्यूलेशन के वक्त अतिरिक्त वाहनों की आवश्यकता होती हैं, जिसे वाहन किराये पर लेकर पूर्ति कर ली जाती है । मध्यप्रदेश में चम्बल सिंचित क्षेत्र में वाहनों के बाबत जानकारी मध्यप्रदेश शासन से प्राप्त की जा रही है ।

(2) नहरों की सही स्थिति नहीं होने एवं स्टाफ की कमी के उपरान्त भी नहरों से अधिक से अधिक सिंचाई के लक्ष्य अर्जित किये जा रहे हैं । गत वर्षों में वर्षवार अर्जित सिंचाई संघनता निम्नानुसार है :—

वर्ष	सिंचाई संघनता (प्रतिशत में)
1991-92	105.09
1992-93	110.78
1993-94	100.79
1994-95	108.28
1995-96	118.91
1996-97	133.65

(राज्य मंत्री, सिंचित क्षेत्रीय विकास)

उपरोक्त आंकड़ों से स्पष्ट है कि नहरों की सही स्थिति नहीं होने के उपरान्त भी कैचमेन्ट एवं मोडा के कार्यक्रम सफल हो पा रहे हैं। अब नहरों के रख-रखाव में राज्य सरकार द्वारा विभिन्न संस्थाओं से जैसे विश्व बैंक, नाबार्ड एवं जिला विकास प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं आदि से वित्तीय सहायता प्राप्त कर सिंचाई जल प्रबन्ध समितियों का गठन कर उनके द्वारा ही कार्यों का सम्पादन/रख-रखाव एवं जल वितरण कराने की कार्यवाही की जा रही है। साथ ही यह भी प्रयास किया जा रहा है कि इन वित्तीय संस्थाओं द्वारा नहरों की मुख्य प्रणाली जैसे वितरिकायें/ब्रांचेज आदि के रख-रखाव एवं रिमोडलिंग (सुदृढ़ीकरण) के लिए भी सहायता राशि उपलब्ध हो सकें।

(3) टेल से पानी देने के सिद्धान्त को सफल करने के उद्देश्य से बूंदी ब्रांच कैनाल सहित सभी नहरों के आधुनिकीकरण के प्रस्ताव तैयार कराये जाकर राजस्थान वाटर रिसोर्सेज कंसोलिडेशन प्रोजेक्ट के अन्तर्गत प्रेषित किये जा चुके है।

जिला जोधपुर की पंचायतों के संबंध में प्राप्त शिकायतें

44. श्री राजेन्द्र चौधरी (बिलाड़ा) : क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जोधपुर जिले की किन-किन पंचायतों के विकास कार्यों के संबंध में कब-कब शिकायतें प्राप्त हुई ?

(2) क्या प्राप्त शिकायतों की जांच की गई है ? यदि हां, तो किन-किन की एवं उनके क्या क्या परिणाम रहे ?

(3) क्या दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है ? यदि हां, तो किन-किन के विरुद्ध ? कार्यवाही के क्या-क्या परिणाम रहे ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जोधपुर जिले की विभिन्न ग्राम पंचायतों के विकास कार्यों के संबंध में 60 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनका विस्तृत विवरण परिशिष्ट "य" में अंकित है।

(2) जी हां। कुल प्राप्त 60 शिकायतों में से दो शिकायतें प्राधिकरण की योजनाओं से संबंधित नहीं होने के कारण संबंधित विभागों को भिजवाई गई तथा शेष 58 शिकायतों की जांच के निर्देश दिये गये। जांच कार्य की प्रगति का विवरण शिकायत के सम्मुख परिशिष्ट "य" में अंकित है।

(3) शिकायतों की जांच के परिणाम एवं जांच में दोषी पाये गये संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट "य" में शिकायत के सम्मुख अंकित है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

(271)

जे. के. सिन्थेटिक्स कोटा को आबंटित भूमि

45. श्री हीरालाल सहरिया (किशनगंज) एवं श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डौली) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जे. के. सिन्थेटिक्स कम्पनी, कोटा को उद्योग हेतु आबंटित की गई जमीन की लीज रेन्ट 1987 के पहले कितने रुपये प्रति एकड़ थी और वर्ष 1987 के बाद उक्त लीज कितने रुपये प्रति एकड़ की गई ?

(2) जे. के. सिन्थेटिक्स, कोटा से वर्ष 1995-96 और 1996-97 में कुल कितने एकड़ भूमि का लीज रेन्ट किस दर से वसूल किया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जे. के. सिन्थेटिक्स कम्पनी, कोटा को उद्योग हेतु आबंटित की गई जमीन की लीज रेन्ट 1987 से पहले 30/- रुपये प्रति एकड़ थी। और वर्ष 1987 के बाद उक्त लीज रेन्ट 30/-रुपये प्रति एकड़ की दर हो रही है।

(2) जे. के. सिन्थेटिक्स, कोटा से वर्ष 1995-96 और 1996-97 में 264.31 आबंटित भूमि की लीज रेन्ट 30/-रुपये प्रति एकड़ की दर से वसूल किया गया।

जनजाति विकास निगम द्वारा ऋण/अनुदान का वितरण

46. श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य में जनजाति निगम बना हुआ है ? यदि हां, तो निगम के चेयरमैन एवं कार्यकारिणी के सदस्यों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि इस निगम द्वारा जनजाति के सदस्यों को विभिन्न योजनाओं में ऋण/अनुदान दिया जाता है ? यदि हां तो किन-किन योजनाओं में कितना-कितना ऋण/अनुदान दिया जाता है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि निगम द्वारा केवल अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को ही ऋण/अनुदान दिया जाता है ? यदि हां, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार जनजाति के व्यक्तियों को भी विभिन्न योजनाओं के लिये ऋण/अनुदान सुविधा देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। राज्य में अनु. जाति/वित्त एवं विकास सहकारी निगम बना हुआ है। निगम के चेयरमैन एवं कार्यकारिणी

(राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास)

के सदस्यों की सूची परिशिष्ट "अ" पर है।

(2) अनु. जाति-जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम द्वारा जनजाति उप-योजना क्षेत्र के बाहर के जनजाति के सदस्यों को ऋण/अनुदान दिये जाने का प्रावधान है। लेकिन अभी तक किसी जनजाति के सदस्य को ऋण/अनुदान उपलब्ध नहीं कराया गया है।

(3) अनुसूचित जाति/जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम के माध्यम से योजनाओं में पात्रता रखने वाले अनुसूचित जाति के लोगों को लाभ दिलवाया जाता है। फिलहाल अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम द्वारा जनजाति उपयोजना क्षेत्र से बाहर के 16 जिलों में अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को लाभ देने के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/जनजाति वित्त विकास निगम (एन. एस. एफ. डी. सी.) द्वारा निर्धारित योजनाओं के अनुसार वर्ष 1997-98 में लक्ष्य आवंटित किए जाकर लाभान्वित करवाने की कार्यवाही की जा रही है।

(4) जी हां। जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग से प्राप्त राशि से एन. एस. एफ. डी. सी. योजना के आधार पर अनु. जनजाति के व्यक्तियों को लाभान्वित किए जाने की कार्यवाही वर्तमान वर्ष 1997-98 में की जा रही है।

संचालक मण्डल

1.	शासन सचिव, समाज कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर	अध्यक्ष
2.	श्री एच. के. चौधरी, संयुक्त सचिव, कल्याण मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली	सदस्य
3.	रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजस्थान जयपुर या उनका प्रतिनिधि	सदस्य
4.	श्री गोपाल डेनवाल पुत्र स्व. श्री रामचन्द्र ए-नयाखेड़ा विवेकानन्द कालोनी अम्बाबाड़ी, जयपुर	सदस्य

5. श्री नेमीचन्द पुत्र श्री मदनलाल,
ग्राम पोस्ट मलिकपुर, पं. स. गोविन्दगढ़,
जयपुर — सदस्य

6. श्री सागर मल लाम्बा पुत्र श्री नारायण सिंह
सी-36-37 विवेकानन्द कालोनी नया खेड़ा
अम्बाबाड़ी, जयपुर — सदस्य

7. श्री राम लाल शर्मा पुत्र श्री रोडु राम प्रधान अध्यक्ष,
आदर्श ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. फागी
जिला-जयपुर — सदस्य

8. श्री कैलाश चन्द सोयल पुत्र श्री मूलचन्द
मण्डी खटीकान चार दरवाजा बाहर,
जयपुर — सदस्य

9. श्री ओम प्रकाश पुत्र श्री स्वरूप चन्द धोबी
पाबूपारी के अन्दर बीकानेर — सदस्य

10. श्री मेगराज वर्मा पुत्र श्री भंवरलाल शर्मा
बी-56 तारानगर सोनू किराना एण्ड जनरलस्टोर
झोटवाड़ा, जयपुर — सदस्य

11. प्रबन्धक निदेशक, — सदस्य सचिव

अखिल भारतीय सेवा स्तर के अधिकारियों को आरक्षण का लाभ

47. श्री अरूणसिंह (डीग) : क्या मुख्य (कार्मिक) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या राज्य प्रशासनिक सेवा, राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों की भांति भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा एवं अखिल भारतीय सेवा में अधिकारियों को चयन के पश्चात् सेवा काल में दी जाने वाली वेतन श्रृंखला प्रदान करते समय क्या अनुसूचित जाति तथा जनजाति के अधिकारियों को रोस्टर प्रणाली का लाभ दिया जाता है ?

(2) हाल ही में राजस्थान पुलिस सेवा के वरिष्ठ वेतन श्रृंखला में चयनित 22 अधिकारियों का कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया है ? आरक्षण का प्रावधान क्या है ?

उत्तर

(1) जी नहीं। अखिल भारतीय सेवाओं में पदोन्नति हेतु रोस्टर प्रणाली द्वारा आरक्षण दिये जाने का प्रावधान नहीं है।

(2) हाल ही में राजस्थान पुलिस सेवा के वरिष्ठ वेतन श्रृंखला के वर्ष 1996-97 की रिक्तियों के विरुद्ध गृह विभाग के आदेश दिनांक 30-5-97 द्वारा 38 अधिकारियों को, आदेश दिनांक 8-7-97 द्वारा 1 अधिकारी को, एवं आदेश दिनांक 22-8-97 द्वारा 11 अधिकारियों को पदोन्नति के आदेश जारी किये गये हैं। इस प्रकार कुल 50 अधिकारियों के पदोन्नति आदेश जारी किये गये। आरक्षण बिन्दुओं की गणना कार्मिक विभाग के आदेश क्रमांक प0 2 (1) (कार्मिक) क-2) 85 दिनांक 9.7.85 के द्वारा प्रचलित किये गये 100 बिन्दु रोस्टर की गणना के आधार पर की गई है।

राज्य में संचालित गौ-शालाएं

48. श्री माधवसिंह दीवान (सोजत-सिटी) : क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि राज्य में राजस्थान गौ-सेवा अधिनियम के तहत विभिन्न स्थानों पर गौ-शालाएं स्थापित करने का प्रावधान है ? यदि हां, तो अब तक कहां-कहां गौ-शालाएं स्थापित की गई तथा वहां कितना-कितना गौवंश 30 जून, 1996 एवं 1 जनवरी, 1997 को रखा गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी नहीं।

सहकारी विकास बैंक इटावा (कोटा) द्वारा स्वीकृत ऋण

49. श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि भूमि विकास बैंक, इटावा जिला कोटा द्वारा (ट्यूबवैल)

(श्री रामगोपाल बैरवा)

के लिये स्वीकृत ऋण की पूरी राशि (तीनों किस्तों) का वितरण नहीं किया जाता है ?

(2) क्या यह भी सही है कि इस सम्बन्ध में प्रतिवर्ष आडिट आक्षेप भी प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो गत तीन वर्षों के आडिट आक्षेप की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या स्वीकृत पूर्ण राशि न मिलने के कारण किसानों के ट्यूबवैल अपूर्ण या फैल हैं ? यदि हां, तो अपूर्ण या फैल ट्यूबवैल की सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार स्वीकृत ऋण की पूरी किस्त नहीं देने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

(3) वर्ष 1994-95 से 1996-97 तक 287 स्वीकृत प्रकरणों में से 229 प्रकरणों में पूर्ण किस्तों का भुगतान किया गया है। अपूर्ण एवं फैल्ड प्रकरणों की सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(4) जी नहीं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

खेतड़ी (झुन्झुनूं) में वन्य जीवों का संरक्षण

50. डा. मूलसिंह शेखावत (झुंझुनूं) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) क्या यह सही है कि झुंझुनूं जिले की खेतड़ी तहसील में बाघ बघेरे व अन्य वन्य जीव उपलब्ध हैं ?

(2) यदि हां, तो क्या सरकार इनके संरक्षण के लिये कोई कदम उठायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) झुंझुनूं जिले की खेतड़ी तहसील में बाघ एवं बघेरे प्रवास नहीं करते हैं। क्षेत्र में रोजड़ा, चिंकारा, सियार, खरगोश आदि वन्य जीव पाये जाते हैं।

(2) उपलब्ध वन्य जीवों के संरक्षण के लिये स्थानीय वनाधिकारियों/वनकर्मियों द्वारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के प्रावधानान्तर्गत कार्यवाही की जाती है।

विधान सभा क्षेत्र बेगूं में चिकित्सकों के रिक्त पद

51. श्री चुन्नीलाल धाकड़ (बेगूं) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) विधान सभा क्षेत्र बेगूं में चिकित्सकों के कितने पद कहां-कहां और कितनी अवधि से रिक्त हैं ?

(2) सरकार अब उक्त रिक्त पदों को कब तक भरने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) चित्तौड़गढ़ जिले के बेगूं विधान सभा क्षेत्र के मात्र एक आयुर्वेद औषधालय, राजपुरा में दिनांक 1.10.96 से आयुर्वेद चिकित्सक का पद रिक्त है।

(2) दिनांक 6.9.97 से आयुर्वेद औषधालय, राजपुरा (चित्तौड़) विधान सभा क्षेत्र बेगूं में चिकित्सक की ड्यूटी लगा दी गयी है।

सहायक जन सम्पर्क अधिकारियों की वरिष्ठता सूची

52. श्री कन्हैयालाल मीणा (बस्सी) : क्या जन सम्पर्क राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान जन सम्पर्क अधीनस्थ सेवा नियम के अन्तर्गत नियुक्त सहायक जन सम्पर्क अधिकारी/कर्मचारियों की स्थाई एवं अस्थायी वरिष्ठता सूची प्रति वर्ष जारी की जाती है ? यदि हां, तो वर्ष 1990 से अब तक जारी वरिष्ठता सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सहायक जन सम्पर्क अधिकारियों की वरिष्ठता सूची जारी करते समय स्थायी सहायक जन सम्पर्क अधिकारियों का ही नाम सूची में समाविष्ट किया जाता है ? यदि हां, तो किन नियमों के तहत ? नियमों की प्रति सहित पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि जन सम्पर्क अधिकारी के पद पर पदोन्नति देते समय सहायक जन सम्पर्क अधिकारी पद पर स्थायी होना आवश्यक है ? यदि हां, तो क्या पांच वर्ष की पूरी सेवा किए कोई कर्मचारी पदोन्नति हेतु विचारित नहीं किया जाता ? यदि नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। प्रथमतः अस्थायी (प्रोविजनल) वरिष्ठता सूची जारी कर आपत्तियां मांगी जाती हैं, तदोपरान्त स्थायी वरिष्ठता सूची जारी की जाती है। वर्ष 1990 से अब तक जारी वरिष्ठता सूची संलग्न है। परिशिष्ट-क

(2) जी हां। राजस्थान जनसम्पर्क अधीनस्थ सेवा नियम, 1975 के नियम 31 के अन्तर्गत वरिष्ठता सूची संधारित की जाती हैं। नियम का अंश संलग्न है। परिशिष्ट-ख

(3) जी हां। पदोन्नति के लिए योग्य स्थायी सहायक जनसम्पर्क अधिकारी उपलब्ध न होने पर अस्थायी सहायक जनसम्पर्क अधिकारी का स्थानापन्न पदोन्नति पर विचार किया जा सकता है। पदोन्नति के लिए न्यूनतम 5 वर्ष का कार्य अनुभव आवश्यक है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

विधान सभा क्षेत्र निवाई में स्वीकृति सड़कों का निर्माण कार्य

53.श्री बनवारीलाल बैरवा (निवाई) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि कृषि विपणन बोर्ड द्वारा वर्ष 1994 से अब तक की अवधि में निवाई विधान सभा क्षेत्र की निम्न चार सड़कों:—

1. चिरोंज-हतोना, 2. पराना-नटवाड़ा,
3. झिलाय-सिरोही वाया निवाई एवं
4. डांगरथल का एकजाई ठेका किन्हीं ठेकेदारों को दिया गया था ? यदि हां, तो उसका विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि ग्राम डांगरथल के निवासियों ने माह जुलाई, 1997 में उक्त सड़कों के निर्माण के संबंध में भूख हड़ताल की थी ? यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त सड़कें अभी तक निर्माणाधीन/अधूरी पड़ी हैं ?

(4) क्या सरकार इन सड़कों का कार्य पूर्ण कराने हेतु कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) जी हां। अनुबंधक द्वारा पुनः कार्य शुरू करने के आश्वासन पर हड़ताल समाप्त हुई तथा अनुबंधक द्वारा दिनांक 21.7.97 से 29.7.97 तक कार्य किया गया है।

(3) यह सही है कि उक्त सड़कें अभी अधूरी हैं।

(4) जी हां।

क्र. सं.	सड़क का नाम	ठेकेदार का नाम	पैकेज संख्या	स्वीकृत लम्बाई (कि.मी.)	कार्यादेश की राशि लाखों में	शुरू करने की दिनांक	पूर्ण करने की दिनांक	माह जनवरी, 96 तक भौतिक प्रगति	माह जनवरी, 96 तक वित्तीय प्रगति लाखों में	विशेष
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	पराना से नटवाड़ा	मै. शिव बिल्डर्स इलाहबाद (यू.पी.)	टी.ओ. 6	8.00	165.93	1.12.94	30.11.96	200 मीटर डब्ल्यू.बी.एम. कार्य 1.0 कि.मी. डब्ल्यू.बी.एम. कार्य तथा बी.टी.	7.00	ठेकेदार द्वारा कार्य अधूरा छोड़ने पर अनुबंध को निरस्त कर दुबारा निविदा आमंत्रित की गई
2.	चिरोंज से हथौना	"	"	6.00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	झिलाय से सिरोही	मै. शिव वि. इलाहबाद (यू पी.)	टी.ग्रो 6	8 00				कार्य –	–	
4.	निवाई से डांगरथल		"	9 00				–	–	
पुनः निविदा										
1.	पराना से नटवाड़ा	मै. पानाराम कांट्रेक्टर झांसी (यू.पी.)	टी.ग्रो. 6 (ए)	8.00	106.32 लाख	29 8.96	28.11.97	--	--	अनुबंध के अनुसार कार्य की प्रगति न होने के कारण अनुबंधक को अंतिम नोटिस किए गए कार्य के बिल प्रस्तुत करने हेतु दिया है। दिनांक
2.	चिरोंज से हथौना	"	"	6.00				3.00 कि.मी. डामरीकरण तथा	20.29	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								0.7 कि.मी. डब्ल्यू. बी.एम.		26.9.97 तक अंतिम बिल का विवरण तैयार कर शेष कार्य को पुनः निविदा लगा-कर नियमानु-
1.	झिलाय से सिरोही	मै. पानाराम कांट्रेक्टर झांसी (यू.पी.)	टी.ओ. 6 (बी)	8.00	90.97	29.8.96	28.11.97	2.70 कि.मी. डामरी-करण तथा सी.डी. कार्य मिट्टी का आंशिक कार्य	16.56	सार कार्य कराया जाएगा ठेकेदार की जमा राशि 15,89222/- रु. को जब्त करने के आदेश दिनांक 4.9.97 को जारी कर दिए हैं।
2.	निवाई से डांगर-वास	"	"	6.00						

जिला झुन्झुनूं में स्वीकृत कार्य

54. श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला विकास प्रभिकरण झुन्झुनूं द्वारा वर्ष 1994-95 से 1997-98 की अवधि में कुल कितने कार्यों की स्वीकृति जलदाय विभाग के माध्यम से करवाने हेतु दी गई ?

(2) उक्त स्वीकृत कार्यों में से कुल कितने कार्य पूर्ण हो चुके हैं तथा कौन-कौन से कार्य जुलाई, 1997 तक भी पूर्ण नहीं हुए हैं ?

(3) उक्त कार्यों को पूर्ण नहीं करने के क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) जिला ग्रामीण विकास प्रभिकरण, झुंझुनूं द्वारा वर्ष 1994-95 से 1997-98 के अन्तर्गत जलदाय विभाग के माध्यम से कुल 396 कार्य करवाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

(2) उक्त स्वीकृत 396 कार्यों में से जुलाई, 1997 तक 207 कार्य पूर्ण करवाये जा चुके हैं तथा शेष 189 कार्यों की स्थिति परिशिष्ट "क" पर अंकित है।

(3) कार्य पूर्ण नहीं होने के कारण सम्बन्धित कार्य के सम्मुख परिशिष्ट "क" में अंकित है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

परिशिष्ट—5

अतारांकित प्रश्न संख्या 50 का विवरण

सीकर जिले में गत तीन वर्षों (94-95 से 96-97) में पेड़ लगाने तथा वन क्षेत्र बढ़ाने पर हुये व्यय का योजनावार विवरण

क्र. सं.	नाम योजना	गत तीन वर्षों में हुआ व्यय (लाख रुपयों में		
		वन विभाग द्वारा	पंचायत समिति द्वारा	योग
1.	मरूस्थल विकास कार्यक्रम	471.68	24.05	495.73
2.	बालेश्वर विकास परि0	124.81	--	124.81
3.	सुनिश्चित रोजगार योजना	53.94	--	53.94
4.	शहरी सौन्दर्यकरण योजना	23.11	--	23.11
5.	हर्ष परियोजना	30.84	--	30.84
6.	अरावली वृक्षारोपण परि0	483.56	--	483.56
	योग	1187.94	24.05	1211.99

परिशिष्ट—6

अतारांकित प्रश्न संख्या 51 का विवरण

विधान सभा क्षेत्र डग में वर्ष 93-94 से करवाये गये वृक्षारोपण कार्यों का विवरण

क्र.सं.	नाम योजना/कार्य का प्रकार	कार्यस्थल ग्राम का नाम	क्षेत्रफल	स्वी. संख्या	व्यय राशि (लाख रु.में)	रोपित पौधों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7
1.	बंजड़ भूमि विकास	कोकी	75है0	डीआरडीए	4 035	15000
2.	वाटरशेड डग	सुजानपुर	75है0	व.भू.वि. 93-94	4.035	15000
3.	,,	पाड़ला	75है0	1535-38/ 28-10-93	4.035	15000
4.	,,	हरनावदा	75है0	,,	4.035	15000
5.	,,	मोदापुर	50है0	,,	2.690	10000

283

1	2	3	4	5	6	7
6.	बंजड़ भूमि/योजना विकास	गुनाई	35है0	डीआरडीए ब.भूमिवि.	1.82	7000
7.	वाटरशेड डग	घामदा-I	40है0	93-94/5035-39 11-7-94	2.10	8000
8.	,,	घामदा-II	40है0	6203/16-3-94	2.11	8000
9.	,,	घामदा-III	35है0	,,	1.82	7000
10.	,,	पुमाडला-I	35है0	5035-39	2.88	11000
11.	,,	,,....II	55है0	11-7-94	2.88	11000
12.	,,	मालपुरा-I	50है0	6103/16-3-94	2.59	10000
13.	,,	,,....II	50है0	,,	2.59	10000
14.	,,	गोविन्दपुरा	55है0	5035-39 11-7-94	2.88	11000
15.	,,	सांवरिया-III/II	55है0	डीआरडीए ब.भू.वि	2.88	11000
16.	,,	,,....II	55है0	93-94 6103-7/ 16-3-94	2.88	11000

1	2	3	4	5	6	7
17.	वाटरशेड बग	सालरिया।	55हे0	93-94 6103-7/ 16-3-94	2.88	11000
18.	,,	,,....I/I	55हे0	5035-39 11-7-94	2.88	11000
19.	,,	,,....I/II	55हे0	,,	2.88	11000
20.	,,	बयासरी।	35हे0	6003-7 16-3-94	1.82	7000
21.	,,	,,....II	35हे0	,,	1.82	7000
22.	,,	सांरगाहेडा-I	45हे0	,,	2.35	9000
23.	..	II	45हे0	..	2.35	9000
24.	..	महूडीखेडा-I	50हे0	5035-39 11-7-94	2.59	10000
25.	..	II	50हे0	,,	2.59	10000

285

1	2	3	4	5	6	7
26.	वाटरशेड डग	महूडी खेड़ा-III	50हे0	5035–89 11.7.94	2.59	10000
27.	,,	बंजारों का खेड़ा	45हे0	,,	2.35	9000
28.	,,	,,	45हे0	,,	2.35	9000
29.	,,	,,	40हे0	6103-7/ 16.3.94	2.10	8000
30.	सूखासंभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम	गुड़ा	50हे0	डीआरडीए 1902-8/ 6.2.95	4.781	55000
31.	,,	कोल्वा	50हे0	1895/991/ 6.1.95	5.23	55000
32.	बंजरभूमि विकास	मालपुरा-III	40हे0	2104-II 19.3.94	2.152	8000
33.	वाटरशेड	सालरिया-I	55हे0	6103-7/16.3.94	2.961	11000
34.	डग	,,---II	55हे0	,,	2.961	11000
35.	आश्वासित रोजगार योजना	सालरिया	40हे0	डीआरडीए	3.082	बीजारोपण कार्य

1	2	3	4	5	6	7
36.	आश्वासित रोजगार योजना	चौमहला	50है0	95-96/28-31 29.11.95	3.439	बीजारोपण कार्य
37.	"	क्यासरा	50है0	"	3.176	"
38.	"	घावर	60है0	"	3.881	"
39.	"	मजनपुर	40है0	2730-33 31.10.95	2.652	"
40.	"	दोबड़ा	40है0	"	2.711	"
41.	"	राजपुरा	40है0	"	2.867	"
42.	"	मोरूखेड़ी	40है0	"	3.14	"
		योग	2090		120.843	4.36 लाख पौधे

(288)

परिशिष्ट-7

अतारांकित प्रश्न संख्या--56 की प्रति

राजस्थान सरकार
सिंचित क्षेत्र विकास एवं जल उपयोगिता विभाग

क्रमांक : प.11 (11) सीएडी/85 पार्ट-II जयपुर, दिनांक 30-4-97

आदेश

राजस्थान भूमि विकास निगम द्वारा इन्दिरा गांधी नहर परियोजना तथा चम्बल परियोजना में सिंचित क्षेत्र विकास हेतु काश्तकारों को ऋण दिया गया था तथा इस ऋण की वसूली सुनिश्चित करने हेतु उनकी भूमि को रहन कर उस पर निगम का प्रथम चार्ज दर्ज कराने की कार्यवाही राजस्थान भूमि विकास निगम अधिनियम 1975 की धारा 27 (3) के अन्तर्गत की गई।

राज्य सरकार ने सिंचित क्षेत्रों में ऋणों की वसूलियों को स्थगित करने के लिये आदेश क्रमांक प. 11 (11) सीएडी/85 दिनांक 20-7-87 द्वारा इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र हेतु तथा आदेश क्रमांक प. 11 (11) सीएडी/85 दिनांक 26-12-94 द्वारा चम्बल परियोजना क्षेत्र हेतु पूर्व में जारी किये गये। वर्ष 1996-97 के बजट भाषण में भी मा. मुख्य मंत्री महोदय द्वारा इन वसूलियों को स्थगित करने की बात कही थी।

राज्य सरकार ने बैंकों के साथ समझौता करके निगम द्वारा बैंकों से लिये गये ऋण को चुकाने हेतु निर्णय लिया है तथा किश्तों में ऋण का भुगतान किया जा रहा है लेकिन काश्तकारों की भूमि अभी भी निगम के पास "रहन" है जिससे उन्हें अन्य बैंकों अथवा वित्तीय संस्थानों से और ऋण लेने में कठिनाई हो रही है एवं ऋण प्राप्त नहीं हो रहा है। अतः किसानों द्वारा अन्य संस्थाओं से ऋण लेने की स्थिति में संस्थाओं को "द्वितीय भार" (Second Charge) दर्ज करने की अनुमति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है।

उक्त आदेश वित्त (व्यय-3) विभाग की आई. डी. संख्या 812/वित्त/व्यय-3/97 दिनांक 31-3-97 द्वारा पत्र प्राप्ति सहमति से जारी की गई है।

आज्ञा से
ह.
(आर. एस. गठाला)
उप शासन सचिव, सीएडी

परिशिष्ट-8

(अतारांकित प्रश्न संख्या 59 का विवरण)

कार्यालय उप निदेशक (पुरुष) शिक्षा वि.वि. कोटा परिक्षेत्र कोटा

कार्यालय आदेश

राजस्थान अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियम 1971 के नियम 26 (2) के प्रावधानान्तर्गत मण्डल स्तर पर गठित विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा चयनोपरान्त पुस्तकालायाध्यक्ष (द्वितीय वेतन श्रृंखला) स्केल नं. 12 वेतनमान 1400-2600 में निम्नलिखित तृतीय वेतन वाले पुस्तकालयाध्यक्षों को पदोन्नति प्रदान की जाकर उनके नाम के सम्मुख अंकित (स्केल नं. 05) अधिकारियों के निस्तारण पर पदस्थापन हेतु सौंपे जाते हैं।

संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी दिनांक 25.3.97 तक कार्यग्रहण तिथि नियत कर पदोन्नति पदस्थापन आदेश जारी करें, पदोन्नत पुस्तकालयाध्यक्षों के द्वारा नियत कार्यग्रहण तिथि तक उपस्थिति नहीं देने की दशा में पदोन्नति परित्याग एवं विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा किया गया चयन निरस्त माना जायेगा।

अपने आदेशों में संबंधित संस्था प्रधानों को निर्देशित करे, कि इनको उपस्थिति की सूचना तार द्वारा इस कार्यालय को भिजवाये। यदि इन पुस्तकालयाध्यक्षों के वर्तमान पदस्थापन स्थान में कोई परिवर्तन हो तो अपने आदेश में सही पता अंकित कर प्रसारित करें। संबंधित संस्था प्रधान इनकी सेवा पुस्तिका में इनके कार्यग्रहण करने अथवा न करने का इन्द्राज आवश्यक रूप से करें।

इनका वेतन राजस्थान सेवा नियमों के अनुसार निर्धारित किया जाये। प्रमाणित किया जाता है कि यह पदोन्नतियां रोस्टर प्रणाली के अन्तर्गत की गई हैं।

(290)

क्र.सं.	वरिष्ठता क्रमांक	नाम पुस्तकालयाध्यक्ष मय पता	जन्म तिथि	आवंटित जिला (क्षेत्र संस्थाएं)
		(डी. पी. सी. सत्र 1994-95 में चयनित)		
1.	54. 61-81	श्री राधेश्याम चोरसिया, बामावि, सुनेल (झा)	19.7.53	झालावाड़
2.	55. 61-81	श्री नरेन्द्रप्रकाश शर्मा मावि टोडरा (सभा)	1.1.54	करौली
3.	56. 61-81	श्री रमेश चन्द सीमावि चोयका-बरवाड़ा (सभा)	4.1.54	करौली
4.	57. 61-81	श्री घनश्याम शर्मा, मावि अटवाड़ा-कलां (सभा)	7.8.55	करौली
5.	58. 61-81	श्री रमेशचन्द्र उपाध्याय, मावि नई मंडी हिन्डोन	1.7.55	करौली
6.	59. 61-81	श्री लड्डू गोपाल प्रावि पिपलाई (सभा)	15.11.55	बारां
7.	60. 61-81	श्री गोपेश कुमार शर्मा सीमावि गुडला (सभा)	7.7.57	बारां
8.	65. 61-81	श्री सुरेश कुमार शर्मा मावि केलवाई (सभा)	4.7.50	बारां

1	2		3	4	5
9.	66.	61-81	श्रीमती विमला भटनागर सीमावि दावाबाड़ी	1.10.50	कोटा
10.	67.	61-81	श्रीमती कान्ता गुप्ता. बांसी मावि सपोटरा (समा)	3.5.59	झालावाड़
11.	70.	61-81	श्री रमेश कुमार जैन मावि बिछोछ (समा)	5.4.58	झालावाड़

हस्ता/
(गोकुल चन्द शर्मा)
शिक्षा उपनिदेशक (पुरुष)
कोटा परिक्षेत्र, कोटा

परिशिष्ट–9

अतारांकित प्रश्न संख्या–69 की सूची

ग्रामीण विकास केन्द्रों की आधारभूत संरचना के अन्तर्गत नये खोले गये 127 पशु चिकित्सालयों की सूची

क्र.सं.	जिले का नाम	पंचायत समिति का नाम	खोले जाने वाले पशु चिकित्सालय स्थान/ग्राम का नाम
1	2	3	4
1.	अजमेर	अराई	सापला
2.	बारां	बारां	बामला
		"	माथना
		किशनगंज	रामपल
		शाहबाद	समरानिया
		छबड़ा	बेपला
		अटरू	बडोरा
3.	बाड़मेर	बालोतरा	कनाना
		सींधरी	पायलाकलां
		सिवाना	इन्द्राणा
		धोरीमन्ना	अरणियाली
		"	सोनरी
		चोहटन	नवातला बेठवास
		"	बीजासर
		"	आलमसर
		"	तारखा
		बाड़मेर	मीठड़ा
		"	ईशरोल

1	2	3	4
		बावतू	गिरा
		,,	हीरा की ढाणी
4.	बीकानेर	नोखा	जंगलू
		,,	काकड़ा
		कोलायत	रावबाला
		,,	गजनेर
		लूणकरणसर	गरबदेसर
5.	चूरू	चूरू	झरिया
		,,	लोसन-बड़ा
		रतनगढ़	सेहला
		तारानगर	भालेरी
		,,	बूचावास
		सरदारशहर	शिमला
		,,	अजीतसर
		सुजानगढ़	छापरा
		डूंगरगढ़	कल्याणसर
6.	धौलपुर	बसेड़ी	बोरली
		बाडी	बसई-डांग
7.	गंगानगर	मादरा	कलाना
		नापासिंह नगर	5-एन.पी.
		,,	59 एन. पी
8.	जयपुर	गोविन्दगढ़	किशनपुरा
		बस्सी	देवगढ़
9.	जैसलमेर	सम	जोगा
		,,	म्याजलार
		,,	लाखी
		सांकड़ा	भीखोड़ाई

1	2	3	4
10.	जालोर	सांचोर	डूंगरी
		भीनमाल	सेवड़ी
		जसवंतपुर	तवाव
11.	झुंझुनूं	सूरजगढ़	लोसाना
		खेतड़ी	बसई
12.	जोधपुर	फलोदी	भियासर
		,,	मोजसर
		,,	मातु
		,,	चाडी
		बाप	चाखू
		,,	केलनसर
		,,	जैसाला
		,,	रोहिना
		ओसिया	बिराई
		भोपालगढ़	साथिन
		शेरगढ़	मूंगड़ा
		बालेसर	नाथाराव
		,,	खुडियाला
		मंडोर	सालोदी
13.	कोटा	इटावा	अयाना
		लाड़पुरा	बोराबास
		सांगोद	मोईकला
14.	नागौर	लाडनूं	रताऊ
		,,	राडू
		मूंडवा	खारनू
		,,	संखवास
		मेड़ता	फलोदी (मेड़ता रोड़)
		,,	गगराना

(295)

1	2	3	4
		डेगाना	मेरूंदा
15.	राजसमंद	देवगढ़	कालेसरिया
		,,	कवाथल
16.	सवाईमाधोपुर	हिंडोन	कोटड़ी
		नादोती	कैमला
		गंगापुर	ग्रमरगढ़
		करौली	करसाई
		सपोटरा	लेंगड़ा
		बौंली	पीपलदा
17.	सीकर	फतहपुर	बेंसवा
		घोंष	मूंडवाड़
		लक्ष्मणगढ़	बठोट
18.	सिरोही	पिंडवाडा	नादिया
19.	ग्रलवर	रेणी	पिनान
20.	बांसवाड़ा	कुशलगढ़	बस्सी
21.	भरतपुर	बयाना	खेड़ली गरासिया
22.	भीलवाड़ा	हुरडा	रूपाहेली
		मांडल	लूहारिया
		रायपुर	लाखरमाला
23.	बूंदी	केशोरायपाटन	जयथल
		नैनवा	बांसी
24.	चित्तौड़गढ़	बेगू	ठकुराई

1	2	3	4
		चित्तौड़गढ़	बिलूण्ड
		,,	नगरी
		निम्बाहेड़ा	लसड़ावन
		,,	अरनोद
		छोटी सादड़ी	अम्बोरी
		प्रतापगढ़	ब्यासपुर
		अरनोद	बड़ी सावली
25.	दौसा	दौसा	लवाण
		सिकराय	छवपुरा
		,,	टोरडा
26.	डूंगरपुर	आसपुर	रामगढ़
		सागवाड़ा	पोवरी
		सीमलवाड़ा	पिकरासी
27.	झालावाड़	खानपुर	हरीगढ़
		झालरापाटन	कनवाड़ा
		मनोहरथाना	जावर
		,,	चुरेलिया
28.	पाली	पाली	रूपवास
		,,	गुडाएन्दला
		देसूरी	कोटसोलंकियान
		जैतारण	रास
		रायपुर	कलालिया
		रानी	जावली
		देसूरी	खोड़
29.	टोंक	मालपुरा	लाम्बाहरीसिंह
		निवाई	सीरस
		टोडारायसिंह	उनियाराखुर्द

1	2	3	4
		टोडारायसिंह,	पावलिया
		"	मोर
30.	उदयपुर	मावली	नाहरमगरा
		बड़गांव	चिरवा
		धरियावद	धगई

298

परिशिष्ट-10

अतारांकित प्रश्न संख्या 71 की सूची

वे शीर्ष सहकारी संस्थाएं जिनमें प्रशासक नियुक्त हैं।

क. सं.	नाम शीर्ष संस्था	प्रशासक नियुक्ति दि.	कारण
1	2	3	4
1.	राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लि0, जयपुर।	13-6-95	निर्वाचित संचालक मण्डल की अवधि पूर्ण होने के कारण
2.	राजस्थान राज्य क्रय विक्रय सहकारी संघ लि0, जयपुर।	13-6-95	,, ,,
3.	राजस्थान राज्य बुनकर सहकारी संघ लि0, जयपुर।	21-7-95	,, ,,
4.	राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लि0, जयपुर।	15-4-96	त्यागपत्र देने से संवैधानिक शून्यता होने के कारण

1	2	3	4
5.	राजस्थान राज्य सहकारी आवासन संघ लि0, जयपुर।	14-4-85	संघ की कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण अस्तित्व में रखने का मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।
6.	राजस्थान राज्य सहकारी भेड़ एवं ऊन विपणन फैडरेशन लि0, जयपुर।	4-4-91	सदस्य समितियों के निष्क्रिय होने के कारण

299

परिशिष्ट–11

परिशिष्ट 'ख'

अतारांकित प्रश्न संख्या 77 की सूची

कार्यालय पंचायत समिति बामनवास, स. म.

क. सं.	कार्य का नाम	ग्राम का नाम	ग्राम पंचायत	स्वीकृत वर्ष	योजना का नाम	स्वीकृत राशि	व्यय राशि	कार्य की स्थिति पूर्ण/अपूर्ण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	सामुदायिक भवन	सफीपुरा	सफीपुरा	92-93	अपना गांव अपना काम यो.	92,000	82,800	अपूर्ण
2.	"	सिरहाली	डाबर	94-95		50,000	15,000	अपूर्ण
3.	"	समावराडू बर	समावरा	95-96	ज.रो.यो.20%आरक्षित मद	1,09,000	1,09,000	पूर्ण
4.	"	पिपलाई	पिपलाई	95-96	ज. रो. यो. 20%	1,09,000	1,09,000	पूर्ण
5.	"	बरनाला	बरनाला	95-96	"	1,09,000	1,09,000	पूर्ण

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	सामुदायिक भवन	बिछोछ	बिछोछ	9-96	ज. रो. यो. 20%	1,09,000	95,000	पूर्ण
7.	,,	भांदरा	भांदरा	95-96		1,09,000	1,09,000	पूर्ण
8.	,,	पट्टीकलां बामनवास	पट्टीकलां बामनवास	95-96		1,09,000	1,09,000	पूर्ण
9.	,,	लिवाली	लिवाली	95-96		1,09,000	55,000	अपूर्ण
10.	,,	वाढ़मोहनपुर	बैराज	95-96	सांसद योजना	55,000	55,000	पूर्ण
11.	,,	बाटोदा	बाटोदा	96-97	,,	55,500	50,500	पूर्ण
12.	,,	गूर्जर बड़ोदा	गूर्जर बड़ोदा	96-97	,,	55,500	27,500	अपूर्ण
13.	,,	जाहिरा	जाहिरा	96-97	निर्बन्ध राशि योजना	1,20,000	60,000	अपूर्ण
14.		सुन्दरी	सुन्दरी	96-97	अपना गांव अपना काम यो.	1,04,000	83,200	अपूर्ण
15.	,,	महुनोली	महुनोली	97-98	सांसद योजना	50,000	25,000	पूर्ण

301

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16,	सामुदायिक भवन	देहुरा	सेहली	97-98	सांसद योजना	50,000	25,000	अपूर्ण
17.	,,	भंवरकी	नारोली चौड़	95-96	निर्बन्ध राशि योजना	1,19,800	1,27,000	अपूर्ण

ह.
विकास अधिकारी
पंचायत समिति बामनवास
जिला—स. मा.

(303)

परिशिष्ट-12

अतारांकित प्रश्न संख्या 82 का विवरण

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, झुंझुनूं द्वारा जनवरी, 97 से माह अगस्त, 97 तक जिला स्तर पर से स्वीकृत कार्य

क्र. सं.	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि
1	2	3
(1)	ग्राम नरहड़ के मंदिर वाले सार्व. कूप को गहरा	0·50 लाख
(2)	ग्राम अवसर की हरिजन बस्ती के कूप को गहरा	0·31 लाख
(3)	ग्राम गामन की ढाणी (दूधवा) में पेयजल टंकी मय कूप वाले पाइप कने.	0·55 लाख
(4)	राजीव कालोनी (सिघाना) में पेयजल टंकी व पाइप	0·40 लाख
(5)	ग्राम भेजा की ढाणी उत्तरी में नलकूप निर्माण	0·73 लाख
(6)	ग्राम अहिरों की ढानी (कृष्णनगर) में पेयजल टंकी निर्माण खोली मय कुए से टंकी तक पाइप लाइन	0·87 लाख
(7)	ग्राम मुकाना के सार्वजनिक कूप का बोरिंग करना	0·55 लाख
(8)	ग्राम अमरपुरा के सार्व. कूप का बोरिंग करना	0,55 लाख
(9)	ग्राम भैरूंगढ़ में पेयजल टंकी का निर्माण	0.83 लाख
(10)	ग्राम भगत की ढानी (डुमोलीकलां) में पेयजल टंकी निर्माण	0.77 लाख
(11)	सार्व. कूप को गहरा करना लाम्बी अहिर	0.16 लाख
(12)	ग्राम सीथल में पेयजल टंकी निर्माण	0.66 लाख

1	2	3
(13)	ग्राम खेतरा में सार्व. पेयजल टंकी मय कूप कनेक्शन पाइप	0.90 लाख
(14)	ग्राम ढीलसर में पेयजल कूप निर्माण	0.52 लाख
(15)	पेयजल टंकी निर्माण रा. उ. प्रा. वि. देवरोड	0.24 लाख
(16)	ग्राम महपालवास में पेयजल टंकी निर्माण	0.80 लाख
(17)	ग्राम माडोली में सार्व. पेयजल कूप को गहरा करना	0.25 लाख
(18)	ग्राम लाठुन्दा के सार्व. कूप का बोरिंग करना	0.13 लाख
(19)	ग्राम मालपुरा (हरिजन मोहल्ला) खिरोड़ में पेयजल टंकी	0.75 लाख
(20)	सीमेन्ट सड़क निर्माण बस स्टेण्ड से पश्चिमी कोने तक सोनासर	1.00 लाख
(21)	सीमेन्ट सड़क निर्माण मलसीसर	1.00 लाख
(22)	पानी निकासी नाला बख्तावरपुरा 3000 फुट	2.31 लाख
(23)	पक्का खारजा निर्माण रा. क. उ. प्रा. वि. के पास परसरामपुरा	1.25 लाख
(24)	नाली निर्माण 500 फुट डिमाल	1.25 लाख
(25)	पक्की नाली निर्माण वार्ड नं. 16 से 27 व खारजा चिराना	1.25 लाख
(26)	बर्साती पानी निकासी नाला 600 मीटर छोरसी	2.50 लाख
(27)	पंचायत घर दुण्डलोद के आगे व पीछे नाला निर्माण 450 फुट	0.57 लाख

1	2	3
(28)	ग्राम वीरवा में खरजा व नाली निर्माण	0.93 लाख
(29)	श्री छगनसिंह के घर से कन्हैयालाल सोनी के घर तक खुर्रा निर्माण ग्यागियासर	0.30 लाख
(30)	श्री तेजसिंह के घर से इन्दिरा स्वामी के घर तक खुर्रा निर्माण ग्यामियासर	0.68 लाख
(31)	खंरजा निर्माण पेयजल टंकी के पास खाजपुर	0.38 लाख
(32)	ग्राम घोडीवाराखुर्द में वर्षाती पानी निकासी नाला	1.49 लाख
		24.34 लाख

जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत शुरू किये जाने वाले कार्यों की सूची

(पैरा 35.1)

(1) सरकारी और पंचायतों आदि की सामुदायिक भूमियों पर सामाजिक वानिक कार्य, सड़क के दोनों ओर वृक्षारोपण, नहर के किनारों पर परती भूमि पर वृक्षारोपण' रेल की लाइनों के साथ-साथ वृक्षारोपण आदि जिसमें ईंधन चारा तथा फलों के वृक्ष लगाना - निजी भूमि पर रोपण करने के लिए पौधों का वितरण/बिक्री शामिल है, बशर्ते कि बिक्री से होने वाली आय को अलग-अलग जिला ग्रामीण विकास एजेन्सियों में जमा किया जाये और उसे पुनः जवाहर रोजगार योजना कार्यों में लगाया जावे।

(2) भूमि तथा जल संरक्षण कार्य, जल एकत्रीकरण ढांचे।

(3) लघु सिंचाई कार्य जैसे सामुदायिक सिंचाई कुओं का निर्माण माध्यम तथा मुख्य नालियों और खेत की नालियों आदि का निर्माण तथा उनका सुधार और उन्हें गहरा करना आदि।

(4) बाढ़ संरक्षण, जल निकासी तथा पानी इकट्ठा करने हेतु निर्माण कार्य।

(5) मानव अथवा पशु या सिंचाई अथवा मछली पालन के लिए पानी उपलब्ध कराने हेतु गांव में तालाबों का निर्माण/उनका नवीकरण।

(6) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों और फालतू भूमि भूदान भूमि और सरकार भूमि के आबंटितियों की विभिन्न जोतों पर सिंचाई कुंए और खेत की नालियां।

(7) ग्रामीण क्षेत्रों में समुदाय/संस्था आधार पर स्वच्छ शौचालयों और संस्थागत ग्रामीण स्वच्छता निर्माण कार्य जैसे हैंड पम्पों/नल की टूंटियों के पास नालियां पानी सोखने वाले गड्ढों का निर्माण।

(8) अनुसूचित जातियों/जनजातियों के सदस्यों और मुक्त बंधुआ मजदूरों के लिए क्रमागत मकानों का निर्माण।

(9) निर्धारित मानकों और विशिष्टताओं के आधार पर और न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के मानदण्ड के अनुरूप ग्रामीण सड़कों का निर्माण।

(10) पर्वतीय और मरुस्थली क्षेत्रों में परिस्थितिक सुधार पर विशेष बल देते हुए भूमि का विकास और बंजर भूमि अथवा निम्न स्तर की भूमि को इस्तेमाल करने योग्य बनाना।

(11) वनरोपण, भूमि तथा नमी संरक्षण करके तथा जल प्रबन्ध के द्वारा माइक्रोलेबल पारिस्थितिक योजनाएं बनाने की मार्फत विद्यमान भूजल स्रोतों को बढ़ाना।

(12) लक्षित समूह के लाभार्थियों के लिए कार्यशालाओं, सामुदायिक, केन्द्रों, पंचायत घरों, डबाकरा केन्द्रों, बाजार याड़ों का ऐसे क्षेत्रों में निर्माण जहां कमजोर वर्गों आदि की जनसंख्या का बाहुल्य हो।

(13) पूर्ण रूप से सामाजिक और सामुदायिक स्वरूप के निर्माण कार्य जैसे औषधालयों पंचायत घरों सामुदायिक केन्द्रों शिशुग्रहों आंगन बाड़ियों आदि का निर्माण।

(14) प्राथमिक स्कूल भवनों का निर्माण केवल उन्हें राजस्व गांवों में किया जायेगा जिसमें स्वीकृत स्कूल हैं परन्तु उनकी अपनी बिल्डिंग नहीं है। बिल्डिंग में दो बड़े कमरे, प्रत्येक लगभग 30 वर्गमीटर का एक बड़ा बरामदा और एक अलग कोने पर लड़के और लड़कियों के लिए अलग-अलग शौचालय/पेशाब घर होंगे। यदि विद्यमान बिल्डिंग में किसी जोड़ तोड़ अथवा विस्तार का प्रस्ताव किया जाता है तो यह विद्यमान भवन और मार्गदर्शिकाओं में परिकल्पना किये गये दो कमरों की बिल्डिंग के बीच जो कमियां हैं उसे पूरा करने तक ही होना चाहिए।

(15) जन शिक्षण निलायमों के लिए भवनों का निर्माण।

(16) स्कूलों में खेल के मैदानों का विकास।

परिशिष्ट-13

अतारांकित प्रश्न संख्या 83 का विवरण

सेवाओं से पृथक किए गए [illegible] प्रसार कार्यकर्ताओं की सूची

(सेवा अवधि 10 वर्ष से अधिक)

क.सं.	नाम	क.सं.	नाम
1	2	1	2
1.	कपूर चन्द	20.	कैलाश चन्द शर्मा
2.	चन्द्र शेखर बारेठ	21.	राजेश कुमार शर्मा
3.	प्रकाश कुमार गौड	22.	कोजाराम प्रजापत
4.	प्रताप सिंह बारेठ	23.	महेशचन्द
5.	रवीन्द्र नाथ	24.	लीलाधर मिश्रा
6.	मोहन लाल	25.	चेनपुरी
7.	गुलाब चन्द [illegible]	26.	रफीक अहमद
8.	भंवर लाल	27.	इन्द्र सिंह
9.	कन्हैयापाल चन्देल	28.	प्रहलाद शर्मा
10.	मुराद खान	29.	रामखिलाड़ी मीणा
11.	कैलाशचन्द शर्मा	30.	हुक्माराम
12.	हरीओम जांगिड	31.	कन्हैयालाल
13.	भगत सिंह	32.	चन्द्र प्रकाश
14.	कैलाश गौड	33.	गुरुदर्शन सिंह
15.	रतन सिंह	34.	[illegible]
16.	रामबाबू रोन	35.	[illegible]
17.	रमेश चन्द	36.	रेवतलाल
18.	भीखारमा	37.	हनुमानसिंह
19.	अकबर खान	38.	प्रेमचन्द फुलवारिया

1	2	1	2
39.	थानाराम	44.	किशन सिंह
40.	उदयलाल गोमती	45.	वासुदेव
41.	गोविन्द लाल बुनकर		
42.	अब्दुला	46.	श्योकरणि
43.	हुकिम मोहम्मद	47.	भवंरलाल सुथार

—00—